लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1991/15 अग्रहायण, 1913 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषयसूची (ii)	नीचे से पंक्ति 12	"अधिकतक" के स्थान पर "अधिकतम" पढ़िये।
22	9	"श्री अशोल गहलोत" के स्थान पर "श्री अशोक गहलोत" पढ़िये।
47	16	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
70	2	"श्री ए0चारलेस" के स्थान पर "श्री ए0 चार्ल्स" पढ़िये।
78	6	"कुमारी दीपिका वखिलिया" के स्थान पर "कुमारी दीपिका चिखलिया" पढ़िये।
109	नीचे से पंक्ति 7	शीर्षक में "विविमय" के स्थान पर "विनिमय" पढ़िये।
117	नीचे से पंक्ति 8	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
155	नीचे से पंक्ति 2	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
282	2	"प्रो0राम कापते" के स्थान पर "प्रो0राम कापसे" पढ़िये।
		"श्री यशवन्तराष पाटिल" के स्थान पर "श्री यशवन्तराव पाटिल" पढ़िये।

282	नीचे से पंक्ति 4	शीर्षक में "नुरक्षा" के स्थान पर "सुरक्षा" पढ़िये।
341	8	"संसोधन" के स्थान पर "संशोधन" पढ़िये।

विषय-सूची

बसम माला, खण्ड 7, दूसरा सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 12, शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1991/15 अग्रहायण, 1913 (शक)

विषय					पृष्ठ
जोर्डन के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	...	...	...	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	...	...	...	...	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 222 से 226					
प्रश्नों के लिखित उत्तर	...	...	...	...	20—291
तारांकित प्रश्न संख्या : 227 से 229 और 231 से 241					
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2499 से 2550, 2552 से 2587, 2589 से 2600, 2602 से 2645, 2647, 2649 से 2725 और 2727 से 2731					
सभापति द्वारा घोषणा	...	...	...	...	291—305
सदन के नेता के बारे में					
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	...	...	305—317
सभा का कार्य	...	...	...	...	317—320
कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक	...	...	...	...	320—324
विचार करने के लिए प्रस्ताव					
श्री के० विजय भास्कर रेड्डी		...	...	...	320—321
श्रीमती शीला गौतम		...	...	...	322

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ... ... 323—325

श्रीमती गीता मुखर्जी ... . 325—327

श्री गिरधारी लाल भार्गव ... ... 327—329

श्री एस० बी० सिदनाल ... ... 329—331

डा० राम चन्द्र डोम ... ... 331—333

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या ... ... 333—334

विधेयक पुर:स्थापित

(एक) लोक हित अभियोग विधेयक

डा० पी० वल्लल पेरुमान 334

(दो) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता) विधेयक

डा० पी० वल्लल पेरुमान 335

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 16क का अन्त:स्थापन)

श्री सुधीर गिरि 335

(चार) नियोजन विधेयक

श्री अनादि चरण दास ... ... 335—336

(पांच) मजदूरी की अधिकतक सीमा विधेयक

श्री एस० बी० सिदनाल 336

(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 244 आदि में संशोधन)

श्री पीयूष तीरकी ... ... 336—337

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 44 आदि का लोप करना)

श्री मोरेश्वर सावे 337

(आठ) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक

श्री मोरेश्वर सावे 337

(नौ) नागरिक (बहुउद्देशीय कार्ड का जारी किया जाना) विधेयक

श्री मोरेश्वर सावे 338

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 29क, आदि का अन्त:स्थापन)

श्री मोहन सिंह 338

(ग्यारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 51 ख का अन्त:स्थापन)

श्री मोहन सिंह 339

(बारह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री मोहन सिंह 339

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन)

श्री चित्त बसु 340

(चौदह) कृषि कर्मकार विधेयक

श्री चित्त बसु 340

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक

(नए अनुच्छेद 281 क और 281 ख का अन्त:स्थापन)

श्री चित्त बसु ... ... 340—341

विधेयक वापस लिया गया 341

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेदन 26 में संशोधन)

रोजगार गारंटी विधेयक—जारी ... ... 341—371

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल ... ... 342—344

श्री रमेश चेन्निथला ... ... 344—347

श्री छेदी पासवान ... ... 347—348

श्री पीयूष तीरकी ... ... 348—350

श्री मदन लाल खुराना ... ... 350—351

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा ... ... 351—354

विषय				पृष्ठ
प्रो० रासा सिंह रावत	...	...	...	354—355
श्री के० एच० मुनियप्पा	...	...	...	356—357
श्री प्रताप सिंह	...	...	...	357—358
श्री अबल्लभ पाणिग्रही	...	...	...	358—364
श्री राम नवीना मिश्र	...	...	...	364—367
श्री के० तुलसिऐया बान्डायार	...	...	...	367—368
श्री येल्लैया नंदी	...	...	...	368—370
श्री सूर्य नारायण यादव	...	...	...	370—371

लोक सभा

शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1991/15 अग्रहायण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जोर्डन के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आरम्भ में ही मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से डा० साद बोतरोस हब्दादिन, संसद सदस्य तथा जोर्डन के संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्यों का, जो हमारे माननीय अतिथियों के रूप में भारत यात्रा पर आए हैं, स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

1. श्री मन्सूर सैफेद्दीन मुराद,
2. श्री अहमद फाबीन
3. डा० दाउद बैसो कोजाब
4. श्री जमाल रिबाद हुदाद

प्रतिनिधिमंडल 5 दिसम्बर, 1991 को सुबह दिल्ली में पहुंचा। अब वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी हमारे देश की यह यात्रा सुखमय और फलदायक हो। उनके माध्यम से हम जोर्डन के बादशाह, वहां के प्रधान मंत्री, संसद, वहां की सरकार तथा हेशमाइन्ट किंगडम की जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

11.02 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़े का उत्पादन

*222. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 की तुलना में 1990-91 में विद्युतचालित करघा, हथकरघा तथा मिल इन सभी क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) 1991-92 के दौरान कुल कितने कपड़े का उत्पादन होने की सम्भावना है ?

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विद्युतकरघा, हथकरघा और मिल क्षेत्रों में कपड़े का उत्पादन निम्नलिखित अनुसार रहा है :—

(मिलियन वर्ग मीटर में)

क्षेत्र	1989-90	1990-91
1. विद्युतकरघा	9788	10988
2. हथकरघा	4537	4888
3. मिल	2781	2720

मिल क्षेत्र के उत्पादन में मामूली गिरावट आने के मुख्य कारण हैं मिलों की रुग्णता और उनका बन्द होना, विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों से प्रतियोगिता, आधुनिकीकरण की कमी आदि।

(ग) हथकरघा क्षेत्र और विद्युतकरघा क्षेत्र सहित उद्योग को उदार बनाने तथा आधुनिकीकरण करने की सरकार की नीति से भविष्य में कपड़े के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होने की आशा है।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कपड़े के कुल उत्पादन का लक्ष्य 21990 मिलियन वर्ग मीटर रखा गया है।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, भारतीय मिल के कपड़े की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है। और इसीलिए मिल के कपड़े के निर्यात में वृद्धि की काफी गुंजाइश है। क्या सरकार के पास आधुनिकीकरण का कोई कार्यक्रम है ? अगर हां, तो फिर क्या कार्यक्रम है ? क्या सरकार अविलम्ब और निर्धारित समय, सीमा के अन्दर ऐसा कार्यक्रम लागू करेगी ?

क्या आप इस कार्यक्रम के तहत अनिवासी भारतीयों को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया मुझे उसका ब्यौरा दें। क्या सरकार विद्युत करघा, हथकरघा और संयुक्त मिल क्षेत्र को संतुलित करने के लिए एक मिश्रित नीति लाएगी ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, सरकार की जानकारी है कि भारतीय कपड़े की मांग अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अधिक है और उसके लिए समय-समय पर सरकार की कोशिश रही है कि जबसे टेक्सटाइल पालिसी, जो 1985 में बनी थी उसके पीछे यह उद्देश्य था कि भारतीय कपड़ा और

कपड़ा उद्योग उस जमाने में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत प्रसिद्धी प्राप्त कर चुका था और धीरे-धीरे हालात ऐसे बनते जा रहे थे जिससे कि यह उद्योग घाटे में चलने लगा और कई मिलें सिक होने लगीं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए 1985 में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव जी के समय में इस पालिसी का निर्माण हुआ, तो उसके अन्तर्गत यह कोशिश की गई कि यह उद्योग पुनर्जीवित हो सके और इतना आगे बढ़ सके जिससे कि हम लोग अन्तर्राष्ट्रीय जगत में और विशेषकर काटन को बेस बनाते हुए हम अपना स्थान बना सकें और उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार की यह कोशिश है कि जो तीनों क्षेत्र हैं—चाहे वह मिल क्षेत्र हो, पावरलूम क्षेत्र हो या हैंडलूम क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्र इस प्रकार से प्रगति करें जिससे कि हमारा कपड़ा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय जगत में और अधिक जा सके।

जहां तक माननीय सदस्या ने स्कीम की बात कही है, मैं बताना चाहता हूं कि मिल क्षेत्र में भी योजना बनी हुई है, जिसके अन्तर्गत 1985 में टेक्सटाइल मार्डनाइजेशन फंड की स्थापना 750 करोड़ रुपये से हुई थी। यही कारण है कि जो करीब 142 मिलें घाटे में चल रही थीं और एक प्रकार से बन्द हो गई थीं, उनकी संख्या करीब 107 रह गई है। 37 मिलें पुनर्जीवित हुई हैं, उनके आधुनिकीकरण का प्रोग्राम बनाया गया है, इनमें हाई टेक्नालाजी आ सके, इसके लिए सरकार की योजना है। मैन मेड फाइबर को लेकर इन्डस्ट्री ने प्रगति की है और उसके कारण आयात पर निर्भरता में कमी आई है। इसके साथ-साथ जो मॉडल एजेंसी बनाई गई थी, उसके माध्यम से यह कोशिश जारी है कि जो मिलें सिक हैं, उनका पूरा पैकेज प्रोग्राम इस प्रकार से बनाया जाए, ताकि वे मिलें पुनर्जीवित हो सकें और मिलों को बन्द न करना पड़े। इसी रूप में हैंडलूम के बारे में भी सरकार को जानकारी है कि हैंडलूम सेक्टर की स्थिति बहुत दयनीय है। बुनकरों की हालत भी ठीक नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस क्षेत्र को हाई कास्ट वैल्यू में ले जाएं, जिससे ये लोग तरक्की कर सकें। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मंत्री महोदय भाषण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : जब बुनकरों की बात होती है तो आप लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं, मिलों की बात सुनना आप पसंद करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सेक्टर्स प्रगति करें और हैण्डलूम सेक्टर आगे बढ़े।

[अनुवाद]

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मंत्री महोदय ने वही पढ़ा है, जो कुछ वह अपने मंत्रालय में कर रहे हैं। मैंने बहुत ही आसान प्रश्न पूछे हैं तथा मैं उत्तर भी आसान ही चाहूंगी। मैंने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में पूछा है। उन्होंने मुझे वर्ष 1985 में स्वीकृत एक कार्यक्रम के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि क्या इसमें अनिवासी भारतीयों को भी सम्मिलित किया जा रहा है। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे विद्युतकरघा, हथकरघा से और संयुक्त मिल क्षेत्र को संतुलित करने हेतु एक मिश्रित योजना ला रहे हैं। वह मुझे बताते हैं कि हथकरघा लोगों को बहुत अधिक समस्या हो रही है, हम उसे जानते हैं लेकिन वह हमें यह नहीं बता रहे कि वे इस समस्या को कम करने हेतु क्या एक संयुक्त नीति ला रहे हैं। इसके अलावा, मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने कुछेक मामलों की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी। इनमें से कुछ मामले 10—15 वर्षों से लंबित हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्रालय को उसके बारे में उन्हें अवश्य सूचित करना चाहिए।

क्या मंत्री महोदय, वस्त्र उद्योग, बैंकिंग विभाग के प्रतिनिधियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की एक समिति गठित करने पर विचार करेंगे ताकि ऐसे मामलों को 3 से 6 महीने की अवधि में निपटाए जा सकें ? उन्हें इस प्रकार लटकाये रखने में कोई औचित्य नहीं है । मैं एक सीधा और संक्षिप्त उत्तर चाहूंगी ताकि मैं इसे समझ सकूं । शायद इस सम्बन्ध में मैं उनसे सम्पर्क न कर सकूं ।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या का सुझाव अच्छा है । अभी कोई इस तरह की कमेटी बनाने का विचार नहीं है लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा ।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : अगर मंत्री महोदय का उत्तर यह है कि मिल क्षेत्र के उत्पादन में सीमांत कमी मुख्यत: मिलों की रुग्णता और उनके बन्द होने के कारण आई है तो फिर कोयम्बतूर में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी, जहां रुग्णता अथवा घाटे के कारण कितनी मिलें बन्द हो गयीं जिससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं । क्या सरकार इन मिलों को पुन: खोलने और कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कोयम्बतूर की स्थिति अलग तरह की हो सकती है । वहां पर मिलें किस कारण से बन्द पड़ी हैं, यह मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि इसका अलग सिस्टम है, इसके लिए बी० एफ० आई० आर० में जाना होता है, सीधा मंत्रालय से इसका सम्बन्ध नहीं है । फिर भी माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देंगे तो उसकी जांच करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समस्या हल की जा सके ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि हैंडलूम उद्योग पावरलूम उद्योग के कारण पिछड़ रहा है । हैंडलूम उद्योग के माध्यम से हाथों को सीधा काम मिलता है । तो क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि पावरलूम को हतोत्साहित करके हैंडलूम उद्योग को प्रोत्साहित करने का वे विचार रखते हैं, यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी कहा हैंडलूम उद्योग पिछड़ नहीं रहा है । यह पावरलूम के कारण पिछड़ नहीं रहा है । हैंडलूम की अपनी समस्या हो सकती है । उसको दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, जिससे हैंडलूम के बुनकरों को पूरी मजदूरी मिले । जैसे मैंने पहले कहा उनकी पावरलूम कैसे माडर्नाइज हो सके कैसे उनको समय पर धागा मिल सके, कैसे उनको फाईनेंशियल इंस्टीच्यूशन्ज से जो मदद मिलती है, उस कमी को पूरा कर सकें । पावरलूम सैक्टर इतना स्टैबेलाइज हो चुका है कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते । परन्तु पावरलूम के कारण ही हैंडलूम को कोई खतरा हो, यह हम नहीं होने देंगे ।

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, जैसे कि एक गरीब आदमी को अपनी रोजी-रोटी के लिए जूझना पड़ता है उसी तरह उस गरीब को सस्ता कपड़ा मिलना हमारे यहां बहुत दूभर हो गया है । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी के मैनीफेस्टो में था कि हम अगर सत्ता

में आएंगे तो जनता साड़ी और जनता धोती सन् 1990 के आधार पर सस्ती दे सकेंगे, मेरा सवाल है कि क्या उसको मद्देनजर रखते हुए आपने आज तक, हमारी सरकार आने से लेकर, कितनी सबसिडी का जनता साड़ी और जनता धोती के लिए प्रावधान रखा है ?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा है, यह सही है कि कांग्रेस के मैनोफेस्टो में यह बात थी कि जनता साड़ी और जनता धोती की कीमत जुलाई, 1990 के अन्दर जो थी उसमें करीब 95 पैसे धोती की प्राईस बढ़ गई थी और एक रुपया बारह नये पैसे साड़ी की प्राईस बढ़ गई थी। हमने सबसिडी के रूप में सात करोड़ रुपये रिलीज किए हैं। कैबिनेट की सब-कमेटी ने यह निर्णय किया था उसी के आधार पर हम निर्देश दे चुके हैं। आज प्राईस को रोल-बैक करने की बात थी, उसको सामने रखते हुए 1.12 रुपये प्रति मीटर साड़ी पर और 96 पैसे प्रति मीटर धोती पर प्राईस कम करने की कोशिश की है। आज उसी को आधार मानकर एन० टी० सी० साड़ी और धोती सस्ता बेचने लग गई है।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बलायोगी : महोदय, आंध्र प्रदेश में बुनकर समुदाय में भूख के कारण मौतें हुई थीं। इसके अलावा हाल ही में आई वर्षा और बाढ़ में इस समुदाय ने अपना सब कुछ गवां दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि आंध्र-प्रदेश के बुनकर समुदाय की सहायता के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, अभी परसों राज्य सभा में कॉलिंग अटैंशन था। बुनकर वास्तव में बड़ी दयनीय स्थिति में हैं। अभी बाढ़ के कारण उनकी हालत अच्छी नहीं रही है। उसके लिए हमने पूरे पैकेज उनको दिए हैं, जिसके अन्तर्गत करीब 35000 बुनकरों को उसका लाभ मिलेगा। अलग-अलग योजनाएं बनी हुई हैं जिनके माध्यम से उनको रोजगार भी मिलेगा। को-आपरेटिव बुनकर हैं उनको कैसे हम पब्लिक सैक्टर में ला सकें, जिससे कि उसका लाभ उनको मिल सके, यह भी हमने किया है। इसके साथ-साथ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी की है, उनका पुनर्वास करने के लिए मुख्य मन्त्री से बात की है जिससे स्थानीय योजना को चला सकें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

बैंकों में अनिवासी भारतीयों से जमा-राशियां प्राप्त करने संबंधी योजनायें

*223. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एन० जैड० ग्रिन्डलेज बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की "विदेशी मुद्रा अनिवासी योजना" के अन्तर्गत अनुज्ञेय दर से अधिक ब्याज दर पर भारत में अनिवासी भारतीयों से जमा-राशियां प्राप्त करने हेतु एक "करेंसी स्वैप स्कीम" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का अनिवासी भारतीयों से जमा राशियां प्राप्त करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी ऐसी योजनायें शुरू करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ए० एन० जेड० ग्रिंडले बैंक अपनी भारती शाखाओं की एफ० सी० एन०आर० जमा रकमों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के अनुसार ब्याज देता है। तथापि, बैंक की भारत से बाहर स्थित शाखाएं विभिन्न विदेशी मुद्राओं में जमा राशियां स्वीकार करती हैं और उन्हें स्वैप व्यवस्था के माध्यम से भारत में एफ० सी० एन०आर० जमा खातों में रखने के लिए विनिर्दिष्ट करेंसियों में से किसी एक करेंसी में परिवर्तित करती हैं। इस प्रकार के लेन-देनों से होने वाले लाभ के एक भाग की अदायगी जमाकर्ताओं को निर्धारित ब्याज दर के अलावा की जाती है। विदेशों में किये गये ऐसे स्वैप लेन-देन भारतीय रिजर्व बैंक की एफ० सी० एन० आर० जमा पर ब्याज दर संबंधी हिदायतों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हैं।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाएं भी यदि चाहे तो इस प्रकार की स्वैप व्यवस्था कर सकती हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : माननीय मन्त्री ने अपने जवाब में बताया है कि ए०एन० जेड० ग्रिंडले बैंक ने स्वैप व्यवस्था शुरू की है तथा अनिवासी भारतीय जमाकर्ताओं को अर्जित लाभ देती है। क्या मैं माननीय मन्त्री से ए० एन० जेड० ग्रिंडले बैंक द्वारा अनिवासी भारतीयों से दो वर्षों के दौरान प्राप्त कुल जमा राशि के बारे में जान सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो करेंसी स्वैप स्कीम के अन्तर्गत पूछा है उसमें एन० आर० ई० एकाउंट्स के अन्तर्गत मार्च 1991 में 7090 करोड़ रुपये और एफ० सी० एन० आर० एकाउंट के अन्तर्गत 13405 करोड़ रुपये थे। 30-9-91 तक एन० आर० ई० एकाउंट्स में 7545 करोड़ रुपये और एफ० सी० एन० आर० अकाउंट में 14455 करोड़ रुपये जमा हुए हैं और पिछले छह महीनों में 1505 करोड़ हमारा ज्यादा डिपाजिट हुआ है।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : अपने जवाब में माननीय मन्त्री ने यह भी बताया है कि ऐसे सरकारी क्षेत्र के बैंक जिनकी विदेशों में शाखायें हैं, अगर वह चाहें तो वे भी स्वैप व्यवस्था के अन्तर्गत काम कर सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई अन्य बैंक और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऐसी व्यवस्था अपनाई है। यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अभी तक वह व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सरकार से किसी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत है

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। हमारी विदेशों में जो ब्रान्चेज हैं, वहां पर यह योजना हम स्वयं लागू कर सकते हैं। यह स्वैप योजना है लेकिन, इसलिए अभी लागू नहीं कर रहे हैं कि नेशनेलाइज्ड बैंकों का हमारा नेटवर्क अभी तक इतना अच्छा नहीं कर सकता है इतना वैल-इक्वीप्ड नहीं है। इस योजना को देश में भी लागू करने का प्रश्न आर०बी०आई० के कंसीडरेशन में है। इसमें भविष्य में यह भी देखना है कि कहीं बैंक में हमको ज्यादा हानि भी न हो।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वैप योजना भारत सरकार ने शुरू कराई हो तो वह काफी पापुलर है और माननीय विद्वान वित्त मन्त्री जी भी मानते हैं और उनकी बबल में जो बबलवीर हैं, वह अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा इशारा हार्वर्ड ट्रेड स्कूल न्वाय श्री चिदम्बरम की तरफ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

वह उस समय विद्यालय में जाते थे जबकि माननीय वित्त मन्त्री विश्वविद्यालय में जाते थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

यह जो स्वैपिंग हो रही है, उससे भारत को कितना नुकसान हो रहा है क्योंकि वह करके डालर और रुबल का जो अनुपात तय किया गया है, उससे भारत को काफी नुकसान हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि रुबल और डालर का रुपये से क्या रेशो है। नयी जो दर तय की गई है, उसमें क्या औचित्य है क्योंकि इस देश की जो करन्सी है उसकी स्वैप अफगानिस्तान में होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न पर आइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई अन्त ही नहीं है। बेकार के प्रश्नों का बेकार सा उत्तर ही होगा। आप संतुष्ट नहीं होंगे।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : डालर और रुपये की दर क्या है। रूबल और रुपये में क्या फर्क है, इससे कितना नुकसान हो रहा है। येन और रुपये की दर कितनी है, डच मार्क और रुपये की रेशो कितनी है, उसे कितना नुकसान हो रहा है और दुनिया के विभिन्न बाजारों में कैसा हो रहा है, उसकी जानकारी माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपके प्रश्न का प्रभावी भाग है।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि पिछले छह महीनों में 1505 करोड़ रुपया

मिला है। 31 जुलाई 1988 तक एफ०सी०एन०आर० डिपोजिट हिन्दुस्तान में दो करन्सी में यू०एस० डालर और पौंड्स में होता था। लेकिन 1 अक्तूबर 1988 से इसमें ड्यूस मार्क और येन भी जुड़ गया। स्वैप स्कीम यह है कि विदेशों में वहीं बैंक करेंसी में डिपोजिट लेकर उसे पौंड, मार्क और येन में से किसी भी विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट कराते हैं और हमारे यहां पर जमा करा सकते हैं। उसकी मैच्योरिटी तीन साल के बाद होती है। जो रेट स्पाट तथा फारवर्ड रेट के बीच जो अन्तर होता है उसका कुछ अंश डिपॉजिटर को ब्याज के अलावा दिया जाता है। स्वैप योजना का यही मतलब है

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, ए०एन०जेड० ग्रिन्डले बैंक द्वारा वसूली गई ऊंची ब्याज दर के कारण ऐसा लगता है कि देश को बहुत बड़ी धनराशि मिलेगी। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। माननीय मन्त्री ने आंकड़ों के बारे में विस्तृत विवरण दिया है—झूठ, सफेद झूठ आंकड़े जैसा वे आंकड़ों के बारे में कहते हैं। लेकिन मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि अगर ब्याज की ऊंची दर के कारण हमारे देश को बहुत बड़ी धनराशि मिलने जा रही है तो आप विदेश स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की इकाइयों को यह व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : मैंने पहले भी कहा था विदेशों में हमारे बैंकों की शाखाओं की संख्या 115 है। हम यह महसूस करते हैं कि हमारा नेटवर्क पर्याप्त नहीं है। विदेशी बैंक पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड हैं, वहां जो फ्लक्चुऐशन होता है, उस पर वे लगातार निगाह रखते हैं। कुछ कारणवश अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जो फारेन में इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं, वे वहां कर सकते हैं, इसमें आर० बी० आई० की ओर से कोई बंदिश नहीं है। देश में योजना लागू करने का मामला आर० बी० आई० के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय स्वैप व्यवस्था से भारत को कोई नुकसान नहीं है। यह समझदारी है तथा हमारे देशभक्त अनिवासी भारतीय अपना पैसा वहीं लगायेंगे जहां वे अपना लाभ अधिक-से-अधिक बना सकते हों। यह भी समझने योग्य बात है। प्रश्न यह है कि इससे एफ० सी० एन० आर० जमा राशियों का कितना अंश इन विदेशी बैंकों के माध्यम से आ रहा है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि इतना कहना ही काफी है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं, उनको भी ऐसा करने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को, जिनकी शाखाएं विदेशों में हैं, स्वयं व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करता ताकि जो लाभ का अंश है, वह विदेशियों के नहीं बल्कि भारतीय लोगों के हाथों में आये ?

मेरे प्रश्न का भाग (ग) है। क्या यह उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है जिसकी कल्पना वित्त मंत्रालय ने की है, जब वे यह निर्णय करते हैं कि विदेशी बैंकों को भारत में अपरिमित रूप में अपनी शाखाएं बढ़ाने के लिए अनुमति दी जाएगी।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, मेरे पास एफ० सी० एन० आर० के खाते में प्रत्येक बैंक का कितना अंश है, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी बाद में दे सकता हूं।

जहां तक अनुपूरक प्रश्नों के शेष भाग का सम्बन्ध है, हमने कहा है कि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा भारतीय हितों की कीमत पर नहीं की जाती। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 5 या 6 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। मुद्रा बदल गई है, दर परिवर्तित हो गई है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग की नई तकनीक विकसित हो गई है। उन्हें विशेषज्ञता की आवश्यकता है तथा हमारे बैंकों को वह विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। जब तक वे इस प्रकार की विशेषज्ञता विकसित नहीं करते तब तक इस प्रकार के जोखिम लेने में खतरे हैं। भारतीय बैंकों को विदेशों में इस प्रकार के कार्य करने हेतु शाखाएं खोलने में कोई बाधा नहीं है परन्तु उनका यह निर्णय इस बात पर आधारित होना चाहिए कि क्या इस विनिमय की प्रक्रिया में जोखिम उठाने की उनमें योग्यता है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं उसका कारण यह है कि यह सवाल मुझसे बहुत से लोगों ने पुछवाया है जब मैं साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से भारत के अलावा अन्य देशों में बसे हुए प्रवासी भारतियों को एन० आर० आई० के अन्तर्गत जिस प्रकार की सुविधायें दी गई हैं, क्या साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के निवासियों को प्रवासी भारतियों का दर्जा देकर उनको इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : दक्षिण अफ्रीका भी पिछले डेढ़ वर्ष में बड़ी तीव्रता और तेज गति से आगे बढ़ा है। वहां दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। उनमें बहुत से पूर्ण होने वाले हैं। अभी हाल में राष्ट्र मण्डल के प्रधानमंत्रियों की बैठक में व्यक्ति-दर व्यक्ति सम्पर्क को सामान्य बनाने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। राष्ट्रमण्डल के प्रधानमंत्रियों की बैठक में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र में क्या कुछ करना सम्भव है, हम इसका पता लगाएंगे।

आयात नीति में परिवर्तन

[हिन्दी]

*224. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वस्तुओं को "प्रतिबन्धित सूची" से हटा दिया गया है और "ओपन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत उनके आयात की अनुमति दे दी गई है; और

(ग) विदेश व्यापार में असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार द्वारा घोषित नई व्यापार नीति का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, आयात को निर्यात से जोड़ना है, जिससे

मुक्त विदेशी मुद्रा बाहर जाने से बचे और विदेश व्यापार में असन्तुलन दूर हो। प्रतिबन्धित और खुले सामान्य लाइसेंस सूचियों में शामिल मदों की पुनरीक्षा की गई है और इसमें से अनेक मदें यहां से हटाकर सीमित अनुमेय सूची में शामिल कर दी गई हैं, जिससे वे एक्जिम स्क्रिप्स के बदले आयात के लिए उपलब्ध हो गई हैं। परन्तु प्रतिबन्धित सूची से कोई भी मद खुले सामान्य लाइसेंस सूची में नहीं ले जाई गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर लगे प्रतिबन्ध पर दी जाने वाली रियायतें बहुत कम हैं जबकि आशा यह की जा रही थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के साथ ही आयात पर लगे प्रतिबन्ध लिए जाएंगे। वास्तव में निर्यातोन्मुख इकाइयों की यह शिकायत होगी कि मुद्रण रियायतें उनकी आशा के अनुरूप नहीं है तथा इसकी और अधिक रियायतों की मांग करेंगी। उदाहरण के लिए 360 दिनों के लिए आपूर्तिकर्ता की साख प्राप्त करना यदि असम्भव नहीं तो अत्यधिक मुश्किल जरूर है।

छूट दिये जाने के समय से···।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा अगर प्रश्न पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा।

[अनुवाद]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : यह प्रश्न का ही एक भाग है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है। आप प्वायंटेड क्वैश्चन पूछिये।

[अनुवाद]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : छूट दिये जाने के समय से, 50 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक की पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर इस प्रकार की साख की आवश्यकता होती है। यह अनुमान लगाना उचित नहीं है कि यह छूट मात्र दिखावे के लिए है। यह अनुमान इस तथ्य से और अधिक विश्वसनीय होता है कि 100 लाख रुपये से अधिक की पूंजीगत वस्तुओं के आयात में और अधिक बड़ी साख की आवश्यकता होगी।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस प्रकार बोलते रहेंगे तो मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : उसे उचित रूप से करने के लिए क्या कार्य-योजना होनी चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदय, खुले सामान्य लाइसेंस सूची में पूंजीगत वस्तुओं की बहुत बड़ी संख्या है। इनका आयात किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निःसंदेह भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं। वित्त मन्त्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है कि जैसे ही विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में सुधार होगा, ये प्रतिबन्ध हटा लिए जायेंगे। लेकिन खुले सामान्य लाइसेंस सूची में, जो बहुत सी पूंजीगत वस्तुएं जो भाग (क), परिशिष्ट एक में नहीं हैं, इन पूंजीगत वस्तुओं को "एक्जिम स्क्रिप" के अन्तर्गत पिछले सप्ताह रखा गया है और ये पूंजीगत वस्तुएं "एक्जिम स्क्रिप्स" के अन्तर्गत आयात की जा सकती हैं।

अत: आज दो माध्यम हैं—एक खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत और दूसरा 'एक्जिम स्क्रिप' के अन्तर्गत। मैं माननीय सदस्य के निराशावादी दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। जो कुछ उन्होंने कहा, वह तीन या चार महीने पहले सत्य था।

पिछले सप्ताह बहुत से निर्माता मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि चूंकि विदेशी मुद्रा स्थिति में सुधार हुआ है और इसलिए हमारी ऋण क्षमता सुधरी है। पूंजीगत वस्तुओं के पूर्तिकर्ता अब हमें एक वर्ष के ऋण-स्थगन काल के साथ पूर्तिकर्ता के साख के रूप में 3 से 5 वर्ष का समय देने के इच्छुक हैं। मेरे विचार में पूंजीगत वस्तुओं के मामले में वस्तुस्थिति में सुधार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : आयात-नियंत्रण तब तक रहने चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि आयात नहीं बढ़ रहे हैं। वर्ष 199 -92 में आयात घट रहा है। आंकड़ा 6.2 का है। इसे भविष्य में किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कृपया हमें बताएं।

श्री पी० चिदम्बरम : यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि यह एक अच्छा प्रश्न है।

श्री पी० चिदम्बरम : बहुत से माननीय सदस्य इस सभा में इस प्रश्न का समर्थन कर रहे हैं। यह 6.2 प्रतिशत का आंकड़ा सांख्यिकी औसत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने एक विवेकपूर्ण नीति अपनाई कि आयात को 3,000 करोड़ रुपये तक सीमित रखना चाहिए। हमने यह लक्ष्य चार महीनों में प्राप्त कर लिया है। ऐसा हुआ है कि कुछ घटनाएं हम पर हावी हो गई हैं। रूस को बाजार व्यवस्था डगमगा गई है। रूस आयात नहीं कर रहा है। यहां भुगतान रुपये में होता है। हमने रुपये में होने वाले निर्यात को कम किया है और दुर्लभ मुद्रा के निर्यात क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया है। दोनों ही उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं। रुपये में जिन निर्यातों का भुगतान होता है वे 5.4 प्रतिशत तक सीमित हो गई है। पहले छह महीनों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र के निर्यात डालर के रूप में 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़े हैं। दोनों लक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। दोनों ही स्वागत योग्य हैं। दुर्भाग्य से, आंकड़ों के अनुसार एक स्वागत योग्य कदम और एक दूसरा स्वागत योग्य कदम एक निराशाजनक औसत आंकड़ा देते हैं।—54%, 5.4% जमा करने पर औसतन आंकड़ा – 6.2 प्राप्त होता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझे एक बात और कहनी है। पहले यह महीनों में 5.4 प्रतिशत की औसत, जब पूर्व सरकार सत्ता में थी तो सामान्य मुद्रा क्षेत्र निर्यात की डालर में वृद्धि तो वह पहली तिमाही में 4.9 प्रतिशत तथा दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत और हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सितम्बर माह में जी० सी० ए० देशों को डालर के रूप में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह एक विवेकपूर्ण नीति है।

श्री अन्वारासु इरा : कुछ मदों को प्रतिबन्धित सूची में रखा गया है। कुछ वस्तुओं को सरणी-बद्ध मद में रखा गया है तथा मैं नहीं जानता कि क्यों इस प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

आपको मालूम है कि तेल एक आवश्यक वस्तु है। अगर गैर-सरकारी पार्टियों को तेल, अखबारी कागज तथा अन्य आवश्यक मदों को आयात करने की अनुमति दी जाती है तो इन्हें खुले बाजार में सस्ते

मूल्यों पर बेचा जा सकता है तथा जनता को इससे फायदा होगा। गैर-सरकारी पार्टियों को अनुमति देने के बजाय यह नियंत्रण क्यों लगाया गया है? इसका आयात राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : तेल को खुले सामान्य लाइसेंस सूची में क्यों नहीं रखा जा सकता?

श्री अन्बारासु इरा : क्या माननीय मंत्री जी, इस व्यवस्था को रद्द करने पर विचार करेंगे जिससे कि निजी इकाइयां कम से कम आवश्यक वस्तुओं का आयात करके जनता को सस्ते मूल्य पर बेच सकें? यह सच है, माननीय मंत्री जी बुद्धिमान हैं। वे कहेंगे कि उन्हें कई निरीक्षण एजेंसियों को मनोनीत करना है। कई निरीक्षण एजेंसियां बन्द हो गई हैं तथा इस काम के लिए उन एजेंसियों को रखा जा सकता है। अतः मैं विशेष रूप से तथा स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि तेल आयात करने की अनुमति निजी पार्टियों को दिया जाए तो क्या कठिनाई है?

अध्यक्ष महोदय : आप व्यर्थ में प्रश्न को खींच रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अन्बारासु इरा : मैं संक्षेप में प्रश्न करूंगा। क्या माननीय मंत्री जी पाम ऑयल जैसी आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की अनुमति निजी पार्टियों को देने पर विचार करेंगे ताकि उन्हें सस्तीदर पर बेचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रश्न किया है।

श्री पी० चिदम्बरम : खाद्य तेल सरणीबद्ध आयात वस्तु है। एस० टी० सी० सरणीबद्ध एजेंट है। पहले हम विदेश मुद्रा की स्थिति के कारण खाद्य तेल का आयात नहीं कर सके। लेकिन पिछले महीने हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिए 66,000 मीटरी टन खाद्य तेल का आयात किया। खाद्य तेल की मांग को देखते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया है। हमने अतिरक्त खाते में खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति राज्य सरकार को दी है। प्रारम्भ में हमने राज्यों को 80,000 मीटरी टन की अनुमति दी थी। लेकिन अब मांग 1,80,000 टन के निकट हो गई है। हम राज्यों को अतिरिक्त खाते मे खाद्य तेल के आयात की अनुमति दे रहे हैं।

खाद्य तेल का आयात करने की अनुमति क्या तीसरी पार्टी को दी जानी चाहिए, यह गम्भीरता से सोचने वाला विषय है। खाद्य तेल बाजार म कई पार्टियां होने के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी। चूंकि पाम ऑयल की अवतरित कीमत मूंगफली तेल की कीमत से आधी है इस कारण निजी व्यापारियों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। हम जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले सकते। एस० टी० सी० तथा राज्य सरकार दो एजेंसियां है जो पाम ऑयल का आयात कर रही हैं।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नेपाल, चीन और जापान आदि देशों से टाट वगैरह आयात होता है, जिसे आयात करने के लिए कोई कस्टम शुल्क नहीं देना पड़ता। इसके अतिरिक्त अन्य कई सामान ऐसे है, जिनके आयात पर किसी तरह का कस्टम शुल्क चार्ज नहीं किया जाता, इस कारण केन्द्रीय राजस्व को घाटा होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे सामान को रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है और यदि है तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है। नेपाल, चीन, जापान आदि देशों से हमारे यहां

काफी टाट कपड़ा मंगाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : मेरा आरोप वैध आयात तथा वैध निर्यात से सम्बन्धित है। तस्करी सम्बन्धी मामले वित्त मन्त्रालय के साथ उठाए जाने चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : मान्यवर, मान्य मन्त्री जी ने हमें अभी-अभी सूचित किया है, और वास्तव में पहले भी किया था कि दुर्लभ मुद्रा की प्राप्ति और व्यापार अन्तर को कम करना हमारी व्यापार नीति का उद्देश्य होना चाहिए जो कि पूर्णतया प्रशंसनीय है। साथ ही मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित इस नीति के कार्यान्वयन के लिए जो जोरदार प्रयास किये हैं, वे भी प्रशंसनीय हैं। किन्तु मैं दो परस्पर सम्बद्ध बातों के बारे में चिन्तित हूं। किसी नीति का अच्छा या बुरा होना उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। मैंने बहुधा यह चिन्ता व्यक्त की है। इस चिन्ता के दो भाग हैं। एक तो इस नीति के कार्यान्वयन का एक हिस्सा यह है कि जब तक रिजर्व बैंक के विनियमों में, आबकारी विनियमों में, तदनुरूपी उचित और क्रमिक परिवर्तन नहीं लाये जाते, व्यापार नीति का कार्यान्वयन प्रभावकारी नहीं हो सकता। क्या मन्त्री जी हमें बताएंगे कि कितनी तेजी से और किस प्रकार के परिवर्तन लाये जा रहे हैं।

दूसरी बात, उन्होंने रुपया भुगतान क्षेत्रों में व्यापार के बारे में भी बात की है। वास्तव में यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है। अपरावर्त्य मुद्रा के रूप में भी रूबल ठहर नहीं सका। पूर्व सोवियत संघ में भी यह स्वीकार्य नहीं है। रुपया-रूबल व्यापार के पुराने सुस्थापित मानदण्ड अपनाने से एक बेकार विनिमय स्थिति उत्पन्न होगी। रूबल अब 400 रुपये के समतुल्य हो गया। यदि इस प्रकार का रुपया-रूबल विनिमय चलता रहा तो रुपया भुगतान क्षेत्र में किस प्रकार की व्यापार नीति लागू होगी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या मन्त्री महोदय इन दो पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं मान्य सदस्य की जसवन्त सिंह के इस तर्क से पूरी तरह सहमत हूं कि सीमा शुल्क रिजर्व बैंक आदि द्वारा उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा किया जाना चाहिए इस पर सब एकमत हैं, किन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि जिस गति से यह अन्य क्षेत्रों में हो रहा है वह औद्योगिक, व्यापारिक और राजकोषीय क्षेत्र की नीतियों के अनुरूप नहीं है। वह एक समालोचना है जिसे मैं स्वीकार करता हूं, किन्तु आबकारी के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने वर्गीकरण की तर्कसंगत संहिता प्रकाशित की है जो कि अन्य देशों में क्रियान्वित की जा रही संहिता के लगभग बराबर है। सीमा शुल्क विभाग ने आश्वस्त किया है कि वे तर्कसंगत संहिता के अनुरूप चलेंगे जो कि उनके ही परामर्श से बनाई गई है। इससे आयातकों और निर्यातकों दोनों की शिकायतें दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। हमने वित्त मन्त्रालय से सीमा शुल्क विभाग में अन्य कई अवरोधों को दूर करने पर भी चर्चा की।

मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय की सीमा शुल्क विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। रिजर्व बैंक के संबंध में मेरी एक मात्र दिलचस्पी नियंत्रण से है। मैं आशा करता हूं कि बचे हुए नियंत्रण उठा लिए जाएंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार के विस्तृत प्रश्न वित्त मंत्री से पूछे जाएं। मैं सहमत हूं कि हमें इस संबंध में तेजी से कार्यवाही करनी चाहिए।

जहां तक रुपया-रूबल व्यापार का संबंध है, के बाजार में ठहर न पाना एक कारण है कि हम डॉर०पी०ए० देशों के साथ निर्यात कम करने की नीति का पालन कर रहे हैं। यह एक कृत्रिम दर है जो

निरर्थक है। हम रूबल में कारोबार नहीं करेंगे। हम वास्तव में रुपये में व्यापार कर रहे हैं। वहां भी, समझौता 31 दिसम्बर तक ही वैध है। हमारे अधिकारी और सोवियत प्राधिकारी विचार-विमर्श कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अन्तिम विचार-विमर्श के लिए एक दल इस महीने के मध्य में सोवियत संघ जाएगा। जिस मुद्दे पर बात की जाएगी उनमें से रुपया-रूबल पद भी एक है। हमने अपनी पूरी तैयारी की है। हम तैयार हैं। हम एक उपयुक्त करार पर हस्ताक्षर के लिए आशान्वित हैं।

उड़ीसा में कॉफी बागान

*225. **श्री गोपी नाथ गजपति :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कॉफी बागान वाले क्षेत्रों को बढ़ाने का अवसर है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या कॉफी बोर्ड ने उक्त राज्य में कॉफी उत्पादन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और आठवीं योजना के दौरान राज्य के किस क्षेत्र में कॉफी उत्पादन किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) विवरण सदन के सभा पटल पर रखा गया।

विवरण

(क) से (घ) कॉफी बोर्ड ने उड़ीसा राज्य के कोरापुट, कालाहान्डी, गन्जम तथा फुलबनी जिलों में 6335 हैक्टर भूमि को, कॉफी उत्पादन के उपयुक्त माना है। इसमें से 1372 हैक्टर क्षेत्र में वर्तमान में कॉफी की फसल हो रही है। कॉफी उत्पादन वाले क्षेत्रों मे विकास को दृढ़तम करना ही वर्तमान नीति का ध्येय है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल उड़ीसा तक ही सीमित है।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, उड़ीसा के कई जिलों की जलवायु स्थिति कॉफी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। फिर भी, यह महसूस किया गया है कि सरकारी कर्मचारी, निजी ठेकेदारों और कॉफी बोर्ड, कॉफी के उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। जबकि विदेशी बाजारों में भी भारतीय कॉफी की बहुत मांग है। क्या हमें माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से यह आश्वासन मिल सकता है कि उड़ीसा में बड़े क्षेत्र को कॉफी उत्पादन के अन्तर्गत लाने में केन्द्र, राज्य सरकारों और कॉफी बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करेगा ?

श्री सलमान खुर्शीद : श्रीमान, माननीय सदस्य आश्वासन मांग रहे हैं और हम सहर्ष आश्वासन देते हैं लेकिन कॉफी व्यापार के वर्तमान विश्व स्थिति को देखते हुए हमारी यह नीति रहेगी कि पहले उन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दें। जहां पर पहले से ही कॉफी का उत्पादन हो रहा है उसके बाद हम अन्य क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे। राज्य सरकार जो भी सहयोग मांगती है और हम जो कुछ सहयोग

दे सकते हैं वह सदा मिलता रहेगा।

श्री गोपीनाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, भारी संख्या में श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए और साथ ही साथ उन्हें लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार, कॉफी बागान के क्षेत्रों को, विशेषकर कालाहाण्डी, फूलबनी, कोरापुट, गन्जम और मयूरभंज जैसे अपारम्परिक जिलों में इन क्षेत्रों को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, उस पर विचार करेगी ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निकट भविष्य में विशेष कॉफी "मैसूर नगेट्स एक्सट्रा बोल्ड" किस्म को प्रस्तुत व प्रचार करना चाहती है।

श्री सलमान खुर्शीद : माननीय सदस्य हमारे द्वारा प्रस्तुत नीति का विस्तार चाहते हैं। वस्तुत: कोरापुट, कालाहाण्डी, गन्जम तथा फूलबनी वे क्षेत्र हैं जिसका हमने पता लगाया था और जहां 6,?35 हैक्टर भूमि कॉफी उत्पादन के लिए उपलब्ध है। हम पहले से ही 1,372 हैक्टर भूमि में कॉफी उत्पादन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हम पहले उस ओर अधिक ध्यान देना चाहते हैं उसके बाद अधिक क्षेत्रफल की ओर बढ़ेंगे।

जहां तक श्रमिकों के पलायन का प्रश्न है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे-जैसे कॉफी उत्पादन बढ़ता जाएगा और लाभकारी सिद्ध होगा, श्रमिक उन क्षेत्रों से पलायन नहीं करेंगे। हमारे पास कॉफी उत्पादकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शन फार्म तथा अंचल से भूमि तक विस्तार योजनाएं हैं। साथ ही साथ राजसहायता एवं कम ब्याज दर के रूप में वित्तीय सहायता हेतु कई योजनाएं उपलब्ध हैं। जैसा कि मैंने कहा है जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, वह कॉफी बोर्ड उपलब्ध कराएगा।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : माननीय सदस्य जी ने कालाहान्डी, फूलबनी और अन्य जिलों के विषय में प्रश्न किया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह "बैक बेन्चरों" के लिए अच्छा अवसर है और उसका सदुपयोग किया जाए।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : सरकार ने पहले से ही आदिवासी जनता की भूमि पर कब्जा कर लिया है और उनका शोषण किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र का तारामकान्त चाय बागान, आसाम चाय बागान से अच्छा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें क्योंकि वहां की जनता पीड़ित है और कभी-कभी···

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रश्न करना चाहिए।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : सरकार ने तारामकान्त चाय बागान क्षेत्र की कितनी एकड़ भूमि अर्जित की है ?

श्री सलमान खुर्शीद : मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहूंगा कि 'नोटिस' कॉफी के लिए है, चाय के लिए नहीं। लेकिन सदस्य को कोई सूचना···

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई भूमि कॉफी अथवा चाय के लिए अर्जित की गई है और यदि हां, तो वे ये जानना चाहते हैं कि कितनी भूमि अर्जित की गई थी।

श्री सलमान खुर्शीद : हमने भूमि अर्जित नहीं की। क्योंकि यह राज्य का विषय है। लेकिन हम इस बात का स्वागत करते हैं कि यदि आदिवासियों को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है, यदि वह सूचना हमें दी जाएगी, तो हम उस पर अवश्य अधिक ध्यान देंगे।

श्री मृत्युञ्जय नायक : श्रीमान, दरीबादी, फूलबनी जिले में है और यह उड़ीसा में, समुद्र से काफी ऊंची जगह पर स्थित है। इसे 'उड़ीसा का दार्जिलिंग' कहते हैं। फूलबनी और बोलानगीर जिले, राज्य सरकार द्वारा 'पिछड़े हुए जिले' तथा उद्योग-रहित जिले घोषित किए गए। इसमें सहायक उर्वरता और अनुकूल मौसम परिस्थिति है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या परियोजना का, बड़े स्तर पर कार्यान्वयन के लिए, इन जिलों को भी शामिल करने संबंधी विषय को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री सलमान खुर्शीद : श्रीमान, माननीय सदस्य का हमसे उड़ीसा के दार्जिलिंग की सहायता की जो अपेक्षा है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि मैं उड़ीसा के दार्जिलिंग यात्रा के पहले अवसर का लाभ उठाऊंगा और पहले से ही बनाई गई योजना से संबंधित जो भी सहायता है, उस क्षेत्र में हम जो भी सहायता दे सकते हैं, हमें देते हुए प्रसन्नता होगी।

श्री श्रीकान्त जेना : श्रीमान, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उड़ीसा में कॉफी बागान हेतु लगभग 6,335 हैक्टर भूमि उपलब्ध है और इसमें से केवल 1,300 हैक्टर भूमि का ही उपयोग किया गया। 'क्योंझर' और 'मयूरभंज' जैसे जिलों में कॉफी पौध लगाया जा सकता है परन्तु कॉफी बोर्ड द्वारा उस सम्बन्ध में अपनाए गए रवैये के कारण इन क्षेत्रों का पता नहीं लगाया गया। समेकीकरण का अर्थ क्या है ? 1,300 हैक्टर भूमि में पहले से ही कॉफी बागान है। मांग, और अधिक क्षेत्रों के खोज की है, तो प्रश्न यह है कि क्या कॉफी बोर्ड इन चार जिलों और अन्य जिलों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्रों का उपयोग करेगी।

श्री सलमान खुर्शीद : माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समेकीकरण कुल उत्पादकता से संबंधित है, जो कि पहले से ही कॉफी उत्पादित होने वाले क्षेत्रों में हम प्राप्त कर रहे हैं। अन्य समस्याएं भी हैं। अन्य समस्याएं। कीटों के विरुद्ध अभियान की समस्या है। पैदावार की समस्या है। हम आश्वस्त होना चाहते हैं कि उड़ीसा के कॉफी उत्पादन हेतु अवर बेहतर परिस्थितियां नहीं तो देश के अन्य भागों में विद्यमान परिस्थितियां सुलभ होनी चाहिए। जब कभी भी हम कॉफी क्षेत्र बढ़ाने में सक्षम होंगे, कॉफी क्षेत्र बढ़ाने को प्रोत्साहित करने हेतु निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। यह संसार के बाजारों में हमें मिल रहे भावों और 'राष्ट्रीय कॉफी समझौते' के अन्तर्गत सामत समझौता करने पर निर्भर करता है। कुछ अनिश्चितता है जिसकी वजह से हम और क्षेत्र बढ़ाने पर अधिक ध्यान नहीं देते। इससे पूर्व जब तक हम पहले के क्षेत्र को ठीक तरह नहीं कर लेते।

रबड़ का आयात

*226. श्री पी० सी० थामस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ से बनी वस्तुओं के निर्यातकों को रबड़ का आयात करने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए ऐसे रबड़ की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) रबड़ की वस्तुओं के निर्यातकों द्वारा रबड़ के आयात की अनुमति ऐसी निर्यातित वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाने के लिए दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे आयातों की अनुमानित मात्रा एवं मूल्य नीचे दिए गए है :—

	मात्रा (मी० टन०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1988-89	8472	14.25
1989-90	17896	27.69
1990-91	20243	30.50

श्री पी० सी० थामस : यद्यपि आयात-निर्यात जारी है, फिर भी यह सरकार का यह सराहनीय कदम है कि इस सरकार ने भारतीय व्यापार निगम के आयात को बन्द कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब श्री वी० पी० सिंह की सरकार थी तब भारतीय व्यापार निगम ने लगभग 40,000 टन रबड़ का आयात किया था। इस स्टाक सहित अब स्टाक बढ़ कर 86080 टन हो गया है। बेचारे रबड़ उत्पादक जिनकी संख्या 6-5 लाख है तथा लगभग 20 लाख मजदूरों के प्रयास से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ा है। अब हमारे पास रबड़ आवश्यकता से अधिक है। इस प्रोत्साहन से आगामी वर्ष में अनुमानित आयात लगभग 22000 टन बनता है और इस भण्डार के पश्चात् फालतू···

अध्यक्ष महोदय : कृपया पूछे गए प्रश्न पर आइये यदि आपका प्रश्न लम्बा है, तो आपको उत्तर नहीं दिया जाएगा। कृपया सही प्रश्न पर आएं ।

श्री पी० सी० थामस : आयातित रबड़ सहित, तथा उत्पादित रबड़ तथा निर्यात पर आ रहे आयातित 22000 टन रबड़ जमा करके, 5000 टन का अतिरिक्त-भण्डार है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार कम-से-कम निर्यात से प्रतिबंध हटाएगी ताकि उत्पादक अथवा उपभोक्ता समितियां अथवा विक्रेता रबड़ का निर्यात करके बेचारे उत्पादकों को बचाया जा सके ।

श्री पी० चिदम्बरम : सबसे पूर्व मैं वह काफी दिनों से रबड़ के मामले में गहराई से विचार-विमर्श करने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं । मुझे खेद है कि उन्हें उपवास का सहारा लेना पड़ा है । परन्तु मैं उन्हें बार-बार विश्वास दिलाता था कि रबड़ पर मेरा ध्यान है ।

चार वर्ष पूर्व, जब हमने कार्यभार सम्भाला था, हमें बताया गया था कि भारत को आगामी तीन वर्षों तक रबड़ का आयात करना पड़ेगा। आज हमारी काफी अच्छी स्थिति है और हम कह सकते

हैं कि हमें रबड़ का आयात नहीं करना पड़ेगा, हम रबड़ के मामले में आत्मनिर्भर हैं।

अगला प्रश्न यह है, कि क्या हम रबड़ का निर्यात करने की स्थिति में हैं ? यह एक बड़ा अहम् प्रश्न है जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए ? मेरे विचार से कोई भी देश अनायास ही निर्यात-बाजार में प्रवेश नहीं कर पाता। हमें संसार के निर्यात-बाजार में तभी प्रवेश करना चाहिए जबकि हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि हम एक गुणवत्ता उत्पाद का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर एक नियमित और विश्वसनीय सप्लायर होंगे। वह स्थिति मेरे विचार से अभी नहीं आई है।

फिर भी मैंने भारतीय व्यापार निगम को पिछले वर्ष या। और इससे पूर्व 20000 मैट्रिक टन रबड़ के आयात के निर्देश दिए थे और मैं किसी भी व्यक्ति की आलोचना न करते हुए यह अवश्य कहना चाहूंगा कि पिछले वर्ष आवश्यकता से अधिक आयात हुआ है; विश्वमंडी की सम्भावना को बढ़ाने हेतु 20000 टन रबड़— कम अनुमान है। विश्व-बाजार में मलेशिया कीमत नियत करने वाला है। मलेशिया की रबड़ का मूल्य भारतीय रबड़ से लगभग दो हजार रुपये प्रति टन कम है। अतः विश्व-बाजार में प्रवेश करना कठिन है परन्तु मैं समस्या को गम्भीरता से ले रहा हूं और मैं अगले दो सप्ताह में उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करूंगा।

श्री पी० सी० थामस : आजकल विश्व-बाजार में रुपयों में इसका मूल्य 20.5 रुपये प्रति किलो है। यहां रबड़-उत्पादक को जो मिलता है वह काफी कम है। रबड़-लेटैक्स सीधी रबड़ के वृक्ष से पैदा होती है।

कृषकों द्वारा उत्पादित रबड़ उसके पश्चात् प्राप्त होती है। मेरा प्रश्न है, क्या सरकार कम-से-कम रबड़-लेटैक्स के निर्यात की अनुमति देगी। इसका एक और पहलू है। 85000 टन रबड़-लेटैक्स ऐसी जिसे अपकेंद्रित (सैंटरीफ्यूगल) कर भण्डार में रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय : और भी बहुत-सारे सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं। मुझे उनके साथ न्याय करना है। कृपया मुख्य प्रश्न पर आएं।

श्री पी० सी० थामस : अतः कृपया लेटैक्स के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए।

श्री पी० चिदम्बरम : सभा-सदस्य मुझे क्षमा करें; मैं आश्वासन नहीं दे सकता। मैंने राज्य व्यापार निगम को विश्व-बाजार का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। यदि उस खोज-बीन के परिणाम-स्वरूप हम देखेंगे कि लेटैक्स की बाजार में मांग है, तो निश्चय ही हम लेटैक्स का निर्यात करेंगे। मैं आश्वासन नहीं दे सकता।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अब देश में रबड़-उत्पादन आवयकता से अधिक है। अभी तक हमारे पास रबड़ का बहुत अधिक भंडार है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे रबड़-बोर्ड का यह पर्याप्त भण्डार संरक्षित रखेंगे, ताकि किसानों के हितों के विरुद्ध उसका दुरुपयोग न हो ?

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, वर्ष के अन्त में अनुमानित भण्डार मात्र एक अंदाजा है। हमारा प्रति माह रबड़ का उपभोग 30000 मैट्रिक टन के लगभग है। ऐसी धारणा है कि हमारे पास तीन माह का भण्डार होना चाहिए। जब मैं कोचिन और कोट्टयाम गया था, उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों से बातचीत करने पर, मैं इस बात से सहमत था कि हम अतिरिक्त भण्डार को कम कर दो माह तक का कर सकते हैं—एक माह का भण्डार उत्पादकों के पास रहे और एक माह का रबड़ की वस्तुएं

बनाने वालों के पास। चूंकि रबड़ की फसल पिलले डेढ़ माह से आनी शुरू हुई है, मुझे थोड़ी प्रतिक्षा करनी होगी तथा देखना होगा। यदि वर्ष के अन्त तक 60000 मैट्रिक टन तक का भण्डार हो जाता है, तो मैं निर्यात करने पर निश्चय ही विचार करूंगा। इस प्रकार भण्डार उत्पादकों और रबड़-की वस्तुएं बनाने वालों दोनों ही के पास रहेगा। रबड़-बोर्ड अपने पास भण्डार नहीं रखता।

श्री पी० सी० चाको : मैं माननीय मन्त्री को स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए ईमानदारी से किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। परन्तु मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनो के बावजूद भी प्राकृतिक रबड़ की कीमत के बारे में एक संकट पूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। किसी-न-किसी बहाने यह उद्योग प्राकृतिक रबड़ के आयात का प्रबंध करने में सफल हुआ जिससे भारतीय रबड़ की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई। क्या मन्त्री महोदय और सरकार प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने, कम-से-कम कुछ समय के लिए, विचार करेगी ?

श्री पी० चिदम्बरम : श्रीमान, जैसा कि मैंने कहा है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ का आयात नहीं किया जाता। मैंने इस वर्ष भारतीय व्यापार निगम को रबड़ का आयात करने की अनुमति नहीं दी है। रबड़ के आयात की एक योजना है, जो कि अग्रिम लाईसेंस के अन्तर्गत होगा। यह योजना उन निर्यातकों के लिए है जो रबड़ की एक निर्धारित मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर रबड़-उत्पाद बनाने के लिए क्रय करते हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बेचते हैं। वह योजना अलग से लागू है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य के चिन्ता से सहमत हूं और मैं इस समस्या के बारे में बता रहा हूं कि कीमतें गिर गई हैं और भारतीय व्यापार निगम ने बाजार में हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि बाजार में भारतीय व्यापार निगम के हस्तक्षेप से कुछ दिनों में रबड़ की कीमत 20950 प्रति टन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी।

अध्यक्ष महोदय : हमें यह देखना है कि रबड़ का उत्पादन न करने वाले राज्य के सदस्य ने किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। श्री छेदी पासवान।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय जी ने कहा है कि विदेशों में निर्यात की सम्भावना कम है, इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि रबड़ उद्योग का अधिक-से-अधिक प्रचार, प्रसार और विस्तार हो सके, अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार कौन-सी कार्यवाही करने जा रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रबड़ उत्पादों का रोजगार प्रदान करने हेतु उपयोग करना चाहेंगे।

श्री पी० चिदम्बरम : वे प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात कर रहे थे जो कि निजी क्षेत्र में है। रबड़ उत्पादक निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में आते हैं। जब आप रबड़ उत्पादों के बारे में पूछ रहे हैं, तो अब हमारे पास रबड़ की कुछ मात्रा फालतू है। हमें भारतीय रबड़ के उपयोग और अधिक उत्पादन हेतु रबड़ उत्पादों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। उदाहरणतया, पिछले वर्ष रबड़ उत्पादों से 240 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यदि रबड़ का उत्पादन अधिक होगा, तो रबड़ के उत्पादों की अधिकता होगी और संगठित क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन निजी क्षेत्र में रहेगा।

श्री रमेश चेन्नितला : केरल के रबड़-उत्पादकों के एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मन्त्री महोदय ने मूल्यों का उल्लेख किया है। मैं प्राकृतिक-रबड़ की कीमतें बढ़ाने के बारे में किए गए लागत-अध्ययन के बारे में वर्तमान स्थिति जानना चाहूंगा।

श्री पी० चिदम्बरम : अन्तिम अध्ययन वित्त मन्त्रालय द्वारा किया गया था और रबड़ के संशोधित मूल्य की लागत-लेखा-शाखा ने रबड़ मूल्यों में संशोधन के बारे में लगभग ग्यारह महीने पहले 15 जनवरी, 1991 को घोषित किये गये थे। मैंने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि आंकड़े एकत्रित किए जाएं और एक और अध्ययन किया जाए। जैसे ही अगला अध्ययन पूर्ण होगा, हम रबड़ के मूल्यों में वृद्धि करने पर विचार करेंगे।

श्री बी० धनंजय कुमार : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से पता लगता है कि हमारे पास प्रतिस्पर्धा निर्यात बाजार में जाने के लिए रबड़ का पर्याप्त भण्डार है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मैंगलोर सुलिया ताल्लुक में सरकार के ही रबड़-बागान हैं और समूचे दक्षिण कनारा जिले को अधिकाधिक रबड़ पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अतः मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में अधिकाधिक रबड़-उत्पादन को प्रोत्साहन देने का है ताकि हम अधिक रबड़ पैदा कर प्रतिस्पर्धा निर्यात-बाजार में प्रवेश कर सकें।

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय हमें और अधिक रबड़ की पैदावार करनी है। परन्तु हमारी रबड़ विश्व-बाजार में प्रतिस्पर्धा के योग्य होनी चाहिए। यदि हम महंगी रबड़ का उत्पादन करते हैं या हमारी रबड़ अन्तर्राष्ट्रीय-रबड़ से अधिक महंगी पड़ती है तो हम विश्व-बाजार में इसका निर्यात नहीं कर सकते।

आज की समस्या तकनीकी की समस्या नहीं है। समस्या है भारत में रबड़ उत्पाद की अधिक लागत है। यही कारण है कि भारतीय रबड़ का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय-मूल्यों से लगभग 2000 रु० प्रति टन अधिक है। अब एक तरफ लागत अधिक है और दूसरी ओर रबड़-उत्पादकों की यह शिकायत है कि उन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। (व्यवधान) लागत एक ही दिन में कम नहीं की जा सकती। केरल में मजदूरी महंगी है। निजी-क्षेत्र में होने के कारण ऊंची दरों पर मजदूरी दी जाती है, अतः मूल्यों की ओर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाना होगा। हमारी उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 700 करोड़ की योजना है। यदि उत्पादन बढ़ जाता है, तो प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाएगी और कीमतें नीचे आ जाएंगी। कीमतें कम करने का कोई आसान तरीका नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्याज के बीज का निर्यात

[अनुवाद]

*227. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1989 से 31 अक्तूबर, 1991 के दौरान प्याज के बीज का निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जगहों से कितने मूल्य के तथा कितनी मात्रा में प्याज के बीज

निर्यात किया गया;

(ग) किन-किन देशों को प्याज के बीज निर्यात किए गए और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या कुछ संगठनों से समय-समय पर उनके उत्पादों के बेहतर मूल्य के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) पादप संगरोध और फ्यूमीगेशन केन्द्रों द्वारा जारी फाइटोसैनिट प्रमाणपत्रों के आधार पर 792.889 एम० टी० प्याज के बीज अमृतसर, बम्बई और हैदराबाद से 1-1-1989 से 13-10-1991 के बीच निर्यात किए गए। प्याज के बीजों के निर्यात के अन्य विवरण तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (ङ) जी, नहीं।

सोवियत संघ से अखबारी कागज का आयात

*228. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने चालू वर्ष के दौरान अखबारी कागज के आयात के लिए सोवियत संघ से कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने अप्रैल से दिसम्बर, 1991 (4 दिसम्बर तक) के बीच पूरे कलैंडर वर्ष के लिए 70,000 टन स्टैंडर्ड अखबारी कागज सोवियत संघ से आयात करने की व्यापार योजना के अन्तर्गत 27,830 एम० टी० स्टैंडर्ड अखबारी कागज के आयात के लिए करार किए हैं।

चूंकि व्यापार योजना में जितनी मात्रा की व्यवस्था है उतनी पूरी मात्रा के लिए करार नहीं हो सके, इसलिए एस० टी० सी० ने सोवियत संघ से स्टैंडर्ड अखबारी कागज व्यापार योजना के बाहर भी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप एस०टी०सी० ने सोवियत संघ को एक अखबारी कागज उत्पादक कम्पनी से 40,000 टन स्टैंडर्ड अखबारी कागज "प्रति व्यापार" के अधीन आयात करने के लिए 11-10-1991 को एक "समझौता ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किए हैं। अखबारी कागज के लिए भुगतान रुपयों में किया जाएगा, जिनका उपयोग सोवियत कम्पनी भारत से विनिर्मित माल के आयात के लिए करेगी। ऐसे विनिर्मित माल से उपभोक्ता वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं, इंजीनियरी सामान, वस्त्र, भोजन सामग्री आदि शामिल होंगी। एस० टी० सी० दिसम्बर, 1991 में सोवियत यूनिट के साथ वार्ता करेगा जिसके आधार पर इस सौदे की विभिन्न शर्तों सहित सभी बातों को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

कपास का निर्यात

*229. श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वदेशी बाजार में कपास के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए इसका निर्यात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निर्यात के लिए कपास का कोटा जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि स्वदेशी वस्त्र उद्योग को अपेक्षितपूर्ण मात्रा में कपास उपलब्ध हो; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कच्ची रुई के निर्यात के लिए कोटों को रिलीज करने के उद्देश्य हैं, घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर करना, रुई उपजकर्ताओं को लाभप्रद कीमतें प्रदान करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक स्थायी सप्लाईकर्त्ता के रूप में भारत की उपस्थिति को बनाए रखना।

(ख) और (ग) सरकार का प्रयास यह रहता है कि रुई के निर्यात के लिए कोटों को रिलीज करने से पहले घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जाए।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देना

*231. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देने तथा उसे अपने आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : (क) और (ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के हाल ही में एम० आर० टी० पी० अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके इसे कोर्ट आफ रिकार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। सरकार एम० आर० टी० पी० आयोग को अवमानना की शक्तियां प्रदान करने के लिए विचार कर रही है।

हमीरपुर और ऊना जिलों (हिमाचल प्रदेश) में सैनिक छावनियां

*232. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और ऊना जिलों में सैनिक छावनियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) मिलिटरी स्टेशनों की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर तथा ऊना जिलों में भूमि देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर अभी प्राथमिक स्तर पर ही विचार हो रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करना

[हिन्दी]

*233. श्री राम नारायण कैरवा :

श्री काशी राम राणा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करके उसे चार लेनों का बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 की कुल 1428 कि० मी० लम्बाई में से 66.8 कि० मी० में पहले ही 4 लेन हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 125.28 कि० मी० में 39.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4 लेन बनाने की 1987 से संस्वीकृति दी हुई है। संस्वीकृति कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों को बोनस

[अनुवाद]

*234. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए पत्तन और गोदी कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कर्मचारियों को इसका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए पत्तन और गोदी श्रमिकों को उत्पादकता से जुड़े बोनस में से अग्रिम राशि

के रूप में 8.33% का भुगतान करने के लिए 29-8-1991 को अधिकृत किया था। सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए पात्र पत्तन और गोदी श्रमिकों को उनकी मजदूरी/वेतन का 12.60% की दर से उत्पादकता से जुड़े बोनस का (अग्रिम राशि का समायोजन करने के बाद) शीघ्र भुगतान करने के लिए 2-12-1991 को आदेश जारी कर दिए हैं।

निर्यात संवर्धन निकाय

*235. डा० सी० सिलवेरा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश-व्यापार बढ़ाने की दृष्टि से सभी निर्यात संवर्धन निकायों को एक ही तंत्र के अधीन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) विदेश व्यापार बढ़ाने के लिए सभी निर्यात संवर्धन निकायों को एक ही संगठन तंत्र के अधीन लाने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में निश्चित प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

[हिन्दी]

*236. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और नौपरिवहन हेतु राष्ट्रीय जलमार्गों का तीन चरणों में विकास करने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जलमार्ग सं० 1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों का इलाहाबाद-हल्दिया खंड) पर इस समय दो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, हल्दिया बलिया खंड में 1.5 मीटर गहरे और 45 मीटर चौड़े नौचालन चैनल की व्यवस्था की गई है। हल्दिया, कलकत्ता, बेहरामपुर, पाकुर, फरक्का, भागलपुर, मुंगेर तथा पटना में कार्गो टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-2 (ब्रह्मपुत्र नदी का सैदिया-धुबरी खंड) पर धुबरी से गमारी तक 2.25 मीटर गहरा तथा 45 मीटर चौड़ा नौचालन चैनल उपलब्ध है।

उत्तर-पूर्वी परिषद स्कीमों के तहत पांडु, जोगीघोपा, निमाती, तेजपुर तथा डिब्रूगढ़ में कार्गो टर्मिनल सुविधाओं की संस्वीकृति दी गई है।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी

*237. श्री राम बदन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में अब तक भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी निषिद्ध वस्तुएं और सोना पकड़ा गया;

(ग) कितने तस्कर पकड़े गए; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग) कैलेण्डर वर्ष 1990 और 1991 (26 नवम्बर, 1991 तक) के दौरान भारत-नेपाल भूमि सीमा क्षेत्र में पकड़े गए तस्करी के मामलों की संख्या, पकड़े गए सोने तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गए मामलों की संख्या	पकड़े गए सोने का मूल्य (लाख रु० में)	पकड़ी गई अन्य निषिद्ध वस्तुओं का मूल्य (सोने को छोड़कर) (लाख रु० में)	जोड़ (लाख रु० में)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1990	5277	2360.00	2276.28	4636.28	187
1991* (26 नवम्बर तक)	3856	2422.06	2382.45	4804.51	170

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(घ) जिन व्यक्तियों को तस्करी की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है उन्हें विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में दंडित किया जाता है और उपर्युक्त मामलों में, अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है। यदि आवश्यक समझा जाता है, तो उन्हें निवारक नजरबन्दी कानून के अन्तर्गत नजरबन्द भी किया जा सकता है।

कम्पनियों द्वारा अंशदान के रूप में निर्धारित नियम से प्राप्त अधिक धनराशि को वापस लौटाया जाना

[अनुवाद]

*238. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया है जिनमें बड़ी कम्पनियों द्वारा निर्धारित सार्वजनिक निर्गम से अधिक प्राप्त धनराशि को अभी तक नहीं लौटाया है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ग) निवेशकों से इस तरह अनुचित व्यवहार करने का पूंजी बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इन निर्गमों के लिए प्राप्त अधिक धनराशि को बड़ी कंपनियों द्वारा इस पर देय ब्याज सहित वापस लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड निवेशकों से वापसी आदेशों की वापसी में देरी या प्राप्त न होने के बारे में शिकायतें प्राप्त करता रहा है। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड इन शिकायतों को दूर करने के लिए कम्पनियों के साथ और उपयुक्त मामलों में कम्पनी कार्य विभाग के साथ कार्रवाई करता है। जिन कम्पनियों की सबसे अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके नाम भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रैस-विज्ञप्तियों में दिए जाते हैं।

2. कम्पनियों द्वारा वापसी आदेशों की तत्काल वापसी अदायगी किए जाने से पूंजी बाजार में और अधिक निवेश होने की सुविधा मिलेगी।

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 73 के उपबन्धों में किसी सार्वजनिक निर्गम की अभिदान सूची के बन्द होने की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा में निवेशकों को वापसी आदेश डिस्पैच किए जाने का प्रावधान है। कम्पनियों द्वारा विलम्ब अवधि के लिए, उक्त धारा के अधीन विहित नियमों के अनुसार, अधिक-से-अधिक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना अपेक्षित है। कम्पनी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि जैसे ही और जब भी अतिरिक्त आवेदन धनराशि की वापसी न होने की शिकायत प्राप्त होती है, वैसे ही और तभी मामला संबंधित कम्पनी के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। इसके अतिरिक्त, चूक के मामलों में, जहां न्यायोचित होता है वहां अभियोग चलाने पर भी विचार किया जाता है।

विदेशी अंशधारी कंपनियों द्वारा अपने लाभांश स्वदेश भेजा जाना

*239. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशधारी कुछ कंपनियों को, जिन्होंने सरकारी करों/शुल्कों की बड़ी रा का भुगतान नहीं किया है, वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशों में अपने लाभांश भेजने के लिए ए करोड़ रुपये या इससे अधिक की विदेशी मुद्रा का स्वदेशों में उपयोग करने हेतु भेजने की अनुमति गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा कितनी राशि स्वदेश भेजी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वर्ष 1989-90 अर्थात् अन्ततम वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक के लाभांश के अनुमत प्रत्यावर्तन वाले एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों के संबंध में ब्यौरे। जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध है और जिनको कर-शुल्क संबंधी देयताएं निम्नलिखित हैं :—

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	1989-90 में प्रत्यावर्तित लाभांश की राशि	1.6.91 तक केन्द्रीय उत्पाद बकाया	30.6.91 तक सीमा शुल्क का बकाया	30.6.91 तक आय-कर का बकाया
1	2	3	4	5	6
1	एशियन होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	1.40	—	—	—
2.	असम कं० (इ०) लिमिटेड	3.01	—	—	0.43
3.	बेयर (इ०) लिमिटेड, बम्बई	1.86	—	—	—
4.	क्लोराइड इण्डस्ट्रीयल लि०, कलकत्ता	3.66	0.89	—	5.85
5.	डूम डूमा इंडिया लि०, कलकत्ता	1.48	—	—	0.80
6.	जार्ज विलियमसन (असम लिमिटेड, कलकत्ता	1.32	—	0.17	2.63
7.	गुडरिक ग्रुप प्राइवेट लि०, कलकत्ता	2.59	—	—	1.76
8.	गुड ईयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	1.34	2.04	—	3.22
9.	हिन्दुस्तान लीवर, बम्बई	6.42	3.40	0.12	1.75
10.	आई०सी०आई० इंडिया लि०, कलकत्ता	2.03	2.39	—	23.48
11.	इंगसोल एंड (इ०), बम्बई	1.97	—	—	1.27
12.	जान्सन-जान्सन लि०, बम्बई	2.53	1.82	—	0.11

1	2	3	4	5	6
13.	किरलोस्कर क्यूमिन्स लि०, पुणे	1.11	—	—	—
14.	मोटर इण्डस्ट्रीज कं० लि०, बंगलौर	1.16	—	-	0.75
15.	सीमेन्स इंडिया लि०, बम्बई	2.49	—	—	0.51
16.	टी इस्टेट्स इंडिया लि०, कूनूर	1.83	—	—	—
17.	त्रिवेणी टिशूज लि०, कलकत्ता	1.06	—	—	0.13
18.	वारेन टी लि०, कलकत्ता	1.93	—	—	0.52
19.	जुवारी एग्रो केमिकल्स लि०, गोवा	1.30	—	—	2.98

+आय-कर देयता, यदि कोई हो. प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से कम है।

हथकरघा बुनकरों को सुविधाएं

*240. **श्री धर्मण्णा मोडम्या सादुल :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से अक्टूबर 1991 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बुनकरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपलब्ध कराई गई कच्चे माल, वित्त और विपणन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान बुनकरों की समग्र आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई आंकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं, हथकरघा बुनकरों के उत्थान के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर नियमित सूत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न उपायों द्वारा स्थायी व्यवस्था की है जैसे :—हैंक यार्न बाध्यता योजना जिसमें अन्तर्गत प्रत्येक उत्पादक को सिविल उपभोग के लिए पैक किए गए कुल यार्न का कम-से-कम 50% हैंक के रूप में पैक करना होता है, (2) हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से नई बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना और वर्तमान बुनकर सहकारी कताई मिलों की क्षमता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण सहायता, (3) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यों द्वारा, (4) हथकरघा बुनकरों को सप्लाई के लिए सहकारी और राज्य क्षेत्र की मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न के विक्रय मूल्यों का विनियमन करने के लिए राज्य स्तर की सूत मूल्य निर्धारण समिति का गठन और (5) हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर सूत उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्लेन रील हैंक यार्न पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट और डबल क्रॉस रील हैंक यार्न पर आंशिक छूट।

नाबार्ड पुनर्वित योजना के अन्तर्गत प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के उत्पादन और विपणन कार्यकलापों में वित्त देने और शीर्ष और क्षेत्रीय बुनकर सहकारी समितियों द्वारा कपड़े की उपलब्धता और बिक्री के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण सहायता देती है।

हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए की गई व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं :—(1) विपणन विकास सहायता नामक व्यापक योजना जिसके अन्तर्गत शीर्ष समितियों और निगमों और साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों को उनकी बिक्री के 8% तक की सहायता, (2) राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो में विक्रय किए गए हथकरघा उत्पादों पर विशेष छूट, (3) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा विपणन कॉम्पलैक्स की स्थापना, (4) प्रदर्शनी-सह-बिक्री की माध्यम से अद्वितीय बुनकरों और डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन एकत्रित करने का कार्यक्रम और (5) सरकारी विभागों/अभिकरणों में प्रयोग के लिए हथकरघा उत्पादों की खरीद को वरीयता देना।

इन व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हथकरघा बुनकरों की समाजार्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने विभिन्न निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए हैं :—

(1) करघों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता;

(2) सुधरी हुई प्रौद्योगिकी पर बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए विकेन्द्रित प्रशिक्षण योजना;

(3) बुनकरों को सुधरी हुई प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए "बुनकर सेवक" को प्रशिक्षण देना;

(4) हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए कुछ मदों का आरक्षण;

(5) देश में विभिन्न बुनकर सेवा केन्द्रों के माध्यम से डिज़ाइन सहयोग और प्रौद्योगिकी निवेश का प्रावधान;

(6) पावरलूम की तुलना में हथकरघा क्षेत्र में मूल्य ह्रास दूर करने के लिए हथकरघा क्षेत्र को विशेष वित्तीय रियायतें;

(7) थ्रिफ्ट फंड योजना जिसमें समूह बीमा योजना शामिल है;

(8) विपणन विकास सहायता योजना जिसमें हथकरघा उत्पादों को विपणन सहयोग देने के लिए विशेष छूट, शीर्ष समितियों और राज्य निगमों को अंश पूंजी सहायता; और

(9) जनता कपड़ा योजना जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हथकरघा बुनकरों को उपयुक्त स्तर पर भत्ते दिए जाएं।

सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए "निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी" नामक नई योजना की घोषणा भी की है।

1 मार्च से 31 अक्तूबर, 1991 के दौरान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत क्रमश: 20.10 करोड़ रुपये, 12.37 करोड़ रुपये और 5.61 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ख) और (ग) मार्च 1991 से अक्तूबर 1991 के दौरान हैंक यार्न के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण हथकरघा उत्पादों की बिक्री में प्रभाव पड़ा है। सरकार सूत के मूल्यों की स्थिति की निरंतर

समीक्षा कर रही है और समय-समय पर कताई उद्योग को हिदायतें देती रही है कि सूत के मूल्यों में कमी की जाए।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में चेयरमैन के पदों का भरा जाना

*241. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों में चेयरमैन के पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) रिक्तियों को भरने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) इस समय 6 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है :—

बैंक का नाम	जिस तारीख से रिक्त है
कार्पोरेशन बैंक	10.7.1990
विजया बैंक	22.9.1990
बैंक आफ इण्डिया	30.8.1991
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	31.8.1991
केनरा बैंक	1.9.1991
सिन्डिकेट बैंक	5.11.1991

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में मुख्यकार्यपालकों की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया एक समय लगने वाला कार्य है क्योंकि उसमें ऐसी नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों का मूल्यांकन और विभिन्न अन्य औपचारिताएं पूरी करना शामिल है। सरकार पहले से ही इन रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

कर्नाटक में बैंक डकैतियां

[हिन्दी]

2499. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक मे गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैंक डकैतियां हुई हैं; और

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये तथा मृतकों के निकट संबंधियों को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-1989 से 30-9-1991 की अवधि के दौरान कर्नाटक में सिंडिकेट बैंक की जवालमेर शाखा में डकैती की एक घटना की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) चूंकि इस घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, अत: किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें

[अनुवाद]

2500. श्री राम नाईक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें किस तिथि को प्राप्त हुई थी;

(ख) जिन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है और यदि इस संबंध में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार को 30 जून, 1986 को प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) कार्यान्वित किए जाने हेतु सम्बित पड़ी सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को पुन: कहा गया है कि वे एक समयावधि के अन्दर-अन्दर इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय लें।

विवरण

क्र०सं०	चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें	रिपोर्ट की पैरा संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
	गृह मंत्रालय		
1.	संघ राज्य-क्षेत्र की सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती की, रिक्तियों को उस संख्या को ध्यान में रखकर, विनियमित किया जाए, जो पदोन्नति से नहीं भरी जा सकती। इस व्यवस्था की आवधिक रूप से समीक्षा की जाए और संवर्ग ढांचे को उचित रूप से पुनः समायोजित किया जाए।	27.10	
2.	जहां तक सम्भव हो, संघ राज्य क्षेत्र में विधि सचिव के पद को न्यायिक सेवा के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लेकर भर दिया जाए और उसे उचित विशेष वेतन दिया जाए।	27.19	
3.	किसी संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ पद दूसरे संघ राज्य क्षेत्र की तुलना में उच्चतर वेतनमान के हैं। सम्बन्धित प्रशासन को भविष्य में ऐसे पदों को भरते समय उचित वेतनमान निर्धारित करने चाहिएं।	27.21	

1	2	3	4
4.	सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तुल्य सामान्य ड्यूटी रैंक पर लागू वेतनमान दिए गए हैं, जैसा कि केन्द्रीय पुलिस संगठनों में, ग्रुप ख, ग तथा घ के अराजपत्रित योद्धा अनुसचिवीय कर्मचारियों को दिया जाता है। इन दो संगठनों ने यह सुझाव दिया है कि उनकी बराबरी योद्धा कर्मचारियों के साथ किए जाने के बावजूद भी अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही रखी जानी चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि यह वांछनीय होगा कि योद्धा समकक्षतावृत्ति दिए जाने के बाद, इसके सभी परिणामों को लागू रखा जाना चाहिए और हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।	10.258	
5.	केन्द्रीय पुलिस संगठन में मेडिकल अधिकारियों के सेवाकालीन उन्नति के अवसरों में बेहतरी लाने के प्रश्न पर संबंधित विभाग को जल्द ही पुनर्विचार करना चाहिए और इन सेवाओं को इस तरह से पुनर्गठित करना चाहिए जिससे इन अधिकारियों की पदोन्नति के वही अवसर प्राप्त हो सकें जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में इसी ग्रेड के मेडिकल अधिकारियों को उपलब्ध हैं। ये अधिकारी वही भत्ते प्राप्त करेंगे जो संबंधित बल के सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को मिलते है।	10.259	
6.	इस समय मे बी०एस० एफ० तथा सी० आर० एफ० में गैर-राजपत्रित योद्धा कार्मिकों को अलग भत्ता प्रदान किया जाता है। यह भत्ता मुख्यालय से 30 दिन से अधिक यात्रा पर गैरहाजिर रहने पर आधी दर पर प्रदान किया जाता है। हमने दैनिक भत्ते के आहरण तथा कर्मचारियों के यात्रा पर रहने पर भत्ते की दरों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं। इनको, बी० एस० एफ० तथा सी० आर० पी० एफ० की दैनिक दरों को निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।	10.262	

1	2	3	4
7.	गैर-राजपत्रित योद्धा कार्मिक विभिन्न ट्रेडों में दक्षता के लिए विशेष वेतन के हकदार हैं तथा इस विशेष वेतन की दरें कार्मिकों ट्रेड तथा पद के अनुसार अलग-अलग होती हैं। विशेष वेतन की दरों का निर्धारण 1973 में किया गया था। विशेष वेतन की मौजूदा दरों में संशोधन तथा विभिन्न सी० पी० ओ० संगठनों में विशेष ट्रेडों के लिए विशेष वेतन की दरों में समानता लाए जाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमने मामले पर विचार किया है तथा हम सिफारिश करते हैं कि विभिन्न ट्रेडों के लिए मौजूदा विशेष वेतन की दरों को दुगुना कर दिया जाए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि उन ट्रेडों को जिनमें विशेष वेतन अनुमत्य हैं सभी के पुलिस संगठनों के मामले में एक समान कर दिया जाए।	10.263	
8.	हमने अध्याय 14 में मकान किराए भत्ते में संशोधन करने की सिफारिश की थी। इनको ध्यान में रखते हुए सरकार केन्द्रीय पुलिस और संगठनों में किराया सहित क्वार्टरों के बदले मुआवजे के हकदार व्यक्तियों के लिए दरों को निर्धारित कर सकती है।	10.267	
9.	दाहसंस्कार भत्ता केन्द्रीय पुलिस संगठनों में अराजपत्रित कार्मिकों को देय होती है जो कि किसी व्यक्ति की यूनिट हैड क्वार्टर में अथवा उसकी ड्यूटी के स्थान पर मृत्यु हो जाने पर दिया जाता है ताकि उसके परिवार वाले दाह-संस्कार सम्बन्धी खर्चों को पूरा कर सकें। अलग-अलग बलों में यह दरें 100 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच अलग-अलग है। यह सुझाव दिया गया है कि इस समय मिलने वाली यह दाह-संस्कार की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः इसमें वृद्धि की जाए। हम सिफारिश करते हैं कि सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों में दाह-संस्कार की दरों को बढ़ा कर 500 रुपये कर दिया जाए।	10.269	

1	2	3	4
10.	इस समय जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों ने जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंकों (ओ० आर०) की असम रायफल में किसी व्यक्ति के मिलीटरी हिरासत में कैद किए जाने पर उसको 60 रुपये प्रति माह के हिसाब से निर्वाह भत्ता दिया जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति उस अवस्था में निलम्बन पर नहीं रहता। यह सुझाव दिया गया है कि इस दर को समुचित रूप से बढ़ा दिया जाए ताकि ऐसे व्यक्ति से परिवार को सहायता प्रदान की जा सके। हम सिफारिश करते हैं कि इस निर्वाह भत्ते को बढ़ा कर 200 रुपये प्रति मास कर दिया जाए।	10.271	
11.	जे० सी० ओ० तथा अन्य रैंक असम रायफल में सिविल हिरासत में होने पर जबकि मामले की जांच की जा रही हो, 2 रुपये प्रति माह के हिसाब से नहाने का साबुन का भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। यह सुझाव दिया गया है कि मौजूदा भत्ते की दर में समुचित रूप से वृद्धि की जाए। हम सिफारिश करते हैं कि इस भत्ते को बढ़ाकर 10 रुपये प्रति माह कर दिया जाए।	10.272	
12.	हमें ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अनेक सरकारी कर्मचारी अभी भी विभिन्न कारणों से तीसरे वेतन आयोग से पूर्व वेतनमानों पर अथवा इससे पूर्व के वेतनमानों पर हैं। प्रशासनों ने मौजूदा वेतनमान ध्यान में ला दिये हैं। तथापि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन पदों के मौजूदा पदधारी ऐसे पदों के लिए निर्धारित अर्हतायें रखते हुए पहले वेतनमान निर्धारित किए गए थे। यह प्रशासनों के लिए है कि वे प्रत्येक मामले की जांच करें और व्यक्ति को पद का वेतनमान दिए जाने की पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय करें।	27.22	

1	2	3	4
13.	इसमें विवाद नहीं है कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए विचित्र शर्तों के कारण तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि इस मामले की पुनरीक्षा की जाए और जहां औचित्य सिद्ध हो वहां इन पदो को नियमित स्थापना में रख दिया जाए। हमें यह स्पष्ट नहीं है कि क्या प्रशासन द्वारा ऐसी पुनरीक्षा कर ली गई है फिर भी यह ध्यान में लाया गया है कि इन्हें स्थायीवत् दर्जा नहीं दिया गया है और इन्हें पेंशन सुविधाओं का हक नहीं है। इन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि प्रशासन इन पदों की ध्यानपूर्वक जांच करे और इन्हें नियमित स्थापना के अन्तर्गत लाए जैसा कि तीसरे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी। एक बार ऐसा कर लिए जाने पर इन्हें 750-940 रुपये का वेतनमान दिया जाना चाहिए।	27.24	
14.	विशेष वेतन के साथ-साथ वर्दी और धुलाई भत्ते के सम्बन्ध में हमारी सामान्य सिफारिशें केन्द्र शासित प्रदेश में नर्सिंग स्टाफ पर भी लागू होंगी।	27.25	
15.	इंसपेक्टर और उससे नीचे पद के पुलिसकर्मी विभिन्न व्यवसायों में दक्षता के लिए विशेष वेतन के हकदार होते हैं और इस प्रकार के विशेष वेतन की दरें व्यवसाय और ऐसे कर्मियों के पदक्रम के अनुसार अलग-अलग होती हैं। यह अभ्यावेदन दिया गया है कि इन दरों में सुधार किया जाए। अत: हम सिफारिश करते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए ग्राह्य विशेष वेतन की दरों को दुगुना कर दिया जाए और जहां कहीं भी यह लागू हो इसे सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस बालों के लिए लागू किया जाए।	27.26	
16.	निरीक्षक और इससे कम पदनाम के पुलिस कर्मी कतिपय अन्य भत्ते भी प्राप्त कर रहे हैं। यह सुझाव दिया गया है कि दिल्ली में पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले महानगर और अन्य भत्तों में सुधार किया जाए।	27.27	

1	2	3	4
17.	1967 में महानगर भत्ते की दरें सब-इंस्पेक्टर के लिए 30/-रु० प्रति माह और उससे नीचे के पदनामों के लिए 20/-रु० प्रति माह निश्चित की गई थीं। हम सिफारिश करते है कि महानगर भत्ते की दरें तिगुनी करके सब-इंस्पेक्टरों के लिए 90/-रु० प्रति माह और उससे कम पदनामों के लिए 40/-रु० प्रति माह कर दी जायें।	27.28	
18.	ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है वे 5/-रु० प्रति माह की दर से अच्छा आचरण भत्ता पाने के पात्र है। हम सिफारिश करते है कि इस भत्ते की दर जो 1967 में निश्चित की गई थी, को बढ़ा कर 15/-रु० प्रति माह कर दिया जाए।	27.29	
19.	लगातार 9 घंटों से अधिक समय तक ड्यूटी करने पर पुलिस कर्मियों को निश्चित यात्रा भत्ता, धुलाई भत्ता, सज्जीकरण भत्ता तथा आहार भत्ता दिया जाता है। यह सुझाव दिया जाता है कि जून, 1979 मे निश्चित की गई भत्तों की इन दरों को संशोधित किया जाए।	27.30	
20.	केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस समय विभिन्न प्रकार के प्रतिपूरक भत्ते दिए जाते हैं। विशेष प्रतिपूरक भत्तों के लिए हमने अध्याय 17 में एक संशोधित स्कीम की सिफारिश की है। ये सिफारिशें केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के कर्मचारियों पर लागू होंगी।	27.31	टिप्पणी
21.	अंडमान और निकोबार प्रशासन में समूह 'घ' के लगभग 2400 पद हैं जिनके लिए 22/-रु० प्रति माह या एक निश्चित वेतन निर्धारित है। अन्तरिम सहायता सहित इन्हें मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता भी दिया जाता है। यह पद काफी समय से चले आ रहे हैं।	27.28	

1	2	3	4
	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग		
22.	परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन विभागों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष है जबकि अन्य संगठनों में उनके लिए यह आयु 58 वर्ष है। हम यह सिफारिश करते हैं कि सरकार इस मामले पर विचार करे कि क्या संगठनों की आवश्यकताओं पर उपयुक्त व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता तथा अन्य संगत पहलुओं को ध्यान में रखकर विभिन्न वैज्ञानिक विभागों में इस संबंध में एकरूपता लाने की आवश्यकता है अथवा नहीं। किसी भी हालत में हमारी राय यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों के मामले में भी, वर्तमान आदेशों के अनुसार 60 वर्ष की आयु तक सेवा में रह सकते हैं। 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात उन्हें अनुमति दिए जाने से पूर्व समुचित जांच की जानी चाहिए।	19.8	
	रक्षा विभाग		
23.	रक्षा प्रतिष्ठानों में तकनीकी सुपरवाइजरों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है। तीसरे वित्त आयोग का विचार था कि इस प्रणाली का पुनरीक्षण किया जाए और सुपरवाइजर कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता न दिया जाए। ऐसा नहीं किया गया है। हम तीसरे वेतन आयोग की इस सिफारिश को पुन: दोहराते हैं और सुझाव देते हैं कि समयोपरि भत्ते की अदायगी बन्द कर दी जाए।	11.31	

1	2	3	4
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
24.	"अनाग्रही सम्मान" और "योग्यता पदोन्नति" की प्रणाली विशेष तौर पर वैज्ञानिक कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है। सरकार इस पद्धति के कार्य संचालन के उपयुक्त पुनर्विलोकन के पश्चात् इस योजना को अन्य वैज्ञानिक संगठनों, जहां यह लागू नहीं है, में लागू करने पर विचार कर सकती है।	23.13	
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)		
25.	स्थानान्तरण होने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलना।	15.13	
26.	जिन सरकारी कर्मचारियों का अखिल भारतीय स्तर पर स्थानान्तरण होता रहता है उनके बच्चों के लिए व्यवसायिक कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में कुछ प्रतिशत सीटों का आरक्षण।	26.24	
	शहरी विकास मंत्रालय		
27.	सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए दीर्घावधि पट्टे पर मकानों को लेने के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश को दोहराया गया है।	14.24	

लघु और छोटे एककों के उत्पादों का निर्यात

2501. श्री ए० चार्ल्स :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से छोटे और लघु एककों के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) एक्जिम बैंक अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लघु और बहुत छोटी-छोटी यूनिटों तथा अन्य उद्योगों के निर्यातों का समर्थन करता है। इनमें से दो कार्यक्रम, जो केवल लघु उद्योगों के लिए ही तैयार किए गए है, नीचे दिए गए हैं :

(i) लघु एककों के निर्यात बिलों को पुनः छूट देकर एक्जिम बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को 100% धन का सहायता और;

(ii) 13.5% की रियायती ब्याज दर पर निर्यात विपणन धनराशि के अन्तर्गत एक्जिम बैंक द्वारा लघु एककों को आवधिक ऋण ताकि वे आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए तकनीक और संयंत्र तथा मशीनरी के आयात के माध्यम से अपने निर्यात उत्पादन क्षमताओं के बढ़ाने में समर्थ हो सकें।

राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना

2502. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय इक्विटी कोष योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और योजना के अन्तर्गत इक्विटी सहायता को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इक्विटी सहायता योजना अब बैंकों के माध्यम से भी संचालित की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के तहत पात्र परियोजनाओं पर पूंजी लागत की उच्चतम सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही साथ इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध इक्विटी के प्रकार की सहायता भी प्रत्येक परियोजना पर 75,000 रुपए से बढ़ाकर दुगनी अर्थात 1.50 लाख रुपए कर दी गई है। इस प्रकार योजना के तहत इक्विटी सहायता में वृद्धि कर दी गई है न कि इसे घटाया गया है। लघु, अतिलघु तथा ग्रामीण उद्यमों को प्रोन्नत तथा सुदृढ बनाने के लिए सरकार द्वारा 6.8.91 को घोषित नीतिगत उपायों के अनुसरण में राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के कार्य-क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) अब राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना वाणिज्यिक बैंकों के साथ ही साथ राज्य वित्तीय निगमों, दोहरा कार्य करने वाली राज्य औद्योगिक विकास निगमों तथा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के माध्यम से चलाई जा रही है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2503. **श्री के० प्रधानी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति 8वीं योजनावधि के परिव्यय के प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक क्या निर्णय लिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने आठवीं योजना (1992—97) के दौरान मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिये 441.05 करोड़ रु० (406.81 करोड़ रु० सड़कों और 34.24 करोड़ रु० पुलों के लिए) की आवश्यकता प्रयोजित की थी। उड़ीसा सहित पूरे देश के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से सम्बन्धित परिव्यय की जानकारी योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तथा क्षेत्रीय आवंटन किए जाने के बाद होगी।

हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम के हीरे-जवाहरातों एवं आभूषण पर कर लगाना

2504. **श्री मोहन सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम ने सम्पत्ति कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत कर छूट प्राप्त करने के लिए अपने हीरे-जवाहरातों एवं आभूषणों की कितनी मदों को "कुलागत वस्तुओं" के रूप में घोषित किया था और उनका कुल मूल्य कितना था; और

(ख) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम से सम्बन्धित हीरे-जवाहरातों एवं आभूषणों की कितनी मदों के लिए उनके उत्तराधिकारी पर अब तक कर लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) हैदराबाद के स्वर्गीय निजाम द्वारा 40.05 लाख रु० के मूल्य की 26 मदों को कुलागत मदों के रूप में घोषित किया गया था। कर-निर्धारण वर्ष 1957-58 में स्वर्गीय निजाम की 808 मदों (जिनमें कुलागत मदों के रूप में घोषित की गई 26 मदें भी शामिल हैं) पर कर लगाया गया था। नवाब मीर बरकत अली खान, जो प्रत्यक्ष पुरुष लेखा में सबसे बड़े पुरुष वंशज हैं, दिनांक 24-2-1967 को उनके उत्तराधिकारी बने। उन्होंने भारत सरकार द्वारा भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त किए जाने के पश्चात दिनांक 10-2-1972 को हैदराबाद के महामहिम निजाम के आभूषण-न्यास के न्यासियों से कुलागत जेवर-जवाहिरात प्राप्त किए। उन्होंने कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 में कुलागत जेवर-जवाहिरात पर छूट का दावा किया किन्तु उनके पास रखी हुई जेवर-जवाहिरात की अन्य मदों पर कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद तदनुसार कर-निर्धारण किया गया।

हथकरघा और विद्युत करघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति

2505. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत करघा और हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने समाज के इन कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए कुछ उपायों का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अभी हाल ही में सूत के मूल्यों में हुई वृद्धि से हथकरघा और पावरलूम पर बने वस्त्र मंहगें हो गये हैं जिसके कारण इनकी बिक्री पर असर हुआ है। और बुनकर अस्थायी रूप से अल्परोजगार हो गये हैं। इस समस्या के समाधान और सूत के मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में हथकरघा व पावरलूम बुनकरों की आर्थिक स्थिति में गिरावट के सम्बन्ध में कोई विशेष रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे के बुनकरों के लाभ के लिए "निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी" नामक नई योजना तैयार की है जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू की जायेगी। उड़ीसा राज्य सरकार राज्य में बुनकरों के उत्थान के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें लागू कर रही है जैसे :—(I) करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता (II) उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षण (III) निवेश की नियमित सप्लाई के लिए कार्यशील पूंजी ऋण (IV) विपणन विकास सहायता और (V) आवास और थ्रिफ्ट फंड योजना के माध्यम से कल्याण-कारी सहायता कम और मध्यम निपुण हथकरघा बुनकरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने जनता कपड़ा योजना भी लागू की है।

(घ) लागू नहीं होता।

हरियाणा में किसानों को ऋण

[हिन्दी]

2506. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में अनुसूचित बैंकों द्वारा किसानों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने ऋण-राशि की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जून 1987, जून 1988 और जून 1989 (अयतन उपलब्ध) को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा हरियाणा में किसानों (संबद्ध गतिविधियों को छोड़कर) को संवितरित प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की राशि की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार दी है :—

(करोड़ रुपए)

जून को समाप्त वर्ष	राशि
1987	89.9
1988	103.3
1989	106.8

तदनुरूप अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

जून का समाप्त वर्ष	मांग	वसूली
1987	176.27	94.17
1988	203.72	97.77
1989	259.13	143.30

दिल्ली में चल रही चार्टर्ड बसें

[अनुवाद]

2507. श्री जीवन शर्मा :

क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री 19 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 5605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जाने पर पकड़ी गई चार्टर्ड बसों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या गलती करने वाले परमिट धारकों पर जांच और जुर्माने का कोई असर नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन दोषी व्यक्तियों से नियमों का पालन करवाने के लिए किस प्रकार निपटने का है;

(घ) डी० टी० सी० के समानांतर मार्गों पर चार्टर्ड बसें चलाने के सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डी० टी० सी० ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली प्रशासन के परिवहन

निदेशालय में कितनी आपत्तियां दर्ज की हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1.1.1991 से 31.11.1991 तक की अवधि में जिन सभी 1673 चार्टर्ड बसों पर मुकदमा चलाया गया है, उन पर जुर्माना किया गया था।

(ख) और (ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में की गई जांच और जुर्माने संबंधी व्यवस्था का दोषी परमिट धारकों पर असर पड़ा है।

(घ) चार्टर्ड बस, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 74 के तहत जारी किए गए कन्ट्रेक्ट कैरिज परमिटों के अधीन चलती हैं।

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने, गत तीन वर्षों में, परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।

कृषि उत्पादों, हीरों मोतियों का निर्यात

2508. **कुमारी विमला वर्मा** :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों परिष्कृत हीरों और मोतियों के निर्यात की भारी गुंजाइश है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) कृषि उत्पादों और हीरों के निर्यात की अच्छी गुंजाइश हैं। सरकार ने व्यापार नीति संबंधी अनेक सुधार आरंभ किए हैं जिनका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहनों को सुदृढ़ करना, आयात लाइसेंसिंग को काफी हद तक समाप्त करना तथा आयात दबाव को इष्टतम बनाना है। आर० ई० पी० लाइसेंसों का स्थान एक्जिम स्क्रिप्स नामक एक नए दस्तावेज ने ले लिया है। इनके जरिए कुछ किस्मों के कच्चे माल, संघटक एवं फालतू पुर्जों का आयात किया जा सकता है। निर्यात संवर्धन के एक साधन के रूप में अग्रिम लाइसेंसिंग की प्रणाली को भी सुदृढ़ किया गया है। सरकार ने विनिश्चय किया है कि स्वीकृत बैंकों में विदेशी मुद्रा खाते खोलने की अनुमति दी जाए और निर्यातकों को विदेशी ऋण सृजित करने की अनुमति दी जाए। ऐसे खातों से निर्यात से जुड़े आयातों के लिए भुगतान करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा सरकार ने अन्य उपाय किए हैं जिनमें ये शामिल हैं :—लाइसेंसिंग के जरिए नियंत्रणों को कम करना, निर्यात के लिए क्रियाविधि को सरल बनाना, व्यापार बोर्ड को सक्रिय करना, चुनिन्दा देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार तथा उद्योग के राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करना आदि।

कुछ कृषि संबंधी वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात नीति को कुछ उन मदों का अन्तरण करके जो पहले खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात के लिए अनुमत मदों की सूची की सीमा के अध्यधीन थी तथा चुनी हुई कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात को विनियंत्रित करके उदारीकृत किया गया है। विनिमय दर के समायोजनों से कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के निर्यात में भी लाभ होगा।

हीरों का निर्यात बढ़ाने लिए सरकार ने कच्चे माल की उपलब्धता को सुकर बनाने, कैरेट वसूली के आधार पर निर्यात के एफ० ओ० बी० मूल्य के 65% से 90% तक प्रतिपूर्ति अनुदान सुविधा देने के लिए उपाय किए हैं।

सोवियत संघ के भारत पर रूबल और रुपये के रूप में ऋण

2509. प्रो० के० वी० थामस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 को सोवियत संघ के भारत पर रूबल और रुपयों में कितनी-कितनी राशि के ऋण थे; और

(ख) इन ऋणों, उनकी प्रकृति बढ़ोतरी, वितरण, भुगतान आदि के बारे में सोवियत संघ के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ सरकार से सरकार के सभी ऋण रूबल में देता है। 1 जनवरी, 1991 को सरकारी लेखे में कुल बकाया सोवियत ऋण, उक्त तारीख को एक रूबल= 22.7855 रुपये की विनियम दर पर, रुपयों में परिवर्तित करने पर 2134.26 करोड़ रुपये था।

(ख) 2-2-1955 से 31-3-1991 तक सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ की सरकार ने कुल 99953.60 लाख रूबल के ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ 18 करारों पर कुल हस्ताक्षर किए है। इस अवधि में कुल वितरण 20811.50 लाख रूबल का हुआ है। इन ऋणों का उपयोग इस्पात, विद्युत, कोयला तथा तेल क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किया जाता है। अप्रैल, 1977 तक ऋणों की वापसी अदायगी 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अदायगी सहित, 12 वर्ष में की जाती थी। अप्रैल, 1977 से हस्ताक्षर किए गए करारों से सम्बन्धित ऋण 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 3 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्ष में वापसी अदायगी योग्य है।

हाल की विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में स्थानीय लागत को शामिल करने के लिए भी ऋण प्रदान किए गए हैं। इन ऋणों की पांच वार्षिक किश्तों में वापसी अदायगी की जाएगी तथा भारत सरकार की 91 दिन की राजकोषीय हुण्डियों की दर के अलावा 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर देय होगी।

सोवियत ऋणों को रूबलों में मूल्यांकित किया जाता है, लेकिन मूलधन की वापसी अदायगी तथा ब्याज की अदायगी अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में की जाती है, जिनका विद्यमान भारत-सोवियत व्यापार योजना के ढांचे के अन्तर्गत सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ को निर्यात होने वाले भारतीय सामान की खरीद के लिए सोवियत प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है।

सोवियत संघ को चाय का निर्यात

[हिन्दी]

2510. श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों के दौरान निर्यात की गई चाय की कुल मात्रा का कितना प्रतिशत सोवियत संघ को निर्यात किया गया;

(ख) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय मंहगी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा चाय के निर्यात पर इसके किसी विपरीत प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस वर्ष सोवियत संघ को चाय निर्यात करने के समझौते पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर किए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत से निर्यात की गई कुल अनुमानित चाय की 56.97 प्रतिशत मात्रा सोवियत संघ को निर्यात की गई।

(ख) और (ग) वर्तमान औसत इकाई निर्यात मूल्य 2.14 अमरीकी डालर अर्थात 55.57 रुपये प्रति कि० ग्रा० होगा जबकि वर्ष 1990-91 के दौरान मूल्य 2.91 अमरीकी डालर अर्थात 52.40 रुपये प्रति कि० ग्रा० था। इस तरह वर्तमान औसत इकाई निर्यात मूल्य पिछले वर्ष के दौरान डालर के रूप में निर्यात मूल्य की तुलना में लगभग 26.46 प्रतिशत कम हैं।

(घ) और (ङ) सोवियत संघ के साथ वर्ष 1992 के लिए व्यापार योजना पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। वार्षिक संलेख पर सामान्यत: कैलेण्डर वर्ष के अन्त में हस्ताक्षर किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में कताई मिलों का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

2511. श्री जे० चोक्का राव :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने आजमजाही मिलों के आधुनिकीकरण, हैदराबाद में नई कताई मिलें स्थापित करने तथा राज्य में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियंत्रण वाली चार कताई मिलों के आधुनिकीकरण के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और इस संबंध में आज तक क्या कार्रवाई की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा एन० टी० सी० मिलों के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम और आन्ध्र प्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया था। यह देखा गया था कि एन० टी० सी० मिलों का आधुनिकीकरण वित्तीय संस्थानों के समर्थन से विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर किया जाए। यह भी महसूस किया गया था कि वित्तीय अपेक्षाओं के पैकेज और

रिक्तियों आदि को एकक-दर एकक आधार पर तैयार किया जाएगा और सेवा व्यवहार्य और अव्यवहार्य पाए गए एकक के सम्बन्ध में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि एन० टी० सी० तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के मध्य प्रस्तावित समझौता ज्ञापन करने की स्थिति अभी नहीं आई है।

चुनावों में धांधली के बारे में शिकायतें

2512. श्री आर्ले कर्नान्डीज :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाल ही में हुए चुनावों में हुई धांधली के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धांधली रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन, कुमारमंगलम) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार को कोई शिकायत सीधे ही प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के निर्वाचनों में गड़बड़ी के विषय में अन्य अधिकरणों को कुछ शिकायतें की गई हैं। जानकारी एकत्रित करके सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) निर्वाचनों में गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, निर्वाचन सुधार के प्रति निर्देश से गहन अध्ययन के भाग रूप होंगे जिसे सरकार शीघ्र प्रारम्भ करना चाहती है।

राजस्थान में जनता कपड़े की बिक्री

[हिन्दी]

2513. श्री बाबू दयाल जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में जनता कपड़ा बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस्मवार कपड़े का ब्यौरा क्या है और किन एजेंसियों के माध्यम से यह कपड़ा बेचा जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को जनता कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में हो रही अनियमितताओं और की जा रही हेराफेरी के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान हथकरघा विकास निगम, जयपुर और राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ

लि०, जयपुर दो ऐसे अभिकरण हैं जो जनता कपड़ा तैयार करते हैं जिसमें सूती मदें जैसे धोती, साड़ी, लम्बा कपड़ा, ओढ़नी, लूगड़ी, घाघरा और पछेड़ा तथा ऊनी मदें जैसे कम्बल, शाल, लोई, टुईड का कपड़ा शामिल है। राजस्थान में तैयार किया गया जनता कपड़ा उचित दर दुकानों और राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र विकास सहकारी संघ और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के खुदरा विक्रय केन्द्रों द्वारा बेचा जाता है। राज्य अभिकरणों को राज्य में अपने कुल जनता कपड़े के उत्पादन का सामान्यत: 15% तक विक्रय करने की अनुमति होती है।

(ग) से (ङ) सरकार को जनता कपड़े की बिक्री के सम्बन्ध में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है। तथापि केन्द्र सरकार के अनुरोध पर वितरण अभिकरणों के कार्यों और इसी प्रकार के कार्यों की देख-रेख करने के लिए, उद्योग सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर की समिति का गठन किया गया है।

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक की ब्याज दरें

[अनुवाद]

2514. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋणों पर ब्याज की दरें बढ़ाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की जमा राशियों और ऋणों तथा अग्रिमों पर भी ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो संशोधित दरें क्या हैं और पूर्व दरों की तुलना में इन्हें कितना बढ़ाया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बैंक ऋणों पर ब्याज की दर

[हिन्दी]

2515. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर प्रत्येक बैंक में भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी बैंकों द्वारा ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों पर कोई नियंत्रण है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दत्तात्रेय सिंह) : (क) जी हां। 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष न्यूनतम के आधार पर बैंक कोई भी ब्याज दर लेने के लिए स्वतंत्र है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज-दर पर से उच्चतम सीमा खत्म कर दी है और 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों के लिए 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम ब्याज-दर निर्धारित की गई है ताकि ऐसे अग्रिमों पर ब्याज लेने के मामले में बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की जा सके। अपनी निधियों की स्थिति और उनके द्वारा की जाने वाली सेवाओं को भी ध्यान में रखते हुए बैंक इस विवेकाधिकार का प्रयोग सोच-समझकर करते हैं। अग्रिमों पर ब्याज दर सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं।

केरल उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मामले

[अनुवाद]

2516. श्री टी० जे० अंजलोस :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में कितने मामले पांच वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 22-11-1991 को, केरल उच्च न्यायालय में पांच से अधिक वर्षों से लम्बित मामलों की संख्या 1717 थी। इनमें से 17 मामले उच्चतम न्यायालय ने रोक दिए हैं।

(ख) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने जानकारी दी है कि इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सभी सम्भव उपाय किए गए हैं।

शीर्ष सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन

2517. श्री हरीश नारायण प्रभु आंद्ये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीर्ष सहकारी बैंक कितने हैं और प्रत्येक बैंक की शाखाएं कितनी हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) प्रत्येक शीर्ष बैंक द्वारा किए गए जमा और दिए गए ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(ग) बत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक शीर्ष बैंक द्वारा अर्जित लाभ/अथवा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) हानि यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) (क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार देश में 28 राज्य सहकारी बैंक और 19 राज्य भूमि विकास बैंक हैं। राज्य सहकारी बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या विवरण 1 में दी गई है। राज्य भूमि विकास बैंक 728 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों और उनकी 1001 शाखाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों की 634 शाखाएं हैं। जहां तक राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की शाखाओं के स्थानों से संबंधित जानकारी देने का सम्बन्ध है, इसके लिए किया जाने वाला प्रयास प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंको और 1989-90 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों की जमा राशियां/जारी ऋण को क्रमश: विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्ष अर्थात, 1988, 1989 और 1990 के दौरान राज्य सहकारी बैंकों और 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा अर्जित लाभ या हानि की जानकारी विवरण-4 और विवरण-5 में दी गई है।

(घ) विवरण-4 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1988 के दौरान केवल पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक और असम राज्य सहकारी बैंकों को घाटा हुआ। इन दो बैंकों की स्थिति में 1989 और 1990 में सुधार हुआ है। 1988 में दो बैंकों के घाटे का कारण प्रबन्धन की लागत की तुलना में आय का निम्न स्तर है। जहां तक असम राज्य सहकारी बैंक का संबंध है, यह बैंक मूलधन और ब्याज दोनों की अतिदेय राशियों के उच्च स्तर से प्रभावित है।

राज्य भूमि विकास बैंकों के घाटे के मुख्य कारण, विशेषत: ब्याज की असंतोषजनक वसूलियां, अपेक्षाकृत उच्च स्थापना लागत और निधि का अकुशल प्रबन्ध हैं।

विवरण-1

राज्य सहकारी बैंकों के नाम और उनकी शाखाओं की संख्या

राज्य सहकारी बैंक का नाम		शाखाओं की सं०
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि०	16
2.	दि, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि०	38
3.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित लि० भोपाल	18
4.	जम्मू व कश्मीर राज्य सहकारी बैंक	9
5.	कर्नाटक राज्य सहकारी बैंक लि०	129 शाखाएं+3 विस्तार शाखाएं

1	2	3
6.	केरल राज्य सहकारी बैंक लि०	12
7.	पश्चिम बंगाल रा० स० बैंक लि०	33
8.	दि त्रिपुरा रा० स० बैंक लि०	28
9.	अरुणाचल प्रदेश रा० स० शीर्ष बैंक लि०	26
10.	दि असम रा० स० बैंक लि०	65
11.	बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०	18
12.	गुजराज रा० स० बैंक लि०	(एक) मुख्य कार्यालय अहमदाबाद में
13.	गोवा रा० स० बैंक लि०	23
14.	हरियाणा रा० स० बैंक लि०	5
15.	हिमाचल प्रदेश रा० स० बैंक लि०	80
16.	अण्डमान व निकोबार रा० स० बैंक लि०	26
17.	उत्तर प्रदेश रा० स० बैंक लि०	41
18	पांडिचेरी रा० स० बैंक लि०	14
19.	दि तमिलनाडु रा० स० बैंक लि०	38
20.	दि मणिपुर रा० स० बैंक लि०	9
21.	दि मेघालय रा० स० बैंक लि०	26
22.	मिजोरम रा० स० बैंक लि०	8
23.	नागालैंड रा० स० बैंक लि०	28
24.	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि०	16
25.	उड़ीसा रा० स० बैंक लि०	5
26.	पंजाब रा० स० बैंक लि०	11
27.	दि राजस्थान रा० सा० बैंक लि०	12
28.	चण्डीगढ़ राज्य सहकारी बैंक लि०	4
	जोड़	634

विवरण-2

30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों की जमा राशियां/जारी ऋण

क्र० सं०	रा० स० बैंक का नाम	जमा राशियां	जारी ऋण (जारी किया गया)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20824	58405
2.	असम	13264	13482
3.	बिहार	17821	21697
4.	गोवा	4199	2939
5.	गुजरात	52483	40277
6.	हरियाणा	14389	44167
7.	हिमाचल प्रदेश	13303	636
8.	जम्मू व कश्मीर	—	—
9.	कर्नाटक	24288	17244
10.	केरल	28074	27143
11.	मध्य प्रदेश	37007	93484
12.	महाराष्ट्र	181135	423229
13.	मणिपुर	621	431
14.	मेघालय	4004	682
15.	नागालैंड	—	718
16.	उड़ीसा	4633	8038
17.	पंजाब	33070	67519
18.	राजस्थान	9634	18242
19.	चंडीगढ़	524	11
20.	तमिलनाडु	38724	134004
21.	त्रिपुरा	1865	1017

1	2	3	4
22.	उत्तर प्रदेश	71429	33470
23.	पश्चिम बंगाल	17078	7379
24.	अण्डमान निकोबार	838	793
25.	अरुणाचल प्रदेश	1168	922
26.	दिल्ली	—	—
27.	मिजोरम	—	—
28.	पांडिचेरी	2547	6761
		587519	1022680

विवरण-3

वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जुटाई गई जमा राशियों और संवितरित ऋण

क्र० सं०	भूमि विकास बैंक का नाम	30-6-1990 को सावधि जमा	1989-1990 के दौरान संवितरित ऋण	30-6-1990 को बकाया ऋण
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	9886.09	54793.01
2.	असम	—	190.38	1071.99
3.	बिहार	—	3.94	18475.27
4.	गुजरात	—	3457.37	17283.19
5.	हरियाणा	3.29	4571.82	26091.109
6.	हिमाचल प्रदेश	—	185.49	509.81
7.	जम्मू व कश्मीर	—	442.26	1299.18
8.	कर्नाटक	—	7639.16	36786.03
9.	केरल	0.73	5207.14	24983.96
10.	मध्य प्रदेश	20.61	4106.60	27401.52

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	—	10395.38	54103.29
12.	उड़ीसा	—	54.00	8302.20
13.	पांडिचेरी	—	62.81	302.60
14.	पंजाब	—	6617.97	27768.35
15.	राजस्थान	187.36	2818.9[illegible]	17034.78
16.	तमिलनाडु	0.61	2456.38	20120.64
17.	त्रिपुरा	—	49.71	193.22
18.	उत्तर प्रदेश	—	13313.63	50991.29
19.	पश्चिम बंगाल	—	2583.33	7909.60
	कुल :	212.60	74072.47	395772.02

विवरण-4

1988, 1989 और 1990 के गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्षेत्रीय बैंक द्वारा अर्जित लाभ (+)/हानि(—)

क्र०सं०	एस० सी० बी० का नाम	लाभ (+)/हानि(—) 1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	195	327	401
2.	असम	(—) 15	19	उ० म०
3.	बिहार	67	301	281
4.	गोवा	14	49	70
5.	गुजरात	176	133	157
6.	हरियाणा	169	360	517
7.	हिमाचल प्रदेश	86	134	246
8.	जम्मू व कश्मीर	1	1	5
9.	कर्नाटक	86	53	79

1	2	3	4	5
10.	केरल	45	20	65
11.	मध्य प्रदेश	392	418	353
12.	महाराष्ट्र	409	456	593
13.	मणिपुर	6	12	16
14	मेघालय	3	4	6
15.	नागालैंड	उ० न०	उ० न०	22
16.	उड़ीसा	57	57	61
17.	पंजाब	5	459	1353
18.	राजस्थान	130	137	105
19.	चण्डीगढ़	—	—	1
20.	तमिलनाडु	345	544	963
21.	त्रिपुरा	21	36	2
22.	उत्तर प्रदेश	207	235	139
23.	पश्चिम बंगाल	(—) 14	28	89
24.	अण्डमान व निकोबार	47	21	22
25.	अरुणाचल प्रदेश	8	23	28
26.	दिल्ली	33	125	17
27.	मिजोरम	56	5	93
28.	पांडिचेरी	19	21	13
	कुल	(+) 2578/ (—) 29	(+) 3978	(+) 5697

उ० न० — उपलब्ध नहीं

विवरण-5

1987-88, 1988.89 और 1989-90 के दौरान राज्य भूमि विकास बैंकों के लाभ और हानियां

		1987-88		1988-89		1989-90	
क्र०	एस०एल०डी०बी० का नाम	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	282.49	—	923.48	—	1768.02
2.	असम	15.44	—	—	55.57	उ०न०	उ०न०
3.	बिहार	—	917.09	—	818.33	—	1509.24
4.	गुजरात	उ०न०	उ०न०	—	682.25	—	253.80
5.	हरियाणा	340.14	—	298.14	—	उ०न०	उ०न०
6.	हिमाचल प्रदेश	उ०न०	उ०न०	3.00	—	2.24	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	0.25	—	0.30	—	उ०न०	उ०न०
8.	कर्नाटक	उ०न०	उ०न०	—	800.63	उ०न०	उ०न०
9.	केरल	97.17	—	74.41	—	54.32	—
10.	मध्य प्रदेश	79.84	—	68.87	—	61.44	—
11.	महाराष्ट्र	8.00	—	11.48	—	21.66	—
12.	उड़ीसा	9.50	—	11.00	—	75.60	—
13.	पांडिचेरी	—	1.11	—	0.84	—	9.11
14.	पंजाब	569.17	—	450.28	—	उ०न०	उ०न०
15.	राजस्थान	उ०न०	उ०न०	419.32	—	129.10	—
16.	तमिलनाडु	97.52	499.98 की संचयी हानि	—	734.16	—	161.08
17.	त्रिपुरा	—	19.60	—	8.70	—	12.70
18.	उत्तर प्रदेश	570.39	—	1013.15	—	1158.22	—
19.	पश्चिम बंगाल	49.24	—	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

उ०न०—उपलब्ध नहीं

रेशम की कीमतों में वृद्धि

2518. श्री गुरुदास कामत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेशम की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारी संख्या में रेशम हथकरघों तथा विद्युत स्वचलित करघों को पहले ही बन्द कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) स्थानीय बाजारों में कच्चे रेशम की कीमतों में हाल ही में वृद्धि होने के मुख्य कारणों में से एक कारण रेशम उपजाने वाले कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य में मुख्यतया कीट-पालन क्षेत्रों में पैब्रिन रोग का फूट पड़ना है। इस रोग के उत्पन्न हो जाने के कारण कोया बाजारों में कोयों की आवक में गिरावट आ गई इससे अन्ततः देश में कच्चे रेशम की उपलब्धता के साथ-साथ उसकी कीमतें प्रभावित हुई।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से निम्नलिखित प्रयास कर रहा है :—

(1) व्यापक रोगाणु-नाशन कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

(2) राज्यों को डाइब्रिड चक्तों की सप्लाई।

(3) पैब्रिन के लिए मूल-स्टॉक की जांच करना।

(4) बीज क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने तथा पैब्रिन रोग पर नियंत्रण पाने के लिए विभिन्न उपायों के प्रदर्शन के लिये अध्ययन दलों को भेजना।

इसके अतिरिक्त 200 मी० टन कच्चे रेशम का आयात करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

"ग्रेटर विजीलेंस सॉट इन इन्शोरेन्सेज, बैंक्स" शीर्षक सम्बन्धी समाचार

2519. कुमारी दीपिका चिखलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9.10.1991 के "इकानामिक टाइम्स" में "ग्रेटर विजीलेंस सॉट इन इन्शोरेन्सेज, बैंक्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) संघ सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की जाने वाली और की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग बीमा कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सतर्कता संबंधी क्रियाकलापों की समय-समय पर समीक्षा करता रहता है और उन्हें समय-समय पर सुझाव/सलाह भी देता है। इन संस्थाओं के सतर्कता सम्बन्धी क्रियाकलापों का परिवीक्षण एवं उनकी समीक्षा सम्बन्धित संस्थाओं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सरकार द्वारा की जाती है। इनमें से प्रत्येक संस्था का एक सतर्कता विभाग होता है जिसका प्रमुख एक मुख्य सतर्कता अधिकारी रहता है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों पर वार्षिक कार्य योजना भी तैयार की जाती है। उनकी कार्य योजना पर वित्त मंत्रालय द्वारा बराबर निगरानी रखी जाती है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को उसका परिशोधन करने के लिए कहा जाता है।

उड़ीसा के बालासोर जिले में बैंकों की शाखाएं खोलना

2520. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बालासोर जिले में किन-किन स्थानों पर किन-किन राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंकों की शाखाएं हैं;

(ख) बालासोर जिले के कितने स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और 30 सितम्बर, 1991 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए/कितने जारी करने शेष हैं; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए सरकार/रिजर्व बैंक ने क्या मार्ग निर्देश जारी किए हैं और बैंक शाखाएं खोलने का चयन करते समय उक्त क्षेत्र के संसद सदस्य की सिफारिशों को मानने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बालासोर जिले में सरकारी क्षेत्र के जिन बैंकों की शाखाओं के कार्यालय है उनके नाम और स्थान संलग्न विवरण में दिये गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के वास्ते वर्तमान नीति के अन्तर्गत, प्रत्येक जिले में पता लगाये गये केन्द्रों की सूची अपेक्षित विवरणों सहित जिले के अग्रणी बैंक को दी जानी होती है। अग्रणी बैंक सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के पश्चात, उन्हें जिला कलक्टर को संस्तुति के लिए भेजता है और बाद में, सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से ये सूचियां भारतीय रिजर्व बैंक को भेजी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख 30 जून, 1991 थी। भारतीय रिजर्व बैंक को उड़ीसा राज्य सरकार से बालासोर जिले में पता लगाए गए ग्रामीण केन्द्रों की सूची अभी भी प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बारे में सूचित किया है कि उसे बालासोर जिले के अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

केन्द्र	बैंकों से प्राप्त आवेदन
बालासोर	9
वासुदेवपुर	2
भद्रक	5
जलेश्वर	4
सोरो	4
	24

इन प्रस्तावों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है और पात्रता संबंधी मानदण्डों और प्रस्तावित शाखा की अर्ध क्षमता के आधार पर यथासमय आबंटन किया जाएगा।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों बिहार के बालासोर जिले में शाखाएं।

क्र० सं०	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	यूको बैंक	अदा, असराली, बहांगा, बालासोर, बलियापाल, बनसादा, भादरक, भण्डारी, पोखरी, भोगराय बिदीपुर, चौकी, दोभाय, धामनगर, धसूरी, दोलासाही, गनेश्वरपुर, गाजीपुर, गंटेश्वर, गोपालपुर, जमसूती, खैरा, इसलेश्वर, नीलगिरी, ओपादा, रायबनिया, राजनगर गदी में, रानीताल, सौरगढ़ शामपुर, सोर, सूगे, सिहोदी,
2.	इलाहाबाद बैंक	अमरपादा, बालासोर, बरतना, भादरक, इदरा, मंजूरी रोड़ (सतसाला), मथनी
3.	बैंक आफ इण्डिया	अखूपदा, बालासोर, बस्ता, दौलतपुर, कदावरंग रांदीहाट रेमूना, तूरोगदिया,
4.	भारतीय स्टेट बैंक	अमरदा, अंतरा, अर्दी, बालासोर (3), बालगोपालपुर, बालोगां, बासूदेवपुर, भादरक बिष्णुपुर, चांदबली, चांदीपुर, दुबल, दुर्गादेवी फतेहपुर, जालेश्वर, जमशादी, कण्डाघाट, कंस, कोदूपदा, कूपारी, मुकुलीसी, प्रतापपुर, सरसदा, सोआतोरा, सिमिलिया, सोर, श्रीरामपुर,

1	2	3
5.	बैंक आफ बड़ौदा	अपंदा, बालासौर, बारदिहा, बारंबदिया,
6.	सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	बालासौर, भादरक, ब्रह्मणसाही, मजीपुर,
7.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	बालासौर, भादरक, गुजीदर्दा, कुरडा, नालंब, सोमंबपुर,
8.	सिंडिकेट बैंक	बालासौर
9.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	बालासौर, बालीभुण्डा, बारापदा, बोंसाविहा, बरकमपुर, चरम्पा, दरूहा, धामरा, बालेश्वर, मंगलपुर, मोट्रो, नंदीगांव, नालबुंदा, रूपसा,
10.	विजया बैंक	बालासौर
11.	पंजाब नेशनल बैंक	बंध, भादरक,
12.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	भादरक

मत्स्य उत्पादों का निर्यात

2521. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है; और

(ख) मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के निर्यात के लिए कर छूटों का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मछली और मत्स्य उत्पादों की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (एम० टन)
1988-89	59777
1989-90	110843
1990-91	139419

(ख) आयकर कानून की धारा 30 एच० एच० सी० के अन्तर्गत, निर्यात लाभ आयकर से मुक्त है। समुद्री खाद्य उद्योग में उपयोग की जाने वाली कुछ मशीनों के आयात की अनुमति भी रियायती सीमाशुल्क के आधार पर दी जाती है।

क्विलोन-सेनकोट्टाह सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2522. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्विलोन-सेनकोट्टाह अन्तर्राज्यीय सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1991-92 में इस सड़क के रखरखाव के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम से ऋण की कोई धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठाता।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आयुध कारखाना स्थापित करना

2523. **श्री डी० डी० खनोरिया :**

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं में कम्बलों की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) यह आवश्यकता किन राज्यों द्वारा पूरी की जाती है,

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जहां ऊन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एक आयुध कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रत्येक वर्ष खरीदे जाने वाले बैरक कम्बलों की संख्या निश्चित नहीं होती। कम्बलों की मांग प्रतिवर्ष 5 से 6 लाख तक अलग-अलग होती है।

(ख) आयुध निर्माणी बोर्ड को कम्बल उपलब्ध कराने की क्षमता को ध्यान में रखकर उन्हें कम्बलों की सप्लाई का आर्डर दिया जाता है। सरकार की नीति के अनुसार शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्डर एसोसिएशन आफ कार्पोरेशन एण्ड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैण्डलूम (आकांड) को दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार की नीति के अनुसार बैरक कम्बलों की खरीद हथकरघा क्षेत्र से ही की जानी आवश्यक है।

दिल्ली परिवहन निगम की बसों में "जैसे चाहे यात्रा करें" टिकट

2524. श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम शनिवार, रविवार और अवकाश वाले दिनों में 4 रुपये मूल्य के "जैसे चाहें यात्रा करें" टिकट जारी करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये टिकट दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली निजी बसों में मान्य नहीं होते जबकि अन्य सभी प्रकार के पास इन बसों में मान्य होते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इन टिकटों को निजी बसों में भी मान्य बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अवधेश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) निजी बस मालिकों ने 4 रु० वाली "जैसे चाहे यात्रा करें" टिकटों की बिक्री से दि० प० नि० को होने वाली आय में से हिस्सेदारी के लिए अभ्यावेदन किया था। लाभकारी होने के कारण दि० प० नि० इस आय में से हिस्सा बांटने को तैयार नहीं था तथा हिस्सेदारी निर्धारित करने में समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि 4 रु० वाली "जैसे चाहें यात्रा करें" टिकटें जो पहले, शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित अवकाश के दिनों में दि० प० नि० के अन्तर्गत प्रचालित निजी बसों में वैध मानी जाती थी, 19.1.1991 से दि० प० नि० के अन्तर्गत प्रचालित निजी बसों में अनुमत्य नहीं होंगी।

(घ) दि० प० नि० का यह व्यवसायिक निर्णय है और सरकार का इस मामले में कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

2525. श्री गंगाधरा सानोपल्ली :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में अभी भी कितने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्स्थापित किया जाना बाकी है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(ग) सारे भूतपूर्व सैनिकों को कब तक पुनर्स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) इस संबंध में जिला सैनिक बोर्डों द्वारा रखे गए रजिस्टर के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में जिन भूतपूर्व सैनिकों को अभी रोजगार दिया जाना है, उनके बारे में 30 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमश: 10% और 20% आरक्षण की व्यवस्था की है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में समूह "ग" और समूह "घ" पदों पर क्रमश: $14\frac{1}{2}$% और $24\frac{1}{2}$% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश सरकार और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने समूह "ग" और समूह "घ" पदों में 2% आरक्षण की व्यवस्था की है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई आरक्षण की व्यवस्था के अलावा आन्ध्र प्रदेश में स्वरोजगार योजनाएं, जिनमें सेमफैक्स-1, सेमफैक्स-2 और सेमफैक्स-3 प्रमुख हैं, भी चलाई जा रही हैं।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान करना और उन्हें अपना रोजगार चलाने के लिए प्रोत्सहित करना एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अत: सभी भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी, इस बारे में समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

विवरण

30 सितम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के जिला सैनिक बोर्डों के रजिस्टर में उल्लिखित भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्रम सं०	जिला सैनिक बोर्डों के नाम	इस्तेमाल में लाए गए रजिस्टरों की संख्या
1	2	3
1.	आदिलाबाद	16
2.	अनन्तपुर	292
3.	चित्तूर	475
4.	कुडप्पा	005
5.	पूर्वी गोदावरी	244
6.	गुन्टूर	1699
7.	हैदराबाद	1299
8.	करीमनगर	53

1	2	3
9.	कुरनूल	197
10.	कृष्णा	878
11.	खम्माम	181
12.	महबूब नगर	229
13.	मेडक	156
14.	नेल्लूर	296
15.	नालगोण्डा	117
16.	निजामाबाद	54
17.	प्रकाशम	648
18.	रंगारेड्डी	2383
19.	श्रीकाकुलम	283
20.	विशाखापट्टनम	958
21.	विजयनगर	129
22.	वारंगल	106
23.	पश्चिमी गोदावरी	380

अमरीका को काजू का निर्यात

2526. **श्री नवल किशोर राय :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को निर्यात किया गया काजू इसमें अधिक मात्रा में कीटनाशकों के अवशिष्ट अंश विद्यमान होने के कारण, अस्वीकार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) काजू निर्यात संवर्धन परिषद और निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोचीन के अनुसार उन्हें यू० एस० एफ० डी० ए० द्वारा काजू गिरियों को अस्वीकार करने के किसी मामले की जानकारी नहीं है, यद्यपि कुछ मामलों में कीटनाशकों के अवशिष्ट अंश के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए काजू की खेपें रोकी जाती रही

हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरण ने निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए है :-

(1) काजू गिरी में कीटनाशकों से दूषित होने की समस्या के विस्तार तथा स्रोत का मूल्यांकन करने के लिए उत्पाद के विभिन्न चरणों से तथा विभिन्न संसाधन केन्द्रों से काजू गिरियों के नमूने लेकर उनका निर्यात निरीक्षण अभिकरण कोचीन की प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया।

(2) इस समय संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों के क्रेताओं की अपेक्षानुसार कीटनाशी अवशिष्ट-अंश के लिए काजू गिरियों के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है और इसके लिए प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

(3) निर्यात निरीक्षण अभिकरण का एक तकनीकी परामर्शदाता नियमित रूप से काजू संसाधन एककों का दौरा करता है और संसाधकों को आवश्यक राय देता है। निर्यात निरीक्षण परिषद कीटनाशकों के सुरक्षित प्रयोग पर कामगारों/तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। काजू निर्यात संवर्धन परिषद की सहायता से कीटनाशकों और काजू फैक्ट्री में उनके प्रयोग पर एक पुस्तिका भी निकाली गई है और इसे सभी संसाधकों को दिया गया है।

(4) अनुमोदित धूम्रीकरण अभिकरणों को भी काजू फैक्ट्रियों में डी० डी० टी०/बी० एच० सी० या उनसे निर्मित दवाओं का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी गई है।

(5) सभी निर्यातकों को डी० डी० टी०, बी० एच० सी० आदि के प्रयोग के दुष्प्रभावों के बारे में परिपत्र जारी कर दिए गए हैं।

(6) काजू गिरी में कीटनाशक अवशिष्ट अंश पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी क्विलोन में नवम्बर, 1991 में आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से प्रबन्धक स्तर के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सोवियत संघ को निर्यात

2727. **श्री वी० सी० चाको :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान सोवियत संघ को कुल कितना निर्यात हुआ और चालू वर्ष के दौरान निर्यात में कितनी गिरावट आई;

(ख) 1990-91 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान पूर्वी-यूरोप के देशों को निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत से सोवियत संघ को कुल 5266 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया। अप्रैल-अगस्त 1991-92 के दौरान 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में सोवियत संघ को किए गए निर्यात में 998 करोड़ रुपए की कमी हुई है।

(ख) अप्रैल-अगस्त 1991-92 के दौरान वर्ष 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में पूर्वी यूरोप के देशों को किए गए निर्यात में लगभग 37% की कमी हुई है।

(ग) पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात में कमी मुख्यत: सोवियत संघ को हुए निर्यात में कमी

के कारण हुई। चूंकि भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार संतुलित भुगतान के आधार पर होता है, इस लिए उस देश से आयात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भारतीय निर्यात भी बढ़ सकें।

अखबारी कागज का मूल्य

2528. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयातित विभिन्न श्रेणियों के अखबारी कागज के लिए रुपयों में औसतन कितना लागत बीमा भाड़े का भुगतान किया गया;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के लिए राज्य व्यापार निगम ने कोई समझौताकिया हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने लागत बीमा भाड़ा मूल्य पर समझौता हुआ है;

(घ) राज्य व्यापार निगम द्वारा अप्रैल 1988 से अब तक, तिथि-वार, समाचार पत्रों को बेचे गये आयातित अखबारी कागज के उत्तरोत्तर परिवर्तित थोक मूल्य क्या थे; और

(ङ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में थोक मूल्य में कोई कटौती किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा भुगतान किए गए आयातित अखबारी कागज का औसत लागत बीमा भाड़ा (सी० आई० एफ०) मूल्य नीचे दिया गया है :—

मानक अखबारी कागज

वर्ष	मात्रा हजार एम० टी० में	सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ (रु०) में	औसत सी० आई० एफ० पी० एम० टी० (रु०)
88-89	188	183.01	9735
89-90	195	213.86	10967
90-91	190	215.64	11350
ग्लेज्ड अखबारी कागज			
88-89	36	40.44	11233
89-90	29	40.00	13793
90-91	36	60.38	16772

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, अखबारी कागज के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा सम्पन्न किए आयात अनुबंध निम्नानुसार है :—

मानक अखबारी कागज		
मात्रा (एम० टी०)	सी० आई० एफ० मूल्य करोड़ रु० में	औसत सी० आई० एफ० मूल्य पी० एम० टी० (रु०)
1 0,730	182.06	12,937
ग्लेज्ड अखबारी कागज		
19,000	36.01	18,953

* ला० बी० मा० मूल्य संविदा की तिथि (थों) की विनियम दर पर आधारित होता है।

(घ) कोई थोक मूल्य नहीं था। आयातित अखबारी कागज का खुले समुद्र में अप्रैल 1988 से विक्रय-मूल्य संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ङ) आयातित अखबारी कागज के विक्रय मूल्य का निर्धारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा तिमाही आधार पर किया जाता है और इस समिति में अखबार उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाते हैं। हाल ही में अनुबंधित मात्रा के पहले से कम लागत बी० मा० मूल्य के कारण अगली तिमाही में रिलीज मूल्य कम किए जा सकते हैं।

विवरण

अप्रैल, 88 के आगे आयातित अखबारी कागज के विक्रय मूल्य

	खुले समुद्र में मानक अखबारी कागज का विक्रय-मूल्य (रु० प्रति एम० टी०)	खुले समुद्र में ग्लेज्ड अखबारी कागज (60 जी० एस० एम० (रु० प्रति एम० टी०
अप्रैल-जून, 1988	8300.00	9180.00
जुलाई-सितम्बर, 1988	9535.00	11085.00
अक्टूबर-दिसम्बर- 1988	10350.00	11835.00
जनवरी-मार्च, 1989	11700.00	12610.00
अप्रैल-जून, 1989	12715.00	12610.00
जुलाई-सितम्बर, 1989	12965.00	13610.00
अक्टूबर-दिसम्बर, 1989	11715.00	15750.00
जनवरी-मार्च, 1990	11170.00	15070.00
अप्रैल-जून, 1990	11070.00	14970.00

जुलाई-सितम्बर, 1990	11510.00	15820.00
अक्टूबर-दिसम्बर, 1990	11800.00	16600.00
जनवरी-मार्च, 1991	12260.00	17645.00
अप्रैल-जून, 1991	13000.00	18735.00
जुलाई, 1991	16000.00	23300.00
अगस्त-सितम्बर, 1991	16000.00	23300.00
	† 800.00 रु० का अधिशुल्क 16770.00	† 2300.00 रु० का अधिशुल्क 24200.00
अक्टूबर-दिसम्बर, 1991	† 800.00 रु० का अधिशुल्क	2300.00 रु० का अधिशुल्क

पारादीप पोर्ट पर व्यय की प्रतिपूर्ति

2529. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री दिनांक 9-8-91 के अ० ता० प्र० सं० 2399 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पोर्ट के निर्माण पर किये गये प्रारम्भिक पूंजी व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु उड़ीसा सरकार की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है,

(ग) यदि हां, तो इस राशि की प्रतिपूर्ति कब तक किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप पत्तन के निर्माण में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई लगभग 11.93 करोड़ रु० की राशि का भुगतान पारादीप पत्तन न्यास द्वारा राज्य सरकार को किया जाना है।

(ख) से (घ) पारादीप पत्तन न्यास द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को प्रारंभिक पूंजीगत खर्च की अदायगी की शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाने के प्रश्न पर समय लग रहा है क्योंकि इस प्रश्न में ऐसे पत्तनों पर पूंजीगत खर्च में हिस्सेदारी संबंधी एक नीतिगत मुद्दा अन्तर्ग्रस्त है।

अनुपयोगी परियोजनाओं को रद्द करना

2530. **श्री मोरेश्वर सावे :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने सभी मन्त्रालयों को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं कि वे अपने नियंत्रणाधीन परियोजनाओं की पूर्ववर्तिता निर्धारित करें तथा अनुपयोगी योजनाओं को स्थगित कर

दें अथवा उनको रद्द कर दें ताकि खर्च में धीरे-धीरे कमी की जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय द्वारा स्थगित की गई अथवा रद्द की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मंत्रालय द्वारा कितना खर्च कम किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) जैसा कि वर्ष 1991-92 (जुलाई, 1991) के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मन्त्री के भाषण के पैरा 38 में निर्दिष्ट किया गया है कि सभी मंत्रालयों से अपने-अपने कार्यकलापों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि जो प्राथमिकताएं सूची में सबसे नीचे है, उनके लिए क्रम व्यवस्था की जाए, जबकि जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी हो है उनके लिए व्यवस्था समाप्त कर दी जाए। विद्यमान योजनाओं को प्राथमिकता देने के परिणाम की आठवीं योजना की योजनाओं स्वीकृति करते समय हिसाब में लिया जाएगा। इसके अलावा, जहां प्राथमिकताएं निर्धारित करने के परिणाम केवल एक समय अवधि के पश्चात पूणत: स्पष्ट अनुभव किए जाएंगे, वहीं तत्काल भविष्य में होने वाली बचतों को वर्ष 1991-92 के संशोधित अनुमानों और 1992-93 के बजट अनुमानों में दिखाया जाएगा, जिन्हें फरवरी, 1992 में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

नशीली दवाओं के धन्धे के अपराधियों के विरुद्ध लम्बित मामले

2531. श्री शरद दिघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत लम्बित मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने मामले तीन वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है;

(ग) उनमे से कितने मामले विदेशियों के विरुद्ध है;

(घ) क्या विदेशी अपराधियों ने वाणिज्य दूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संगठनों के मुकदमों की सुनवाई में हो रही देरी के कारण उनका ओर से याचिका दायर करने का अभ्यावेदन भेजा है;

(ङ) इन अपराधों की सुनवाई करने वाली न्यायालयों में विशेष न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े है; और

(च) क्या सरकार का इन मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (च) स्वापक औषध एवं मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में केवल निवारक नजरबंदी का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं होती। अत: प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे और लघु उद्योगों के लिए निर्यात योजना

2532. श्री ए० चारलेस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और धातु और खनिज व्यापार निगम ने छोटे और लघु उद्योगों के लिए निर्यात के संवर्धन और निर्माण हेतु कुछ योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों को क्या सहायता/सुविधाएं दी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :(क) और (ख) एस०टी०सी० और एम० एम० टी० सी०, निर्यात बढ़ाने के लिए छोटे तथा लघु उद्योगों को सामान्यत: निम्नलिखित प्रोत्साहन सेवाएं प्रदान करते हैं :—

—जहां कहीं आवश्यक होता है, आयातित तथा स्वदेशी कच्चा माल/सहायक सामान्य की व्यवस्था करना;

—मेलों तथा प्रदर्शनियों में नमूने प्रदर्शित करना;

—संभावित विदेशी खरीदारों को नमूने भेजना तथा आफर भेजना;

—जहां कहीं आवश्यक होता है, सदान पश्चात पेशगी की व्यवस्था करना;

—विपणन तथा उत्पाद विकास के लिए विशेषज्ञता प्रदान करना;

—जहां कहीं आवश्यक होता है, वित्तीय सहायता देना।

उड़ीसा के फूलबनी और कालाहांडी जिलों में ऋण देने में हुई कथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

2533. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबनी और कालाहांडी जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को पिछले तीन वर्षों के दौरान 31, अक्तूबर 1991 तक ऋण दिये जाने में की गई अनियमितताओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक ऋण मंजूर नहीं करते हैं। पता लगाए गए हिताधिकारियों को

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्धक्षम कार्य करने के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्य के लिए वे सरकार से पूंजी सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए हिताधिकारियों और दी गई राशि का 50% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने और की गई तथाकथित अनियमितताओं से संबन्धित प्राप्त शिकायतों को उपचारात्मक कार्यवाई के लिए संबद्ध बैंकों के साथ उठाया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कार्यक्रमों सहित गरीबी हटाने के ऐसे कार्यक्रमों को बैंकों द्वारा ऋण देने की प्रगति की जिला स्तरीय समन्वय समिति, राज्य स्तरीय बैंक समिति और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक बोर्डों की बैठकों में आवधिक समीक्षा की जाती है।

दिल्ली में सड़कों के विकास के लिए गठित की गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

2534. श्री पी० एम० सईद :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कों को चौड़ा करने और उपमार्गों के निर्माण करने संबंधी कार्य को समन्वित तथा शीघ्र पूरा करने हेतु एक ऐसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति की गठन किया गया है जिसमें विभिन्न एजेंन्सियों का प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अगदोश टाईटलर) : (क) संवैधानिक तौर पर भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र ही अनिवार्यतः उत्तरदायी हैं। इसलिए दिल्ली में उन सड़कों और उपमार्गों के लिए दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका जिम्मेदार है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

2535. श्री भीकाभ्त जेना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु जिला-वार कितनी राशि आवंटित की है;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रा० कृ० और ग्रा० वि० बोर्ड के पास प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विशेष कृषि परियोजना (एस० पी० ए०) ग्रामीण विद्युतीतकरण निगम का एक कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण क्षेत्र में पम्प सैटों को बिजली प्रदान करने के लिए परेषण लाइनें खींचने और अन्य आधारभूत ढांचे संबंधी समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, वाणिज्यिक बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों में बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम का वित्तपोषण किया जाता है। जिलावार आवंटन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है। सातवीं योजना में 1985-86 से 1989-90 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा उड़ीसा राज्य को आवंटित रकम और उसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	आवंटन	(लाख रुपये) उपलब्धि
1985-86	*	112
1986-87	150	158
1987-88	200	77
1988-89	81	566
1989-90	100	81

*(ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया था क्योंकि उसे छोटी सिंचाई के आवंटन के साथ ही जोड़ दिया गया था।)

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने अभी आठवीं योजना अवधि के लिए अलग-अलग राज्य के लिए आवंटन की रकम का निर्धारण नहीं किया है।

मतदाता सूचियों की समीक्षा

2586. श्री राजबीर सिंह :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए मतदाता सूचियों की पुनः समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि अर्हता प्राप्त करने की तारीख 1 जनवरी, 1992 मानकर नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाए। 25 नवम्बर, 1991 को प्रारूप नामावलियां प्रकाशित करके दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई है।

कुवैत के पुनर्निर्माण के लिए ठेके

[अनुवाद]

2537. श्री परशराम भारद्वाज :

श्री राम विलास पासवान :

श्री वी० देवराजन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बेहद जरूरी विदेशी मुद्रा लाने और कुशल एवं अर्धकुशल विस्थापित श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुवैत के पुनर्निर्माण के ठेके प्राप्त करने के कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार ने कुवैत के पुनर्निर्माण में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने के लिए पहले ही अनेक उपाय किए हैं। युद्ध के बाद की स्थिति में खाड़ी में परियोजना निर्यातों का संवर्धन करने हेतु कार्यनीति तैयार करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है। उच्चस्तरीय अन्तरमंत्रालयी विचार-विमर्शों के माध्यम से परियोजना निर्यातों के लिए सरकारी क्लीयरेंस शीघ्र प्रदान करने के लिए अन्तरमंत्रलीय प्रतिनिधित्व वाली एक विशेष समिति का गठन किया गया है। भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने कुवैत में युद्ध की क्षति की प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने तथा कुवैत के संबंधित प्राधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कुवैत का दौरा किया था। इसके बाद भारतीय कम्पनियों द्वारा पुनर्निर्माण में सहयोग के लिए संविदाएं तथा उप-संविदाएं प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे। कुवैत में हमारे दूतावास ने 28 मार्च, 1991 से फिर से काम करना शुरू कर दिया है। इसे कुवैत में अपना हित, विशेषरूप से श्रमिक तथा वाणिज्यिक मामलों को भली प्रकार से देखने के लिए निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में "इमीग्रेशन क्लीयरेंस रिक्वायर्ड की शर्तें को कुवैत में खाड़ी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर रोजगार की विभिन्न श्रेणियों से हटाने का निर्णय लिया है। मार्च, 1991 से वापस आए भारतीय श्रमिकों की अनुमानित संख्या लगभग 50,000 है।

बैंक ऋण की वसूली

[हिन्दी]

2538. श्री राम शरण यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋण की वसूली में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वसूली की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग की तुलना में वसूली, जो जून, 1989 को 57.3% थी, वह जून, 1990 में घट कर 46.8% रह गई। उक्त गिरावट का एक मुख्य कारण, सभी प्रकार के कृषि अग्रिमों को माफ करने के लिए अनुचित अपेक्षा के कारण वसूली संबंधी खराब वातावरण हो सकता है। कृषि अग्रिमों की खराब वसूली के अन्य कारण निम्नानुसार हैं :—

1. निवेश से होने वाली आय का दुरुपयोग और अन्य प्रयोजनों पर लगाया जाना।
2. असंतोषजनक विपणन व्यवस्था जिसके कारण ऋणकर्ताओं को अपने उत्पादों के लिए अपेक्षित दामों से कम दाम मिलते हैं।
3. भारी संख्या में ऋणकर्ताओं द्वारा जान-बूझकर चूक करना।
4. सूखा और बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक विपदाएं।
5. ऋण प्रस्ताव मंजूर करते समय दोषपूर्ण आयोजना खासकर लाभों, निवेश लागतों और उत्पादन मूल्यों के संबंध में लगाए गए अनुमानों के संदर्भ में।
6. खण्ड स्तर पर कारगर ढंग से निगरानी रखने और कृषि ऋणों की वसूली के लिए उपयुक्त पर्याप्त स्टाफ की कमी।

(ख) प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली में सुधार लाने में लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं :—

1. बैंकों से, एक अर्थक्षम वसूली प्रणाली तैयार करने का आग्रह किया गया है ताकि एक तरफ बैंकों के दुर्लभ संसाधनों का अर्थ-व्यवस्था के जरूरतमंद तथा उत्पादक क्षेत्रों के लिए पुनर्निर्धारण करने तथा दूसरी तरफ उधार देने वाले बैंको को लाभप्रदता तथा अर्थ-क्षमता में सुधार लाने में मदद मिल सके।
2. बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि वे बड़े-बड़े अग्रिमों पर निगरानी रखने के लिए व्यक्तिगत ध्यान दें।
3. अलग-अलग तरह के अग्रिमों की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए कारगर ढंग से नजर रखने और अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयोजन से, सहज और समान क्षेत्रीकरण प्रणाली आरम्भ करना।
4. प्रमुख अवरुद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखना।
5. जिन मामलों में अग्रिम अवरुद्ध पाए जाते हैं, उनमें उपचारी कार्रवाई करना।

अमरीकी अधिनियम के विशेष 301 उपबन्ध

[अनुवाद]

2539. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री अशोक रामचन्द्रराव देशमुख :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी सरकार भारत को अमेरिका बहु-प्रयोजन व्यापार और प्रतियोगिता अधिनियम, 1988 की धारा सुपर-301 से अलग रखने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं। तथापि, संयुक्त राज्य के व्यापार प्रतिनिधि ने 26-11-1991 को घोषणा की कि सुपर-301 के उपबंधों के अधीन भारत के विरुद्ध जांच की अन्तिम अवधि 28 जनवरी, 1992 तक तीन महीने बढ़ाने का निश्चय किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर की वसूली

[हिन्दी]

2540. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1991 तक कितने आयकर की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 तक निवल आयकर वसूली (जिसमें निगम कर भी शामिल है) 4011.01 करोड़ रु० थी।

आधुनिकीकृत रुग्ण कपड़ा मिलों का कार्यकरण

[अनुवाद]

2541. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत रुग्ण कपड़ा मिलों ने कार्यक्षमता में सुधार का कोई संकेत नहीं दिया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता :

तटीय नौवहन का विकास

2542. श्री सुधीर सावंत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने तटीय नौवहन के विकास हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या तटीय नौवहन के विकास हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नौवहन विकास विधि समिति ने चालू वर्ष के दौरान तटीय नौवहन के विकास हेतु कोई धनराशि आवंटित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने प्रत्येक निकटवर्ती जिले को तटीय नौवहन द्वारा नमक की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ज) क्या महाराष्ट्र सरकार ने तटीय नौवहन आरम्भ करने में कोई रुचि दिखाई है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (1983—85) ने तटीय नौवहन का विकास करने की सिफारिशें की थीं।

(ख) सरकार तटीय नौवहन का विकास करने के लिए सभी व्यवहार्य उपाय कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। एस० डी० एफ० सी० को 1987 में बन्द कर दिया गया था।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) बम्बई-गोवा तटीय यात्री सेवा पुन: शुरू करने में महाराष्ट्र सरकार ने रुचि दिखाई है। इस प्रयोजन के लिए उन्होंने ऐसी सेवा के प्रचालन हेतु एक प्राइवेट पार्टी को अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भूतपूर्व सैनिक

[हिन्दी]

2543. श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या क्या है;

(ख) पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है तथा कितने भूतपूर्व सैनिकों को 15 वर्षों का सेवाकाल पूरा न करने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ग) पेंशन देने के लिए कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(घ) इन लम्बित मामलों का कब तक निपटारा किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) जिन भूतपूर्व सैनिकों को कोई पेंशन नहीं दी जा रही है उनकी आजीविका हेतु सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 08 पहाड़ी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों की जिला-वार संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

क्र० सं०	जिला	भूतपूर्व पेंशनरों की संख्या	भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जो पेंशन नहीं ले रहे हैं
1.	लैंसडाऊन सहित पौड़ी	21,016	44,831
2.	चमोली	23,735	17,990
3.	देहरादून	30,155	10,637
4.	टिहरी गढ़वाल	3,838	18,294
5.	उत्तरकाशी	विस्तृत ब्योरे उपलब्ध नही हैं,	कुल 4800
6.	अल्मोड़ा	27,620	10,760
7.	नैनीताल	10,000	11,425
8.	पिथौरागढ़	33,538	2,178

2. उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन दिए जाने के बकाया पड़े मामलों के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त मामलों में पेंशन तत्परतापूर्वक अविलम्ब मंजूर कर दी जाती है।

3. भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए सरकार ने विभिन्न रियायतें/छूट आदि दी हुई हैं और विभिन्न पुनर्वास योजनाएं चलाई गई हैं। परन्तु इन रियायतों/छूटों और योजनाओं का लाभ केवल वही भूतपूर्व सैनिक उठा सकते हैं जो पात्रता की शर्तें (सैन्य सेवा से निवृत्त/सेवा-मुक्त किए जाते समय भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अनुसार) पूरी करते हों। अन्य भूतपूर्व सैनिक समय-समय पर सरकार द्वारा चलाई गई दूसरी कई ऐसी सामान्य योजनाओं का लाभ ले सकते हैं जो उन्हें अपना उद्योग खोलने के लिए प्रोत्साहित करने, यदि उनकी योजनाएं व्यावहारिक हों, के लिए ऋण देकर अथवा ब्याज में रियायत देकर वित्तीय सहायता देने के लिए खोली गई हैं। सिविल क्षेत्र में रोजगार के लिए

वे अपना नाम सामान्य रोजगार कार्यालयों में भी दर्ज करवा सकते हैं बशर्ते कि वे जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हों उनके लिए पात्रता रखते हों।

गढ़वाल क्षेत्र में कालीन बुनकरों को सहायता

[अनुवाद]

2544. श्री चेतन पी० एस० चौहान :

कुमारी दीपिका बख्लिया :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गढ़वाल क्षेत्र के कालीन बुनकरों को समूहों में सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य क्षेत्रों के बुनकरों के लिए भी यह सहायता देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में कालीन बुनकरों को क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) गढ़वाल क्षेत्र के कालीन बुनकरों की सहायता के लिए देहरादून में एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण-सह-सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ) कालीन उद्योग के विकास के लिए सम्भाव्यता वाले क्षेत्र अभिज्ञात किए जाते हैं और कालीन बुनाई प्रशिक्षण योजना के विस्तार के लिए संकेन्द्रित किए जाते हैं। सरकार द्वारा इस नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ङ) निम्नोक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं :—

(1) भदोही में एक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

(2) विभागीय केन्द्र और और अन्य संगठनों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 250/-रु० प्रति माह वजीफा दिया जाता है। परम्परागत कालीन बुनाई वाले परिवारों के बच्चों को चयन में तरजीह दी जाती है।

(3) ऊन और सम्बन्धित विषयों पर संस्थान द्वारा अध्ययन किए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए अनुदान दिया जाता है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की सिफारिशें

2545. श्री भवन लाल खुराना :

क्या जल-थलतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) परिषद द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कौन-कौन से राजमार्ग क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं तथा इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शून्य।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाओं, पार्किंग परिसर ले-बाई, बादि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाएं कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क ज्यामिती (जिओ मैट्रिक्स) और जंक्शनो का सुधार करने, यथावश्यक चेतावनी साइनबोर्डों, रम्बल स्ट्रिप्स की व्यवस्था करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यत: यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखा जाता है और यातायात की सघनता, राजमार्ग की मौजूदा हालत, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध ढंग से उनमें सुधार किया जाता है। यातायात की सघनता को ध्यान में रखते हुए और यातायात के मुक्त तथा तीव्र प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए 352 कि० मी० राजमार्गों को चौड़ा करके पहले ही चार लेनों वाला बनाया जा चुका है।

विवरण

राष्ट्रीय सडक सुरक्षा परिषद द्वारा अपनी 1988 और 1989 में हुई बैठकों में की गई मुख्य सिफारिशों और ऊपर की गई कार्यवाही

क्र० सं०	सिफारिशें	की गई कार्यवाही
1	2	3
1.	राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदें और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियां गठित करनी चाहिए।	लगभग सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसी परिषदें/समितियां गठित कर ली हैं।
2.	राज्य परिषदों को, सड़क सुरक्षा स्कीमों/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपायों के संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित करने चाहिए।	यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दी गई है।
3.	सड़क सुरक्षा स्कीमों के लिए वित्त की व्यवस्था, मोटर वाहन करों से प्राप्त राजस्व 1% निर्धारित करके, केन्द्र सरकार द्वारा अंशदान देकर तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा दिए अंशदान द्वारा की जानी चाहिए।	यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही हेतु पहले ही राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी गई हैं।
4.	बच्चों की पाठ्य-पुस्तकों में सड़क सुरक्षा के संबंध में अध्याय होना चाहिए।	यह सिफारिश आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय को भेजी जा चुकी है।
5.	टेलीविजन पर/रेडियो पर/फिल्म प्रभाग द्वारा आवश्यक प्रचार करने की व्यवस्था में जानी चाहिए।	आवश्यक प्रचार की व्यवस्था कर दी गई है।

1	2	3
6.	सड़क सुरक्षा संबंधी चेतना जागृत करने की दृष्टि से पूरे देश में प्रति वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाना चाहिए ।	पहला सड़क सुरक्षा सप्ताह 6—12 जून, 1988 के दौरान और दूसरा सड़क सुरक्षा सप्ताह 3 से 9 अप्रैल, 1989 के दौरान मनाया गया था । तीसरे सड़क सुरक्षा सप्ताह को 1—7 जनवरी, 1992 के दौरान पूरे देश में मनाने का निर्धारण किया गया है।
7.	दुर्घटनाओं की सूचना देने तथा रिकार्ड करने के लिए सरल फार्म तैयार करके व्यापक तथा विश्वसनीय डाटा बेस विकसित किया जाना चाहिए ।	सड़क दुर्घटनाओं के लिए व्यापक और विश्वसनीय आंकड़े विकसित कर लिए गए हैं।
8.	राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ वाले ट्रक पार्किंग परिसरों में टेलीफोन, विश्राम कक्षों आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।	धनराशियों की उपलब्धता के अनुसार ट्रक पार्किंग परिसरों में टेलीफोन, विश्राम कक्षों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।
9.	राज्य सरकारों द्वारा राज्यीय राजमार्गों पर खामियों वाले खानों का, विकास के लिए, पता लगाया जाना चाहिए ।	इस सिफारिश को यथोचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों के ध्यान में ला दिया गया है।
10.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए अलग वित्तीय प्रावधानों की व्यवस्था की जाए ।	परिषद की इस सिफारिश को उचित कार्यवाही हेतु राज्यों के ध्यान में लाया गया है । जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, सड़क सुरक्षा के लिए अलग प्रावधान किया गया है ।
11.	राज्य सरकारों को राजमार्गों पर एक जैसे सड़क-संकेत स्थापित करने चाहिए ।	इस सिफारिश को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।
12.	यद्यपि राजमार्गों पर अपने क्षेत्रों में मोबाइल गश्त लगवाना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और फिर भी एक उचित स्कीम तैयार की जा सकती है तथा केन्द्र से वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा सकता है ।	इस सिफारिश को राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है । जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने आठवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त स्कीमों का प्रस्ताव किया है ।

बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक

2546. श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ बैंकों से जमा राशियों को वापस लेने सम्बन्धी समाचारों को ध्यान में रखकर बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) बैंक जमा में वृद्धि की प्रवृत्ति को भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। बैंक कार्यपालकों के साथ उपर्युक्त विषय पर अलग से कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। बैंकों की कुल जमा में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हो रही है।

सिंगापुर में कार्य कर रहे भारतीय संयुक्त उद्यम

[हिन्दी]

2547. श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगापुर में कार्य कर रहे भारतीय संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : सिंगापुर में कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

सिंगापुर में कार्यरत भारतीय संयुक्त उद्यमों के ब्यौरे देने वाले विवरण पत्र

क्रमांक	भारतीय संवर्धक कम्पनी का नाम	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	क्रिया कलाप का क्षेत्र
1	2	3	4
1.	मैसर्स टैल्को, बम्बई	टाटा प्रोसीजन इन्डस्टरीज प्रा० लि०	हाई प्रशीषन टूल्स
2.	मैसर्स अमेरीतलाल चेमाउक्स लि०, बंबई	मलटीवीज (सिंगापुर) प्रा० लि०	व्यापार एवं विपणन
3.	मैसर्स गोदरेज बोयस मैन्यू० कं० प्रा० लि०, बम्बई	गोदरेज (सिंगापुर) प्रा० लि०	इस्पात-उपस्कर आदि का विनिर्माण
4.	मै० हिंदुस्तान कम्प्यूटर लि०, दिल्ली	फार ईस्ट कम्प्यूटरस	माइक्रो एवं मिनी कंप्यूटरों का विनिर्माण
5.	मै० ईसार वल्क केरियरस लि०, बम्बई	स्कन्डीआ ईसार प्रा० लि०	खदान, अपतट इंजी० एवं संबद्ध क्रिया-कलाप
6.	मै० फस्ट लिजिंग कं० आफ इंडिया लि०, मद्रास	रिसपोन्सीव लिजिंग सिंगापुर प्रा० लि०	पट्टे पर देने संबंधी (लीजिंग) कार्य।
7.	मै० गौटज इंडिया लि०; नई दिल्ली	गौटज एशिया प्रा० लि०	व्यापर एवं विपणन

1	2	3	4
8.	मै० दुरामेटलिक इंडिया लि०, नई दिल्ली	दुरामेटलिक एशिया प्रा० लि०	यांत्रिक सील और संबद्ध उत्पादों का विनिर्माण
9.	मै० नेशनल इंजी० इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता	बिरला एसोसिऐटस प्रा० लि०	तकनीकी प्रबंध एवं विपणन परामर्शदात्री सेवाएं।
10.	मै० भूवा इन्टरनेशनल, बम्बई	दर्शन ओवरसीज प्रा० लि०	रासायनिक डाईज आदि का व्यापार एवं विपणन
11.	मै० स्टील ट्यूबज ऑफ इंडिया लि०, बिवाज	स्टील ट्यूब्स सिंगापुर प्रा० लि०	प्रोसीजन स्टील ट्यूब्स का विनिर्माण
12.	मै० वोल्टाज इन्टरनेशनल लि०, बम्बई	इन्सस (पोट०) लि०	वस्त्र मशीनरी का विनिर्माण
13.	मै० पोद्दर उद्योग लि०, कलकत्ता	इन्डस इन्टेगरेटिड अरेस्ट (पीट०) लि०	संश्लिष्ट राल का विनिर्माण
14.	मै० टीटानियम ईक्यूपमैंट एंड अनोडे मैन्यू० कं० लि० मद्रास	सॉन्ग चिंग मैन्यू० इन्डस्टरिज प्रा० लि०	टिटेनियम आधारित विशेष रसायनों का विनिर्माण
15.	मै० ऑबराय होटल्स प्रा० लि०, दिल्ली	ऑबराय सर्विसेस प्रा० लि०	रेस्तरां

शेयर बाजार में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका

[अनुवाद]

2548. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निगमित क्षेत्र में शेयरों की खरीद और बिक्री में वित्तीय संस्थाओं की क्या भूमिका है;

(ख) क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी एक कम्पनी में निवेश को एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का शेयर बाजार में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के बारे में एक श्वेत पत्र पटल पर रखने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्तीय संस्थाएं उद्योग की नियमित और स्वस्थ वृद्धि के लिए पूंजी की व्यवस्था करने के विचार से निगमित क्षेत्र में शेयरों के लेन-देन कार्यों को करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

तमिलनाडु में राजकीय राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तन

2549. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण तमिलनाडु सहित किसी भी राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम	लम्बाई (कि० मी०)
1.	नागपट्टिनम-तंजावूर-त्रिची-कोयम्बटूर-ऊटी-कैदुलोर-मैसूर रोड	504
2.	कुड्डालोर-अलून्दूरपेटासेलम रोड	192
3.	त्रिची-विरालीमलाई-पुवरनकुरिचि-मदुरै रोड	122
4.	त्रिची-पुडुकोट्टाई-करैकुडी-रामनाड रोड	185
5.	डिंडीगुल-पलानी-उडुमालपेट-पोलाची-कोयम्बटूर रोड	159
6.	कुड्डालोर-वेलोर-चित्तूर रोड	203
7.	मदुरै-अरुप्पुकोटाई-टूटीकोरिन रोड	133
8.	मद्रास कुड्डालोर-कन्याकुमारी रोड	737
9.	पेरम्बतूर-मानमदुरे रोड	228
10.	थाडी-सदुरै-थेनी-कुम्बम-कोट्टायम-कोचीन रोड	268
11.	मदुरे-थेनकासी-क्विलान रोड	134
12.	तिरुवन्नामलाई-कृष्णागिरी रोड	130
13.	तिरुनवेली-शेनकोट्टाह रोड	59
14.	मदुरै-अम्मेयान कन्नूस-मंगूवर पट्टी-कोडैकनाल रोड	140
15.	धोप्पुर-मीत्तूर भवानी रोड	81
16.	वेनियाम्बडी-चिरुपथुर-धर्मपुरी रोड।	80
	योग :	3355 कि० मी०

चुनाव सुधार

2550. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

श्री साईमन मरांडी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनाव सुधारों के संबंध में संसद के समक्ष लम्बित तीन विधेयकों पर

चर्चा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या सरकार का पंजाब में पहले से वहां चुनाव सुधार लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विधेयक पर यथा संभव शीघ्र विचार किया जाएगा। पंजाब और अन्य स्थानों में निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों का प्रवर्तन, संसद द्वारा इन विधेयकों के पारित किए जाने पर ही किया जा सकेगा।

चैकों पर सेवा प्रभार

2552. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11.9.1991 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "सर्विस चार्जिज आन चैक्स — कन्ज्यूमर ग्रिवैंस बाडीज जजमैंट अवेंस्ट बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के 2 पैसे प्रति चैक प्रभार लिए जाने सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश के बावजूद राष्ट्रीयकृत बैंक अभी भी ग्राहकों से प्रति चैक एक रुपया वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने केनरा बैंक के विरुद्ध, खाताधारियों को चैकबुक जारी करने के लिए लगाए जा रहे सेवा प्रभारों के बारे में उपभोक्ता विवाद निवारण पेच, बम्बई द्वारा दिए गये फैसले का हवाला देने वाला समाचार देखा है। केनरा बैंक ने सूचित किया है कि उसने उक्त फैसले के विरुद्ध महाराष्ट्र उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने दिनांक 1 जुलाई, 1990 से अपने सेवा प्रभार संशोधित कर दिये हैं। तदनुसार चार महानगरीय शहरों अर्थात नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में चैकबुक जारी करने में प्रति पन्ना 1/-रुपए का प्रभार लगाया गया है। असलत्ता, अलग-अलग व्यक्तियों के बचत बैंक खातों पर यह प्रभार नहीं लगाया जाता है।

कोचीन में रक्षा इलेक्ट्रानिक परिसर की स्थापना

2553. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोचीन, केरल में रक्षा इलेक्ट्रोनिक परिसर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित परिसर की स्थापना का कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) इस परिसर की अनुमानित लागत कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) इस संबंध में एक सुझाव दिया गया है। इसकी जांच की जाएगी।

बकाया करों की वसूली

[हिन्दी]

2554. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या वित्त मन्त्री 19 जुलाई, 199। के अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी निर्धारित अवधि के भीतर बकाया आयकर और उत्पाद शुल्क की वसूली करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) उन करदाताओं पर आय कर की कुल कितनी राशि बकाया है जिनको आज की तारीख तक आय कर का एक लाख या एक लाख से अधिक की राशि बकाया है;

(ङ) इन करों की वसूली हेतु न्यायालयों में लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु कौन से प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं;

(च) क्या किसी निर्धारित समय सीमा में और किसी निर्धारित राशि से अधिक की राशि के आयकर और उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने को सज्ञेय अपराध बनाये जाने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) बकाया करों की वसूली करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। एक ओर पुराने बकाया करों की वसूली की जाती है और दूसरी ओर नई वसूली की मांग की जाती है। अतः दिए गए किसी समय बिन्दु पर कुछ कर मांगें बकाया रहनी पड़ती है।

(घ) दिनांक 31.3.91 को ऐसे निर्धारितियों पर जिससे एक लाख रु० या एक लाख रु० से अधिक की रकम वसूल की जानी थी, उन पर आय कर की कुल 5130.60 करोड़ रु० की रकम बकाया थी।

(ङ) यथावश्यक समुचित प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य उपाय किए जा रहे हैं। शीघ्र सुनवाई और स्थगन आदेशों को हटाने के लिए न्यायालयों में कार्रवाई की जा रही है।

(च) जी, नहीं।

(छ) करों की वसूली करने के लिए पहले ही विधिक उपबन्ध विद्यमान हैं।

मिग-21 का प्रतिस्थापन

[अनुवाद]

2555. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिग-21 के पुराने पड़ते जा रहे कल पुर्जों के स्थान पर हल्के लड़ाकू विमान रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हल्के लड़ाकू विमान परियोजना पूरी होने में हो रहे विलम्ब के कारण प्रस्तावित प्रतिस्थापन कार्य प्रभावित होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) पुराने वायुयानों को सेवा से हटाना और नए वायुयानों को सेवा में शामिल करना एक निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है और यह भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं से जुड़ी होती है। वायुयानों के चयन के संबंध में निर्णय, सभी सम्भव विकल्पों के तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता मूल्यांकन पर निर्भर करता है।

न्यायिक सुधार

2556. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायिक प्रणाली में कुछ सुधार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सुधार के लिए अनेक सिफारिशें, सरकार के विभिन्न विभागों में विचाराधीन हैं जिनका उद्देश्य न्याय प्रशासन की प्रणाली के विकेन्द्रीकरण, प्रक्रियात्मक विधियों में सुधार, मुकदमों में कमी करना या उनसे बचना, आदि है। इनमें कर न्यायालयों, श्रमिक न्यायनिर्णयन में राष्ट्रीय एकरूपता के लिए मंचों शहरी मुकदमेबाजी-न्याय निर्णयन के विकल्पस्वरूप मध्यकता, बेनामी संव्यवहार आदि से सम्बन्धित सुधार सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त मलिमथ समिति द्वारा सिफारिश किए गए अनेक प्रक्रियात्मक और अधिकारिता विषयक सुधार, उच्च न्यायालयों राज्य सरकारों को, उनके द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाए जाने के लिए, भेज दिए गए हैं।

भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

2557. श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक समेकित भारतीय ग्रामीण बैंक में विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पृथक कानूनी अस्तित्व है और वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमा के अन्दर कार्य करता है। वर्तमान नीति के अनुसार ऐसे बैंकों की पृथक पहचान और अस्तित्व को बरकरार रखा जाना है।

महाराष्ट्र के परभनी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

[हिन्दी]

2558. श्री विलासराव नामनाथराव गुंडेवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के परभनी जिले में इस समय कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाएं हैं; और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष महाराष्ट्र के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई लाइसेंस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो बैंकों की नई शाखाएं कहां-कहां खोलने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) महाराष्ट्र के परभनी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 48 शाखाएं कार्यरत हैं। उनके स्थान निम्नानुसार हैं :—

क्र०सं०	केन्द्र का नाम	शाखाओं की सं०	क्र० सं०	केन्द्र का नाम	शाखाओं की सं०
1	2	3	4	5	6
1.	अखाड़ बालापुर	1	4.	बसम्बा	1
2.	अउंधा नागनाथ	1	5.	बासमथ	2
3.	बसलगांव	1	6.	बोरी	2

1 2	3	4 5	6
7. हिंगना	1	18. कलमनूरी	1
8. देवगांव	1	19. मनवथ	1
9. देऊलगांव गाथ	1	20. पालम	1
10. डोंगरकड़ा	1	21. परभनी	10
11. गंगाखेड़	2	22. पथरी	3
12. गोरेगांव	1	23. पुरना	2
13. हिंगोली	4	24. सेलू	3
14. इसाद	1	25. सखारा	1
15. जम्ब	1	26. सोनपेठ	1
16. ज्वाला बाजार	1	27. ताकली कुंभकर्ण	1
17. जिंतूर	2	28. जारी	1
		कुल	48

(ख) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति के अन्तर्गत, आवश्यक विवरण सहित प्रत्येक जिले में पता लगाए गए केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को दी जानी होती है। लीड बैंक, सभी बैंकों से प्राप्त सूचियों का समेकन करने के बाद उसे सिफारिश हेतु तथा संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजने के वास्ते जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। शाखा लाइसेंसिंग नीति (1990—95) के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए इस वर्ष महाराष्ट्र के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

नये वित्तीय साधनों पर फेरवानी समिति की रिपोर्ट

2559. श्री शिवशरण वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये वित्तीय साधनों जैसे नॉन-वोटिंग शेयर, जीरो कूपन बाण्ड और वारंटों के संबंध में निदेश तैयार करने के लिए, श्री फेरवानी की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) मार्च, 1991 में श्री एम० जे० फेरवाणी की अध्यक्षता में इस मंत्रालय द्वारा गठित अध्ययन दल ने विचारार्थ निम्नलिखित वित्तीय दस्तावेजों की सिफारिश की है :—

(i) वोट अधिकार रहित शेयर।

(ii) वियोज्य इक्विटी कूपन वारंट।

(iii) हिस्सेदारी तरजीही शेयर।

(iv) हिस्सेदारी ऋण पत्र।

(v) विकल्पों सहित प्रत्यावर्तनीय ऋण पत्र।

(vi) तृतीय पक्ष प्रत्यावर्तनीय ऋण पत्र।

(vii) बन्धक-युक्त प्रतिभूतियां।

(viii) प्रीमियम पर प्रतिदेय प्रत्यावर्तनीय ऋण पत्र।

(ix) इक्विटी स्वाप के लिए ऋण।

(x) जीरो कूपन प्रत्यावर्तनीय बांड।

(ग) चूंकि सिफारिशों पर अभी निर्णय नहीं लिए गए हैं अतः इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में इतनी जल्दी बतलाना सम्भव नहीं होगा।

आन्ध्र प्रदेश में बीमा कम्पनियों की नई शाखायें खोलना

[अनुवाद]

2560. प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं खोलने के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बीमा कम्पनियों की नई शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जनसंख्या, व्यवहार्यता के साथ क्षेत्र की सम्भाव्यता बीमा कम्पनियों के नए कार्यालय खोलने के लिए मुख्य मानदण्ड हैं;

(ख) जी, हां।

(ग) 1991-92 के दौरान रंगा रेड्डी, हैदराबाद, मेहबूब नगर, विजयवाड़ा और निजामाबाद जिलों में साधारण बीमा निगम के नये शाखा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

[हिन्दी]

2561. श्री जनार्दन मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले अनेक गिरोहों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये गिरोह किन राज्यों में सक्रिय थे; और

(घ) इन गिरोहों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यूको बैंक की विभिन्न शाखाओं में सितम्बर, 1991 में हुई लगभग 250 लाख रुपये की धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के पास दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने यूको बैंक की कलोल शाखा के एक अधिकारी और नवरंगपुर शाखा के एक क्लर्क को जो संदिग्ध सरगना और उसका साथी है गिरफ्तार किया है। बैंक के अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है। सम्बद्ध क्लर्क दुर्विनियोग के दूसरे मामले में शामिल होने के कारण पहले से ही निलम्बित है। बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से विस्तृत जांच करने का अनुरोध किया है।

घाटे में चल रही राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलें

2562. श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उन मिलों की संख्या क्या है जो भारी घाटे में चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से किसी मिल के भविष्य का निपटारा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान एन० टी० सी० के अधीन चलने वाली 122 मिलों में से केवल 40 मिलों ने नकद लाभ कमाया और शेष को नकद घाटा हुआ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक विकल्प विचाराधीन हैं। तथापि, इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

इंजीनियरी के सामान का निर्यात

[अनुवाद]

2563. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरी के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन देती रही है। दिए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों में निम्नांकित शामिल हैं—नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्यात हेतु निवेशों का प्रावधान, रियायती दरों पर निर्यात वित्त की आपूर्ति, प्रतिपूर्ति लाइसेंस सुविधा, निर्यात उत्पादन हेतु रियायती दर पर पूंजीगत माल का आयात, यूरोपीय देशों को निर्यात करने हेतु गोदाम सुविधा भारतीय इंजीनियरी माल को आयात करने तथा बाजार प्रवेश सहायता हेतु विभिन्न देशों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करना जिससे कि विकसित बाजारों में निर्यात के लिए उत्पाद देयता बीमा हेतु वित्त मिलता है।

यद्यपि दिनांक 3-7-1991 से नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करने की योजना खत्म कर दी गई है किन्तु हाल ही में इंजीनियरी माल एवं अन्य मदों के निर्यातकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन अतिरिक्त प्रोत्साहनों में एफ० ओ० बी० मूल्य के 30% की एक समान दर पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस के बदले एक्सिम स्क्रिप्स देने के प्रावधान हेतु प्रतिपूर्ति योजना का पुनर्गठन उच्च तकनीक के अन्तर्गत इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के लिए 10% अतिरिक्त एक्सिम स्क्रिप्स प्रदान करना तथा अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को मजबूत करना तथा सरल एवं कारगर बनाना आदि शामिल है।

सोने की तस्करी

2564. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) भारत में 1985-86 में और अक्तूबर, 1987 तक कितना और कितने मूल्य का (घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय) सोना पकड़ा गया;

(ग) उन इलाकों और क्षेत्रों के नाम क्या है जहां पर तस्करी में वृद्धि हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन हवाई अड्डों पर सर्वाधिक बरामदगी की रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) सोने की तस्करी को समाप्त करने और तस्करी निरोधक उपायों की कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला धन्धा है, अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि सोने की तस्करी में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट, पाकिस्तान, नेपाल तथा बंगलादेश के साथ लगी भू-सीमाएं और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत में सोने की तस्करी के लिए विशेषरूप से सुगम्य क्षेत्र बने हुए हैं।

कैलेण्डर वर्ष 1985, 1086 और 1987 (अक्तूबर तक) के दौरान भारत में अभिगृहीत सोने की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा (कि० ग्रा० में)	अभिगृहीत सोने का मूल्य (लाख रुपयों में)
1985	2525	5189
1986	2174	4666
1987 (अक्तूबर तक)	1804	5001

(क) तस्करी-रोधी एजेंसियां सोने सहित निषिद्ध-माल की तस्करी की रोकथाम करने के कार्य में सतर्क रहती हैं। उभरती हुई नई-नई प्रवृत्तियों और कार्य प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्णत: अवगत कराया जा रहा है ताकि बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने वाली सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी बनाये रखा जा रहा है। एक्सरे असबाब मशीनों, धातुखोजी यंत्रों और रात को देखने में काम आने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है।

मद्रास हवाई अड्डे पर ब्राउन शूगर का पकड़ा जाना

2565. श्री एन० डेनिस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1991 के दौरान मद्रास हवाई अड्डे पर ब्राउन शूगर पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसका मूल्य कितना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) 22-8-1991 को मद्रास अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6.035 किलोग्राम हेरोइन (जो कि ब्राउन शूगर के नाम से भी जानी जाती है) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़ी गई। हेरोइन, अपने प्राय: अनिश्चितिस्त रसायन मात्रा तथा मिश्रण की है तथा जो नष्ट किए जाने योग्य है, का सही मूल्यांकन सम्भव नहीं है।

सिगरेट निर्माता कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की वसूली

2566. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1991 को प्रत्येक सिगरेट निर्माता कम्पनी के नाम उत्पाद शुल्क की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक कम्पनी से बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इनसे वसूली के लिए कौन से कारगर उपाय किए गए हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यथा-आवश्यक प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	सिगरेट कम्पनी का नाम	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि	वसूली की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्स आई० टी० सी० लि०	114.20 रु० (इसमें से 20.20 करोड़ रु० की राशि अपील के लिए जमा करा दी गई है)	प्राप्त की जाने वाली शेष राशि न्यायालयों/सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण/समाहर्ता (अपील) द्वारा स्थगित कर दी गई है।
2.	मैसर्स गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि०	0.14	
3.	मैसर्स वी० के० सिगरेट लि०	0.07	
4.	मैसर्स इण्टरनेशनल टोबाको कं० लि०	0.49	
5.	मैसर्स नार्थ-ईस्ट टोबाको कं० लि०	0.43	
6.	मैसर्स तिरुपति सिगरेट लि०	0.31	
7.	मैसर्स एशिया टोबाको	0.10	
8.	मैसर्स एन० टी० सी० लि०	21.49	8-1-91 से फैक्टरी बन्द हो गई है। केवल 0.60 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के बारे में स्थगन दिया गया है।
9.	मैसर्स मास्टर टोबाको कं०	2.67	2.42 करोड़ रुपये की राशि के लिए मांग की 31-8-91 को ही पुष्टि हुई। 0.56 करोड़ रुपये का एक अन्य मामला सीगेट के पास पड़ा है। पार्टी ने 0.31 करोड़ रुपये की अदायगी की है।
10.	मैसर्स नार्थ इंडिया टोबाको कं० लि०	0.36	0.20 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

1	2	?	4
11.	मैसर्स यूनिवर्सल टोबाको कं० लि०	2.11	पार्टी समाप्त हो गई है।
12.	मैसर्स सुवर्ण फिल्टर्स एंड टोबाको प्रोडक्शन्स	0.49	पार्टी ने बैंक गारंटी दे दी है।
13.	मैसर्स नवभारत टोबाको इण्टर-प्राइजज लि०	0.09	पार्टी ने बैंक गारंटी दे दी है।
14.	तलिनाडु टोबाको कं० लि०	1.34	अभी तक अपील अवधि समाप्त नहीं हुई है।

सोना और स्वापक औषधियों की तस्करी

2567. श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वापक औषधियों और सोना सहित किन-किन प्रमुख वस्तुओं की तस्करी की गयी थी, उनकी तस्करी के मुख्य स्रोत क्या थे और ये वस्तुएं किन देशों के माध्यम से भारत पहुंची थी;

(ख) इन वस्तुओं में प्रत्येक वस्तु की देशवार कितनी अनुमानित मात्रा प्रतिवर्ष भारत पहुंचती है; और

(ग) तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि सोने, चांदी इलेक्ट्रॉनिकी माल आदि दुबई, हांगकांग और सिंगापुर से सक्रिय तस्करी सिंडिकेटों द्वारा देश में तस्करी किए जाने के लिए बराबर आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। इसके अलावा भारत-पाकिस्तान और भारत-बर्मा की सीमाओं के रास्ते हेरोइन को भारत लाया जाता है, जिसे चोरी-छिपे आगे पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है और यह निर्यात मुख्यत: बम्बई और दिल्ली के हवाई अड्डों से किया जाता है। यह भी सूचना मिली है कि हशीश और गांजा भी देश में बराबर तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं और इनकी देश में तस्करी मुख्य रूप से नेपाल और/अथवा पाकिस्तान से की जाती है।

चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किये जाने वाला धंधा है, अत: विभिन्न देशों से भारत में पहुंचने वाली उपर्युक्त मदों में से प्रत्येक संमद की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि वर्ष 1989; 1990 और 1991 (अक्तूबर, 1991 तक) के दौरान अभिगृहीत सोने, हेरोइन, हशीश और गांजे का मूल्य/मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है;

मूल्य करोड़ रुपयों में

	1989	1990	1991*
सोना	रु० 259.60 (8215 कि० ग्रा०)	रु० 192.96 (5721 कि० ग्रा०)	156.53 (4269 कि० ग्रा०)
हेरोइन	2714 कि० ग्रा०	2193 कि० ग्रा०	534 कि० ग्रा०
हशीश	8179 कि० ग्रा०	6388 कि० ग्रा०	3244 कि० ग्रा०
गांजा	54463 कि० ग्रा०	39090 कि० ग्रा०	46158 कि० ग्रा०

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ग) तस्करी-रोधी एजेंसियां उपर्युक्त मदों की तस्करी की रोकथाम के लिए सतर्क रहती हैं। उभरती हुई नयी-नयी प्रवृत्तियों और कार्य-प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्वतः अवगत कराया जा रहा है ताकि बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकें। तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने वाली सभी संबंधित एजेंसियों, जैसे सीमा शुल्क विभाग, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय आदि के बीच घनिष्ठ तालमेल बनाये रखा जा रहा है।

त्रिशूल प्रक्षेपणास्त्र

2568. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदी पुर रेंज में नौसेना के त्रिशूल प्रक्षेपणास्त्र के हाल ही के परीक्षण में इसे युद्धपोत से छोड़ने, समुद्री तल की बाधाओं को हटाने तथा युद्धपोत मारक प्रक्षेपणास्त्र के रूप में इसकी क्षमता फ्रेंच एक्सोसेट आयुध प्रणाली के समान सिद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो एक्सोसेट प्रक्षेपणास्त्र की तुलना में इसकी तकनीकी क्षमता कितनी है; और

(ग) इसको नियमित सेवा में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है न कि एक्सोसेट जैसा पोतरोधी प्रक्षेपास्त्र/नौसेना में त्रिशूल समुद्री बाधाएं हटाने वाले पोतरोधी प्रक्षेपास्त्रों को ध्वस्त करने में सक्षम है। नौसेना के लिए बनाए गए इस त्रिशूल का अंतरिम परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। त्रिशूल और एक्सोसेट अलग-अलग श्रेणियों के प्रक्षेपास्त्र हैं।

(ग) इस त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र को 1993 में नौसेना में नियमित रूप से शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है।

बीकानेर जिले में फील्ड फायरिंग रेंज के लिए ली गई भूमि के कारण प्रभावित लोगों को मुआवजा

[हिन्दी]

2569. श्री मनफूल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बीकानेर के 34 गांवों की भूमि अर्जित करके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का निर्माण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गांवों के निवासियों को पूरी मुआवजा-राशि का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का शेष मुआवजा-राशि का कब तक भुगतान करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना राजस्थान के बीकानेर जिले में 33 गांवों की भूमि अर्जित करके की गई।

(ख) और (ग) रक्षा मंत्रालय ने मुआवजे की सम्पूर्ण राशि स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के पास जमा करवा दी थी। केवल जिन विवादग्रस्त मामलों में मुआवजे की राशि न्यायालय के पास जमा है उन्हें छोड़ कर सभी पात्र व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी कर दी गई है।

कर्नाटक को केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि का आवंटन

[अनुवाद]

2570. श्री जी० मादेगौड़ :

क्या अल्प-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को केन्द्रीय सड़क कोष से कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई और वास्तव में कितनी राशि जारी की गई; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि जारी करने का विचार है ?

अल्प-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अवधेश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए आवंटित तथा वास्तव में जारी की गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित राशि (लाख रु०)	जारी की गई राशि (लाख रु०)
1988-89	68.23	78.00
1989-90	10.00	6.024
1990-91	7.00	6.00

उपर्युक्त अवधि के दौरान 119.45 लाख रु० लागत की निम्नलिखित दो सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिसमें से 45.00 लाख रु० केन्द्रीय सड़क निधि के खाते में डाला जाएगा :—

क्रम सं०	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत (लाख रु०)
1.	अरकालगुड़ तालुक में काडु-विनायकसलयली के समीप कावेरी नदी पर पुल का निर्माण	59.45
2.	मैसूर एवं कुम्बरागोड़ के बीच की सड़क के लिए 4 लेन के कैरिजवे की व्यवस्था	60.00

केन्द्रीय सड़क निधि के तहत धनराशि क्रियात्मक स्वीकृति और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध

धनराशि को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त रूप में जारी की जाती है न कि कार्य-वार।

(ग) 1991-92 के दौरान जारी की जाने वाली निधियां क्रियात्मक स्वीकृति तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल धनराशि पर निर्भर करती है।

कालीन उद्योग का विकास

[हिन्दी]

2571. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या वस्त्र : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीन उद्योग को आर्थिक संकट से बचाने और इसके विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जायेंगे;

(ख) क्या सरकार का इस उद्योग को निर्यात लाइसेंस देने और निर्यात के लिए कालीन की गुणवत्ता की जांच हेतु व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) 1991-92 के लिए निर्यात का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कालीनों के निर्यातों में वृद्धि की प्रवृत्ति आई है। प्रमाण के रूप में अप्रैल-सितम्बर, 1991 के दौरान निर्यात 273.05 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के हुए जबकि 1990 में उसी अवधि के दौरान 182.91 करोड़ रुपये (अनन्तिम) के हुए थे। कालीन उद्योग के समग्र विकास के लिए किए गए उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) सरकार भदोही में एक कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कर रही है।

(2) 437 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र कालीन बुनाई में प्रशिक्षण देते रहे हैं।

(3) कालीन निर्यातकों के हितों की देखभाल करने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित की गई है। परिषद अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेती है और क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित करती है। नई दिल्ली में वार्षिक अखिल भारतीय कालीन व्यापार मेला सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किया जाता है।

(ख) और (ग) कालीनों के निर्यातों को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए मानक लागू किए जाते हैं और हाथ से बने कालीनों के लिए अलग से अन्तर्राष्ट्रीय मानक तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) : हाथ से बने ऊनी/रेशमी/संश्लिष्ट यानं कालीनों, नमदों, दरियों आदि के संबंध में 1991-92 के लिए 720 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्वबैंक सहायता के अन्तर्गत चल रही योजनाएं

2572. श्री राम सागर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं/विकास योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) विश्व बैंक की सहायता से वहां पर चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परियोजना/विकास योजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) केवल बाराबंकी जिले के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई स्वतंत्र परियोजना नहीं है, तथापि तकनीशियन शिक्षा परियोजना-I, छठी राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्रशिक्षण और प्रणाली विकास जनसंख्या परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III और राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना जैसी कई राज्यव्यापी परियोजनाएं हैं।

बल्क कार्गो वाहनों को मुम्बई बन्दरगाह से जवाहर लाल नेहरू बन्दरगाह ले जाया जाना

[अनुवाद]

2573. श्री मोहन रावले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्क कार्गो वाहनों को मुम्बई बन्दरगाह से जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह ले जाने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 और 1991 के दौरान मुम्बई बन्दरगाह पर वाहनों के आवागमन में आज की तिथि तक कितने प्रतिशत कमी हुई है;

(ग) वाहनों के आवागमन में कमी से मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड और मुम्बई बन्दरगाह न्यास की वित्तीय स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(घ) वाहनों को ले जाने के परिणामस्वरूप मुम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड और मुम्बई बन्दरगाह न्यास को हुई वित्तीय हानि की क्षति पूर्ति के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए थे कि बम्बई-न्हावा शेवा क्षेत्र में खाद्यान्न/उर्वरक ले जा रहे बल्क कैरियर्स, जो जवाहर-लाल नेहरू पत्तन में यंत्रीकृत हैंडलिंग के लिए उपयुक्त हैं, को जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास में हैंडल किया जाना चाहिए।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बम्बई पत्तन न्यास द्वारा हैंडल किया गया कुल कार्गो पिछले वर्ष की तुलना में 54.6 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-अक्टूबर, 1991-92 के दौरान अनन्तिम आंकड़े, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी को दर्शाते हैं।

(ग) ट्रैफिक में कमी का बम्बई पत्तन न्यास की प्रचालन आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, अलाभकर श्रमिक प्रैक्टिसेस और बल्क ट्रैफिक में कमी सहित कई कारणों से बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है। कारणवार ब्यौरा नहीं रखा गया है।

(घ) सरकार ने फालतू स्टाफ को कम करने की दृष्टि से बम्बई पत्तन न्यास और बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पहले ही एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की पेशकश की है और वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने के लिए बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रबन्धकों और कर्मचारियों से अलाभकर प्रैक्टिसेज बन्द करने के लिए भी कहा है। किसी क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रा-स्फीति की दर

2574. श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक कामगारों के लिए मूल्य सूचकांक की क्या स्थिति है; और

(घ) मुद्रा-स्फीति की दर को कम रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सितम्बर, 1991 तक (नवीनतम उपलब्ध) सूचकांकों में वृद्धि की दर सहित कृषि श्रमिकों तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) नीचे दिए गए हैं :—

1991-92 के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर

महीना	कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960-61=100)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिशत की दर (प्रतिशत)	औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100)	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि की दर (प्रतिशत)
अप्रैल	853	—0.6	202	0.5
मई	854	—0.5	204	1.5
जून	875	2.1	209	4.0
जुलाई	904	5.4	214	6.5
अगस्त	936	9.1	217	8.0
सितम्बर	976	13.6	221	10.0

(घ) मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में राजकोषीय घाटे को काफी कम करना, प्रभावी मांग को रोकने के लिए मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की मांग और पूर्ति के प्रबन्ध को अधिक कारगर बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करना, अधिक उत्पादन और बचतों के लिए प्रोत्साहन देना, और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

प्रतिव्यापार-करार

2575. डा० पी० बल्लाल पेडमाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम० एम० टी० सी० के माध्यम से स्वीकृत विभिन्न मदों के आयात के समक्ष प्रतिव्यापार स्वरूप कितने मूल्य के व्यापार वायदे प्राप्त किये गये;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई दिक्कतें आई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रतिव्यापार के संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिव्यापार हेतु मान्य मदों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा सरणीबद्ध मदों के आयात पर प्रति व्यापार निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	प्रति व्यापार बचनबद्धताएं (करोड़ रुपए)
1988-89	52.68
1989-90	176.70
1990-91	295.90

(ख) और (ग) सभी सरणीबद्ध आयातों, विशेषत: उन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिव्यापार करना हमेशा संभव नहीं होता जो बिक्री बाजारों में हैं या जिनके लिए आयात-स्रोतों के विविधीकरण की सीमित संभावना है।

(घ) और (ङ) प्रतिव्यापार की व्यवस्था गैर-परम्परागत और लक्ष्य-समय पर तय की गई कम कारोबार वाली निर्यात मदों का निर्यात बढ़ाने के लिए की जाती है।

पर्यटन केन्द्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता

2576. डा० वसंत निवरुत्ति पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पर्यटन केन्द्रों में जीवन-निर्वाह पर अधिक व्यय को देखते हुए वहां

कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन पर्यटन केन्द्रों में जीवन-निर्वाह पर बढ़ते व्यय से पार पाने के लिए सरकार का इन कर्मचारियों को किस रूप में मदद देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सामान्य) (आधार 1960=100) के बाहर महीनों के औसत में 608 के औसत सूचकांक से अधिक की प्रतिशत वृद्धि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। विभिन्न वेतन समूहों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें देश में सभी स्थानों पर समान हैं और वे किसी स्थान विशेष में जीवन निर्वाह के अधिक या कम व्यय पर निर्भर नहीं करती हैं । उपर्युक्त को देखते हुए, पर्यटन केन्द्रों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस समय की स्वीकार्य दरों से अधिक पर प्रतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के भड़ौच जिले में सी० सी० आई० एण्ड ई० के उप-कार्यालय की स्थापना

[हिन्दी]

2577. श्री चन्दू भाई देशमुख :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के भड़ौच जिले में, जहां विभिन्न उद्योग स्थापित किए गए हैं और जिनके उत्पादों का विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है, सी० सी० आई० एण्ड०ई० का उप-कार्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय तकनीकी सहयोग

[अनुवाद]

2578. श्री रमेश चन्निथला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को वित्तीय-तकनीकी सहयोग के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने आवेदन पत्रों को अपनी स्वीकृति दी है; और

(ग) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक

को 30.11.1991 तक कुल 183 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 130 आवेदन निपटा दिए गए हैं। अनुमोदित 'मामलों' में कुल विदेशी निवेश की राशि 373.52 लाख अमरीकी डालर है।

बंगलौर-कोयम्बटूर-रोड को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

2579. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्से :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वोहरा पैनल से बंगलौर-कोयम्बटूर रोड को बरास्ता मैसूर और नन्जानगुड-ऊटी रोड को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात गृह प्रमाण-पत्रों का नवीकरण

2580. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

क्या वाणिज्य मन्त्री 4 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987, 1988, 1989 को जिन निर्यात गृह प्रमाण-पत्रों की अवधि समाप्त हो गयी थी उनके नवीकरण हेतु 1989-90 के दौरान प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों को मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) इस अवधि के दौरान इनमें से कितने मामलों को रद्द कर दिया गया और कितने मामले निपटान हेतु लम्बित हैं; और

(ग) कितने मामलों पर अपील कर दी गयी है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुंगेर बन्दूक कारखाना

[हिन्दी]

2581. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुंगेर बन्दूक कारखाने में बन्दूक परीक्षण केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस कारखाने में पिस्तौलों और रिवाल्वरों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) मुंगेर बन्दूक कारखाना एक निजी इकाई है जो कि 1956 में घोषित औद्योगिक नीति संकल्प के पूर्व भी अस्तित्व में थी। यद्यपि इस नीति के अनुसार शस्त्रों एवं गोला-बारूद का निर्माण सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है फिर भी जो इकाइयां 1956 में घोषित औद्योगिक नीति संकल्प जारी किए जाने के पहले से अस्तित्व में थीं उन्हें विभिन्न शर्तों के अन्तर्गत निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी। एक शर्त यह थी कि इन इकाइयों में रिवाल्वरों/पिस्तौलों, राइफलयुक्त शस्त्रों और उनके गोला-बारूद का निर्माण नहीं किया जाएगा। उनको केवल नालमुख भरण/बीच भरण बन्दूकों, खाली फायर और सजीव कारतूसों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1991 में उद्घोषित परिशोधित नीति में भी इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

2. सरकार का मुंगेर बन्दूक कारखाने में जांच केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस इकाई में निर्मित आग्नेयास्त्रों की जांच पश्चिम बंगाल के ईशापुर में रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रूफ/जांचगृहों में पहले से ही की जा रही है।

रेल से माल की ढुलाई द्वारा कर अपवंचना

[अनुवाद]

2582. श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिनियम, 1989 में रेल द्वारा ढोये गए माल के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 में नियत विभिन्न शर्तों को लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि अधिनियम के इन प्रावधानों का सड़क द्वारा ढोये गए माल के मामले में कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कम्पनियों द्वारा रेल से माल ले जाकर किए गए कर अपवंचना के इस पक्ष पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार कर अपवंचना की इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रेल द्वारा माल की ढुलाई से तथाकथित बिक्री कर अपवंचन पर फरवरी, 1989 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस समस्या के अध्ययन और उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत

2583. श्री के० वी० आर० चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : आंध्र प्रदेश में हाल ही की बरसात और बाढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों को हुई क्षति की तत्काल मरम्मत करने के लिए 40.00 लाख रु० की राशि पहले ही तदर्थ आधार पर जारी की जा चुकी है।

केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में सड़कों का निर्माण

[हिन्दी]

2584. श्री राम टहल चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मानदण्ड है;

(ख) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में 1991-92 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मोटे तौर पर मानदण्ड निम्न प्रकार है। अर्थात् :—

(I) सीधे संचार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्तर्राज्यीय सड़कें/पुल;

(II) उन नये क्षेत्रों को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल जिन तक निकट भविष्य में रेलवे सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती; और

(III) ऐसी सड़कें/पुल जो तीव्र आर्थिक विकास में वास्तविक रूप से योगदान कर सकें अर्थात् पहाड़ी क्षेत्रों में और ऐसे स्थानों में जहां निकाले जाने के लिए पर्याप्त खनिज संसाधन हों।

(ख) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण हेतु किसी कार्य का अनुमोदन नहीं किया गया है।

(ग) बिहार में 1991-92 के दौरान कोई कार्य नहीं चल रहा है।

मणिपुर के लिए पृथक उच्च न्यायालय

[अनुवाद]

2585. श्री याइमा सिंह युमनाम :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मणिपुर में अलग से एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सिद्धांतत: यह निश्चय किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए पृथक-पृथक उच्च न्यायालय होने चाहिएं और प्रारम्भ में इन राज्यों की राजधानियों में, अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाने के पश्चात्, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठें स्थापित की जाएं। तदनुसार मणिपुर, इम्फाल में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित की जानी है, किन्तु यह तब जब राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, ऐसी न्यायपीठ के कार्य आरम्भ की तारीख प्रस्तावित कर दी हो।

रुपये का मूल्य

2586. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये का मूल्य घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में ही निरन्तर गिरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1970 को आधार वर्ष मानकर 1980-81 और 1990-91 के अन्त में रुपये का क्या मूल्य आंका गया है; और

(घ) विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में वर्ष 1970-71, 1980-81 और 1990-91 के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये की विनिमय दर क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1970=100) के व्युत्क्रम में मापित भारतीय रुपये का आंतरिक मूल्य क्रमश: 1980-81 के अन्त में 44 पैसे तथा 1990-91 के अन्त में 19 पैसे था। 1970-71, 1980-81 तथा 1990-91 के अन्त में विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य वह था जो नीचे सारणी में दिया गया है। रुपये के आंतरिक मूल्य में गिरावट से उपभोक्ता मूल्यों के स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि दिखाई देती है। अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में जहां रुपये का विनिमय मूल्य अनेक मुद्राओं से सम्बद्ध है, अन्य मुद्राओं की तुलना में बहुधा समायोजन किया जाना एक सामान्य स्थिति है।

विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की तुलना में रुपया

(मार्च के अन्त में)

मुद्रा	1970-71	1980-81	1990-91
अमरीकी डालर	7.502	8.190	19.620
पौंड स्टर्लिंग	18.132	18.379	34.051
ड्यूश मार्क	2.067	3.897	11.427
येन	0.021	0.039	0.139
फ्रेंच फ्रांक	1.361	1.552	3.373

विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखायें खोलना

2587. श्री पी० सी० चाको :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों को शाखा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय बैंकों को देश से बाहर विशेषकर खाड़ी देशों में बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में शाखा लाइसेंसिंग नीति में इस समय संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) खाड़ी के देशों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 11 शाखाएं हैं। इसके अतिरिक्त इन देशों में 7 विनिमय गृह हैं जिनका प्रबन्ध सरकारी क्षेत्र के बैंक करते हैं। खाड़ी के देशों में वर्तमान नेट-वर्क को पर्याप्त समझा जाता है।

भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड

2589. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाक एक्सचेंज के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड को क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं;

(ख) भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मर्चेन्ट बैंकर्स को अधिकार और बेची आवंटित करते समय यदि कोई मानदण्ड मार्ग निर्देश अपनाए जाते हैं, तो वे क्या हैं;

(ग) भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पूंजी मामलों और तत्सम्बन्धी गतिविधियों के प्रबन्धन करने के लिए अभी तक मर्चेन्ट बैंकरों और उन्हें प्राधिकृत की गई श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड के पास निकट भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे कार्यालय खोले जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन तथा निवेशकों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों पर कार्रवाई करता है। तदनुसार ही, अन्य बातों के साथ-साथ, स्टॉक एक्सचेंज से दैनिक रिपोर्टों के नियमित निरीक्षणों और जांच-पड़ताल के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड स्टॉक एक्सचेंजों के कार्यों को विनियमित करता है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकरों के प्राधिकरण के लिए मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ व्यावसायिक सम्पन्नता, पर्याप्त आधारभूत संरचना और कार्मिक, पूंजी की पर्याप्तता तथा पुराना रिकार्ड और अनुभव शामिल हैं। व्यापारिक बैंकरों का वर्गीकरण निवल मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड ने अब तक 86 व्यापारिक बैंकरों को प्राधिकृत किया है, जिसमें से 78 वर्ग I में तथा वर्ग-II और III में प्रत्येक में चार-चार हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) इस समय भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक नहीं समझा गया है।

इंग्लैंड को चाय का निर्यात

2590. श्रीमती बिल कुमारी भंडारी :

श्री पाला के० एम० वैय्यू :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान इंग्लैंड के साथ होने वाले चाय निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, नहीं। अप्रैल-अक्तूबर, 1991 के दौरान ब्रिटेन को 120.55 करोड़ रुपये (अनन्तिम) मूल्य की 21.40 मि० कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 105.32 करोड़ रुपये (अनन्तिम) मूल्य की 20.75 मि० कि० ग्रा० चाय का निर्यात किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्रिटेन में हमारे निर्यात को और बढ़ावा देने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल ही में एक उद्योग प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गया ब्रिटेन में दार्जिलिंग और असम लोगों अभियान और मूल्यवर्द्धित चाय संवर्धन जैसे अन्य संवर्द्धनात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं।

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतानों में विलम्ब

2591. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को दो-तीन वर्षों तक या इससे अधिक समय तक मुआवजा नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयदोल्ल टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाओं के दावों के निपटारे में विलम्ब हुआ है। विलम्ब के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं :--

1. अपर्याप्त स्टाफ।
2. दीवानी अदालती प्रक्रिया।
3. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करना।
4. प्रतिवादियों द्वारा लिखित विवरण भरना।
5. न्यायाधिकरण/याचिका दाताओं द्वारा मुद्दे तैयार करना।
6. साक्षियों की परीक्षा।
7. न्यायाधिकरण द्वारा साक्ष्य रिकार्ड करना।

(ग) राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों से दावा सम्बन्धी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

कपड़े और धागे का उत्पादन

2592. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान वर्ष 1988-89 की तुलना में धागे और कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति कितना कपड़ा उपलब्ध था;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वस्त्रों के निर्यात से कुल कितनी आय हुई;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और अधिक मात्रा में कोटा कपड़ा आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कपड़े और यार्न का उत्पादन निम्नोक्त अनुसार था :—

वर्ष	उत्पादन	
	यार्न (मिलियन कि० ग्रा० में)	कपड़ा (मिलियनवर्ग मीटर में)
1988-89	1786	18896
1989-90	1883	19434

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निम्नोक्त अनुसार थी :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (वर्ग मीटर में)
1989-90	19.86
1990-91	20.89

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 की अवधि के दौरान निर्यात से प्राप्त कुल आय निम्नोक्त अनुसार थी :—

वर्ष	निर्यात से आय (करोड़ रुपये में)
1989-90	6473.22
1990-91	8362.87

(घ) और (ङ) एन० टी० सी० द्वारा निर्मित कंट्रोल के कपड़े का वितरण एच०सी०सी०एफ०/एन० टी० सी० की फुटकर दुकानों/राज्य परिसंघों/राज्य सहकारी समितियों तथा एन० टी० सी० के प्राधिकृत फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जाता है। जहां तक जनता कपड़े का सम्बन्ध है जनता कपड़े के कुल उत्पादन का 85% सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा इसी प्रकार की अन्य अनुमोदित एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

भारतीय जहाजरानी निगम में भर्ती

2593. श्री जीवन शर्मा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री भारत जहाजरानी निगम में भर्ती के बारे में 27 दिसम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं०-168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस बीच मामले की छान बीन कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गए लोगों के खिलाफ क्या कार्य वाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि श्री जे० ए० काम्बले, श्री ए० जी० गोपाल कृष्ण नायर और श्री के० सी० नायर के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने इन तीन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए भारतीय नौवहन निगम लि० से स्वीकृति मांगी है। इन तीन व्यक्तियों में से श्री जे० ए० काम्बले और श्री ए० जी० गोपाल कृष्ण नायर भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारी थे । भारतीय नौवहन निगम ने विभागीय जांच के आधार पर इन दो व्यक्तियों की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी थीं । अत: भारतीय नौवहन निगम ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) को सूचित किया है कि इन दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने के लिए भारतीय नौवहन निगम द्वारा स्वीकृति दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक तीसरे व्यक्ति श्री के० सी० नायर का सम्बन्ध है, वह त्रिवेन्द्रम (केरल) में राजकीय विद्यालय में मुख्य अध्यापक हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की स्वीकृति केरल सरकार द्वारा दी जानी है।

कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

2594. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में कार्यरत 18 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2.83 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि शेष 5 ग्रामीण बैंकों को कुल मिलाकर 1.67 करोड़ रुपये का लाभ हुआ और परिणामत: समूचे राज्य में 1.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ।

(ख) कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के कई कारण हैं, जैसे कि ग्राहकों के चयन पर प्रतिबन्ध, कार्यक्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन,

खासकर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के लागू होने के पश्चात बढ़ती हुई स्थापना लागत आदि ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय कमजोरी की समस्या की जानकारी है और वे इन संस्थाओं को अर्थक्षम बनाने के लिए उपयुक्त वित्तीय उपाय तैयार करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं ।

निर्यातकों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का पंजीकरण एवं-सदस्यता प्रमाणपत्र

2595. प्रो० के० वी० थामस :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्य बनाना और "निर्यात-आयात पावती पत्र" अथवा अग्रिम लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए उनके पास वैध "पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाणपत्र" होना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रणाली को सरल बनाने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) इसके कारण निम्नानुसार हैं :—

(I) निर्यातक की पहचान सिद्ध करना ।

(II) निर्यात आंकड़े एकत्र करना ।

(III) निर्यातों के बारे में भविष्य का अनुमान लगाना ।

(ग) आयात और निर्यात नीति तथा क्रियाविधियों का प्रतिपादन एक सतत प्रक्रिया है । जब कभी भी आवश्यकता महसूस की जाती है, तब उपयुक्त शीघ्र उपाय किए जाते हैं ।

महाराष्ट्र में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करना

[हिन्दी]

2596. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने महाराष्ट्र में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: चालू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं जो बन्द पड़ी हैं और जिन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कार्य शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन मिलों को पुन: चालू करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1991 क महाराष्ट्र के 36 वस्त्र एककों को बी० आई० एफ० आर० में पंजीकृत किया गया था। निपटान स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) पुनर्वासन पैकेज अस्वीकृत किए जाने के कारण बताना सम्भव नहीं है। वास्तव में बी० आई एफ० आर० एक अर्द्ध न्यायिक संस्था है और यह रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अनुसार मामलों पर निर्णय करती है।

(घ) बी० आई० एफ० आर० के पास पंजीकृत बन्द/रुग्ण मिलों के मामले मे बोर्ड स्वयं मिलों की अर्थक्षमता का निर्धारण करता है और पुनरुद्धार के लिए पुनर्वासन पैकजों को तैयार करने के लिए प्रवर्तन एजेंसी नियुक्त करता है। विवरण में उल्लिखित मिलों को पुन: खोलने का संघ सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कम्पनी		निपटान
1	2	3
1.	नेशनल रेयन (8/87)	18 (4)
2.	कमला मिल्स (28/87)	वाईंडिंग अप नोटिस पेंडिंग
3.	पार्डन मिल्स (45/87)	न्यायालय के अस्थगन आदेश
4.	रघुवंशी मिल्स (70/87)	वाईंडिंग अप नोटिस
5.	सेठ इंडस्ट्रीज (71/87)	20 (1)
6.	लोकमान्या मिल्स (73/87)	20 (1)
7.	न्यू ग्रेट इस्टर्न स्पि० (144/87)	20 (1)
8.	राजा बहादुर मोती लाल (164/87)	18 (4)
9.	माधव नगर कोटन (208/87)	18 (4)
10.	साधना टैक्सटाइल्स (227/87)	मसौदा योजना
11.	स्वान मिल्स (254/87)	मसौदा योजना
12.	निरलोन लि० (293/87)	न्यायालय के अस्थगन आदेश
13.	फैन्सी कारपोरेशन (307/87)	18 (4)
14.	शारफ टैक्सटाइल्स मिल्स लि० (39/88)	रुग्ण रखाव योग्य नहीं
15.	एलडी वैलवेट (50/88)	18 (4)

1	2	3
16.	टेरीटैक्स निटिंग इन्डस्ट्रीज लि० (132/88)	17 (2)
17.	अलक लि० (205/88)	वाईंडिंग अप नोटिस
18.	सेठ वूलन्स (241/88)	मसौदा योजना
19.	एपरलेड वूलन मिल्स (277/88)	18 (4)
20.	अशोक सिल्क मिल्स (12/89)	रख रखाव योग्य नहीं
21.	एम० जी० एम० टैक्सटाइल्स (78/89)	सफलता नहीं मिली अतः पुन खोल दी गई
22.	लक्ष्मी विष्णु टैक्सटाइल्स मिल्स (121/89)	18 (4)
23.	इन्ड डेव एंड इनवट (124/89)	18 (4)
24.	पोगुल स्पि० मिल्स (127/89)	18 (4)
25.	खटूआ माकन्जी स्पि० एंड वि० (135/89)	जांचाधीन
26.	मध्यूलया मिल्स (150/89)	जांचाधीन
27.	बलवन्त टैक्सटाइल्स मिल्स लि० (165/89)	रख रखाव योग्य नहीं
28.	खन्ना रेयन्स इंडस्ट्र० (188/89)	जांचाधीन
29.	अम्बिका सिल्क मिल्स (13/90)	रख रखाव योग्य नहीं
30.	फेबाइन टैक्सटाइल्स (51/90)	जांचाधीन
31.	फेशनप्रिन्टस लि० (60/90)	रख रखाव योग्य नहीं
32.	जय भारत सिन्थेटिक्स (99/90)	जांचाधीन
33.	कुल्लाम टैक्सट्राजर्स (100/90)	रख रखाव योग्य नहीं
34.	न्यू विनोद सिल्क मिल्स (137/90)	जांचाधीन
35.	जे० बी० टैक्सटाइल इण्डं० (पी०) लि० (22/91)	जांचाधीन
36.	फीलोस टैक्सटाइल लि० (51/91)	जांचाधीन
37.	अल्पना टैक्सटाइल प्रोसिंग (64/91)	रख रखाव योग्य नहीं

18 (4) धारा 18 (4) के अधीन स्वीकृत योजना

17 (2) धारा 17 (2) के अधीन अनुमोदित कम्पनी की अपनी योजना

20 (1) वांइडिंग के लिए उच्च न्यायालय को सिफारिश की गई

महाराष्ट्र में वस्त्र श्रमिक निधि से वस्त्र श्रमिकों को सहायता

2597. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मिलों के श्रमिकों को वस्त्र श्रमिक पुनर्वास निधि में से राहत प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक मिलवार कितने श्रमिकों को राहत दी गई है? और उन्हें कितनी धनराशि दी गई है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31.10.1991 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 47 मिलों के बन्द होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) सरकार ने टी० डब्ल्यू० आर० एफ० एस० के अन्तर्गत केवल दो मिलों को राहत प्रदान की है जिनके नाम हैं :— (1) मैसर्स मोहेला टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज और (2) मैसर्स किशको मिल्स प्रा० लि०। मैसर्स मोहेला टैक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के 1127 कामगारों को 1,73,24,204 रु० तथा मैसर्स किशको मिल्स प्रा० लि० के 75 कामगारों को 13,477,696 रु० का भुगतान किया जा चुका है।

कपड़ा मजदूर कोष से कपड़ा मजदूरों द्वारा ली गई सहायता की वापसी

2598. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बन्द कपड़ा मिलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और उनके मजदूर भी कपड़ा मजदूर पुनर्वास कोष से अन्तरिम सहायता मिलने के बाद अपने काम पर आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मिलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनको दी गई सहायता को किस्तों में वसूल करने अथवा सम्बन्धित मिलों से वसूल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) केवल दो मिलों को ही अर्थात (1) मैसर्स नगारी मिल्स कम्पनी लि०, अहमदाबाद और (2) मैसर्स पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स, बड़ौदा को क्रमशः 1-9-1990 तथा 10-8-1991 को दोबारा खोला गया है। तथापि, मैसर्स पी० जी० टैक्सटाइल मिल्स ने वास्तविक रूप से कार्य करना शुरू नहीं किया है क्योंकि उसमें सफाई का कार्य प्रगति पर है। मैसर्स नगारी मिल्स के 574 कामगार को दोबारा रोजगार पर रखा गया है जिनमें वे कामगार भी शामिल है जिनमें वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के अन्तर्गत राहत प्रदान की गई है।

(ग) वितरित की गई राशि को कामगारों अथवा मिल्स से वसूल करने से सम्बन्धित मामले की जांच नहीं की गई है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में बैंकों द्वारा ऋण वसूली के लंबित मामले

[अनुवाद]

2599. **श्री बे० शोभना राव :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदि को मंजूर किए गये ऋण की बहुत बड़ी राशि की वसूली के अनेक मामले न्यायालयों में गत कई वर्षों से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इनमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 30 सितम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सम्बन्धित वसूली मामलों में 15,33,378 मुकदमे दर्ज किए गए थे जिसमें 5,623.64 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

सरकारी क्षेत्र के बैंक उधारकर्ताओं/गारंटीदाताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तभी शुरू करते है जब बकाया वसूली करने के उनके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। गहन निगरानी और आवधिक पुनरीक्षा द्वारा बैंक अपने वसूली मुकदमे में प्रभावशाली ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई करते है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अधिक के कठिन और पेचीदा प्रश्नों वाले मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में अपने पूर्ण कालिक कानूनी अधिकारी की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है। मुकदमे की कार्रवाई करने के साथ-साथ बैंक को जहां कहीं संभव होता है समझौता प्रस्तावों को प्रोत्साहित करते है। भारतीय बैंक संघ ने भी सदस्य बैंकों को बकाये के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालतों में जाने की सलाह दी है।

ईरान में संयुक्त परियोजनाओं को स्थापित करना

2600. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरान में कुछ संयुक्त परियोजनाओं को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सरकार के पास फिलहाल ईरान में संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। तथापि,

हाल ही में भारत-ईरान के संयुक्त आयोग के पांचवें अधिवेशन के समापन पर, दोनों पक्ष, तीसरे देश के बाजारों के लिए संभाव्यताओं सहित संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का पता लगाने और औद्योगिक एवं अन्य परियोजनाओं और अधिक सहयोग देने के लिए सहमत हुए है।

विदेशी इक्विटी के आधार पर स्वामित्व प्राप्त कम्पनियां

2602. श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी इक्विटी के आधार पर स्वामित्व प्राप्त कम्पनियों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें 31 अक्टूबर, 1991 को 40 प्रतिशत शेयर विदेशियों के थे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एंगराजन, कुमारमंगलम) : (क) 31.3.1990 तक लाभांश का भुगतान करने वाली 229 कम्पनियां थी जिनके पास 40 प्रतिशत से कम विदेशी इक्विटी का स्वामित्व था। इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी के स्वामित्व वाली 102 कम्पनियां थीं। 40 प्रतिशत से कम विदेशी इक्विटी के स्वामित्व वाली लाभांश का भुगतान न करने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) 30 जून, 1991 को विदेशियों द्वारा धारित 40 प्रतिशत से अधिक शेयरों वाली कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम
1	2
1.	एन्वस कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।
2.	अपोलो चेन जिप्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	अर्क इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मद्रास
4.	असम कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता
5.	आसाम फ्रन्टियर टी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता
6.	एटिक इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, अतुल
7.	एडको इंडिया लिमिटेड, बम्बई
8.	बी० ए० एस० एफ० (इंडिया), लि० बम्बई

1	2
9.	बेअर इंडिया लिमिटेड, बम्बई
10.	बंगाल सिन्न (इन्डस्ट्रियल फनेन्स) लिमिटेड, कलकत्ता
11.	ब्रेम्स इंडिया लिमिटेड, मद्रास
12.	बुकाऊ वुल्फ इंडिया लिमिटेड, पुणे
13.	क्लोराइड इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
14.	सिमेन्डिया कम्पनी लिमिटेड,कलकत्ता
15.	कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड, सिकन्द्राबाद
16.	क्रेजीमोर प्लानटेशन्स इंडिया लिमिटेड
17.	दार्जिलिंग प्लानटेशन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता
18.	डुम डुमा इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
19.	ड्रेटोन ग्रीव्स लिमिटेड, बम्बई
20.	ई० हिल एंड कम्पनी प्रा० लि०, मिरजापुर
21.	एम्पायर प्लानटेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता
22.	इंगलिश इलैक्ट्रीक कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास
23.	इन्नौर फाउन्ड्रीज लिमिटेड, मद्रास
24.	ऐवरेस्ट बिल्डींग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नई दिल्ली (पूर्व एस्बेस्टोस सिमेंन्ट क० लि०)
25.	आयर स्मेल्टिंग प्रा० लिमिटेड, कलकत्ता
26.	फ्लैक्ट इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता (पूर्व एस० एफ० इंडिया लिमिटेड)
27.	फ्लेन्डर मैकनाइल गिअर्स लिमिटेड, कलकत्ता
28.	फिक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद
29.	गेनन नार्टन मेंटल एंड डायमंड डाइज लिमिटेड, बम्बई
30.	झलानी टूल्स (इंडिया) प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली
31.	जनरल इलैक्ट्रीक कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
32.	जार्ज विलियमसन आसाम लिमिटेड, कलकत्ता
33.	गुजरिक ग्रुप लिमिटेड, कलकत्ता
34.	गुड इयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

1	2
35.	ग्रीवज फोसेको लिमिटेड, बम्बई
36.	ग्रोज बेकर्ट सेवो लिमिटेड, चंडीगढ़
37.	गेस्ट कीन विलियम्स लिमिटेड, हावड़ा
38.	हेन लेहमेन (ई) लिमिटेड, कलकत्ता
39.	हिन्दुस्तान डोर आलिवर लिमिटेड, बम्बई
40.	हिन्दुस्तान फोरोडो लिमिटेड, बम्बई
41.	हिन्दुस्तान गम एंड कैमिकल्स लिमिटेड, भिवानी
42.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई
43.	आई० सी० आई० इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता
44.	इंगरसोल रैंड (ई) लिमिटेड, बम्बई
45.	जानसन एंड जानसन लिमिटेड, बम्बई
46.	जोकई (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता
47.	किर्लोस्कर क्युमिन्स लिमिटेड, पुणे
48.	एल० एम० वैन मोपेस डायमंड टूल्स इंडिया लिमिटेड, कुनूर
49.	लक्ष्मण आइसोला लिमिटेड, बंगलौर
50.	लुकास टी० वी० एस० लिमिटेड, मद्रास
51.	महिन्द्रा सिंटर्ड प्रोडक्ट्स लि०, पुणे
52.	माखचा प्रोपर्टीज लि०, कलकत्ता
53.	मैटालिक्स इंडिया लि०, कलकत्ता
54.	मोरन टी कम्पनी (आई) लि०, कलकत्ता
55.	मोटर इंडस्ट्रीज क० लि०, बंगलौर
56.	एन० जी० ई० एफ० ए० एस० जी० इंजीनियरिंग क० लि०
57.	नोरिडिया लि०, बम्बई
58.	नोरसजी वाडिया एंड सन्स प्रा० लि०, बम्बई
59.	ओ० ई० एम० इंडिया लि०, कोचीन
60.	ओटिस इलेवेटर क० (आई०) लि० बम्बई

1	2
61.	पक्षतैनी तेजापाटी क० (आई०) प्रा० लि०, अमृतसर
62.	प्लासर इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली
63.	पोरिट्स एंड स्पेंसर (एशिया) लि०, नई दिल्ली
64.	रोचे प्रोडक्ट्स लि०, बम्बई
65.	एस० के० एफ० बालबियरिंग्स इंडिया लि० (पहले एसोसिएटिड बियरिंग क० लि०)
66.	सैंडोज (इंडिया) लि०, बम्बई
67.	सांदत्रिक एशिया लिमिटेड, पुणे
68.	संसार मशीन्स लि०, नई दिल्ली
69.	सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, रानावर
70.	श्रादेर स्कोविल इंकन लि०, बम्बई
71.	सीमन्स इंडिया लि०, बम्बई
72.	सिंगलो (इंडिया) टी० कम्पनी लि०, कलकत्ता
73.	स्पाइरेक्स मार्शल लि०, पुणे
74.	स्टेवर्ट हाल (इंडिया) लि,० कलकत्ता
75.	स्टोन इंडिया लि०, कलकत्ता (भूतपूर्व स्टोन प्लाट इलेक्ट्रिकल इंडिया लि०)
76.	टी० इस्टेट्स इंडिया लि०, कूनूर
77.	टोयो इंजीनियरिंग इण्डिया लि०, नई दिल्ली
78.	ट्रैक्टर इंजीनियर्स लि०, बम्बई
79.	त्रिवेणी टिशूज लि०, कलकत्ता
80.	उषे इण्डिया लि०, बम्बई
81.	यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि०, कलकत्ता
82.	वारेन टी कम्पनी लि०, कलकत्ता
83.	वीडिया इण्डिया लि०, बंगलौर
84.	इण्डियन जेरोग्राफिक सिस्टम्स, बम्बई
85.	टेक्साज इन्ट्रूमेंट्स (इण्डिया) प्राइवेट लि०, बंगलौर

1	2
86.	सिटीकाप्स ओवरसीज साफ्टवेयर लि०, बम्बई
87.	चेरोक्स (इण्डिया) प्रा० लि०
88.	टंडन मोटर्स प्राइवेट लि०
89.	मिडको होल्डिंग्स (प्रा०) लि०
90.	हेजिनेयर इलोन कांक्ला लि०
91.	अल्ट्रा टेक डिवाइसेज प्राइवेट लि०, बम्बई
92.	डायनाकाम्प (आई०) प्राइवेट लि०
93.	पफर्ड टूल्स प्राइवेट लि०
94.	सिलीकान वैली टेक्नालोजी (आई०) लि०
95.	साउथ इण्डिया रिफ्रैक्टोरीज प्राइवेट लि०
96.	इण्डीयूस्क स्काटन प्राइवेट लि०
97.	टाटा क्लाकनर इन्डस्ट्रीयल प्लांट्स लि०, बम्बई
98.	जी० ई० सी० पावर इन्जीनियरिंग सर्विसेज आफ इण्डिया
99.	बियोरिल (इण्डिया) प्राइवेट लि०
100.	होवानस इण्डिया लि०
101.	रेडिएशन टेक्नालाजीस (आई०) प्रा० लि०
102.	प्रदीप फास्फेट्स लि०
103.	कारविल सीड्स इण्डिया लि०

कश्मीर घाटी में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में कर्मचारियों की भर्ती

2603. श्री राम नाईक :

क्या वित्त मंत्री 2 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 1367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर घाटी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उन पदों की संख्या और उनके पद-नाम क्या हैं, जिनके लिए विशेष भर्ती की गई है, नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं और कितने व्यक्तियों ने वास्तव में अब तक कार्यभार ग्रहण कर लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : कश्मीर घाटी में, भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में लिपकीय संवर्ग की नियुक्ति के लिए विशेष भर्ती की गई थी। बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों के आवंटन/भेजे गए नियुक्ति प्रस्ताव आदि की

संख्या नीचे दी गई है :--

	भारतीय स्टेट बैंक	पंजाब नेशनल बैंक
स्टाफ चयन आयोग द्वारा आबंटित अभ्यर्थियों की संख्या	338	33
उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए	319	33
उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने कार्य-भार सम्भाला	299	32
उन अभ्यर्थियों की संख्या, जिन्होंने कार्य-भार सम्भालने से इनकार किया	2	—
उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें विलम्ब से कार्यभार संभालने के लिए समय दिया गया	2	—

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य समायोजन फार्मूले को लागू करना

2604. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

क्या वस्त्र मन्त्री 26 जुलाई, 1991 के अतरांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेकेदार ठेके मूल्यों का संशोधन लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार पर न चाहकर भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य समायोजन फार्मूले के आधार पर करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) क्या सिविल निर्माण ठेकेदारों को कार्य पर लगाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य समायोजन फार्मूले का अनुसरण कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मसले को हल करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। एक ठेकेदार जिसे कि एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी० ए० बी० एंड ओ०) लि० के अन्तर्गत एक एकक अर्थात् बंगाल फाइन स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल नं० 2 में सिविल कार्य का ठेका दिया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के मूल्य समायोजन फार्मूले के आधार पर ठेके के मूल्यों में संशोधन करने की मांग कर रहा है।

(ख) और (ग) जहां तक एन० टी० सी० का सम्बन्ध है लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी नीति सम्बन्धी मार्ग सिद्धांतों के अनुसार सिविल कार्य की संविदाओं के सम्बन्ध में मूल्य बढ़ाने की स्थिति में लोक निर्माण विभाग के फार्मूले का अनुसरण किया जा रहा है। चूंकि ठेकेदार कार्य को पूरा करने का इच्छुक नहीं था इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए वर्ष 1989 में उसका ठेका समाप्त कर दिया।

सियाचिन क्षेत्र में सैनिकों का कल्याण

2605. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 नवम्बर, 1991 के "इंडियन एक्सप्रेस" (नई दिल्ली संस्करण) में "सियाचिन-नेचर इज प्राइम एनिमी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सैनिकों के लिए पर्याप्त राशन और सुविधाएं उपलब्ध करा कर इतनी ऊंचाई तथा इतने कठिन क्षेत्र में उनके कल्याण की देखरेख के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) सरकार सियाचिन क्षेत्र में तैनात हमारे सैनिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। कड़ाके की सर्दी से इन सैनिकों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए वहां सभी किस्म के अपेक्षित वस्त्रों और उपस्करों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। सैनिकों को उच्च कैलोरी वाला विशेष आहार दिया जाता है। कड़ी सर्दी वाले ऐसे क्षेत्र में लम्बे समय तक की तैनाती से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वहां सैनिकों की तैनाती अधिक से अधिक छः महीने के लिए की जाती है और उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर हताहत सैनिकों को वायु-यान से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाती है।

1 मई, 1991 से, सियाचिन भत्ते के रूप में, अफसरों के लिए 900/रु० प्रति माह और अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को 600/-रु० प्रति माह की दर से विशेष भत्ते की मंजूरी दी गई है।

आय कर की वसूली

2606. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों, व्यक्तियों, पब्लिक लिमिटेट कम्पनियों और अन्यों के नामों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध 1 नवम्बर, 1991 को एक करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि का आय कर बकाया था; और

(ख) इसे वसूल करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मंत्रालय के पास समूचे देश के ऐसे मामलों के बारे में उपलब्ध नवीनतम सूचना दिनांक 30 जून, 1991 की स्थिति पर आधारित हैं, जिनकी तरफ एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की आय-कर मांग बकाया है। उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों की संख्या 667 थी। इन मामलों का विवरण संलग्न है।

(ख) बकाया-कर की वसूली के लिए आय-कर कानून के अधीन अनुमत्य कार्यवाही करने के

अलावा कर-बकाया की वसूली के निमित्त निरंतर समुचित प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं। विधायी कार्यवाहियों में ये शामिल हैं :—अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाना, बैंक खातों, ऋणों आदि को कुर्क करने के लिए गार्निशी आदेश जारी करना, कर-वसूली अधिकारियों द्वारा कर-वसूली विवरण-पत्र तैयार करना ताकि वे परिसम्पत्तियों को कुर्की/बिक्री के माध्यम से वसूली कर सकें, चूककर्ता की सम्पत्ति की प्रबन्ध-व्यवस्था के लिए प्रापक नियुक्त करना, समुचित मामलों में चूककर्त्ताओं को गिरफ्तार करना आदि। प्रशासनिक तौर पर, बकाया मांगों में कमी लाने के लिए कार्य-योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा वसूली की प्रगति पर विविध स्तरों पर निगरानी रखी जाती है। कर-निर्धारण अधिकारियों के लिए इन मामलों के बारे में डोजियर रिपोर्टें भेजनी भी अपेक्षित होती हैं, जिनमें करों की वसूली में हुई प्रगति का उल्लेख करना होता है। इन रिपोर्टों की समीक्षा आय-कर आयुक्त तथा उससे उच्च स्तर पर की जाती है। चूंकि मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है, इसलिए अपीलों का शीघ्र निपटान करने के लिए भी उपाय किए गए हैं।

विवरण

टिप्पणी : इस सूची में निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग किया गया है :

1.	आ० कर आ०	—	आयकर आयुक्त
2.	आ० कर आ० (से०)	—	आयकर आयुक्त (सेन्ट्रल)
3.	आ० कर नि०	—	आयकर निदेशक
4.	बम्बई न०	—	बम्बई नगर
5.	प० बं०	—	पश्चिम बंगाल
6.	आं० प्र०	—	आन्ध्र प्रदेश
7.	कं०	—	कम्पनी
8.	व्य० समू०	—	व्यक्तियों का समूह
9.	पं० फर्म	—	पंजीकृत फर्म
10.	अ० पं० फर्म	—	अपंजीकृत फर्म
11.	व्यष्टि	—	व्यष्टि
12.	हि० अ० परि०	—	(हिन्दू अविभाजित परिवार)

क्र० सं०	आयकर आ० प्रभार	कर-निर्धारिती का नाम	हैसियत
1	2	3	4
1.	गुजरात-I	गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड	कं०
2.		रुस्तम मिल्स एंड इंड० लि०	कं०

1	2	3	4
3.		मेहसाणा जिला कोआप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड	व्य० समू०
4.		विस्लेरी बिवरेजेज प्रा० लि०	कं०
5.		दि अहमदाबाद मैन्यू० एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कं० लि०	कं०
6.		मैसर्स वासानी वायर प्रोड० प्रा० लि०	कं०
7.		पोली स्टील इंडिया लि०	कं०
8.		मैसर्स न्यू इंडिया बिजनेस हाउस	पं० फर्म
9.		ट्राइसन्स कैमि० इंड० प्रा० लि०	कं०
10.	गुजरात-III	श्री एच० आर० त्रिवेदी	व्यष्टि
11.		श्री सुशील कुमार जालान	व्यष्टि
12.		श्री राम पुरुषोत्तम जी० अग्रवाल	व्यष्टि
13.		श्री आर० एन० शराफ	व्यष्टि
14.	बड़ौदा	इंडियन पेट्रो केमि० का० लि०	कम्पनी
15.	गुजरात-II	अल्कापुरी इन्वे० (प्रा०) लि०	कं०
16.		श्री एन० आई० अटेल तथा अन्य	व्य० समू०
17.		ओपेक इना० लि०	कं०
18.		साराभाई प्रा० लि०	कं०
19.		नारायण भाई आई० पटेल	व्यष्टि
20.		श्री नारायण भाई आई० पटेल	हि०अ०फ़रि०
21.		प्रवीण प्रकाश कैमिली ट्रस्ट	न्यू० समूह
22.		श्री अम्बा लाल वालदास पटेल	व्यष्टि
23.		श्री जीवन भाई ए० पटेल	व्यष्टि
24.		श्री मोहम्मद अख्तर हुसैन उर्फ कादर अहमद भट्टी	व्यष्टि
25.		श्री हरीश पोपटलाल प्रजापति	व्यष्टि
26.	सूरत	श्री कान्तिलाल एम० मारी	व्यष्टि

1	2	3	4
27.		श्री वी० सी० शराफ	व्यष्टि
28.		मैसर्स भारत विजय कंस० कं०	कं०
29.		मैसर्स जे० जे० कारपो०	प० फर्म
30.		श्री देवीलाल जी० शाह	व्यष्टि
31.		श्री शान्तिलाल एण्ड सुपारीवाला	व्यष्टि
32.		सूरत टैक्सटा० मार्किटा कोआ० सोप्स एण्ड वेयर हाउसिंग सोसा० लिमिटेड	व्यू समूह
33.	सूरत	के० के० झावेरी	व्यष्टि
34.	राजकोट	श्री पोपटलाल कान्जी सेलानी	व्यष्टि
35.		श्री दिलीप कुमार हंसराज प्रोप० आफ बराई आयल इंड०	व्यष्टि
36.		श्री ज्योजिन्द्र सिंह जी आफ गोन्दान	व्यष्टि
37.		सनराइज टाइल्स (प्रा०) लिमिटेड	कं०
38.		श्री राजेन्द्र नानालाल कटारिया	व्यष्टि
39.		श्री हाजीहाजी इस्माइल सुभानिया	व्यष्टि
40.		श्री डी० एन० दोसानी	व्यष्टि
41.		स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	कं०
42.		श्री अनूप चन्द एम० शाह	व्यष्टि
43.		श्री अनूप चन्द चुन्नी लाल सांघवी	व्यष्टि
44.	कर्नाटक-I	श्री वासुमल भगवानदास	हि०अ०परि०
45.		श्री वासुमल भगवानदास	व्यष्टि
46.		मैसर्स हेगड़े एण्ड मांसे लि०	कं०
47.		श्री वी० टी० शंकर हेगड़े	व्यष्टि
48.		मैसर्स रेवा जीतू बिल्ड०	पं० फर्म
49.		मैसर्स वी० एस० डेम्पो० एंड कं० (प्रा०)लि०	कं०
50.	कर्नाटक-II	श्री आर० पी० मैत्राणी	हि०अ०परि०
51.		एच० एम० टी० लि०	कं०

1	2	3	4
52.		एन० जी० ई० एफ० लि०	कं०
53.		दि बेलगाम जिला सेंट्रल कोआप० बैंक लि०	कं०
54.	कर्नाटक-III	सिंडीकेट बैंक	कं०
55.		डा० टी० एम० ए० पई फाउंडे०	व्य० समूह
56.		श्री ए० विश्वनाथ	व्यष्टि
57.		मैसर्स सतीश चन्द्र एण्ड कं०	पं० फर्म
58.		श्री के० सतीश चन्द्र हेगड़े	व्यष्टि
59.		श्री माइकल फर्नान्डीज	व्यष्टि
60.		मैसर्स नारायणस्वामी एण्ड संस	पं० फर्म
61.		मैसर्स तिरुमाला ट्रेडर्स	पं० फर्म
62.	जोधपुर	श्री धोकूमल सी० चिरमानी	व्यष्टि
63.		मैसर्स भागीरथ एण्ड ब्रदर्स	व्यू० समूह
64.		कल्याण सोलवेन्ट एक्सट्रे० लि०	कं०
65.		नन्दलाल भंडारी एण्ड संस (प्रा०) लि०	कं०
66.		मैसर्स पीताम्बर दास दुलीचन्द	पं० फर्म
67.		जोधपुर सुगर मिल्स लि०	कं०
68.		मैसर्स द्वारका दास घासी राम	हि०अवि०परि०
69.	जबलपुर	मैसर्स सूरत सिंह ढिल्लो एण्ड कं०	पं० फर्म
70.	बम्बई न०-I	मैसर्स राम कुमार जालान	पं० फर्म
71.		टटा संस लि०	कं०
72.		इंडियन होटल्स कं० लि०	कं०
73.		इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स (प्रा०) लि०	कं०
74.		टेल्को	कं०
75.		टाटा पावर कं० लि०	कं०
76.		आन्ध्र वेली टावर	कं०
77.		टाटा हाइड्रो इलै० पावर सप्लाई कं०	कं०

1	2	3	4
78.		टाटा आयरन एंड स्टील कं०	कं०
79.		मैसर्स मदन लाल एण्ड कं० (प्रा०) लि०	कं०
80.		श्री एस० एम० शाह	व्यष्टि
81.		वेस्टर्न इंडिया स्पी० एंड वी० कं० लि०	कं०
82.		पूना इर्ल० एंड कं० लि०	कं०
83.		मैसर्स कनोडिया ब्रदर्स	पं० फर्म
84.		स्व० श्री महाबीर प्रसाद कनोडिया	व्यष्टि
85.		कमल विजय प्रोडक्शन	पं० फर्म
86.		स्व० श्री सायाजी राव पी० गायकवाड़	व्यष्टि
87.		मधु सूदन गोवर्धन दास एंड कं०	पं० फर्म
88.		टाटा आयल मिल्स कं० लि०	कं०
89.		प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	कं०
90.		हिन्दुस्तान लिं० एंड वी० मिल्स लि०	कं०
91.		केदारयाच किशन चन्द (प्रा०) लि०	कं०
92.		बी० ए० एस० एफ० इंडिया लि०	कं०
93.		ट्रेडर्स (प्रा०) लि०	कं०
94.		चिराग इन्वेस्ट० एंड ट्रेडिंग (प्रा०) लि०	कं०
95.		लाना पब्लिसिंग कं० (प्रा०) लि०	कं०
96.		एल० एम० एल० फाइबर्स लि०	कं०
97.		वीडियोकोन इंटरनेशनल (इंडिया) लि०	कं०
98.		सचिन ट्रास० कं० (प्रा०) लि०	कं०
99.		वोल्टास लि०	कं०
100.		टाटा यूनीसेज लि०	कं०
101.		इंडियन सीविंग मशीन कं० लि०	कं०
102.		जोसी मेकर्स (आई०) प्रैमि०, कं० हाउसिंग सो० लि०	व्य० समूह

1	2	3	4
103.	बम्बई न०-II	इंडियन आयल कारपोरेशन लि०	कं०
104.		नेशनल आर्गेनिक केमि० इंडिया लि०	कं०
105.		माइको स्पेरी एस० पी० एं० कं०	कं०
106.		आदित्य फाइनैं० एंड इन्वे० इंडिया (प्रा०) लि०	कं०
107.		रमानन्द इन्वे० एंड ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि०	कं०
108.		प्लूटो एक्सपोर्ट एंड फन्स० लि०	कं०
109.		श्री डा० सी० बी० जैन	व्यष्टि
110.		मैसर्स शाह एंड कं०	पं० फर्म
111.		बकाउ वोल्फ (आई०) लि०	कं०
112.		हिन्दुस्तान लि० लि०	कं०
113.		जोली ब्रदर्स (प्रा०) लि०	कं०
114.		टी० बी० पटेल (प्रा०) लि०	कं०
115.		पारेख मार्किटिंग (प्रा०) लि०	कं०
116.		मैसर्स वाहरटोन पिलियम्स टेक्सर्स	कं०
117.		आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपो०	कं०
118.		मैसर्स रेक्सन ओ० वाई कम्पनी	कं०
119.		मजगांव डाक लि०	कं०
120.		मैसर्स सी० ई० इन्टरनेशनल इंक०	कं०
121.		हिन्दी ट्रेन कम्प्यूटर्स (प्रा०) लि०	कं०
122.	बम्बई न०-IX	नेशनल बिल्डिंग कारपो०	पं० फर्म
123.		श्री डी० डी० घई	व्यष्टि
124.		श्री वी० डी० घई	व्यष्टि
125.		श्री शान्ति लाल एम० कापड़िया	व्यष्टि
126.		मैसर्स इन्टरनेशनल एन्टरप्राइजेज	पं० फर्म
127.		श्री बी० एम० छेडा	व्यष्टि
128.		श्री एल० के० टाना	व्यष्टि

1	2	3	4
129.		श्री अब्दुल्ला गनी	व्यष्टि
130.		मोहन ठाकुर	व्यष्टि
131		मैसर्स खीरा मेहता शाह एंड एसो०	पं० फर्म
132.		मैसर्स उदय राज गोलीज	हि०अ०परि०
133.	बम्बई न०-XII	मैसर्स एम्सवर्डम बेलास्ट	कं०
134.		मैसर्स करन इम्पैक्स	हि०अ०परि०
		प्रो० श्री विनोद भाटिया	
135.		मैसर्स भाटिया इन्टरप्राइजेज	पं० फर्म
136.	बम्बई न०-III	मामनू होल्डिंक्स (प्रा०) लि०	कं०
137.		ओरसी होल्डिंक्स (प्रा०) लि०	कं०
138.		जितपान होल्डिंग्स (प्रा०) लि०	कं०
139.		वोमसी होल्डिंग्स (प्रा०) लि०	कं०
140.		स्टेट बैंक आफ इंडिया	कं०
141.		आई० सी० आई० सी० आई० लि०	कं०
142.		मैं० लिन्डे ए० जी०	कं०
143.		कैसल रॉक सी० फूड्स (प्रा०) लि०	कं०
144.		ओरके सिल्क मि० लि०	कं०
145.		आरसन इलेक्ट्रो० लि०	कं०
146.		महाराष्ट्र इलैक्ट्रोनिक्स कारपो०	कं०
147.		मातुश्री टैक्सटाइल्स लि०	कं०
148.		निहोन इलैक्ट्रोनिक्स लि०	कं०
149.		मैं० अमेरिकन द एक्सप्रैस बैंक	कं०
150.		डिपोजिट इन्श्यो० एंड क्रेडिट गारंटी कारपो०	कं०
151.		यूनियन बैंक आफ इंडिया	कं०
152.		एवन इन्वे० लि०	कं०
153.		बम्बई एक्सट्रेक्शन लि०	कं०

1	2	3	4
154.		बैंक्यू नेशनल डि० पेरिस	कं०
155.		सी० एम० सी० लि०	कं०
156.		डाई इचि करकोरिया लि०	कं०
157.		डुत्से बैंक ए० जी०	कं०
158.		श्री डी० एम० पवार	व्यष्टि
159.		डी० एस० पी० फाइनैन्शियल कंसल० लि०	कं०
160.		देना बैंक	कं०
161.		फ्रंट लाइन ट्रैस मटिरियल्स (प्रा०) लि०	कं०
162.		गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०	कं०
163.		गरवारे नाइलोन्स लि०	कं०
164.		गेलोर्ड इन्वे० एंड ट्रेडिंग कं० लि०	कं०
165.		जनरल इलैक्ट्रिक टैक्नीकल सर्विसेज कं० लि०	कं०
166.		कैडबरी इंडिया लि०	कं०
167.		हरबर्ट संस लि०	कं०
168.		इन्टरनेशनल प्लास्टिक एंड पाइप्स (प्रा०) लि०	कं०
169.		इन्टर टैक्नीक कंसलटेंस (प्रा०) लि०	कं०
170.		मुद्रा कम्युनिकेशन लि०	कं०
171.		मोती हीरा एंड कम्पनी	व०कं० फर्म
172.		मैडोना कमर्शियल (प्रा०) लि०	कं०
173.		मैटाजीन इंडिया लि०	कं०
174.		न्यू एरा फैब्रिक्स लि०	कं०
175.		प्रेरणा प्रेमिसेज (प्रा०) लि०	कं०
176.		पोयशा इंडस्ट्रियल कं० लि०	कं०
177.		सुजाता इलैक्ट्रोनिक्स लि०	कं०
178.		उड़े जी० एम० बी० एच० कं०	कं०
179.		यूनीक एस्टेट डेव० कम्प० लि०	कं०

1	2	3	4
180.		यूनिफेरो इन्टरनेशनल	कं०
181.		वर्धा प्लास्टिक्स (प्रा०) लि०	कं०
182.		वीडियोकोन एप्लायन्सेज लि०	कं०
183.		वेलमैन हिन्दुस्तान (प्रा०) लि०	कं०
184.		बैंक आफ क्रेडिट एंड कामर्स इन्टरनेशनल (ओवरसीज) लि०	कं० कं०
185.		जकारिया साहीद इम्पैक्स (प्रा०) लि०	कं०
186.	बम्बई न०-IV	सिगमा मेडिकल एंड रिसर्च सोसा० लि०	कं०
187.		वाणीलाल एक्सपोर्ट्स हाऊस (प्रा०) लि०	कं०
188.		ए० सी० सी० लि०	कं०
189.		जे० वी० बोडा एंड कं० लि०	कं०
190.		सीएट लि०	कं०
191.		क्लोकनर विन्डसर इंडिया लि०	कं०
192.		रेमण्ड्स ऊलन मिल्स लि०	कं०
193.		डायनर्स क्लब इंडिया (प्र०) लि०	कं०
194.		महिन्द्रा यूजीन एंड स्टील कम्पनी	कं०
195.		ओटिस एलीवेटर कं० (इ०) लि०	कं०
196.	बम्बई नं० VII	श्री सुरेन्द्र कुमार गर्ग	व्यष्टि
197.		श्री बनवारी लाल एच० जैन	व्यष्टि
198.		श्री सुधीर एम० जावेरी	व्यष्टि
199.		श्री इन्दरमल मानाजी	व्यष्टि
200.		मै० सुपर स्टार कं०	कं०
201.		श्री विजय कुमार एम० शाह	व्यष्टि
202.		श्री विश्वनाथ श्री शर्मा	व्यष्टि
203.		मै० नैनपत सी शाह एंड कं०	कं०
204.		श्री गिरधर जी शर्मा	व्यष्टि

1	2	3	4
205.	बम्बई नं० XI	मै० सिस्टम्स कम्युनिकेशन्स	कं०
206.		मै० छावड़िया एंटरनेशनल	व्य० समूह
207.		श्रीमती सतीश सौरी	व्यष्टि
208.		मै० शाई एन्टरप्राइजेज	ब०प० फर्म
209.		मै० शान्ति स्टार बिल्डर्स	व्य० समूह
210.		श्री जे० आर० मोटवानी	व्यष्टि
211.	बम्बई नं० V	मै० फ्रस्ट होस्टल्स	कं०
212.		पारेख ब्रदर्स	प० फर्म
213.		श्री आर० के० पारिख	व्यष्टि
214.		श्री एन०के० पारिख	व्यष्टि
215.		नामपाल स्टेनलैस स्टील लि०	कं०
216.		ओवरसीज चाइनीज कुशन (प्रा०) लि०	कं०
217.		एकवेरियर्स एजेंसीज (प्रा०) लि०	कं०
218.		एमोर टैक्स एजेंसीज (प्रा०) लि०	कं०
219.		एवैक अलायज लि०	कं०
220.		हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	कं०
221.		बैरन इंजी० कं० (प्रा०) लि०	कं०
222.		सडोज इंडिया लि०	कं०
223.		लोटस इलैक्ट्रोनिक्स (प्रा०) लि०	कं०
224.		इंचि प्रो० (प्रा०) लि०	कं०
225.		आडको इंडिया लि०	कं०
226.		मै० एक्सपो ट्रेडर्स	ब०प० फर्म
227.		जर्मन रेमडीज लि०	कं०
228.		अलसेल्ज (प्रा०) लि०	कं०
229.		ग्लैक्सो इंडिया लि०	कं०
230.		वन इलैक्स लि०	कं०
231.	बम्बई नं० VI	बूगीवरसल फैरो एंड एलायड केमि० लि०	कं०
232.		श्री एस० एन० कापड़िया	व्यष्टि

1	2	3	4
233.		मै० केबल कारपोरेशन इंडिया लि०	कं०
234.		मै० बी०आई०पी० इंड० लि०	कं०
235.		स्काटलाइन ट्रेडिंग लि०	कं०
236.		रचने बिल्डर्स (प्रा०) लि०	कं०
237.		मार्कसन ट्रेडिंग लि०	कं०
238.		महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपो०	कं०
239.		मथेर एंड प्लाट इंडिया लि०	कं०
240.		लेला स्काटिस लेस (प्रा०) लि०	कं०
241.		लक्ष्मीचन्द भागजी	कं०
242.		कापड़िया कम्स० कं० (प्रा०) लि०	कं०
243.		के० रहेजा कम्स० लि०	कं०
244.		जे०बी० टेक्सटाइल्स इंड० (प्रा०) लि०	कं०
245.		इंडियन रेयर अर्थ लि०	कं०
246.		इन्टरनेशन डाटा मैनेजमेंट कारपो०	कं०
247.		इंडियन स्मेलटिंग एंड रिफाइनिंग कं० लि०	कं०
248.		इंगरसोल रैंड (इ०) लि०	कं०
249.		हिन्दुस्तान प्रैडो लि०	कं०
250.		हिन्दुस्तान डार ओलीवर लि०	कं०
251.		केनन डंकरले एन्ड कं० लि०	कं०
252.		गोवर्धन इन्वे०कं (प्रा०) लि०	कं०
253.		ब्लू स्टार लि०	कं०
254.		बुश इन्डिया लि०	कं०
255.		श्री बी० पी० गोयनका	व्यक्ति
256.		मै० एसीयन डिस्ट्रीब्यूटर कं०	कं०
257.		बी० एम० ठाकुर एन्ड कं० (प्रा०) लि०	कं०
258.	बंबई नं० VIII	मै० जायकेम केमिकल्स एन्ड फार्मास्यू० इंड०	कं०
259.		मै० वलीज वॉय मोहम्मद	पं० फर्म

1	2	3	4
260.	बम्बई नं० X	श्री मनसुख लाल जगदा	व्यष्टि
261.		श्री जे० बी० रुमानी	व्यष्टि
262.		श्री भूपत राय के० सेठ	व्यष्टि
263.	प० बंगाल-I	मै० स्कलम बरगर सैन्को इंक०	कं०
264.		पीको इलेक्ट्रो० एंड इलैक्ट्रीकल्स लि०	कं०
265.		जी०ई०सी०आफ इंडिया लि०	कं०
266.		कास्मो स्टील लि०	कं०
267.		ओबेराय प्लाजा (प्रा०) लि०	कं०
268.		हिन्दुस्तानडेपलपमेंट कारपो० लि०	कं०
269.		निप्पन डैनरो स्पात लि०	कं०
270.		बजरंगबली इंजी० कं० लि०	कं०
271.		बैरंगगोर जूट फैक्ट्री पी०एल०सी०	कं०
272.		मशीनरी मैन्यू० कारपो० लि०	कं०
273.		सी०ई०एस०सी० लि०	कं०
274.		फ्लैक्ट इंडिया लि०	कं०
275.		इम्पीरियल कैमि० इंड०	कं०
276.		क्लोराइड इंड० लि०	कं०
277.		ब्रिटिश इंडिया स्टील्स लि०	कं०
278.		मै० डी० वी० सी०	कं०
279.	प० बंगाल-II	ब्रूक बांड इंडिया लि०	कं०
280.		वाशिंगटन पम्प इंडिया लि०	कं०
281.		रैलीज इंडिया लि०	कं०
282.		शिवनाथ टी कंपनी लि०	कं०
283.		मैकनील एंड मेजर लि०	कं०
284.		ए० तोस एंड संस (प्रा०) लि०	कं०
285.		मेजर देवदत्त	व्यष्टि
286.		गुडरिक ग्रुप लि०	कं०

1	2	3	4
287.		श्री आर० पी० अग्रवाल	व्यष्टि
288.		श्री जी० डी० अग्रवाल	व्यष्टि
289.		माकलबारी कनाय टी एस्टेट (प्रा०) लि०	कं०
290.		ईस्ट इंडिया कोल कं० लि०	कं०
291.		एन्ड्यूली एण्ड कं० लि०	कं०
292.	प० बंगाल-VIII	श्री हरिदास मुन्द्रा	व्यष्टि
293.		स्व० श्रीरामनाथ बजोरिया	व्यष्टि
294.		एस० बरकतउल्ला	व्यष्टि
295.	प० बंगाल-III	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	कं०
296.		इंडियन एल्यूमिनियम कं० लि०	कं०
297.		श्री चन्द्रनाथ बानिक	व्यष्टि
298.		कोहिनूर रबड़ वर्क्स (प्रा०) लि०	कं०
299.		न्यू टोबेको कं० लि०	कं०
300.		मै० जी०एस० अटवाल एन्ड कं० इंजी० (प्रा०) लि०	कं०
301.		ओबेराय होटल्स (प्रा०) लि०	कं०
302.		कैंप्रीहोम प्रो० लि०	कं०
303.		जयमैक इंडिया (प्रा०) लि०	कं०
304.		फेवरिटस्माल इन्वे० लि०	कं०
305.		जी० एस० अटवाल एन्ड कं० (आसनसोल)	पं० फर्म
306.		बंगाल सैम्प्स लि०	कं०
307.		रैमिंग्टन रेड आफ इंडिया लि०	कं०
308.		पीयरलैस जरनल फाईनेंस एण्ड इन्वे० कं० लि०	कं०
309.		तेजूमल (प्रा०) लि०	कं०
310.		ग्रेट इस्टर्न होटल अथारिटी	कं०
311.	प० बंगाल-IV	मै० संचयिता इन्वे०	प० फर्म
312.		मणपति एक्सपोर्ट्स लि०	कं०
313.		मै० आई०सी०आई० (इंडिया) लि०	कं०
314.		साइमन कार्व्स (इ०) लि०	कं०

1	2	3	4
315.		मेटल बाक्स (इ०) लि०	कं०
316.		शालीमार पेन्ट्स लि०	कं०
317.		मुरलीधर एंड कं० (एक्सपोर्ट्स) (प्रा०) लि०	कं०
318.		काबन उदजय लि०	कं०
319.		ब्रिटानिया इंड० लि०	कं०
320.		मै० हिन्द मैसवेनाइजिंग एंड इंजी० कं० लि०	कं०
321.		मै० राकिट एंड कोलमैन आफ इंडिया लि०	कं०
322.	प० बंगाल-X	मोतीलाल मालपाणी वैध उत्तराधिकारी स्व० श्री नन्दकिशोर मालपाणी	व्यष्टि
323.	प० बंगाल-V	देवी के इलै० इंड० लि०	कं०
324.		फिक्सन एंड कं० लि०	कं०
325.	प० बंगाल-VI	श्री हरिराम अग्रवाल	व्यष्टि
326.		श्री लक्ष्मीनारायण खेमका	व्यष्टि
327.		श्री विनोद कुमार चमारिया	व्यष्टि
328.		श्री रमेश कुमार अग्रवाल	व्यष्टि
329.	कोचीन	केरल एस्टेट सिविल सप्लाईज लि०	कं०
330.		मै० भगीरथ इंजी० कं० लि०	कं०
331.		श्री ई० के० चन्द्रसेनम	व्यष्टि
332.		श्री पी० बी० बसीर अहमद	व्यष्टि
333.	त्रिवेन्द्रम	मै० बी दि ट्रावनकोर इलेक्ट्रो केमि० लि०	कं०
334.		श्री आर० भारथन	व्यष्टि
335.		मै० मन्नार सूवर मिल्स कं० कोआप० लि०	व्य० समूह
336.		मै० जोसेफ माइकल एन्ड ब्रदर्स	प० फर्म
337.	दिल्ली-I	डा० जं० धर्मतेजा	व्यष्टि
338.		गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०	कं०
339.		एच०सी०एल० लि०	कं०
340.		अन्सल प्रोपर्टीज एन्ड इंड० लि०	कं०
341.		पीकाक केमिकल्स (प्रा०) लि०	कं०

1	2	3	4
342.		पी०एन०बी० फाइनेंस एन्ड इन्वे० कं० लि०	कं०
343.		अन्जीनैया कोल्ड स्टोरेज (प्रा०) लि०	कं०
344.		जी०ई०सी० एल्सथाम जनरेटर लि०	कं०
345.		श्री आर०एल० शर्मा मार्फत एस०सी० शर्मा एन्ड कं०	व्यष्टि
346.	दिल्ली-IV	मै० हरीशचन्द्र श्री गोपाल	प० फर्म
347.	दिल्ली-VI	श्री एस०एस० अहलुवालिया	व्यष्टि
348.	दिल्ली-VII	श्रीमती कामिनी सोंधी वैध उत्तराधिकारी	
		श्री एम० एल० सोंधी	व्यष्टि
349.		श्री जॉन थामस	व्यष्टि
350		मै० मारवाह एन्ड कं०	प० फर्म
351.		श्री पी० सी० गुप्ता	व्यष्टि
352.		श्री एस० एस० मारवाह	व्यष्टि
353.	दिल्ली-II	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल)	कं०
354.		नेशनल हाइड्रो इलै० पावर कारपोरेशन लि०	कं०
355.		बी०एच०ई०एल०	कं०
356.		एन०टी०पी०सी०लि०	कं०
357.		इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अथारिटी आफ इन्डिया लि०	कं०
358.		एसकोर्ट्स लि०	कं०
359.		एसकोर्ट्स टैक्टर्स लि०	कं०
360.		गोयट्ज (इन्डिया) लि०	कं०
361.		एल बोयोन प्लाईवुड लि०	कं०
362.		धरमसिंह रामसिंह (प्रा०) लि०	कं०
363.		मै० साहिबसिंह एजेन्सीज (प्रा०) लि०	कं०
364.		मै० साहिब सिंह मैन्यू० (प्रा०) लि०	कं०
365.		इन्डियन कम्यूनिकेशन्स नेटवर्क लि०	कं०
366.		महाराजन वूलन मिल्स (प्रा०) लि०	कं०
367.		मै० इलैक्ट्रीना वार्षा पोलैंड लि०	कं०
368.		मै० एयरो लेबर (प्रा०) लि०	कं०

1	2	3	4
369.		मै० आदित्य केमिकल्स लि०	कं०
370.		मै० मास्ट कं० (इन्डिया) (प्रा०) लि०	कं०
371.	दिल्ली-III	मोदी इन्डिया लि०	कं०
372.		रोजर एन्टरप्राइजेज (प्रा०) लि०	कं०
373.		श्री डब्लू०एन० चड्ढा	व्यष्टि
374.		भारत होटल्स लि०	कं०
375.		मोदी रबड़ लि०	कं०
376.		मोदी पौन लि०	कं०
377.		होंडा मोटर कं० लि०	कं०
378.		ज्योत्सना होल्डिंग (प्रा०) लि०	कं०
379.		बंसल एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लि०	कं०
380.		इन्जी० इं० लि०	कं०
381.		मै० साइनफाइबर सेल्स कारपोरेशन	पं० फ़र्म
382.		श्री ओ०पी० अरोड़ा	व्यष्टि
383.		मै० पशुपति वाटलर्स (प्रा०) लि०	कं०
384.		मै० एलनबरी एन्ड कं०	कं०
385.		पर्ल साइकल इंड० लि०	कं०
386.		भारत यूनियन एजेंसीज (प्रा०) लि०	कं०
387.		डालमिया जैन एयरवेज लि०	कं०
388.		मै० बी० जो० फाइनेंस एन्ड इंड० लि०	कं०
389.		नेशनल प्रोजेक्ट कारपो० लि०	कं०
390.		दिल्ली आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०	कं०
391.		कैम्पा बीवरेजेज (प्रा०) लि०	कं०
392.		एमको इंडिया इंक० कं०	कं०
393.		भारत एल्यूमिनियम कं० लि०	कं०
394.		आर०आर० होल्डिंग (प्रा०) लि०	कं०
395.		श्री रमेश सूरी	व्यष्टि

1	2	3	4
396.		मै० कन्सलटिंग इंजी० सर्विसेज (इंडिया) (प्रा०) लि०	कं०
397.		बुडविल इन्डिया लि०	कं०
398.		मै० एम० जी० एफ० इंडिया लि०	कं०
399.		मै० स्कीपर्स कन्सट्रक्शन कं०	कं०
400.		मै० गंगेश्वर लि०	कं०
401.	आंध्र प्रदेश-I	ए०पी० स्टेट इसेंसियल कमोडेटिज कारपो०	कं०
402.		डंकन टोबैको कम्पनी लि०	कं०
403.		ए०पी० स्टेट सिविल सप्लाई कारपो०	कं०
404.		नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपो० लि०	कं०
405.		इंडियन ओसन एक्सिपनेट्स (प्रा०) लि०	कं०
406.		इ०सी०आई०एल० लि०	कं०
407.		ए०पी० स्टील लि०	कं०
408.		सिंगरेनी कालरीज कं० लि०	कं०
409.		आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंसियल कारपो०	कं०
410.		ए०पी० स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपो०	कं०
411.	आन्ध्र प्रदेश-II	रुरल डवलपमेंट एडवाइजरी सर्विस	व्य० समूह
412.	गुन्टूर	श्री टी० बालाकृष्ण रेड्डी	व्यष्टि
413.		श्री मोपा शेष रेड्डी	व्यष्टि
414.	विशाखापत्तनम	आन्ध्र स्टील कारपो० लि०	कं०
415.	जयपुर	स्व० श्री बालकिशन टाक मार्फत वैध उत्तराधिकारी श्रीमती पुष्पादेवी टाक	कं०
416.		जयपुर उद्योग लि०	कं०
417.		ओम मेटल्स एन्ड मिनरल्स (प्रा०) लि०	कं०
418.		शराफ टेक्सटाइल्स मिल्स (प्रा०) लि०	कं०
419.	जोधपुर	मै० हिन्दुस्तान जिंक लि०	कं०
420.	कानपुर	रजा टेक्सटाइल लि०	कं०
421.		श्री वी० के० सहगल वैधउत्तराधिकारी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला रानी सहगल	व्यष्टि

1	2	3	4
422.		मै० पी०के० रबड़ इंड०	पं० फर्म
423.	बागपत	श्री डी० के० अग्रवाल	व्यष्टि
424.		श्री अशोक कुमार गोयल	व्यष्टि
425.	मेरठ	ओ०एन० जी० सी०	कं०
426.		मै० गिरिलाल मामचन्द	पं० फर्म
427.		सर शादीलाल एंटर प्राइजेज लि०	कं०
428.		ओ०एन०जी०सी०-मै० हुनदई हैवी इंड० के एजेन्ट रूप में	कं०
429.	लखनऊ	यू०पी० सड़क परिवहन निगम लि०	कं०
430.		मुरादाबाद सिनटेक्स लि०	कं०
431.		सहारा इंडिया लि०	व्यू० समूह
432.		मै० सहारा इंडिया	कं०
433.		यू०पी० स्टेट मिनीरल डेव०कारपो० लि०	व्यू० समूह
434.		यू०पी० स्टेट सूगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि०	कं०
435.		एकवेस्यू बिकट्अस्स (प्रा०) लि०	कं०
436.		हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम	व्य समूह
437.		मै० पिकअप	व्य०समूह
438.		सोमिवा आर्गेनिक इंडिया लि०	कं०
439.		यू०पी० राजकीय निर्माण निगम लि०	व्य० समूह
440.		सहारा इन्वेस्टमेंट इण्डिया लि०	कं०
441.		श्री सरयू प्रसाद जायसवाल	व्यष्टि
442.		यू०पी० राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	व्य० समूह
443.		दि बनारस स्टेट बैंक लि०	कं०
444.		मै० दहिया चेरिटेबल सोसायटी ट्रस्ट	व्य० समूह
445.	तमिलनाडु-III	श्री सी०सी० एलबर्ट	व्यष्टि
446.		मै० तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कारपो० लि०	कं०
447.		मै० के० पी० वी० शेख मोहम्मद रोवर एंड क० प्रा०)लि०	कं०

1	2	3	4
448.		श्री टी०एम० अब्दुल गफ्फूर	व्यष्टि
449.	तमिलनाडु-IV	मै० बालाजी डिस्टीलेरीज लि०	कं०
450.		मै० तमिलनाडु स्टेट मारकेटिंग कारपो० लि०	क०
451.		मै० तमिलनाडु स्टील लि०	क०
452.		डीजीवीजन इलै० लि०	कं०
453.		डा० के० जगदीशन	व्यष्टि
454.	तमिलनाडु-V	मै० एक्सप्रेस न्यूज पेपर लि०	कं०
455.		मै० इंडियन एक्सप्रेस (मदुरै) (प्रा०)लि०	क०
456.		मै० चंगलरायन कोआप० सूगर मिल्स लि०	क०
457.		मै० एग्लो फ्रेंच टैक्स० लि०	क०
458.		मै० नरिमन प्वाइंट विल्डिंग सर्विसेज एंड ट्रेडिंग (प्रा०) लि०	क०
459.		श्री रोमनाथ गोयनका	व्यष्टि
460.		मै० थिरुतानी को-आप सुगर मिल्स लि०	व्यू० समूह
461.	कोयम्बतूर	साउथ इंडिया विस्कोस लि०	कं०
462.	तमिलनाडु-I	मै० एस्सार गुजरात लि०	कं०
463.		मै० मार्शल एंड संस कम्पनी	कं०
464.		श्री एस० ए० करीम	व्यष्टि
465.		मै० एस० ए० ई० इंडिया लि०	कं०
466.		भारत ओवरसीज बैंक लि०	कं०
467.		युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं० लि०	कं०
468.		मै० चेतिनन्द सीमेंट कारपोरेशन लि०	कं०
469.	तमिलनाडु-II	मद्रास फर्टीलाइजर लि०	कं०
470.		कर्नाटक बीवरेजेज (प्रा०) लि०	कं०
471.		के० सन्थानम ट्रस्ट	व्यू० समूह

1	2	3	4
472.		तमिलनाडु, मिनरल्स लि०	कं०
473.		टिटेनियम इक्युपमेंट एंड एनोड मैन्यू कं०	कं०
474.		सोलिडएयर इंडिया लि०	कं०
475.		मैं० टी० एन० के० गोविन्दराजन चेट्टी एंड कं० (प्रा०) लि०	कं०
476.		मैं० लूकास टी० वी० एस० लि०	कं०
477.	मदुरै	श्री एस० अहमद यासीन	व्यष्टि
478.		मैं० विश्वनाथ गिन्नर्स (प्रा०) लि०	कं०
479.		फेनर (इंडिया) लि०	कं०
480.		श्री एल० पांडियन उर्फ एल० पांडेय	व्यष्टि
481.		श्री पी० जयप्पन	व्यष्टि
482.	पटियाला	मैं० गोगी एन्टरप्राइजेज	पं० फर्म
483.		श्री भूपिन्दर सिंह-मैं० गोगी एन्टर० के मालिक	व्यष्टि
484.		पंजाब कैमिकल्स प्लान्ट लि०	कं०
485.		महाबीर स्पिनिंग मिल्स लि०	कं०
486.	रोहतक	न्यूकेम प्लास्टिक्स लि०	कं०
487.	पटना	बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वे० कारपो० लि०	कं०
488.		भारत बैगन एंड इंजी० कं० लि०	कं०
489.		आर० के०कंस० (प्रा०) लि०	कं०
490.		प्रबंधक, कोल्ट ऑफ वाल्डस एंड एस्टेट आफ बेंटिया	व्यष्टि
491.	रांची	मेकन (इंडिया) लि०	कं०
492.	भुवनेश्वर	उड़ीसा माईनिंग कारपो० लि०	कं०
493.		उड़ीसा फोरेस्ट कारपो० लि०	कं०
494.		इंडियन मेटल्स एंड फेरोएलॉयज लि०	कं०
495.		उड़ीसा कंस० कारपो० लि०	कं०

1	2	3	4
496.		श्री एस० एन० कंसलटेंसी (प्रा०) लि०	कं०
497.	जिलांग	मै० जॉर्ज विलियमसन (आसाम) लि०	कं०
498.		मै० ए० बी सी० इंडिया लि०	कं०
499.		मै० एसोसिएटेड बीवरेजेज (प्रा०) लि०	कं०
500.	पुणे	श्री छत्रपति सहकारी शक्कर कारखाना लि०	व्य० समूह
501.		मालेगांव एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
502.		मै० सोमेश्वर एस० एस० कारखाना	व्य० समूह
503.		यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना	व्य० समूह
504.		नेशनल इंजी० कोआप० केमेटी	व्य० समूह
505.	कोल्हापुर	सेटकारी एस० एस०के० लि०	व्य० समूह
506.		भगवती सहकारी शक्कर कारखाना लि०	व्य० समूह
507.		श्री शाकर महर्षि शंकर राव मोहिता पाटिल एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
508.		राजाराम बापू पाटिल एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
509.		हुतात्मा किसान अहीर एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
510.		श्री दूध गंगा वेद गंगा एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
511.		सिद्धेश्वर एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
512.		कृष्णा एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
513.		श्री राम एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
514.		कुम्भी केसरी एस० एस० के० लि०	व्य० समूह
515.	नागपुर	मै० मिनरल एक्सप्लोरेसन कारपो० लि०	कं०
516.		मै० सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं०	कं०
517.		मै० आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद एंड फतेहचन्द नरसिंह दास (एक्सपोर्ट्स)	पं० फर्म
518.		आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्रा०) लि०	कं०
519.	आ० कर आ० (से०)-I दिल्ली	कोटिनेटल कंस० लि०	कं०

1	2	3	4
520.		जे० के० सिथेटिक्स कं० लि०	कं०
521.		ई० सी० ई० इंड० लि०	कं०
522.		डी० एस० कंस० (प्रा०) लि०	कं०
523.		डालमिया सीमेंट (बी०) लि०	कं०
524.		उड़ीसा सीमेंट लि०	कं०
525.		डायर इंटरनेशनल (प्रा०) लि०	कं०
526.		मोवन ब्रदर्स (रामपुर) (प्रा०) लि०	कं०
527.		डालमिया डेयरी इंड० लि०	कं०
528.		गुडइयर इंडिया लि०	कं०
529.		स्वदेशी पौलीटेक्स लि०	कं०
530.		केप्रि इंटरनेशनल (प्रा०) लि०	कं०
531.		श्री पृथीपाल सिंह०	कं०
532.		राजस्थान वूल इंड०	कं०
533.		दि हिन्दुस्तान टाइम्स लि०	कं०
534.	आ० आ० (से०)-II दिल्ली	श्री राज चोपड़ा	व्यष्टि
535.		आत्मा राम प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०	कं०
536.		कम्पीटेंट बिल्डर्स	कं०
537.		कोंटीनेंटल मार्किटिंग (प्रा०) लि०	कं०
538.		डी० सी० एम० लि०	कं०
539.		जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०	कं०
540.		खेमैया एवीएशन (प्रा०) लि०	व्यष्टि
541.		मदन मोहन लाल श्रीराम (प्रा०) लि०	कं०
542.		ऊषा रैक्टीफायर कारपो० इंडिया लि०	कं०
543.		ऊषा माइक्रो प्रोसेसर एंड कन्ट्रोल लि०	कं०
544.		वेस्टर्न इलै० लि०	कं०

1	2	3	4
545.		ए० आर० चड्ढा एंड कं० (इंडिया) (प्रा०) लि०	कं०
546.		कमल इंजीनियरिंग इंड० (प्रा०) लि०	कं०
547.		मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि०	कं०
548.		श्री नरेन्द्र आनन्द	व्यष्टि
549.		रावल एपार्टमेंट (प्रा०) लि०	कं०
550.		श्री राम रेफरीजिरेशन इंड० लि०	कं०
551.		ऊषा इंटरनेशनल लि०	कं०
552.		ऊषा स्टड एंड एग्रीकल्चर फार्म्स (प्रा०) लि०	कं०
553.	आ० आ० (से०) कानपुर	यू० पी० स्टेट ब्रिज कारपो० लि०	कं०
554.		मै० शादीराम गंगा प्रसाद	हि०अ०प०
555.		श्री बी० एम० कनोडिया	व्यष्टि
556.		श्री पवन कुमार जैन	व्यष्टि
557.		क्वालिटी स्टील ट्यूब लि०	कं०
558.	आ० आ० (से०) लुधियाना	प्यारे डिक्स (एन० डी०) लि०	कं०
559.		हीरो साइकल्स (प्रा०) लि०	कं०
560.		किशन चन्द एंड कं० इंड० लि०	कं०
561.		लीडर वाल्व्स (प्रा०) लि०	कं०
562.	आ० आ० (से०) बंगलौर	दि आंध्र शुगर लि०	कं०
563.		के० वेंकटेश दत्त	व्यष्टि
564.		श्री के० एस० दत्तात्रेय	व्यष्टि
565.		श्री के० सी० पी० लि०	कं०
566.		दि ए० पी० पेपर मिल्स लि०	कं०
567.		श्री एम० कोडानन्द रामी रेड्डी	व्यष्टि

1	2	3	4
568.		श्री एम० प्रसन्ना कुमार रेड्डी	व्यष्टि
569.		एम० श्रीनिवासुलू रेड्डी	व्यष्टि
570.		एम० सुधाकर रेड्डी	व्यष्टि
571.		एम० सुभारामी रेड्डी	अ०वि० म०
572.		मै० खोडे डिस्टीलेरी (प्रा०) लि०	कं०
573.		मै० ट्रांसपोर्ट कारपो० आफ इंडिया लि०	कं०
574.		श्री एच० एस० राव, मै० अरविन्द परिमला वर्क्स के भागीदार	व्यष्टि
575.		श्रीमती आर० रामा देवी, मै० अरविन्द परिमला वर्क्स की भागीदार	व्यष्टि
576.		श्री यूनुस कुंजू	व्यष्टि
577.		श्री एम० सुब्बारामी रेड्डी	हि०अ०प०
578.		मै० अरविन्द परिमला वर्क्स	पं० फर्म
579.		मैक्डावैल एंड कं० लि०	कं०
580.	आ० आ० (से०)-I मद्रास	श्री विनोद कुमार डिडवानिया	व्यष्टि
581.		श्री पवन कुमार डिडवानिया	व्यष्टि
582.		मै० सुजाता फिल्मस इंटरनेशनल (प्रा०) लि०	कं०
583.		मै० साउथ आयरन एंड स्टील कं०	कं०
584.		श्री राम गोपाल डिडवानिया	व्यष्टि
585.		श्री अनिल कुमार डिडवानिया	व्यष्टि
586.		मनोज कुमार डिडवानिया	व्यष्टि
587.		अनुपम कुमार डिडवानिया	व्यष्टि
588.		श्री दीनदयाल डिडवानिया	व्यष्टि
589.		श्री रतन लाल डिडवानिया	व्यष्टि
590.	आ० कर आयुक्त (से०)-II मद्रास	साउथ इंडिया कारपो० एजेंसी लि०	कं०

1	2	3	4
591.		कारोमंडल उद्योग प्रोड० (इंडिया) प्रा० लि०	कं०
592.		इंडो नेशनल लि०	कं०
593.		बारेन कैमिकल एंड डिस्टलरस लि०	कं०
594.		मोहन बीवरेजेज एंड डिस्टी० लि०	कं०
595.		त्रिची एवरेस्ट आटो० एंड एजेंसीज (प्रा०) लि०	कं०
596.		स्व० श्री ए० बालासुब्रमणयम, श्रीमती अरूण ज्योति बाला सुब्रमणियम के वैध ऊत्तराधिकारी	व्यष्टि
597.		आर० एल० धानबालान	व्यष्टि
598.		एन० पी० बी रामास्वामी उदयार	व्यष्टि
599.		एस० रामानाथन	व्यष्टि
600.	आ० कर आयुक्त (से०) अहमदाबाद	श्री सुकारनारायण बखिया	व्यष्टि
601.		हरसिद्ध इस्पेसोफोक फैमिली ट्रस्ट	व्य० समूह
602.		श्री भानाभाई के० पटेल	व्यष्टि
603.		श्री के० बी० वर्मा	व्यष्टि
604.		मै० विनय एजेंसीज	पं० फर्म
605.		श्री सी० ए० तख्तवाला	व्यष्टि
606.		हाईकोन फूड एंड आयल इंड० (प्रा०) लि०	कं०
607.		के० कचरादास पटेल स्पे० फैमली ट्रस्ट	व्य० समूह
608.		निरमा स्पे० फैमिली ट्रस्ट	व्य० समूह
609.		एस० के० पटेल फैमिली ट्रस्ट	व्य० समूह
610.		पटेल स्पे० फैमिली ट्रस्ट	व्य० समूह
611.		के० खोडीदास स्पे० फैमिली ट्रस्ट	व्य० समूह
612.		निरमा कैमी० वर्क्स लि०	कंपनी
613.		श्री लाजपत राय सी० अग्रवाल	व्यष्टि
614.		स्व० श्री मायाचन्द एम० मेहता	व्यष्टि

1	2	3	4
615.		अम्बा लाल साराभाई इन्टर० लि०	कंपनी
616.		अश्वनी वनस्पति इंड० (प्रा०) लि०	कंपनी
617.		श्री ठाकुर भाई एम० पटेल	व्यष्टि
618.	आ०कर० आयुक्त (से०)-I बम्बई	जी० टी० सी० इंड० लि०	कंपनी
619.		श्री भगवानदास एच० अग्रवाल	व्यष्टि
620.		श्री दामजी देवजी हरिया	व्यष्टि
621.		आसिम इंड० लि०	कंपनी
622.		सिम्को लि०	कंपनी
623.		जुआरी एग्रो केमी० लि०	कंपनी
624.		श्री अनिल कुमार अग्रवाल	व्यष्टि
625.		लक्ष्मी डिस्ट्री० (प्रा०) लि०	कंपनी
626.		गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि०	कं०
627.		मानसिंह का इंड० लि०	कं०
628.		श्री लीलाधर एंड पारेख	व्य०
629.		श्री डी० पी० मानसिंह का	व्य०
630.		मै० अशोक टैक्सटाइल्स मिल्स	अप० फर्म
631.		दि बाम्बे डाइंग मैनु० कं० लि०	कं०
632.	आ० कर आयुक्त (से०)-बम्बई	पुरी कंस्ट्रक्शन (बाम्बे) (प्रा०) लि०	कंपनी
633.		बेरिलिया केमिकल (प्रा०) लि०	कं०
634.		मै० विक्स पैरामिसल	पं० फर्म
635.		वेस्ट कास्ट बिल्डर्स (प्रा०) लि०	कं०
636.		क्रिसेंट बिल्डर्स (प्रा०) लि०	कं०
637.		श्री ओम बिल्डर्स (प्रा०) लि०	कं०
638.		ओम सदन (प्रा०) लि०	कं०

1	2	3	4
639.		श्री ओम प्रकाश एच० नवानी	व्यष्टि
640.		इंडस्ट्रीयल मीटर्स (प्रा०) लि०	कंपनी
641.		श्री एम० एल० गुप्ता	व्यष्टि
642.		श्री जी० एम० राय	अ०हि०परि०
643.		श्री बिपिन के० जैन	व्यष्टि
644.		श्री प्रकाश मेहरा	व्यष्टि
645.		सोराष्ट्र बालपेन (प्रा०) लि०	कंपनी
646.	आ० कर आयुक्त (से०)-I कलकत्ता	टी किंग (प्रा०) लि०	कं०
647.		श्री एन० डी० अरोड़ा	व्यष्टि
648.		श्री अनिल कुमार परोलिया	व्यष्टि
649.		मै० हेमराज महाबीर प्रसाद लि०	कं०
650.		मै० नेशनल इनसुलेड केबल कं० ऑफ इंडिया लि०	कं०
651.		मै० सोमानी पिलकींगटन लि०	कं०
652.		मै० भाग्यलक्ष्मी कामर्शल कं० लि०	कं०
653.	आ० कर आयुक्त (से०)-II कलकत्ता	डनलप इंडिया लि०	कं०
654.		मै० पहारपर कूलिंग टावर लि०	कंपनी
655.		मै० डंकन एग्रो इंड० लि०	कं०
656.		मै० सुगन चन्द अग्रवाल एंड कं०	पं० फर्म
657.		मै० बी० एन० इलियास एंड कं० लि०	कं०
658.	आ० कर निदेशक) (छूट) दिल्ली	मै० हमदर्द दवाखाना	व्य० समूह
659.		मै० एसोसिएटेट एग्रीकल्चर्सल एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन्स	व्य० समूह
660.		काउन्सेल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल एक्सन एंड रूरल टैक्नालाजी	व्य० समूह

1	2	3	4
661.		मै० धरम प्रतिष्ठान	व्य० समूह
662.		मै० अपंना आश्रम	व्य० समूह
663.		महर्षि इस्टीट्यूट आफ क्रेटिव इंटलिजेंस	व्य० समूह
664.	आ० कर निदेशक (छूट) मद्रास	चेची ट्रस्ट	व्य० समूह
665.		नागि रेड्डी चेरेटीज	व्य० समूह
666.	आ० कर निदेशक (छूट) बम्बई	मै० केरामशी जेठाभाई सोमिया ट्रस्ट	व्य० समूह
667.		मै० नेशनल हैल्थ एंड एजूकेशन सोसाइटी	व्य० समूह

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

2607. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार को उसका वित्तीय संकट दूर करने हेतु वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) केन्द्रीय करों में हिस्सा, राज्य-योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता (विशेष योजना ऋण के रूप में दिखाए गए 135 करोड़ रुपये बशर्ते कि वित्त मंत्रालय उसे स्वीकृति प्रदान करे, को छोड़कर), लघु बचत ऋण, योजना राजस्व की कमी को पूरा करने हेतु अनुदान, राज्य के आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कारण राज्य को धनराशियां सामान्यतया दी जा रही हैं।। जब कभी आवश्यक होगा, राज्य की अपनी अस्थाई अर्थोपाय कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करने हेतु राज्य की हकदारियों में से कुछ अग्रिम धनराशि भी दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष के दौरन राज्य को अन्य किसी तरह की सहायता दिए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत राजस्थान को धनराशि का आवंटन

[हिन्दी]

2608. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या जल-सूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को केन्द्रीय सड़क कोष से कितनी धनराशि आवंटित की गई,

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में सड़क निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसे केन्द्रीय सड़क कोष से आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से राजस्थान को आवंटित की गई धनराशियां निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु०)
1988-89	15.00
1989-90	161.00
1990-91	207.00

(ख) इस अवधि के दौरान 22.88 करोड़ रु० की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनमें 2003.00 लाख रु० की 56 सड़क परियोजनाएं और 285.00 लाख रु० की 5 पुल परियोजनाएं शामिल थी जो केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि के अध्यधीन हैं।

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान राजस्थान के लिए प्रस्तावित आवंटन, केन्द्रीय सड़क निधि की वास्तविक बढ़ोतरी जिसे अभी किया जाना है, पर निर्भर होगा। इन कार्यों के निर्माण के लिए राज्य सरकार के लक्ष्य भी वर्ष प्रतिवर्ष किए जाने वाले वास्तविक आवंटनों पर निर्भर करेंगे।

भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ स्थापित करना

[हिन्दी]

2609. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को भोपाल में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह खंडपीठ कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। जबलपुर सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की सहायता से सड़कों तथा पुलों का निर्माण

[अनुवाद]

2610. श्री टी० के० अंजलोस :

क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सड़कें और पुलों के निर्माण के लिए कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें कुछ सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों के नाम क्या हैं और उनकी लम्बाई कितनी है;

(ग) उन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कितनी वित्तीय सहायता दे रही हैं;

(घ) इन सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि समय-सीमा के अन्दर ही निर्माण-कार्य पूरा हो जाये ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अबरोश टाईटलर) : (क) से (ङ) एशियाई विकास बैंक केरल में रा० रा० 47 को, अलवाई बाईपास से वायटिल्ला (16 कि० मी०) और अरूर से शेरथले तक, चार लेनों का बनाने तथा वायटिल्ला से अरूर (10 कि० मि०) तक मौजूदा 2 लेनों को सुदृढ़ करने के कार्य के वित्त पोषण के लिए सहमत हो गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 56.63 करोड़ रु० है और एशियाई विकास बैंक सहायता 22.06 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी। इस कार्य को अभी स्वीकृति दी जानी है और शुरू किए जाने के पश्चात् 4 वर्ष की अवधि में इसके पूरे हो जाने की संभावना है।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में डकैती और धोखाधड़ी

2611. श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1990 से 31 अक्तूबर, 1991 तक गुजरात के जामनगर और भावनगर जिलों के बैंकों में हुई डकैतियों और धोखाधड़ी की कितनी वारदातें हुई हैं;

(ख) बैंक डकैतियों में कितनी जान-माल की हानि हुई और प्रत्येक मामले में क्षतिपूर्ति किस प्रकार की गई;

(ग) क्या धोखाधड़ी के मामले में कुछ कर्मचारी शामिल हैं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-1-90 से 31-10-91 की अवधि के दौरान जामनगर जिले में किसी बैंक लूटपाट/डकैती की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इसी अवधि के दौरान भावनगर जिले में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की महुआ साखा में 2/3-6-91 की रात्रि को एक घटना घटी थी, जिसमें शाखा का चौकीदार मारा गया था तथा 5529.62 रुपए की धनराशि की हानि हुई। बैंक ने मृतक चौकीदार के पुत्र को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है।

जहां तक जालसाजी के मामलों का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान सूचना प्रणाली से जालसाजी के मामलों की संख्या तथा ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों की संख्या के बारे में जिला-वार/शाखा-वार सूचना उपलब्ध नहीं होती है। तथापि, कुल जालसाजियों की संख्या तथा उसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि, जैसी कि सूचना सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों ने 1-1-90 से 30-6-91 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को दी है, वह नीचे दी गई है :—

जालसाजियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (लाख रुपये में)
2350	13028.47

इसी अवधि के दौरान, जालसाजी में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए, जिन अधिकारियों को दण्ड दिया गया, उनके बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(I)	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	98
(II)	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़ा/हल्का दण्ड दिया गया।	1060
(III)	उपर्युक्त (II) में से बर्खास्त/कार्यमुक्त/ निकाले गए कर्मचारियों की संख्या	430

बम्बई में करापवंचन और विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तन के मामले

2612. श्री जीवन शर्मा :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में करापवंचन और पूर्व बैंक ऑफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल के माध्यम से विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के मामलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) करापवंचन और बी० सी० सी० आई० की बम्बई शाखा के माध्यम से विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण फिलहाल सामने नहीं आए है। तथापि, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30 (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बी० सी० सी० आई०

की बम्बई शाखा के कार्यकरण के बारे में और सूचना प्राप्त करने के लिए विशेष लेखा परीक्षा का आदेश दिया है।

प्रतिबंधित सूची में अन्तरित की गई वस्तुएं

2613. डा० सी० सिलवेरा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वस्तुओं को प्रतिबन्धित सूची (परिशिष्ट 2 भाग ख) से हटाकर हाल ही में सीमित अनुज्ञेय सूची में अन्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे अन्तरण से क्या लाभ होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) आयात को निर्यात से जोड़ने की नई व्यापार नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रतिबंधित सूची में शामिल मदों की समीक्षा के परिणामस्वरूप, 98 मदों को प्रतिबंधित सूची (परिशिष्ट 2, भाग "ख") से हटाकर सीमित अनुज्ञेय सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत विवरण वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 196-आई०टी०सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 14-8-1991, सं० 20 -आई०टी०सी० (पी०एन०)/90-93 दिनांक 30-8-1991 और सं० 240-आई० टी०सी० (पी० एन०)/90-93 दिनांक 31-10-1991 में दिया गया है इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

इस स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों पर उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा मूल्य में अनुशासन के बारे में लगातार दबाव पड़ने की आशा है।

विदेशी जहाजरानी कम्पनियों की तथाकथित अवैध गतिविधियां

2614. डा० सी० सिलवेरा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी जहाजरानी कम्पनियों की तथाकथित अनियमित गतिविधियों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन गतिविधियों का भारतीय जहाजरानी कम्पनियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्वबैंक को, स्थानीय एजेंटों के साथ समझौतों को समाप्त करने, कमीशन को निम्न दरों पर एजेंट रखने तथा विदेशी मुद्रा खातों का संचालन करने के संबंध में विदेशी नौवहन

कंपनियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दोषपूर्ण ट्रकों के विरुद्ध अभियान

2615. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोषपूर्ण ट्रकों के विरुद्ध अभियान चलाया है तथा दिल्ली प्रशासन को उनकी कार्योपयोगिता की जांच करने के लिए निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों को लागू करने के लिए सभी प्रकार के वाहनों की नैमेत्तिक जांच करती है। इस प्रकार की जांच में वाणिज्यिक वाहनों की उपयुक्तता (फिटनेस) भी शामिल है। 1-4-1990 से 31-10-1991 तक मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के उपबंधों के अधीन 1244 वाणिज्यिक वाहनों को अभियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त 4558 वाणिज्यिक वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी उक्त अवधि में निलम्बित किए गए थे।

पंजाब में चुनावों के दौरान मारे गए उम्मीदवार

[हिन्दी]

2616. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चुनावों के दौरान, जिन्हें स्थगित कर दिया गया था, मारे गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे कुछ उम्मीदवारों ने, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च किया था, सरकार से मुआवजे की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) 19-4-91 और 18-9-91 के दौरान 26 निर्दलीय लड़ने वाले अभ्यर्थी (लोक सभा के लिए 3 और विधान सभा के लिए 23) मारे गए।

(ख) जी हां।

(ग) पंजाब में साधारण निर्वाचन का रद्दकरण अधिनियम, 1991 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 34 के अधीन किए गए प्रत्येक निक्षेप को वापस करने का उपबंध है।

उक्त अधिनियम में अभ्यर्थियों को किसी प्रतिकर के लिए कोई उपबंध नहीं है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण

2617. श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (भा० ल० उ० वि० बैं०) द्वारा इसके आरंभ होने से आज तक प्रत्येक राज्य में दी गई ऋण राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु एककों को अधिकांशतः पुनर्वित्त एवं बिल पुनर्भुनाई योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 30 सितम्बर, 1991 को समाप्त 18 महीनों की अवधि के दौरान सभी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई कुल सहायता का 82% बैठती है। इन दो योजनाओं के अंतर्गत संवितरणों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

शेष 18 % सहायता के संबंध में राज्य/जिला-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, जो अल्पावधिक बिलों की पुनर्भुनाई और राज्य लघु उद्योग विकास निगमों, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगमों तथा राज्य वित्तीय निगमों को उनके बांडों/नए ऋण लिखतों में अंशदान के रूप में प्रदान की गई संसाधन, सहायता का द्योतक है।

विवरण-1

सिडबी द्वारा भिन्न राज्यों को दी जाने वाली सहायता

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	अप्रैल, 90 से सितम्बर 91 तक वितरित
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	207.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.0
3.	असम	17.6
4.	बिहार	60.8
5.	गोआ	28.1
6.	गुजरात	290.0
7.	हरियाणा	78.5
8.	हिमाचल प्रदेश	37.1

1	2	3
9.	जम्मू एंड कश्मीर	39.0
10.	कर्नाटक	233.2
11.	केरल	134.5
12.	मध्य प्रदेश	128.3
13.	महाराष्ट्रा	314.2
14.	मणिपुर	3.8
15.	मेघालय	3.8
16.	मिजोरम	4.8
17.	नागालैंड	3.2
18.	उड़ीसा	65.1
19.	पंजाब	132.2
20.	राजस्थान	115.9
21.	सिक्किम	2.6
22.	तमिलनाडु	318.2
23.	त्रिपुर	3.6
24.	उत्तर प्रदेश	232.9
25.	पश्चिमी बंगाल	128.3
26.	केन्द्र शासित	84.9
		2669.1

विवरण-2

दिनांक 1.4.90 से 30.9.91 तक जिले वार स्वीकृति/संवितरण

रुपये लाख में

क्र० सं०	जिलों का नाम	संवितरित राशि
1	2	2
	राज्य : बिहार	
1.	औरंगाबाद	167.96
2.	डेहुसराय	128.53

1	2	3
3.	भागलपुर	137.80
4.	भोजपुर	228.82
5.	चंपारन उत्तर	107.61
6.	चंपारन पश्चिम	13.38
7.	दरभंगा	56.19
8.	देव गढ़	83.56
9.	धनबाद	848.19
10.	गया	354.24
11.	गिरिदीन	86.37
12.	गोपाल गंज	23.48
13.	गोड्डा	5.75
14.	गुमला	18.15
15.	हजारी बंग	210.56
16.	जहानाबाद	53.25
17.	कटिहार	29.56
18.	खागरिया	8.20
19.	लोहारदागा	3.17
20.	मधुबानी	11.97
21.	माधापुरा	2.50
22.	मंघर	47.03
23.	मुजफ्फर पुर	193.11
24.	नालंदा	108.86
25.	नवादा	30.62
26.	पालमू	195.10
27.	पटना	865.46

1	2	3
28.	पूर्णिया	93.70
29.	रांची	448.11
30.	रोहतास	249.88
31.	सहरसा	18.02
32.	सहेज गंज	14.74
33.	समस्ती पुर	58.56
34.	संथलपुरगानास	68.20
35.	सरन	[65.76
36.	सिंहभुम	663.57
37.	सीतामढ़ी	6.81
38.	सिवान	95.84
39.	वैशाली	329.84
	राज्य : उड़ीसा	
1.	बालासोर	654.98
2.	बालांगीर	867.78
3.	कटक	1151.38
4.	धेनकानल	292.98
5.	गंजम	557.08
6.	कालाहांड़ी	192.53
7.	केंझड़	846.13
8.	कोरापुट	237.15
9.	मयूर गंज	175.23
10.	पुरी	958.91
11.	फुलबानी	137.53
12.	संबल पुर	595.20
13.	सुन्दर गढ़	504.78

1	2	3
	राज्य : सिक्किम	
1.	उत्तर जिला	113.12
2.	पश्चिम जिला	15.12
3.	पूर्वी जिला	36.54
4.	दक्षिण जिला	82.29
	राज्य : पश्चिम बंगाल	
1.	बांकुरा	244.62
2.	बिरभूम	96.97
3.	बुरदवान	718.44
4.	कलकत्ता	2076.64
5.	कूच बिहार	64.02
6.	दार्जिलिंग	303.43
7.	हुगली	580.23
8.	हावड़ा	511.64
9.	जलपाईगुड़ी	216.38
10.	मालदा	180.55
11.	मिदनापुर	460.22
12.	मुर्शिदाबाद	150.91
13.	नादिया	222.45
14.	पुरूलिया	129.66
15.	चौबीस परगनास	997.27
16.	पश्चिम दीनजपुर	93.82
17.	चौबीस परगनास (दक्षिण)	284.04
	राज्य : ए० एंड एन० आईलैंड	
1.	अंडमान	14.16
2.	चंबैल	0.60

1	2	3
1.	कचार	159.88
2.	दारंग	42.04
3.	दिबरूगढ़	170.19
4.	गोपाल पारा	29.37
5.	कमरूप	468.39
6.	लखीमपुर	41.76
7.	कारबी अंगलोंग	20.60
8.	उत्तरी कंचर हिल्स	9.85
9.	नेहगोंग	128.83
10.	सिबसागार	[69.94
11.	करीमगंज	46.81
12.	सोनीतपुर	65.23
13.	धुबरी	19.09
14.	कोकरागंज	65.78
15.	बारपेटा	58.62
16.	नलबाड़ी	90.94
17.	जोरहाट	96.84
18.	गोलाघाट	37.09
	राज्य : मणिपुर	
1.	इंफाल	333.25
2.	बिसन पुर	18.20
3.	थौबल	26.29
4.	उखरूल	0.56
5.	सेनापति	5.19
6.	चुराचंद पुर	7.80

1	2	3
7.	तमेंगलोंग	0.37
8.	चंदल	0.60
	राज्य : मेघालय	
1.	उत्तर खासी हिल्स	205.73
2.	उत्तर गारो हिल्स	31.76
3.	जैन्तिया	44.51
4.	पश्चिम गारो हिल्स	80.03
5.	पश्चिम खासी हिल्स	12.24
	राज्य : नागालैंड	
1.	कोहिमा	227.98
2.	मोकोकचुंग	58.34
3.	मोन	4.20
4.	फेक	2.87
5.	त्यूनसंग	5.30
6.	वोखा	7.77
7.	जोनहबकोटो	15.45
	राज्य : त्रिपुरा	
1.	उत्तरी त्रिपुरा	26.83
2.	दक्षिण त्रिपुरा	43.01
3.	पश्चिम त्रिपुरा	293.43
	राज्य अरुणाचल प्रदेश	
1.	लोहित	3.69
2.	पश्चिम सैंग	20.37
3.	लोवर सुबनसिरी	13.66
4.	तिराप	15.38
5.	पश्चिम कामेंग	17.64
6.	पूर्व सैंग	7.48

1	2	3
7.	दिवाग झील	10.30
	राज्य : मिजोरम	
1.	छीमतुपुई	2.08
2.	आईजाल	426.37
3.	लंगलेज	38.05
	राज्य : हरियाणा	
1.	अम्बाला	1055.43
2.	भिवानी	305.64
3.	फरीदाबाद	893.29
4.	गुड़गांव	790.26
5.	हिसार	825.43
6.	जिन्द	262.28
7.	करनाल	1428.35
8.	कुरुक्षेत्र	189.52
9.	महेन्द्रगढ़	164.12
10.	रोहतक	967.88
11.	सिरसा	260.08
12.	सोनीपत	895.55
	हिमाचल प्रदेश	
1.	बिलासपुर	278.21
2.	चंबा	91.81
3.	हमीरपुर	181.54
4.	कांगड़ा	581.21
5.	किन्नौर	2.32
6.	कुल्लू	208.87
7.	लाहुल एंड स्पीति	7.28

1	2	3
8.	मंडी	308.75
9.	शिमला	439.89
10.	सिरमौर	503.05
11.	सोलान	693.16
12.	ऊना	383.86
	राज्य : जम्मू एण्ड कश्मीर	
1.	अनन्तनाग	100.52
2.	बारामुल्ला	83.24
3.	बोधा	16.42
4.	कारगिल	1.79
5.	कुपवाड़ा	2.83
6.	जम्मू	2527.25
7.	कथुआ	138.69
8.	लेह	29.80
9.	पुलवामा	18.07
10.	बुदगाम	106.38
11.	पूंछ	2.20
12.	राजोरी	30.99
13.	श्रीनगर	717:67
14.	उधमपुर	126.21
	राज्य : पंजाब	
1.	अमृतसर	1427.56
2.	भटिण्डा	503.10
3.	फरीदकोट (मोगा)	646.78
4.	फिरोजपुर	885.69

1	2	3
5.	गुरुदासपुर	451.78
6.	होशियारपुर	565.33
7.	जालंधर	1313.58
8.	कपुरथला	247.48
9.	लुधियाना	3860.27
10.	पटियाला	2153.21
11.	रोपड़	656.26
12.	संगूर	865.34
	राज्य : राजस्थान	
1.	अजमेर	960.04
2.	अलवर	1082.14
3.	बंसवाड़ा	206.13
4.	बारमेड़	242.86
5.	भरतपुर	242.18
6.	भीलवाड़ा	793.23
7.	बीकानेर	852.04
8.	बुंदी	222.85
9.	चित्तौड़गढ़	818.40
10.	चुरू	250.52
11.	डुंगरपुर	108.47
12.	गंगा नगर	295.40
13.	जयपुर	983.13
14.	जालौर	126.41
15.	झबसलमेर	78.31
16.	झलावाड़	100.99
17.	जोधपुर	728.51

1	2	3
18.	झुनझुनू	96.90
19.	कोटा	392.18
20.	नागौर	594.36
21.	पाली	188.03
22.	सवाई माधोपुर	48.68
23.	सीकर	171.74
24.	सिरोही	243.19
25.	टोंक	217.33
26.	उदयपुर	1772.47
27.	धौलपुरा	109·39
	राज्य : उत्तर प्रदेश	
1.	आगरा	869.22
2.	अलीगढ़	327.84
3.	इलाहाबाद	471.77
4.	अलमोड़ा	162.39
5.	आजमगढ़	67.14
6.	बदायूं	109.33
7.	बाहारा	126.59
8.	बलिया	72.55
9.	बांदा	14.51
10.	बाराबंकी	177.82
11.	बरेली	445.05
12.	बस्ती	155.18
13.	बिजनौर	288.26
14.	बुलन्दशहर (सिकंदराबाद)	1715.82

1	2	3
15.	चमोली	68.03
16.	देहरादून	938.14
17.	देवरिया	79.56
18.	एटा	180.94
19.	इटावा	54.45
20.	फैजाबाद	162.76
21.	फरुक्काबाद	324.30
22.	फतेहपुर	287.21
23.	पौड़ी गढ़वाल	227.01
24.	गाजीपुर	67.80
25.	गाजियाबाद (नौएडा)	3898.70
26.	गोंडा	54.54
27.	गोरखपुर	291.96
28.	हरदोई	129.10
29.	हमीरपुर	84.67
30.	बलाना	129.79
31.	जौनपुर	195.52
32.	झांसी	258.99
33.	कानपुर शहर	1188.32
34.	खेड़ी (लखीमपुर खीरी)	86.72
35.	ललितपुर	20.71
36.	लखनऊ	777.48
37.	मेरठ	924.25
38.	मिर्जापुर	125.01
39.	मुरादाबाद (बुरहानपुर)	454.42
40.	मुजफ्फर नगर	800.70

1	2	3
41.	मैनपुरी	204.72
42.	मथुरा	702.36
43.	नैनीताल	676.11
44.	प्रतापगढ़	72.52
45.	पिथौरागढ़	153.41
46.	पीलीभीत*	46.71
47.	रामपुर	146.92
48.	रायबरेली	139.59
49.	सहारनपुर	662.83
50.	शाहजहांपुर	59.28
51.	सीतापुर	211.84
52.	सुलतानपुर	223.20
53.	टेहरी गढ़वाल	76.72
54.	उन्नाव	222.86
55.	उत्तरकाशी	34.68
56.	वाराणसी	547.79
57.	कानपुर देहात	932.15
58.	डम्मी	6.72
	राज्य : चंडीगढ़	
1.	चंडीगढ	534.53
	राज्य : दिल्ली	
1.	दिल्ली	6851 00
	राज्य : गुजरात	
1.	अहमदाबाद	4114.41
2.	अमरेली	106.49
3.	बड़ौदा	2462.47

1	2	3
4.	बनासकांथा	148.69
5.	भाव नगर	959.87
6.	बरोच	2475.46
7.	बुलसार	[2700.09
8.	डागस	3.13
9.	गांधी नगर	164.83
10.	जाम नगर	387.50
11.	जूनागढ़	918.67
12.	खेड़ा	1121.31
13.	कूच	969.06
14.	मेहसाना	3549.52
15.	पंच महल्स	874.94
16.	राजकोट	1685.56
17.	साबरकंठ	597.10
18.	सुरेन्द्र नगर	573.88
19.	सूरत	5190.82
	राज्य : मध्य प्रदेश	
1.	बालघाट	71.84
2.	बस्तर	128.07
3.	बेतूल	114.49
4.	भोपाल	682.88
5.	बिलासपुर	238.44
6.	भिंड	344.29
7.	छतरपुर	127.67
8.	दामोह	41.01
9.	छिन्दवाड़ा	154.45

1	2	3
10.	दतिया	43.82
11.	देवास	204.77
12.	धार	1120.45
13.	दुर्ग	207.33
14.	पूर्व निमार	127.71
15.	गुना	124.14
16.	ग्वालियर	458.48
17.	होशंगाबाद	118.05
18.	इंदौर	1302.46
19.	जबलपुर	739.47
20.	झबूआ	63.95
21.	मंदला	24.92
22.	मंदसौर	133.35
23.	मोरैना	172.04
24.	नरसिंहपुर	18.05
25.	पन्ना	12.36
26.	रायगढ़	114.24
27.	रायपुर	800.20
28.	राजनन्द गांव	143.13
29.	राजगढ़	128.16
30.	रायसेन	468.75
31.	रत्लाम	254.05
32.	रेवा	70.75
33.	सागर	186.93
34.	सतना	143.57

1	2	3
35.	सेहोर	111.93
36.	शाजापुर	64.04
37.	शहडोल	267.18
38.	सिधी	68.01
39.	सिवानी	29.79
40.	सरगुजा	200.42
41.	शिवपुरी	22.92
42.	टीकमगढ़	94.57
43.	उज्जैन	265.53
44.	विदिशा	24.88
45.	पश्चिम निमार	241.76
	राज्य : महाराष्ट्र	
1.	अहमद नगर	656.06
2.	अकोला	272.68
3.	अमरावती	310.47
4.	औरंगाबाद	1041.87
5.	भांद्रा (चिचवड़)	113.97
6.	बीर	150.28
7.	बुलधाना	142.08
8.	चन्दा (चन्दपुर)	122.29
9.	धुलिया	319.53
10.	ग्रेटर बम्बई	6329.36
11.	जलगांव	636.23
12.	जालना	102.91
13.	रायगढ़	946.88
14.	कोलाहपुर	1232.60

1	2	3
15.	नागपुर	1575.63
16.	नंदेड़	897.76
17.	नासिक	1623.30
18.	ओसमानबाद	150.80
19.	परभानी	107.71
20.	पूना	4167.59
21.	रत्नगिरी	526.31
22.	सांगली	547.73
23.	सातारा	802.66
24.	सिन्धु दुर्ग	106.58
25.	शोलापुर	407.96
26.	थाना	5367.70
27.	वर्धा	113.41
28.	येतमल	85.12
29.	वाघचीरोली	17.35
30.	यादुर	147.93
	राज्य : दादर एवं नागर हवेली	
1.	दादरा	107.65
	राज्य : गोवा	
1.	गोवा	2285.77
2.	दमन	583.17
3.	दीव	10.65
	राज्य : आंध्र प्रदेश	
1.	अदिलाबाद	276.61
2.	अनन्तपुर	1132.61
3.	चित्तूर	1151.26

1	2	3
4.	कुडपाह	359.38
5.	पूर्व गोदावरी	758.55
6.	गंटूर	1042·10
7.	हैदराबाद	2082.33
8.	करीम नगर	698.62
9.	खम्माम	441.07
10.	कृष्णा	1928.42
11.	करनूल	801.99
12.	मेडक	2459.66
13.	महबूब नगर	519.32
14.	नालगोंडा	1898.15
15.	नैलोर	509.94
16.	निजामाबाद	231.01
17.	प्रकाशम	281.42
18.	रंगारेड्डी	1940.64
19.	श्रीकुलम	264.90
20.	विशाखापट्टनम	782.47
21.	विजियनगाम	242.26
22.	वारंगल	620.04
23.	पश्चिम गोदावरी	637.44
	राज्य : कर्नाटक	
1.	बंगलौर	7470.33
2.	बेलगौम	1396.69
3.	बेलारी	663.96
4.	बिदार	581.48
5.	बीजापुर	692.86

1	2	3
6.	चिकमंगलूर	341.28
7.	चित्रदुर्गा	759.62
8.	कुर्ग	164.53
9.	धारवाड़	1206.58
10.	गुलबर्गा	850.19
11.	हसन	471.65
12.	कोलार	503.73
13.	मांड्या	452.75
14.	मैसूर	1104.60
15.	उत्तर कनारा	341.02
16.	रायचूर	368.88
17.	शिमोगा	698.76
18.	दक्षिण कनारा	2704.14
19.	टुमकुर	923.71
	राज्य : केरल	
1.	अलोपी	846.88
2.	कन्नौर	748.35
3.	एरनाकुलम	2212.52
4.	इडुक्की	345.12
5.	कोट्टायम	1105.90
6.	कोझीकोड (कालीकट)	1474.62
7.	मालापुरम	576.74
8.	पालघाट	640.35
9.	पथनामथिटा	594.25
10.	कुलान	834.17
11.	त्रिचूर	1678.97

1	2	3
12.	त्रिवेन्द्रम	984.78
13.	विझनाद	159.90
14.	केसरगोड (केसरगोड)	216.15
	राज्य : तमिलनाडु	
1.	चिंगलपुट	1158.43
2.	कोयंबटूर	5142.04
3.	धर्मपुरी	1230.44
4.	कन्याकुमारी	452.70
5.	मद्रास	5761.68
6.	मदुरै	1519.10
7.	नीलगिरी	183.00
8.	उत्तर अरकोट	1025.25
9.	पुडुकोटई	462.38
10.	प्रियार	1505.71
11.	रामनाथपुरम	467.14
12.	सालम	3858.79
13.	दक्षिण अरकोट	744.17
14.	थांजावूर	745.88
15.	तिरुनयवेली	640.73
16.	तिरुचिरापल्ली	2112.29
17.	पासूनपान	283.22
18.	कामराज	1053.47
19.	अन्ना	590.70
20.	वी० डी० चिनम्बरानार	404.14
	राज्य : लक्ष्यद्वीप	
1.	लक्ष्यद्वीप	0.75

1	2	3
2.	जिनीकाय	0.42
	राज्य : पांडिचेरी	
1.	करैकाल	50.21
2.	माहे	2.15
3.	पांडिचेरी	910.58
4.	यमन	46.44

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा सुपरसोनिक परिवहन विमान का निर्माण

[अनुवाद]

2618. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सुपरसोनिक परिवहन विमान का निर्माण करने के लिए बोइंग ग्रुप के साथ बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) प्रस्तावित विमान की खास विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत जारी की गई धनराशि

[हिन्दी]

2619. श्री जैपाल सिंह यादव :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री कांशीराम राणा :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत कितनी धनराशि का नियतन किया गया और राज्यवार कितनी राशि अब तक दी गई है; और

(ख) विभिन्न राज्यों को अभी तक पूर्व आवंटित धनराशि न दिए जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के लिए 1990-91 में 1500 करोड़ रुपये और 1991-92 में भी 1500 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया है। उपर्युक्त आबंटनों में से, 2500 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्षति पूर्ति करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक को जारी किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत की क्षतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी और सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत में से 50% अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 50% राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा वहन किया जाएगा। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक उनके हिस्से को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करता है। राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बकों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अनुदान के रूप में 1266 करोड़ रुपये तथा भारतीय रिजर्व बक द्वारा प्रदत्त ऋण के रूप में 1289 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 11-11-1991 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को क्रमश: 400 करोड़ रुपये एवं 755 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। सरकारी बैंकों को जारी की गई रकमों के सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। उपर्युक्त ऋण संस्थाओं द्वारा 11-11-1991 की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई ऋण राहत निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपये)
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2754
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	864
सहकारी बैंक	4154

आशा की जाती है कि क्षतिपूर्ति की शेष राशियां चालू एवं अगले वित्तीय वर्ष में प्रदान की जाएंगी।

विवरण

11-11-1991 की स्थिति के अनुसार कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्ग नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को जारी की गई रकमें

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ शासित राज्य	अनुदान	ऋण
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	111.15	111.05
अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.50
असम	7.20	7.20

1	2	3
बिहार	137.37	137.37
गोवा	0.50	0.50
गुजरात	107.41	107.41
हरियाणा	54.52	54.52
हिमाचल प्रदेश	7.04	7.04
जम्मू व कश्मीर	10.20	10.20
कर्नाटक	46.33	46.33
केरल	28.33	28.33
मध्य प्रदेश	94.18	94.18
महाराष्ट्र	174 44	174.44
मणिपुर	0.66	0.65
मेघालय	0.09	0.09
मिजोरम	—	—
नागालैंड	0.33	0.33
उड़ीसा	60.16	57.35
पंजाब	53.00	58.00
राजस्थान	79.80	79.00
सिक्किम		—
तमिलनाडु	95.65	122.65
त्रिपुरा	0 49	0.49
उत्तर प्रदेश	161.18	161.18
पश्चिम बंगाल	33.00	33.00
चण्डीगढ़	0.08	—
दादर व नागर हवेली	—	—
दमन व दीव	—	—

1	2	3
दिल्ली	0.10	—
लक्षद्वीप	—	—
पांडिचेरी	1.07	—
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.05	—
	1266.03	1288.91

सड़क क्षेत्र के लिए धन

[अनुवाद]

2620. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुमानित यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सड़क क्षेत्र के लिए अपेक्षित धन की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में सड़क क्षेत्र में अधिकतम कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी; और

(ग) सरकार सड़क क्षेत्र के लिए अपेक्षित धन की आवश्यकता कैसे पूरा करेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। ऐसा आकलन किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान कम से कम 7730.00 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों की आवश्यकता को आठवीं योजना में, जिसे अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है, किये जाने वाले आवंटनों से पूरा किया जाएगा।

पुराने रक्षा उपकरणों का निर्यात

2621. श्री मुकुल वासनिक :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुराने रक्षा उपकरणों का निर्यात करने के बारे में बातचीत करने के लिए एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान ऐसे रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए सम्भावित आंकड़े तैयार कर लिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार ने सेना के आयुध डिपुओं में पड़े सुरक्षा संबंधी फालतू और पुराने सामान का निपटान करने के लिए 24 जुलाई, 1991 से एक वर्ष के लिए एक पूर्णकालिक फालतू सामान निपटान विशेष समिति गठित की है। इस समिति को पुराने रक्षा उपस्करों के निर्यात के संबंध में बातचीत करने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है। फिर भी, अपने कार्य के दौरान यह निपटान के लिए प्राप्त मदों में से उन मदों/सामानों का पता लगाएगी जिनका निर्यात किया जा सकता है और ऐसे सामानों की रिपोर्ट वाणिज्य मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय परियोजना तथा उपस्कर निगम को देगी, इस निगम को रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग द्वारा रक्षा सामान का निर्यात करने के लिए मुख्य एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यह निगम उक्त सामान के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाएगा और तत्संबंधी आवश्यक कार्रवाई करेगा। इसके लिए वह रक्षा मंत्रालय के निर्यात संवर्धन सेल से जहां कहीं आवश्यक होगा, निर्यात की अनुमति प्राप्त करेगा।

2. उक्त समिति, निर्यात की जा सकने वाली मदों का पता लगा रही है। अब तक समिति ने मैसर्स परियोजना तथा उपस्कर निगम को सेना के 59,480 मीट्रिक टन अतिरिक्त सामान का निर्यात करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई है। वास्तविक निर्यात की मात्रा मैसर्स परियोजना तथा उपस्कर निगम की सफलता पर निर्भर है, इसलिए चालू वर्ष में इस प्रकार के निर्यात के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

3. वायुसेना और नौसेना के पुराने उपस्करों के संभावित निर्यात के आंकड़े अभी तैयार नहीं किए गए हैं। रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग की रक्षा उत्पादन यूनिटों द्वारा उत्पादित नई मदों का निर्यात करने से संबंधित लक्ष्य 1991-92 के लिए 104 करोड़ रुपये है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकरण

2622. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ग्राहक पिछले एक वर्ष के दौरान भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के पास चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य कुशलता और तत्परता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में खातों को बन्द करके विदेशी बैंकों में खाते खोलने के सुस्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन की सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। बैंकों ने अपनी संरचना को सुदृढ़ बनाकर आंतरिक पर्यवेक्षण प्रणाली तथा नियंत्रण द्वारा और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करके अपनी कार्य-

कुशलता में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किये है। बैंकों ने अपनी प्रचालन दक्षता को सुधारने तथा अपनी लाभप्रदता को सुदृढ़ करने के लिए कार्ययोजनाएं भी बनाई हैं। जहां तक ग्राहक सेवा का प्रश्न है बैंकों ने इसके लिए कई कदम उठाए है जिनमें ये भी शामिल है :— सामान्य सेवाओं के लिए समय मानदण्ड, समाशोधन गृहों के कम्प्यूटीकरण से चैकों के समाशोधन और संग्रहण में तेजी तथा कुरियर सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग 2500/-रुपए तक के बाहरी चैकों को व्यक्तियों के नाम शीघ्र जमा की सुविधा, ग्राहकों की शिकायतों के तहत निवारण के लिए एक तंत्र का गठन आदि।

बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरना

[हिन्दी]

2623. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के निर्धारित कोटा के बकाया पदों को भरने के लिए सरकार ने बैंक-वार क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) बैंक-वार निम्न और उच्च संवर्ग के ऐसे कितने पद है, जिन्हें अभी भरा जाना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बकाया को समाप्त करने का कार्य एक निरंतर चलने वाला कार्य है तथा चालू आरक्षणों के साथ पिछली बकाया रिक्तियों को जोड़कर उनपर सामान्य भर्ती/पदोन्नति के साथ-साथ कार्रवाई की जाती है। इस बारे में गत 6 माह के दौरान सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, बैंकों को जारी विद्यमान निर्देश इस प्रकार है :

i. बैंकों को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों/रोजगार दफ्तरों के पास उस मांग-पत्र को भरकर भेजने का परामर्श दिया गया है, जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के चालू आरक्षण के अतिरिक्त पिछले बकाया का ध्यान रखकर तैयार किया गया है।

ii. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भर्ती से पूर्व तथा पदोन्नति से पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, ताकि अर्हक परीक्षाओं के लिए उनकी सक्षमता को बढ़ाया जा सके।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के बारे में लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कार, दोनों में शिथिल मानदण्ड अपनाए जाते हैं।

iv. लिपिकीय संवर्ग की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताओं के स्तरों में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जातियों के मामले में ढील दी गई हैं।

v. 50 प्रतिशत आरक्षणों की समग्र सीमा को ध्यान में रखते हुए, किसी वर्ष के लिए आरक्षित रिक्तियों को संगणन करते समय बैंकों के वर्तमान आरक्षणों के साथ-साथ पिछले बकाया को ध्यान में रखना होता है।

vi. उपयुक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित बैंकों के बोर्डों द्वारा आरक्षण नीति की समीक्षा की जाती है।

vii. बैंकों में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन की मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारी द्वारा चरण-बद्ध ढंग से जांच की जानी होती है।

(ख) 31.12.90 की स्थिति के अनुसार, 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त पिछली बकाया रिक्तियों की उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

31.12.90 की स्थिति के अनुसार 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों, लिपिकीय तथा अधीनस्थ संवर्ग में पिछले बकाया की बैंकवार स्थिति

(अनंतिम सूचना)

क्र० सं०	बैंक का नाम	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ स्टाफ	
		अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०	अ०जा०	अ०ज० जा०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	8	11	46	35	57	54
2.	बैंक आफ इण्डिया	6	6	30	36	48	94
3.	पंजाब नेशनल बैंक	4	4	41	23	22	21
4.	बैंक आफ बड़ौदा	58	62	31	19	4	23
5.	यूको बैंक	13	7	37	51	22	46
6.	केनरा बैंक	11	6	46	26	88	18
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	15	6	55	28	15	21
8.	देना बैंक	11	9	2	2	—	3
9.	सिंडीकेट बैंक	—	2	13	11	11	12
10.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	6	4	24	25	8	15
11.	इलाहाबाद बैंक	8	7	34	24	8	9
12.	इण्डियन बैंक	2	1	—	—	1	6
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6	3	5	17	2	27
14.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	2	1	4	2	14	12

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1	—	14	13	12	15
16.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	—	1	3	—	—
17.	कारपोरेशन बैंक	5	3	21	8	2	2
18.	विजया बैंक	2	—	9	12	4	3
19.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	2	—	5	2	5	2
20.	आंध्रा बैंक	4	—	7	4	3	4
	जोड़ :	164	132	425	341	321	387

न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों के रिक्त पद

2624. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित न्यायधीशों के रिक्त पड़े पदों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान कितने पद भरे गए; और

(ग) शेष रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के सुसंगत उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार की जाती है जिनमें किसी जाति या व्यक्ति वर्ग के लिए आरक्षण का उपबन्ध नहीं है । अतः आरक्षित पदों की रिक्ति या उनके भरे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विद्युत चालित करघों का बन्द होना

[अनुवाद]

2625. **श्री एम० वी० चन्नवेगरगूडि :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान कपास की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कपास के मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण अनेक विद्युत चालित करघे बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में विद्युत चालित करघों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार का विचार आगे क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) । (क) जी, हां ।

(ख) यार्न की कीमतों में वृद्धि होने के कारण विद्युत करघा बाहुल्य क्षेत्रों के कुछ भागों में विद्युत करघा के क्रियाकलापों के स्तर में कमी होने की सूचनाएं मिली हैं ।

(ग) और (घ) सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किये हैं जिनमें सूती यार्न के निर्यात को उदार करना, सरकारी, डिपो और हथकरघा क्षेत्रों की सहायक मिलों को बजट-पूर्व कीमतों पर हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों को यार्न की सप्लाई करने के लिए राजी करना शामिल है । सरकार ने 1991-92 के कई मौसम के दौरान कई के निर्यात के लिए एक आवश्यक नीति अपना रही है ताकि उचित कीमतों पर हथकरघा और विद्युतकरघा बुनकरों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके ।

सेना भवन में आग लगना

2626. प्रो० राज कुमारी :

क्या रक्षा मंत्री 26 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना भवन में आग लगने के कारणों की जांच कराने के लिए गठित जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) आग लगने से कितनी क्षति हुई है; और

(घ) भविष्य में आग लगने की ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां ।

(ख) आग लगने का कारण बिजली का शार्ट सर्किट या सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा हो सकता है । तोड़-फोड़ की कार्रवाई की सम्भावना नहीं है ।

(ग) इससे कुल 4 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है ।

(घ) निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की गई है :

(1) आग बुझाने के यंत्र (पम्प सहित बेट-राइजर) और आग का पता लगाने और उसकी चेतावनी देने की प्रणाली लगाना ।

(2) विद्युत तार प्रणाली का पूरी तरह से निरीक्षण और नाजुक क्षेत्रों में एल्युमिनियम के तारों को बदलकर उनकी उनकी जगह तांबे का तार लगाना ।

(3) ज्वलनशील सामग्री रखने के लिए अलग स्थान की व्यवस्था।

(4) रद्दी कागज जलाने के लिए उपयुक्त और आधुनिक सुविधा की स्थापना।

आंध्र प्रदेश में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को ऋण

2627. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बेरोजगार युवकों और गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों को स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा जिलावार, कितना ऋण दिया;

(ख) क्या 1992-93 के दौरान और अधिक आवेदकों को भी यह सुविधा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीदलबीर सिंह) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऐसे मुख्य कार्यक्रम हैं, जिनके अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक, बेरोजगार युवकों कथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को अर्थक्षम स्व-रोजगार उद्यमों को शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की योजना के अन्तर्गत 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में बैंकों द्वारा जो ऋण राशियां स्वीकृत की गई थीं, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऐसे जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, गत 3 वर्षों के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश राज्य में उपलब्ध कराये गये ऋणों की राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	संवितरित ऋण
1988-89	10035
1989-90	9173
1990-91	10528

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की योजना के तहत वर्ष 1991-92 के दौरान 95 हिताधिकारियों को तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के 165680 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य है। वर्ष 1992-93 के लिए दोनों योजनाओं के राज्यवार लक्ष्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की योजना के तहत रोजगार उपलब्धकराने के लिए बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गएऋणों की राशि

क्र०सं०	जिलों का नाम	बैंकों द्वारा स्वीकृति राशि (लाख रुपये में)		
		1988-1989	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	श्रीकाकुलम	78.54	47.93	45.08
2.	विजयनगरम	156.27	60.60	65.27
3.	विशाखापत्तनम	200.58	94.26	100.86
4.	पूर्वी गोदावरी	185.75	97.50	100.64
5.	पश्चिमी गोदावरी	175.52	99.80	97.08
6.	कृष्णा	149.29	77.39	85.31
7.	गुंटूर	147.32	72 07	96.70
8.	ओंगोल	176.15	88.60	108.64
9.	नेल्लौर	237.45	108.90	107.60
10.	चित्तूर	157.90	75.95	77.55
11.	कुड्डपाह	133.17	67.98	84.28
12.	अनंतापुर	123.58	61.30	54.23
13.	कुरनूल	132.97	77.48	90.80
14.	महबूब नगर	97.48	54.87	73.48
15.	नलगोंडा	164.56	58.74	124.10
16.	खम्माम	119.24	62.83	85.08
17.	वारंगल	208.37	87.70	92.35
18.	करीम नगर	192.52	118.76	94.67

1	2	3	4	5
19.	अदिलाबाद	69.26	48.44	35.67
20.	निजामाबाद	101.95	7[illegible].36	85.81
21.	मेदक	129.64	66.01	74.40
22.	रंगारेड्डी	131.26	78.00	95.85
	कुल	3278.72	1679.47	1875.45

स्रोत : विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय।

छोटे किसानों को ऋण

2678. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में बैंकों ने छोटे किसानों को कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिए बत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार और जिलेवार अलग-अलग कितना ऋण दिया;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु और सीमांतिक कृषकों को संवितरित कृषि (अनुषंगी कार्यों के अलावा) के लिए प्रत्यक्ष वित्त के माध्यम से ऋणों की कुल राशि इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
जून, 1987	1466
जून, 1988	1585
जून, 1989	1716
(अद्यतन उपलब्ध)	

छोटे किसानों आदि के लिए ऋणों के संवितरण के जिलेवार आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं। बहरहाल, उक्त अवधि के लिये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे किसानों के लिए प्रत्यक्ष वित्त के संवितरण पर राज्यवार आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी सूचना प्रणाली से कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

(ख) और (ग) कृषि, "प्राथमिकता क्षेत्र" का एक प्रमुख भाग है। सहकारी क्षेत्र के बैंकों से

अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अनुपात को अपने कुल अग्रिमों के 40% तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। वाणिज्यिक बैंकों को कृषि (सम्बद्ध गतिविधियों सहित) को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में निवल बैंक ऋण का 18% ऋण प्रदान करना भी अपेक्षित है। इसके अलावा यह निर्धारित किया है कि समुदाय के कमजोर वर्गों को, जिसमें लघु और सीमांतिक किसान भी शामिल हैं, प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का कम से कम 25% या निवल बैंक ऋण का 10% अग्रिम दिया जाना चाहिए।

पूरे देश में किसानों को उसके द्वारा स्वयं अथवा इस संबंध में तैयार की गई किसी योजना के माध्यम से शुरू किये जाने वाले कृषि एवं इससे सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किये जाते हैं। ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऐसी गतिविधियों का वित्त पोषण निरंतर आधार पर उनके सामान्य परिचालनों का एक हिस्सा है।

निर्यात की वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाना

2629. **डा०सी० सिलवेरा :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में निर्यात की कुछ वस्तुओं पर से नियंत्रण को हटाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका विदेशी मुद्रा की आय पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

सरकार ने अभी हाल ही में ऐसी 105 निर्यात मदों पर से नियंत्रण हटा लिया है जिनके निर्यात पर पहले या तो प्रतिबन्ध था या जिनके निर्यात की अनुमति विभिन्न शर्तों के अध्यधीन दी जाती थी।

(ख) जिन मदों के निर्यात पर पहले प्रतिबन्ध लगा था उनके निर्यात को अब अधिक सुलभ बनाने की दृष्टि से सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों से परामर्श किया गया ताकि संलग्न विवरण में दी गई (105 मदों पर से नियंत्रण हटाया जा सके क्योंकि उनसे पर्यावरणीय, परिस्थितिकीय और नीतिगत विचारों, आवश्यक घरेलू अपेक्षाओं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और रोजगार संवर्धन क्रियाकलापों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

विभिन्न सूचियों से हटाई गई नियंत्रणरहित मदों की संख्या निम्नलिखित है :—

सूची का नाम	उन मदों की संख्या जिन पर से नियंत्रण हटाया गया
(1) प्रतिबंधित सूची	41
(2) मेरिट सूची	25
(3) सीलिंग सूची	19
(4) ओ० जी० एल० सूची	18
(5) सरणीकृत सूची	2
कुल	105

(ब) जी हां, हम आशा करते हैं कि उस उदारीकरण से विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ेगा।

(स) इन मदों का निर्यात, निर्यात के लिए उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं पर आधारित है। कटौती का प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण

उन मदों की सूची जिनपर से 3 सितम्बर, 1991 से नियन्त्रण हटा लिया गया है

1. अल्ट्रा उच्च मोल्क्यूली वजन उच्च घनत्व वाली पाली एथोलीन को छोड़कर पालीथिलिम (एच० डी०)
2. एथीलोन आक्साइड
3. आइसो प्रोपाइल अल्कोहल
4. सिन्थेटिक रबड़
5. अल्ट्रा हाई मोल्क्यूलो वजन उच्च घनत्व वाली पोलीएथोलीन
6. एथोलीन ग्याबकोल
7. मिथाइल आइसोबूटायल किटोन
8. पोलीथिन ग्यायकोल
9. डाइथायलिन ग्लाइकोब
10. इथायल हेक्सानल
11. उच्च निष्पादन वाला विस्कोस स्टैपल धागा
12. पुराने आटोमोबाइल पुर्जे घटक और सहायक सामग्री
13. कच्ची रम लकड़ी में न पकाई गई रम
14. धातुएं जैसे :—

    कापर इलैक्ट्रोलिटिक, इग्गवट्स के रूप में फायर रिफाइन्ड और क्लिस्टर कापर, वायर बार्स, क्लूम्स स्लैब्स केक्स, टाईबर, ब्रिक्स, बिलेट्स, कतरन और कैथोड्स।
15. अपरिष्कृत निकेल और निकिल पैलेटस
16. मैग्नोशियम
17. कच्चा सीसा अपरिष्कृत
18. जिंक या स्पेल्टर अपरिष्कृत
19. टिन; अपरिष्कृत और परिष्कृत
20. कोबाल्ट, अपरिष्कृत और परिष्कृत

21. बिस्मथ

22. मोलिब्डेनम

23. प्लैटिनम ग्रुप और रिफ्राइन्ड अपरिष्कृत

24. टंगस्टन

25. वैनेडियम

26. तांबा अयस्क और सान्द्रण

27. सीसा अयस्क और सान्द्रण

28. मैटलर्जिकल अवशेष यानी ड्रासेस स्किमिंग स्लैग्स, राख 15% या अधिक मुक्त धातु युक्त स्लिम्स फ्ल्यू डस्ट (सोने और चांदी के अतिरिक्त)

29. विद्युत चालित करचा पर निर्मित रोयल मद्रास हैण्डकरचीफ (आर० एम०एच० के०)

30. कल्टीवेटेड आर्किड्स ऐरिड्स स्पाइसेस

31. बूझाम मसाले

32. ब्लिअोन मसाले

33. कैलेन्च मसाले

34. सिम्बीडियम मसाले

35. कोलोजिन मसाले

36. साईप्रपेडियम मसाले

37. वन्दोफिलम मसाले

38. रिनोस्टाइलिस मसाले

39. एनोसिटोसिलम मसाले

40. फैजस मसाले

41. फैलिनोप्सिस मसाले

42. ऐरिया मसाले

43. एस्कोसेन्ट्रम मसाले

44. सिल्वर बुलियन, सिल्वर शीट्स और प्लेट्स जिनकी रोलिंग उपरांत कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं हुई है।

45. निम्नलिखित को छोड़कर सिल्वर धारिता की प्रतिशतता का ध्यान किए बिना सिल्वर लवण सिल्वर रसायन और घटक :

100% शुद्धता वाली सिल्वर धारिता

ड्रग्स/फोटो केमिकल्स के लिए सिल्वर नाइट्रेट 63.5 प्रतिशत

सिल्वर ब्रोमाइट एन्टिसेप्टिक फोटो कैमिकल्स 57.45 प्रतिशत

औषधियों के लिए सिल्वर आक्साइड 93.1 प्रतिशत

इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर, 80.57 प्रतिशत

सिल्वर सब आक्साइड एजी 4" 96.4 प्रतिशत

इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर क्लोराइड 75.26 प्रतिशत

मान्यता प्राप्त फार्माकोपिया/राजकीय मानदंडों में निर्धारित फार्मूलों के अनुरूप सिल्वर सल्फा डाइजीन और माइल्ड सिल्वर प्रौटीन के औषध फार्मूलेशन के लिए सिल्वर क्लोराइड 64.63 प्रतिशत

46. सूची 3 की क्र० सं० 41 के भाग 'ब' के अतिरिक्त चांदी चिलमचियां और उपस्कर जिनकी एक संघटक के रूप में सिल्वर है। इसमें हाथ से निर्मित हस्तशिल्प और इलेक्ट्रोप्लेट वस्तुएं परिधान आभूषण और सिल्वर फिलिग्री शामिल नहीं है।

47. स्टायूरिन मोनोमार

48. गन्ना;

49. सल्फर अविलेप सल्फर को छोड़कर

50. आयातित उनसे बने के अतिरिक्त ऊनी टोप्स और ऊनी नायल्स

51. सीमा शुल्क बाण्ड के अधीन आयातित ऊन से उत्पन्न ऊन अपशिष्ट के अतिरिक्त ऊन अपशिष्ट

52. एसिटिक एसिड

53. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड

54. पालीथिलीन (एल०एल०डी०पी०)

55. पी०वी०सी० कम्पाउण्ड

56. टासूईन

57. नायलान टायर यार्न धागा

58. पालियस्टर स्टेप्ल फाइबर या अन्य कहीं उन उल्लिखित यार्न को छोड़कर अन्य कोई सेल्यूलोजिक या सिन्थेटिक फाइबर।

59. सिल्वर संघटकों का ध्यान किए बिना सिल्वर के सिक्के

60. वूसेल सेमी क्वर्टेड यार्न

61. कैल्सियम कार्बाइड

62. अविलेप सल्फर

63. नायलान टायर कार्ड

उन मदों की सूची जिन पर से 31 अक्तूबर, 1991 को नियन्त्रण हटाया गया

1. जिंक अयस्क
2. जिंक सान्द्रण
3. कैल्साइन्ड बाक्साइट
4. धातु कतरन, नामत:
   (i) निक्रोम स्क्रेप
5. (ii) कतरन और अन्य धातु
6. अलौह धातु
7. स्टोन बैलास्ट/बिहार मूल का विचिंग पत्थर
8. जरकान अयस्क और सान्द्रण जरकान पत्थर की अर्द्ध मूल्यवान किस्म
9. सिलिकन, वेफर्स या उसके असरूप फार्म में इलेक्ट्रोनिक्स में प्रयोग के लिए डोप किए गए रसायनिक तत्व, इलेक्ट्रोनिक्स में प्रयोग के लिए डोप किए गए रसायन संघटक
10. हटा दिया गया
11. जानवरों के फ्रोजेन शुक्राणु
12. अरंडी का तेल
13. ऊनी
14. कंडसारी ऊनी
15. अंगोरा बकरी के बाल/मोहेश्वर
16. 36 एस क्वालिटि की स्वदेशी अपरिष्कृत ऊन
17. 36 एस तक क्वालिटि की कच्ची ऊन (स्वदेशी अंगोरा बकरी बाल/मोहेयर को छोड़कर)
18. हथकरघा पर बनी हुई वास्तविक मद्रासी रूमाल
19. प्योर सिल्क और कृत्रिम सिल्ककेम्रिक को छोड़कर टैक्सटाईल क्लाथ और ओलिव ग्रीन शेडको मैटेरियल
20. वूल्स नायल्स को छोड़कर आयातित ऊन से बने ऊनी टाप्स
21. ओलिव ग्रीन शेड वाला तम्बू और तम्बू का कपड़ा
22. जूट क्लीथ का अस्तर कपड़ा
23. बुने बुनाये परिधान (एक्सिक और मिक्सड)
24. सोढ़डी यार्न

25. साइनूरिक क्लोराइड

26. पी०बी०सी० रेजिन

27. क्लोरोक्वीन सल्फेट

28. ईसबगोल के बीज/ईसबगोल की भूसी ईसबगोल पाउडर

29. कैथडिन वोल्टस

30. सिन्थटिक मस्क

31. मरकरी

32. क्रोम सांद्रण

33. निम्नलिखित के अलावा अलौह धातुएं—

(i) सभी ग्रेड की अलौह मैंगनीज धातुमल

(ii) (0.05 प्रतिशत से कम कार्बन वाली अलौह मैंगनीज के अलावा) अलौह मैंगनीज

(iii) सिलिको मैंगनीज (अलौह सिलिका मैंगनीज)

(iv) 0.03 प्रतिशत से कम कार्बन युक्त फैरोक्रोम/चार्ज क्रोम और नाइट्रोजन युक्त फैरो-क्रोम/चार्ज क्रोम

(v) सभी ग्रेड का सिलिको क्रोम (फेरो सिलिको क्रोमियम)

34. आयात-निर्यात नीति 1990-93 (भाग-I) के पैरा 293 में दिए गए चांदी के आभूषण और चांदी की मदें

35. वजन में 50 प्रतिशत से कम चांदी युक्त चांदी के आभूषण

36. स्वर्णाभूषण और मदें

37. काजू की गिरी

38. एल०एल०वी० कोयला

39. सभी ग्रेड का फैरो मैंगनीज स्लैग

40. (0.05 प्रतिशत से कम कार्बन वाला फैरो मैंगनीज के अलावा) फैरो मैंगनीज

41. सिलिको मैंगनीज (फैरो सिलिका मैंगनीज)

42. 0.03 प्रतिशत से कम कार्बन वाली फैरो क्रोम/चार्ज क्रोम और नाइट्रोजन युक्त फैरोक्रोम चार्ज क्रोम

43. सभी ग्रेड वाला सिलिको क्रोम (फैरो सिलिको क्रोमियम)

सोना और चांदी आभूषण निर्यात योजना के अन्तर्गत सोना-चांदी के मूल्यों में संशोधन

2630. डा० सी० सिलवेरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोना और चांदी आभूषण निर्यात योजना के अन्तर्गत सोना-चांदी के मूल्यों में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) संभवत: यह प्रश्न "सोना तथा चांदी आभूषण निर्यात संवर्द्धन योजना" के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सप्लाई किए गए स्वर्ण चांदी की कीमत से सम्बन्धित हैं। इस योजना के अन्तर्गत, भारतीय स्टेट बैंक निर्यातकों से वही कीमत लेता है जिस पर वह सोना/चांदी विदेशों या टकसालों से खरीदता है, इसमें ढुवा प्रभार शामिल होता है और बिक्रीकर इसके अतिरिक्त होता है । इसलिए इस कीमत में सोने/चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तन होता रहता है।

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम को केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

2631. श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को दी गई केन्द्रीय सहायता का, राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन उपक्रमों के वास्तविक एंव वित्तीय कार्य निष्पादन की त्रैमासिक पुनरीक्षा की गई है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सड़क परिवहन निगमों को उपलब्ध कराए गए पूंजीगत अंशदान इस प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

रा० स० प० नि० का नाम	1988-89
उत्तर प्रदेश	17.25
राजस्थान	2.83
केरल	1.23

महाराष्ट्र	3.68
कर्नाटक	5.63
आंध्र प्रदेश	3.20
उड़ीसा	1.58
रा० स० प० नि० का नाम	1989-90
उत्तर प्रदेश	4.74
राजस्थान	1.60
महाराष्ट्र	4.66
कर्नाटक	1.41
आंध्र प्रदेश	0.80
उड़ीसा	0.39
गुजरात	8.40
रा० स० प० नि० का नाम	1990-91
राजस्थान	3.49
केरल	0.31
महाराष्ट्र	1.95
गुजरात	14.25

(ङ) और (च) सभी राज्य सड़क परिवहन निगम सम्बन्धित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं। निम्नलिखित प्रमुख घटकों को ध्यान में रखते हुए नियमित आधार पर राज्य सड़क परिवहन निगमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाती है :—

1. वाहन उत्पादकता
2. स्टाफ उत्पादकता
3. ईंधन की क्षमता
4. प्रति बस प्रतिदिन यात्री किलोमीटर
5. वित्त का प्रचालन अनुपात, तथा
6. प्रति 100 यात्री कि० मी० प्रचालन लागत।

बलिया-इलाहाबाद, सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2632. श्री राम बचन :

क्या अल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बलिया-इलाहाबाद सड़क पर भारी यातायात को देखते हुए

को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अयवोस डाईडसर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी शेयरधारिता वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रयोग

[अनुवाद]

2633. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी शेयरधारिता वाली उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्हें वर्ष 1990-91 के दौरान विदेशों में व्यय करने हेतु एक करोड़ रुपयों से अधिक की विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या सरकार का इन कम्पनियों द्वारा व्यय की गई विदेशी मुद्रा के उचित उपयोग की जांच करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बड़े औद्योगिक घरानों की कम्पनियों को विदेशी मुद्रा के उपयोग की अनुमति

2634. श्री कड़िया मुंडा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1990-91 के दौरान कुछ बड़े औद्योगिक घरानों के नियंत्रण वाली कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों को किस प्रयोजनार्थ विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलय अथवा एकीकरण

2635. श्री धर्मन्ना सेम्बय्या सादुल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग की सर्वोच्च संस्था, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विलय और समूचे देश में 12 बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त राज्यमंत्री में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) सरकार को भारतीय बैंक संघ से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों का विलय अथवा एकीकरण करने और सारे देश में शाखाओं के साथ केवल 12 बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया गया है।

(ख) और (ग) ये सवाल ही पैदा नहीं होते।

देहरादून में ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

[हिन्दी]

2636. श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी के देहरादून में प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित क्षेत्रीय कार्यालय को देहरादून के बजाय नोएडा में स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो देहरादून में क्षेत्रीय कार्यालय कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में पहले से ही है जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का काम देखता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) देहरादून में कम्पनी का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शिपयार्डों को हुई हानि

2637. श्री काशीराम राणा :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शिपयार्ड हानि में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो हानि में चल रहे शिपयार्डों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान

प्रत्येक को कितनी हानि हुई;

(घ) हानि के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन वर्षों के दौरान इन शिपयार्डों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु आगे और सुधार करने के लिए कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मझगांव गोदी लिमि० बम्बई, गोवा शिपयार्ड लिमि० गोवा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमि० कलकत्ता को छोड़कर भारत सरकार के अधीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड इस समय घाटे में चल रहे हैं।

(ख) घाटे में चल रहे शिपयार्डों के नाम तथा गत तीन वित्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन शिपयार्डों को हुए घाटे के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	शिपयार्ड का नाम	1988-89	1989-90	1990-91
				(करोड़ रु०)
1.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापत्तनम	46.68	79.03	78.35 ×
2.	कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन	26.37	27.71	20.97
3.	हुबली डाक एण्ड कोर्ट इंजनियर्स लि० कलकत्ता	2.86	5.18	4.47 ×
4.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम कलकत्ता का राजाबागान डाकयार्ड	0.46 × अनन्तिम	0.98	0.01 ×

(ग) घाटे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. जहाजों के बिक्री मूल्य की तुलना में जहाजों की निर्माण-लागत काफी अधिक है।
2. जहाजों का निर्माण पूरा होने में अधिक समय-लगाना।
3. ऋणों पर ब्याज का भारी बोझ।
4. कम उत्पादकता तथा अधिक कर्मचारियों की तैनाती।

(घ) इन शिपयार्डों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. शिपयार्डों द्वारा उन्नत साज-सामान, मॉड्यूलर निर्माण इत्यादि जैसी नवीनतम उत्पादन-प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करना।
2. अधिकतम क्षमता उपयोग के लिए उत्पादन-सुविधाओं में वृद्धि करना।

3. अधिक प्रभावशाली उत्पादन-नियोजन तथा नियंत्रण-प्रणाली ।

4. शिपयार्डों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार करना ।

5. जहाज-मरम्मत तथा अन्य लाभप्रद कार्यों में विविधीकरण ।

कांडला पत्तन पर कार्गो बर्थ का निर्माण

2638. श्री काशीराम राणा :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कांडला पत्तन पर सातवीं कार्गो बर्थ के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने कांडला पत्तन में 29.80 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से सातवीं कार्गो बर्थ के निर्माण के एक प्रस्ताव को 23.6.88 को स्वीकृति दे दी थी। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्य शामिल है :—

1. स्थूणानींव (पाइल फाउण्डेशन) से बर्थ तथा पारगमन क्षेत्र का निर्माण,

2. सैंड-ड्रेन्स एवं पूर्व लदान (प्री लोडिंग) के साथ भू-उपचार द्वारा खुले स्टार्किंग स्थल का विकास,

3. स्थूणानींव से एक मंजिले गोदाम (कन्टेनर फ्रेट स्टेशन) का निर्माण ।

4. मृण्य (कैपीटल) निकर्षण ।

5. पृष्ठ-क्षेत्र, पाइप लाइनों, फेंसिंग विद्युतीकरण, विविध भवनों इत्यादि के विकास जैसे अन्य कार्य ।

1988 में शुरू किया गया निर्माण कार्य अब भी जारी है।

अनिवासी भारतीय निवेश

[अनुवाद]

2639. श्री बंबावरा सानोपल्ली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मई 31, 1991 और 30 नवम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : भारत में कुल अनिवासी भारतीय निवेश-राशि नीचे दी हुई है :—

तारीख (अंक)	राशि
31.5.91	2694 करोड़ रुपए
31.10.91	2173 करोड़ रुपए

जर्मनी द्वारा विकास सहायता में कमी करना

2640. श्री रवि राय :

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी ने भारत की विकास सहायता में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जर्मन सरकार ने बताया है कि चूंकि अभी 1992 के लिए विकास सहायता बजट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए जर्मनी द्वारा की गई नई जिम्मेदारियों और परिणामतः बजटीय प्रतिबन्धों के कारण प्रति-बद्धताएं सम्भवतः कुछ कम हो सकती हैं।

निर्यातकों को पोत लदान से पूर्व विदेशी मुद्रा में ऋण

2641. श्री रवि राय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक को पोत लदान से पूर्व निर्यातकों को विदेशी मुद्रा में ऋण देने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक को एक योजना के प्रचालन की अनुमति दी है जिसके अन्तर्गत भारतीय निर्यातक को निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए आयातित निविष्टियों की लागत के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए पोत लदान से पूर्व विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, भारतीय एक्जिम बैंक विदेशी ऋण-दाताओं से विदेशी मुद्रा में अल्पावधिक ऋण शृंखला प्राप्त करेगा। इस प्रकार जुटाई गई विदेशी मुद्रा में निधियों को उन बैंकों को अपने निर्यातक-ग्राहकों को आगे पोत लदान पूर्व ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिया जाएगा जो विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत हैं। विदेशी मुद्राओं में पोत लदान पूर्व ऋण की सुविधा निम्नलिखित निर्यातकों को उनके पिछले संतोषजनक रिकार्ड के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी :—

(क) ये निर्यात गृह/व्यापार गृह जिसका वार्षिक निर्यात आवसान 10 करोड़ रुपये से अधिक का है।

(ख) वे विनिर्माता इकाइयां, जिनके उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग निर्यातोन्मुख हो या जिनका 5 करोड़ रुपये का निर्यात व्यवसाय हो, इनमें से जो भी कम हो।

निर्यातकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की लागू दर एक्जिम बैंक द्वारा दी जाने वाली उस ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी, जिस पर उसने धनराशियां जुटाई हैं निर्यातकों को; यदि लागू हो तो, प्रबन्ध शुल्क, वचनबद्धता शुल्क आदि भी चुकाना पड़ेगा। पोत लदान पूर्व ऋण की

वापसी अदायगी उस निर्यात पोत लदान की बिक्री आय में से की जाएगी, जिसके बारे में निर्यातक द्वारा सुविधा का लाभ उठाया गया है।

भुगतान संतुलन की स्थिति

2642. श्री जे० चोक्का राव :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 1991 के बाद से विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो भुगतान संतुलन विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति 1 जून, 1991 को क्या थी और इस समय क्या है;

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार में आयात की कमी करने, निर्यात बढ़ाने, अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन और विदेशी ऋणों से पृथक-पृथक कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) भुगतान संतुलन की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने हेतु क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के बावजूद पौंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये की विनिमय दर गिराने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। 1 जून, 1991 को विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार 2677 करोड़ रुपये था और 3 दिसम्बर, 1991 को यह भण्डार-स्तर 7242 करोड़ रुपये था।

(ग) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार-स्तर में परिवर्तन व्यापार लेखा, अदृश्य प्राप्तियां और अदायगियां और पूंजी लेखा में अनेक मदों में परिवर्तनों के निवल परिणाम के कारण हैं। इसलिए आयातों में कमी, निर्यात संवर्धन, अनिवासी भारतीयों के प्रेषण और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों में वृद्धि के आंकड़ों की विशेष मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(घ) भुगतान संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए शुरू किए गए और प्रस्तावित उपायों में अल्पावधि में व्यापार नीति और औद्योगिक नीति में संरचनात्मक सुधारों के साथ मुद्रा दर समायोजन, राजकोषीय अनुशासन की बहाली और कड़ी मौद्रिक नीति के माध्यम से वृहत् आर्थिक स्थिरता, मध्यावधि में उनके उत्पादनात्मक उपयोग के साथ वित्तीय विवेक के अनुरूप पूंजी प्रवाह में वृद्धि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीयों से अन्तःप्रवाहों में वृद्धि करना शामिल है।

(ङ) विदेशी मुद्राओं, जिनमें पौंड स्टर्लिंग भी शामिल है, की तुलना में रुपया की विनिमय दर में परिवर्तन मुख्य रूप से भारत और व्यापारिक भागीदार देशों की कीमत में अन्तर, भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों की अन्य मुद्राओं के वास्तविक मूल्य ह्रास के स्तर और बाजार प्रत्याशाओं आदि के कारण होते हैं।

समाजवादी देशों के साथ व्यापार समझौता

[हिन्दी]

2643. श्री राम शरण यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समाजवादी देशों के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनसे कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां। सरकार ने सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया तथा यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) और (ग) सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया के साथ व्यापार करार में अपरिवर्तनीय भारतीय रुपया में संतुलित आधार पर व्यापार की व्यवस्था है। पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया तथा यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार में परिवर्तनीय मुद्राओं के व्यापार की व्यवस्था है। व्यापार करारों से सम्बन्धित दोनों देशों के बीच व्यापार को आसानी से किया जा सकता है।

नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा बन्द कपड़ा मिलों का अधिग्रहण

[अनुवाद]

2644. श्री राम शरण यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का बन्द कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बन्द मिलों के बेरोजगार हुए मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के बेरोजगार कामगारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं करती। तथापि, वस्त्र नीति 1985 के अनुसरण में उस वस्त्र एकक के स्थायी रूप से बन्द होने के कारण हुए बेरोजगार कामगारों को अन्तरिम सहायता देने के उद्देश्य से वस्त्र कामगार पुनर्वासन

निधि स्थापित की गई है जो कि 8 जून, 1985 को अथवा उसके पश्चात, बन्द हुई हो और जो वस्त्र आयुक्त या उद्योग (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाले क्षेत्रों को सुविधाएं

2645. श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर निर्यात करने वाले उन क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का विचार है जो काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) इ० पी० जेड० योजना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कि अवस्थापना संबंधी मूल सुविधाएं प्रत्येक क्षेत्र में प्रदान की जाएं जो कि सामान्यत: एक जैसी ही हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों की पुन: स्थापना

2647. श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली कम्पनियों के लिए बनाई गई पुन: स्थापना योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले कितने पोत काफी समय से निष्क्रिय पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी विदेशी मुद्रा का घाटा हुआ है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) . (क) दिल्ली तथा बम्बई से प्रकाशित दिनांक 30 नवम्बर, 1991 के "दि इकोनामिक टाइम्स" में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली कम्पनियों की पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के बारे में कोई समाचार नहीं छपा है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं होते।

मार कर भाग जाने वाले वाहनों से हुई सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों के लिए बीमा लाभ

2649. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में जिनमें वाहन टक्कर मार कर भाग जाते हैं, घायल होने तथा मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सरकार की ओर से न्यूनतम बीमा लाभ देने की कोई योजना अथवा कोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा बीमा लाभ देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) ऐसी कोई योजना नहीं है जो राज्य सरकार के खर्च पर चलाई जा रही हो। वैसे सड़क दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु हो जाने पर ऐसे मामलों में भी जहां दुर्घटना के बाद दोषी भाग जाता है, पीड़ित व्यक्तियों को "क्षतिपूर्ति निधि" में से मुआवजा दिया जाता है, इस निधि की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम के तहत की गई थी और इसका रख-रखाव एवं संचालन भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा अपनी चार सहायक कम्पनियों के माध्यम से किया जाता है। मृत्यु हो जाने पर 8500/- रुपये और गम्भीर रूप से जख्मी हो जाने पर 2000/- रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तपोषण के लिए निर्धारित लक्ष्य

[हिन्दी]

2650. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 में घोषित दीर्घकालिक वित्तीय नीति के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तपोषण के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लक्ष्यों की कहां तक प्राप्ति हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) चुनिन्दा राजकोषीय संकेतकों के संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य दीर्घावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य में वर्णीकृत किए गए थे। सातवीं योजना के पांच वर्षों के लिए वास्तविक और वर्णीकृत लक्ष्य विवरण के रूप में संलग्न सारणी में दिए गए हैं।

आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ दर्शाते हैं कि (क) कर राजस्व निष्पादन लक्ष्यों से अधिक रहा है; (ख) कर-भिन्न राजस्वों का भी निष्पादन बेहतर रहा है; (ग) योजना-भिन्न राजस्व व्यय,

विशेषकर रक्षा, ब्याज अदायगियां तथा खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के सम्बन्ध में लक्ष्यों से अधिक रहा है; (घ) योजना को वित्तपोषित करने में घरेलू उधारों का हिस्सा तथा बजटीय घाटा लक्ष्यों से काफी अधिक रहा है; और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक तथा बजट-बाह्य संसाधन लक्ष्यों से पर्याप्त सीमाओं तक कम रहे है ।

(च) सरकार द्वारा पहले ही किए गए राजकोषीय समायोजनों सम्बन्धी उपायों में, ये शामिल हैं; (i) राजकोषीय घाटे में योजनाबद्ध कमी करके, 1990-91 (सं० अ०) में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8.4 प्रतिशत में 2 प्रतिशतांक बिन्दु कम करके 1991-92 में 6.5 प्रतिशत पर लाना; (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिन्दा उपक्रमों में सरकार की इक्विटी का 20 प्रतिशत तक विनिवेश करना; (iii) निर्यातों तथा चीनी सब्सिडी के लिए नकदी प्रतिपूर्ति सहायता समाप्त करना; (iv) उर्वरक सब्सिडी में पर्याप्त कटौती करना और (v) परियोजनाओं को प्राथमिकता निर्धारित करना ।

लेकिन फिलहाल किसी नई दीर्घावधि राजकोषीय नीति की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

राज्य और संघ शासित प्रदेश योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटर और सहायता (सातवीं योजना से संबंधित पूर्वानुमान : वास्तविकों के साथ एक तुलना)

(सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

	1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
	वास्तविक	दी० नी० रा०	वास्तविक	दी० नी० रा०	वास्तविक	दी० नी० रा०	वास्तविक	दी० नी० रा०	वास्तविक	दी० नी० रा०
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. कर राजस्व (राज्यों का हिस्सा घटाकर	8.7	7.8	9.0	8.3	9.1	8.7	9.2	9.2	9.3	9.4
(क) प्रत्यक्ष कर	1.5	1.5	1.5	1.7	1.3	1.8	1.7	2.0	1.5	2.1
(ख) अप्रत्यक्ष कर	7.1	6·3	.5	6.5	7.7	6,9	7.5	7.2	7.8	7.3
2. कर-भिन्न राजस्व	3.1	3.0	3.5	2.9	3.2	2.8	2.9	2.7	3.6	2.7
3. योजना-भिन्न राजस्व व्यय	11.9	11.1	12.9	11.3	13.3	11.5	13.2	11.6	14.1	11.9
(क) ब्याज	3.5	3.3	4.1	3.4	4.3	3.5	4.1	3.6	3.9	3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ख) ब्याज अदायगियां	3.1	3.0	3.4	3.3	3.6	3.6	3.9	3.9	4.3	4.1
	(ग) खाद्य और उर्वरक सब्सिडी	1.5	1.2	1.4	1.1	1.4	1.1	1.5	1.01.7	1.0	
	(घ) सभी अन्य	3.9	3.6	4.0	3.4	4.0	3.3	3.7	3.1	4.3	3.0
4.	चालू राजस्व से शेष (बी० सी० आर०)	—0.1	—0.4	—0.5	—0.2		—0.1	—1.1	0.3	—1.2	0.2
5.	केन्द्रीय आयोजना	8.1	7.5	8.7	7.5	8.3	7.5	8.2	7.5	8.7	7.5
6.	राज्य और संघ शासित प्रदेश योजनाओं के लिए सहायता	2.9	2-7	3.0	2.7	3.2	2.6	2.8	2.6	2.5	2.5
7.	घरेलू उधार	6,9	6 4	8.3	5.6	8.4	5.0	7.7	4.4	7.7	4.2
	(क) बाजार उधार	2.0	2.1	2.0	1.6	1.9	1.5	2.3	1.5	1.8	1.5
	(ख) बजटीय घाटा	2.0	1.3	3.0	1.2	1.9	1.1	1.5	1.0	2.6	0.9
	(ग) अन्य	2.9	3.0	3.3	2.0	4.6	2.4	3.9	1.9	3.3	1.8
8.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक बजट-बाह्य संसाधन	3.1	2 9	2.6	3.4	3.0	3.7	3.0	4·0	3.2	4.1

टिप्पणी :—1. दीर्घावधि राजकोषीय नीति में दिए गए वार्षिक पूर्वानुमान वर्धीकृत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य हैं जो वर्धीकृत सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में व्यक्त किए गए हैं। वास्तविकों के मामले में, उपयुक्त परिवर्तनीय गुणक का प्रयोग करते हुए सकल घरेलू उत्पाद की नई शृंखला को पुरानी शृंखला (जैसे दीर्घावधि राजकोषीय नीति में) के अनुरूप परिवर्तित किया गया है।

2. केन्द्र के लिए बी० सी० आर० जैसा कि योजना दस्तावेज में परिभाषा दी गई है, वह योजना-भिन्न राजस्व व्यय) सीमा सड़क तथा रक्षा के पूंजी परिव्यय सहित) की तुलना में चालू प्राप्तियों (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) का शेष है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में बैंकों की नई शाखाएं खोलना

2651. श्री जोवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में अपनी-अपनी शाखाएं खोलने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के समक्ष बैंक-वार कितने लाइसेंस लम्बित पड़े हैं;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये लाइसेंस कब जारी किए गए थे; और

(ग) इन बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अलमोड़ा जिले में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों के पास कोई लाइसेंस लम्बित नहीं है। तथापि पिथौरागढ़ जिले के मुन्शियारी खंड के बांसबागढ़ में शाखा खोलने के लिए एक लाइसेंस भारतीय स्टेट बैंक के पास लम्बित है। लाइसेंस दिनांक 31-12-1986 को जारी किया गया था। आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण यहां शाखा नहीं खोली जा सकी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि उक्त केन्द्र में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएं।

रुपये में लेन-देन करने वाली विदेशी कम्पनियां

[अनुवाद]

2652. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक रुपये में लेन-देन करने वाली विदेशी कम्पनियों के विदेशी मुद्रा अर्जन कार्य का संचालन करता है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार और क्षेत्रवार ऐसी कितनी कम्पनियां हैं;

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में इन कम्पतियों के निर्यात से कुल कितनी आमदनी हुई;

(घ) आदानों, प्रौद्योगिकी के आयातों पर हुए खर्च और विदेशी पूंजी निवेश पर हुए लाभ को अलग-अलग बताते हुए तुलनात्मक रूप से कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक रुपये में लेन-देन करने वाली विदेशी कम्पनियों अर्थात फेरा कम्पनियों के विदेशी मुद्रा कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 और 29 के अन्तर्गत जिस प्रकार शक्तियां प्रदान की गई हैं, केवल फेरा कम्पनियों के कार्यकलापों का ही परिवीक्षण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन कम्पनियों के लाभांश प्रेषणों का अनुमोदन भी करता है। 30 जून, 1991 को देश में 103 फेरा कम्पनियां थीं।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन

2653. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बिहार में 1 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत जिले वार और बैंक-वार कितनी ऋण राहत राशि प्रदान की गई;

(ख) बिहार में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत कौन-कौन सी ऋण योजनाएं सम्मिलित की गई हैं, और उन्हें आज तक की स्थिति के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत मूलधन और ब्याज के मामले में कहां तक शामिल किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को तब तक कार्यान्वित करना जारी रखने का है जब तक निर्धारित (कट-आफ) तिथि तक ऋण पाने के पात्र व्यक्तियों को इससे लाभ नहीं मिल जाता ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनंतिम आंकड़ों के आधार पर सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों ने बिहार में 8.17 लाख हिताधिकारियों को 211.47 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की है। आंकड़ा सूचना प्रणाली से जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती। बिहार में प्रदान की गई ऋण राहत के संबंध में विस्तृत बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 15 मई, 1990 से कार्यान्वित की गई भारत सरकार की कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 में सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उधारकर्ता शामिल थे। सहकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लाभ के लिए केन्द्रीय योजना की तरह बिहार सहित राज्य सरकारों द्वारा ऐसी ही योजनाएं तैयार की गई थी। यह योजना 31 मार्च, 1991 को बंद हो गई। यह ऋण राहत बैंकों से ऋण लेने वाले केवल उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध थी जो जानबूझकर चूक न करने वाले थे और जिनकी रकमें 2-10-1989 को स्थिति के अनुसार अतिदेय थीं तथा जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडो को पूरा किया था।

विवरण

बिहार में कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई बैंक-वार राहत से संबंधित आंकड़े

क्र० सं०	बैंक का नाम	हिताधिकारियों की सं०	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	287838	80.04
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एन्ड जयपुर	12	0.01

1	2	3	4
3.	इलाहाबाद बैंक	26813	5.71
4.	बैंक आफ बड़ौदा	12417	2.77
5.	बैंक आफ इंडिया	118909	18.04
6.	केनरा बैंक	14617	3.45
7.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	180838	52.15
8.	इण्डियन बैंक	1316	0.13
9.	इंडियन ओवरसीज बैंक	1930	0.26
10.	पंजाब नेशनल बैंक	75229	22.70
11.	सिंडीकेट बैंक	743	0.18
12.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	18931	4.38
13.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	34109	9.44
14.	यूको बैंक	42377	11.65
15.	देना बैंक	317	0.10
16.	आंध्रा बैंक	13	@
17.	न्यू बैंक आफ इंडिया	446	0.13
18.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	7	@
19.	पंजाब एंड सिंध बैंक	228	0.09
20.	विजया बैंक	325	0.06
	कुल	816915	211.47

@राहत के रूप में प्रदान की गई राशि 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) से कम है।

ऋण साख

2654. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और विदेशी जांच एजेंसियां ऋण-साख सूची में हमारे देश का स्तर नहीं बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस सबन्ध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, ऋण साख एजेंसियां नहीं हैं। इसी प्रकार कोई जांचकर्ता एजेंसियां भी नहीं है जिनके पास ऋण साख की कार्यप्रणाली हो। तथापि, ऋण साख एजेंसियों ने अक्तूबर, 1990 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान भारत की ऋण साख को एक साथ गिराया अथवा उस पर नजर रखी है। इनमें से एक एजेंसी ने सितम्बर, 1991 में ऋण संबंधी देखरेख का कार्य छोड़ दिया।

(ख) ऋण साख एजेंसियां राजनीतिक स्थायित्व, राजकोषीय प्रबन्ध, भुगतान शेष सम्बन्धी दृष्टिकोण और समग्र बृहत् आर्थिक प्रबन्ध जैसे कई तथ्यों के आधार पर साख निर्धारित करने और साख के संशोधन करने का कार्य अपने हाथ मे लेती हैं। ऋण साख को कम करना और बढ़ाना उपरोक्त तथ्यों के आवधिक मूल्यांकन की एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) सरकार ने, न केवल बृहत् आर्थिक स्थायित्व के लिए ही कदम उठाया है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी ऋण साख एजेंसियों के साथ लगातार पारस्परिक कार्य कर रही है कि वे एजेंसियां ऋण साख सम्बन्धी अपने क्रियाकलापों में नीति सम्बन्धी वातावरण की सराहना करें।

चण्डीगढ़ में स्टाक एक्सचेंज की स्थापना

2655. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेरवानी आयोग ने चण्डीगढ़ में एक स्टाक एक्सचेंज स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ में एक नियमित स्टाक एक्सचेंज की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) श्री एम० जे० फेरवानी की अध्यक्षता में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि चण्डीगढ़ एक ऐसा स्थान है जहां पर स्टाक एक्सचेंज की स्थापना की जा सकती है।

(ख) सरकार इस मामले में उपरोक्त की गई सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में प्रतिभूति संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1956 के संबंधित प्रावधानों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्णय लेगी।

(ग) उक्त पैरा (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता

चण्डीगढ़ को "जनता कपड़ा" योजना के अन्तर्गत राजसहायता जारी करना

2656. श्री पवन कुमार बंसल :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ को कोई राजसहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने बुनकर लाभान्वित हुए ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी संस्थाओं से ऋण

[हिन्दी]

2657. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित विभिन्न विदेशी संस्थाओं से सरकार द्वारा लिए गए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋणों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) ये ऋण किन शर्तों के अधीन लिए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अक्तूबर—अक्तूबर, 1991 के दौरान विभिन्न विदेशी संस्थाओं से लिए गए सरकार द्वारा उपयुक्त ऋण निम्नलिखित प्रकार हैं :—

संस्था	राशि	शर्तें
	(करोड़ रुपये)	
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	126	—निकासी की तारीख से 3 वर्ष और 3 महीने से प्रारम्भ करके बराबर-बराबर की आठ तिमाही किस्तों में पुन: देय। —वर्तमान प्रभार दर 7.5 प्रतिशत है।
विश्व बैंक	444	5 वर्षों की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में पुन: देय। ब्याज की दर परिवर्तनीय और 3/4 प्रतिशत वचनबद्धता प्रभार।
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	281	10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 35 वर्षों में पुन: देय। सेवा प्रभार 3/4 प्रतिशत।
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	2	10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में पुन: देय। सेवा प्रभार एक प्रतिशत।
एशियाई विकास बैंक	146	5 वर्षों की रियायती अवधि सहित 25 वर्षों में पुन: देय। ब्याज की दर 6.5 प्रतिशत।

दिल्ली में पंचतारा होटलों पर बकाया व्यय कर

2658. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रत्येक पंचतारा होटल पर वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 का कितना व्यय कर बकाया है; और

(ख) बकाया कर वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के कर-निर्धारण वर्षों के लिए दिल्ली में कर-निर्धारित पंचतारा होटलों के विरुद्ध व्यय कर के रूप में कोई भी धनराशि बकाया नहीं है।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योग को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

2659. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से लघु उद्योग को प्रारम्भिक पूंजी विशेष पूंजी सहायता दिए जाने के आयामों को बढ़ाये जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एकलों के स्वरूप, जनसंख्या मानदंड और न्यूनतम और अधिकतम परियोजना लागत का विचार न करते हुए "नेशनल इक्वटी स्कीम" का लाभ लघु उद्योगों को दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ग) के उत्तर "नहीं" में हैं तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की लघु उद्योगों को पुनर्वित्तपोषण करने की योजना के अन्तर्गत कितना आर्थिक एवम् वित्तीय घाटा होगा; और

(च) सरकार का विचार बेरोजगारी उन्मूलन हेतु शुरू की गई लघुउद्योगों सम्बन्धी नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लघु उद्योगों को सहायता दिए जाने में वृद्धि करने हेतु कौन से वैकल्पिक उपाय करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा शुरू की गई बीज पूंजी योजना के क्षेत्र को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक विशेष पूंजी निधि योजना का संबंध है, राज्य वित्तीय निगमें संबंधित राज्य सरकारों और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अंशदान किए गए विशेष पूंजी निधि से मैचिंग आधार पर बीज पूंजी सहायता उपलब्ध करवाती हैं।

(ग) और (घ) लघु अतिलघु और ग्रामीण उद्यमों के उन्नयन और उन्हें सामर्थ बनाने के लिए अगस्त, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नीतिगत उपायों के अन्तर्गत राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाया गया ताकि 10.00 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को कवर किया जा सके। परियोजना लागत में इस समय और वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत इक्विटी सहायता के लिए पात्रता हेतु जनसंख्या/अवस्थिति मानदन्ड को हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) चूंकि प्रश्न के भाग (क) में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है अत: सिडबी द्वारा और आर्थिक या वित्तीय घाटा उठाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि मात्रात्मक रूप से भाग (ग) के वित्तीय प्रभाव को इस समय आंका नहीं जा सकता है अत: यह बताना भी सम्भव नहीं है कि राष्ट्रीय इक्विटी निधि योजना के अन्तर्गत सिडबी को कितना घाटा होने की सम्भावना है।

(च) लघु, अतिलघु और ग्रामोद्योगों के उन्नयन और उन्हें सामर्थ बनाने के लिए सरकार ने 6-8-1991 को नीतिगत उपायों की घोषणा की थी। दसवें दशक के दौरान इस नीति का मूल उद्देश्य इस क्षेत्र को उत्पादन, रोजगार और निर्यात के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण बनाना और वृद्धिपरक प्रोत्साहन देना है।

सिंगल विन्डो ऋण योजना

2660. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सुदूर भाग में बड़ी संख्या में रहने वाले उद्यमियों को लघु क्षेत्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नई औद्योगिक नीति में किए गए उल्लेखानुसार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सिंगल विन्डो योजना के अन्तर्गत सम्मिश्र ऋणों के सरणीकरण को अधिसूचित किया है;

(ख) क्या सरकार का वाणिज्यिक बकों को सिंगल विन्डो योजना के अन्तर्गत 20 लाख रु० की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के पश्चात शतप्रतिशत पुनर्वित्त पोषण का विस्तार करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बुनाई मिलों की स्थापना

[हिन्दी]

2661. श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार :

श्री वृत्युंजय नायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान देश में कितनी बुनाई मिलें स्थापित की गईं तथा उनकी बुनाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इनमें से प्रत्येक मिल को कितनी धनराशि का ऋण दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क)

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान संगठित क्षेत्र में स्थापित निर्यात उन्मुख एककों सहित बुनाई मिलों की संख्या और उनकी क्षमता निम्नोक्त अनुसार है :—

क्र०सं०	राज्य	एककों की संख्या	लाइसेंस शुदा क्षमता (1989-90)	एककों की संख्या	लाइसेंस शुदा क्षमता (1990-91)
1.	तमिलनाडु	3	288 करघे	—	—
2.	उड़ीसा	2	300 करघे	—	—
3.	महाराष्ट्र	3	224 करघे	—	—
4.	गुजरात	2	600 करघे	1	60 करघे
5.	पंजाब	1	48 करघे		—
6.	असम	1	250 करघे	1	300 करघे
7.	उत्तर प्रदेश	—	—	1	228 करघे
8.	मध्य प्रदेश	—	—	1	1500 करघे
	कुल	12	1710 करघे	4	2088 करघे

भाग (ख) उपरोक्त 16 एककों में से 2 एककों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ऋण प्राप्त किए जो कि निम्नोक्त अनुसार है :—

क्र० सं०	मिल का नाम	ऋण की राशि	(लाख रु० में)
		1989-90	1990-91
1.	वरधा लक्ष्मी मिल्स लि० (टी० एन०)	278.76	295.81
2.	श्री वेंकटेश मिल्स लि० (टी० एन०)	323.19	347.96

उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

2662. श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष लम्बित पड़े रहे मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश कार्यरत थे; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा न्यायालय-वार कितने मामले निपटाए गए ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दी गई है ।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की न्यायालय-वार संख्या

		निम्नलिखित वर्ष के अन्त में लम्बित			
	उच्च न्यायालय का नाम	1988	1989	1990	
1	2	3	4	5	
1.	इलाहाबाद	419830	468242	535985	
2.	आन्ध्र प्रदेश	73239	72891	82647	
3.	मुम्बई	142891	156454	173106	
4.	कलकत्ता	189338	200925	200528	(30-6-1990)
5.	दिल्ली	88973	109495	124242	
6.	गुवाहाटी	22105	21708	21014	
7.	गुजरात	67530	74491	83040	
8.	हिमाचल प्रदेश	11537	12712	12333	(30-11-1990)
9.	जम्मू-कश्मीर	39767	42099	उपलब्ध नहीं है	
10.	कर्नाटक	68186	79492	87853	

1	2	3	4	5	
11.	केरल	108826	82240	73411	
12.	मध्य प्रदेश	59004	61160	67946	
13.	मद्रास	225636	224417	236579	
14.	उड़ीसा	44381	37330	33303	
15.	पटना	68382	66857	60797	(15-12-1990)
16.	पंजाब और हरियाणा	71942	91769	95240	
17.	राजस्थान	59374	70455	83185	
18.	सिक्किम	53	45	62	

विवरण-2

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को न्यायाधीशों की संख्या		
		1-1-1989	1-1-1990	1-1-1991
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	49	49	53
2.	आन्ध्र प्रदेश	20	17	21
3.	मुम्बई	42	47	49
4.	कलकत्ता	44	41	43
5.	दिल्ली	22	21	25
6.	गुवाहाटी	12	13	12
7.	गुजरात	14	13	30
8.	हिमाचल प्रदेश	4	4	7
9.	जम्मू-कश्मीर	7	5	8
10.	कर्नाटक	21	19	28
11.	केरल	22	24	23
12.	मध्य प्रदेश	25	23	25

1	2	3	4	5
13.	मद्रास	21	19	28
14.	उड़ीसा	10	13	14
15.	पटना	29	28	32
16.	पंजाब और हरियाणा	22	18	21
17.	राजस्थान	23	19	22
18.	सिक्किम	2	1	2
		389	374	443

विवरण-3

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	निम्न वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	60356	51258	55593
2.	आंध्र प्रदेश	98675	92846	75605
3.	मुम्बई	64749	53188	54877
4.	कलकत्ता	37468	44672	21104*
5.	दिल्ली	30169	37089	32749
6.	गुवाहाटी	7246	9642	8655
7.	गुजरात	20235	19403	19282
8.	हिमाचल प्रदेश	23327	10515**	8323@
9.	जम्मू-कश्मीर	17915	15689	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	41468	31949	38891
11.	केरल	70223	104595	68014
12.	मध्य प्रदेश	47397	47003	41747
13.	मद्रास	64352	99743	103023

1		2		3
14.	उड़ीसा	15878	28364	27560
15.	पटना	37421	43408	उपलब्ध नहीं
16.	पंजाब और हरियाणा	56327	69555	66622
17.	राजस्थान	26526	26974	28686
18.	सिक्किम	96	81	57

**ता० 30-6-1989 को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के बारे में जानकारी
*ता० 30-6-1990 को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के बारे में जानकारी
@अनन्तिम आंकड़े

अवमूल्यन का भुगतान संतुलन स्थिति पर प्रभाव

[अनुवाद]

2663. प्रो० उम्मा रेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन से प्रत्याशित परिणामों में कहां तक सफलता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय निर्यातों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने तथा आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए लक्षित नीतियों के एक भाग के रूप में विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में समायोजन 1 जुलाई तथा 3 जुलाई, 1991 को दो चरणों में किया गया। विनिमय दर समायोजन का कुल प्रभाव तथा एक्जिम स्क्रिप्स का आरम्भ भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीतिकारी दबावों को कम करने के लिए उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्रों में विभिन्न संरचनात्मक सुधारों को सख्त मौद्रिक तथा राजकोषीय सुधारों से जोड़ा गया है ताकि प्रभावात्मकता तथा उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और संवृद्धि प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सके और इस प्रकार अधिक निर्यात और समग्र संवृद्धि के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डार में होने वाली घटबढ़ देश की भुगतान संतुलन की स्थिति का संक्षिप्त संकेतक है तथा इससे विदेशी क्षेत्र में लेनदेन के निवल परिणाम का पता चलता है। इनसे हाल के सप्ताहों में हुए सुधार का पता चलता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित भण्डार (सोने तथा विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 29 नवम्बर, 1991 को 6964,81 करोड़ रुपये था तथा इसमें मार्च, 1991 के अन्त की स्थिति की तुलना में 2576.71 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई देती है।

सोने की तस्करी

[हिन्दी]

2664. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) भारत में 1985-86 में और अक्तूबर 1987 तक कितना और कितने मूल्य का (घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय) सोना पकड़ा गया ;

(ग) उन इलाकों और क्षेत्रों के नाम क्या है जहां पर तस्करी में वृद्धि हुई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन हवाई अड्डों पर सर्वाधिक बरामदगी की रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) सोने की तस्करी को समाप्त करने और तस्करी निरोधक उपायों की कमियों को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) , (क) से (घ) चूंकि तस्करी चोरी-छिपे किए जाने वाला धंधा है, अत: यह कहना संभव नहीं है कि सोने की तस्करी में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं । तथापि उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट, पाकिस्तान, नेपाल तथा बंगला देश के साथ लगी भू-सीमाएं और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत में सोने की तस्करी के लिए विशेष रूप से सुगम्य क्षेत्र बने हुए हैं ।

कैलेण्डर वर्ष 1985, 1986 और 1987 (अक्तूबर तक) के दौरान भारत में अभिगृहित सोने की मात्रा और उसके मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित है :

वर्ष	मात्रा (कि० ग्राम० में)	अभिगृहीत सोने का मूल्य (लाख रुपयों में)
1985	2525	5189
1986	2174	4666
1987 (अक्तूबर तक)	1804	5001

(ङ) तस्करी-रोधी एजेंसियां सोने सहित निषिद्ध माल की तस्करी की रोकथाम करने के कार्य में सतर्क रहती हैं । उभरती हुई नई-नई प्रवृत्तियों और कार्य प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है और उनके बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को पूर्णत: अवगत कराया जा रहा है ताकि बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें । तस्करी की रोकथाम और उसका पता लगाने वाली सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी बनाये रखा जा रहा है । एक्सरे असबाब मशीनों, धातु खोजी बेल्टों और रात को देखने में काम आने वाली दूरबीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है ।

ठाणे शहर में आयकर विभाग द्वारा नोटिसों का जारी किया जाना

2665. श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में ठाणे शहर में आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों को नोटिस भेजा है जिन्होंने 1987 से महानगर टेलीफोन लिमिटेड के पास ओ०वाई० टी० के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन बुक कराया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को ये नोटिस भेजे गए हैं ;

(ग) क्या ये नोटिस केवल उन लोगों को ही भेजे गए हैं जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन अभी मिलना है; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आयकर अधिकारियों से जनता को कोई परेशानी न हो, क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) आयकर विभाग की संबंधित केन्द्रीय सूचना शाखा ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की है, जिन्होंने दिनांक 1 अप्रैल 1988 से 31 मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान ओ० वाई० टी० योजना के अध्यधीन ठाणे शहर के लिए नए टेलीफोन कनेक्शन बुक करवाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लि० के पास 8000 रु० जमा करवाए थे। तत्पश्चात ऐसे 1500 व्यक्तियों को जांच पड़ताल पत्र जारी किए गए है, भले ही उन्हें अब तक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं।

(ङ) नए करदाताओं की पहचान करने तथा मौजूदा करदाताओं के मामलों में कर-अपवंचन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग की केन्द्रीय सूचना शाखा ऐसी सूचना एकत्र करती है और बाद में उसका सत्यापन करती है जिसके लिए एक व्यापक कार्य विधि निर्धारित की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जनता को अकारण कोई असुविधा न हो।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

2666. श्री यशवंत राव पाटिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 14 नवम्बर, 1991 से आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किन-किन देशों ने भाग लिया ;

(ख) उन भारतीय फर्मों के क्या नाम हैं जिन्होंने व्यापार मेले में भाग लिया;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि अन्य देशों से भारतीय माल के अधिक से अधिक आर्डर और प्राप्त हों;

(घ) देश-वसर बुक किए गए क्यादेशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इस मेले में 17 देशों अर्थात अफगानिस्तान, बंगलादेश, ब्राजील, भूटान, साइप्रस, हंगरी, हांगकांग, इटली, नामिबिया, नेपाल,

नाइजीरिया, पोलैंड, रोमानिया, फिलिस्तीन-राज्य, श्रीलंका, सोवियत संघ और वियतनाम ने भाग लिया इसके अलावा ब्रिटेन से 3 कंपनियों तथा आयरलैंड, फ्रांस, इटली, उक्रेयिन चैम्बर आफ कामर्स और उजबेकिस्तान चैम्बर आफ कामर्स प्रत्येक से एक-एक कंपनी ने भाग लिया।

(ख) 327 भारतीय फर्मों ने इस मेले में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। लगभग 2500 फर्मों ने राज्य एवं विदेशी मंडपों (पैविलियन) के जरिये भाग लिया। प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाली कंपनियों के नाम दर्शाने वाला एक सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) टी०एफ०ए०आई० ने भारतीय माल एवं प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए लगभग 35/40 विदेशी मेलों में भाग लिया। यह क्रेताओं को आकर्षित करने के लिए वर्ष में लगभग 15 मेलों का आयोजन भी करता है। निर्यात संवर्धन के लिए हमारे विदेश स्थित मिशनों के जरिए विदेशों से व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा भारत की निर्यात संभावना का चित्रण करने वाली विभिन्न व्यापार पत्रिकाओं के जरिए विदेश में प्रचार भी किया जाता है। विदेश वाणिज्य मंडलों और व्यापार संघों से अनुरोध किया जाता है कि वे व्यापारियों को भेजें। भावी क्रेताओं आयातकों, व्यापारियों आदि को सीधे डाक द्वारा निमंत्रण भी दिए जाते हैं। हमारे विदेश स्थित व्यापार-स्कन्ध, व्यापार विकास प्राधिकरण और इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद तथा अन्य निर्यात संवर्धन संगठन भी भारतीय उत्पादों के निर्यात-सम्बन्धी क्रियाकलाप करते हैं और निर्यात को बढ़ावा देते हैं।

(घ) सामान्यत: मेले में आने वाले विदेशी प्रतिनिधि मंडल/क्रेता अपनी पसंद के उत्पादों का अध्ययन करते हैं और मेले के दौरान भारतीय विनिर्माताओं/निर्यातकों से बातचीत आरम्भ करते हैं। साधारणत: आर्डर तत्काल नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा इस मेले का एक उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी क्रेताओं और भारतीय विनिर्माताओं/निर्यातकों के बीच परस्पर संपर्क के जरिए व्यावसायिक संबंध स्थापित करना है।

आई० आई० टी० एफ० 1991 में भारतीय भागीदारों की सूची

क्र०सं०	नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	हिमाचल प्रदेश

1	2
8.	जम्मू एवं कश्मीर
9.	कर्नाटक
10.	केरल
11.	मध्य प्रदेश
12.	मणिपुर
13.	मेघालय
14.	मिजोरम
15.	नागालैंड
16.	उड़ीसा
17.	पंजाब
18.	राजस्थान
19.	तमिलनाडु
20.	त्रिपुरा
21.	उत्तर प्रदेश
22.	महाराष्ट्र
23.	पश्चिमी बंगाल
24.	अन्डमान निकोबार (यूटी)
25.	चन्डीगढ़
26.	दिल्ली (यू०टी०)
27.	पान्डिचेरी
28.	कृषि मन्त्रालय
29.	रक्षा मन्त्रालय
30.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
31.	रेल मन्त्रालय
32.	वस्त्र मन्त्रालय
33.	डिपार्टमेंट आफ बोलियन डिवलपमेंट

1	2
34.	ग्रामीण विकास विभाग
35.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स, नई दिल्ली
36.	सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टीच्यूट, बंगलौर
37.	काफी बोर्ड, नई दिल्ली
38.	कायर बोर्ड, कोचीन
39.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
40.	जूट मैन्युफैक्चरर्स डिवलपमेंट काउंसिल, कलकत्ता
41.	के०वी०आई०सी०, नई दिल्ली
42.	भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली
43.	नेशनल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, नई दिल्ली
44.	नेशनल टेक्सटाइल्स कारपो० लि०, नई दिल्ली
45.	स्पाईसिस बोर्ड, कोचीन
46.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नई दिल्ली
47.	टी बोर्ड, कलकत्ता
48.	टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटैंटस इं०लि०, नई दिल्ली
49.	उत्तर प्रदेश फाइनेंनशियल कारपो०, कानपुर
50.	ऐसोटोप, बम्बई
51.	एडवांसड रिइन्फोर्सड फाइनेंनशियल कारपो०,कानपुर
52.	अग्रवाल एन्टरप्राइजेज, मैसूर
53.	अजीत स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, लुधियाना
54.	आलसका एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली
55.	अल्फा सेल्स कारपो० नई दिल्ली
56.	आलप्स टेक्सटाइल्स, गाजियाबाद
57.	अमटरैक्स एम्बाइन्स, अहमदाबाद
58.	एनपैक्स माइक्रो कंट्रोल सिस्टम्स, नई दिल्ली

1	2
59.	एम्पलोयेन्सेस एम्पोरियम, नई दिल्ली
60.	आर्चीज ग्रीटिंग्स एन्ड गिफ्ट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
61.	अटलमल हरचंदमल एन्ड सन्स, नई दिल्ली
62.	अन्तुल लास इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
63.	बाटलीवाय एन्ड कं०, बम्बई
64.	बी०एम० डब्लू० इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
65.	बी०पी०एल० सेन्यो यूटीलीटीज एन्ड एप्लीयेन्सिस, नई दिल्ली
66.	ब्रामको इंजीनियर, यमुना नगर
67.	चंडीगढ़ स्पोर्ट्स, चंडीगढ़
68.	चारमिनार वान-वुवन्स, नई दिल्ली
69.	चिराग ओवरसीज, नई दिल्ली
70.	सेकवी ट्यूब कं०, बम्बई
71.	क्लीयरेंस होम एपलीयेन्सिस, परवाणू
72.	काटेज क्राफ्ट्स, नयी दिल्ली
73.	काटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोर्णियाम, नयी दिल्ली
74.	काउंसिल आफ साइनटीफिक एन्ड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, नयी दिल्ली
75.	क्राउन वहील्स, नई दिल्ली
76.	डी०के० एन्ड कं० नई दिल्ली
77.	डाबर इंडिया लि०
78.	डेयरीडेन इंडिया, अहमदाबाद
79.	डी०डी०एम०सी० इंटरकार्ड, नई दिल्ली
80.	डीप टूल्स, लुधियाना
81.	दिल्ली पुलिस फेमिली वेलफेयर एसोसिएशन, नई दिल्ली
82.	डिमोन्ड केबर (आई) प्रा० लि०, नई दिल्ली
83.	डिपोन्ड फर्निचर्स पलेस, नई दिल्ली
84.	दिप्तीलाल जुगदेमल प्रा०लि०, नई दिल्ली

1	2
85.	डाईनोमेटिक हाई ओलाईसेसिस लि०
86.	इरबर्न इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
87.	इक्टा एन्ग उद्योग प्रा० लि०, गाजियाबाद
88.	इलेक्ट्रो कम इन्डिस्ट्रीज, नई दिल्ली
89.	एक्सपो मशीनरी, नई दिल्ली
90.	फाइन उड (आई) प्रा० लि०, नई दिल्ली
91.	फायर टेक इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
92.	फेम बुल कंट्रोल गियर्स, बम्बई
93.	फीलेन्स कार, नई दिल्ली
94.	सुखन एनर्जि टेक्नालाजी (वेलगुन्डी ग्रुप) बम्बई
95.	गजरा वेवल ग्रेयर लि०, इन्दौर
96.	गीता इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
97.	गोल्डमाइन
98.	ग्लोरम मेटल फनिचर्स सेल जोड साईडोमेस्टिक अप्लाइन्सेज, नोएडा
99.	कोयल इंजीनियरिंग, नई दिल्ली
100.	ग्रांड स्लेम इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
101.	ग्रेशम एन्ड का० लि०, नई दिल्ली
102.	ग्राइडेक्स बिनेज, नई दिल्ली
103.	गुजरात एस्टेट फटीला इन्डस्ट्री कारपो०, अहमदाबाद
104.	गुप्ता एन्ड का०, नयी दिल्ली
105.	हाईवल्स इन्डिया, नयी दिल्ली
106.	हार्टविल्ट कन्सेल्स, नई दिल्ली
107.	हरबि इन्टरनेशनल नई दिल्ली
108.	हिन्दुस्तान ग्लास कार०, नई दिल्ली
109.	आई एसी ग्वाईलेस, मद्रास
110.	आई०ई०पी०सी०लि०, नयी दिल्ली
111.	आई०एफ० बी० इन्ड लि०, नई दिल्ली

1	2
112.	इलासा लि०, नयी दिल्ली
113.	इंडिया मेडिको इंस्ट्रुमेंट, नई दिल्ली
114.	इंडियन स्वीस मशीन, नई दिल्ली
115.	इण्डोमष्ठिता, मद्रास
116.	इण्डोपालिकार्स, नई दिल्ली
117.	इण्डोफिल केमिकल्स, बम्बई
118.	इन्डस्ट्रियल वाइसरस, नई दिल्ली
119.	इंटर कारिंग ट्रेडिंग क०, नई दिल्ली
120.	इन्टरनेशनल मार्किटिंग, बुड़यांवा
121.	इन्ट्रान लि०, नई दिल्ली
122.	जयगजन एयर लाइन्स, नई दिल्ली
123.	जानकीदास एन्ड क०, नई दिल्ली
124.	जयसेलेण्डर, नई दिल्ली
125.	जिल प्लाट्रिक नेडा
126.	जोहारी इल्ट्रोटे क०, जोधपुर
127.	जवाज इंटर कलकत्ता
128.	कसिस इन्डस्ट्रियल कन्सलटेन्स प्रा० नई दिल्ली
129.	कपिल कुमार, नई दिल्ली
130.	कर्मजप्लावरन्स, नई दिल्ली
131.	कारसुन इन्टर नेशनल, नई दिल्ली
132.	के०डी०आर०हातमी वर्क्स प्रा०, नई दिल्ली
133.	खेतान इंडिया लि०, कलकत्ता
134.	किमग्राफ्ट प्रा०लि०, नई दिल्ली
135.	कोमल बिजलिस मशीनस, नई दिल्ली
136.	कृष्णा पालियोथेन एण्ड नई दिल्ली
137.	कुलदीप लिमिटेड क० नई दिल्ली

1	2
138.	लखनपाल एण्ड क० नई दिल्ली
139.	लक्ष्मी हैंडीक्राफ्ट नई दिल्ली
140.	लाइफ अलानसेस नई दिल्ली
141.	लाइट एण्ड म्यूजिक कारपो० नई दिल्ली
142.	लिक्षा ही फी कलेक्शन नई दिल्ली
143.	लुकमान हासपिटल प्रा०लि० नई दिल्ली
144.	महाराजा इन्टल नई दिल्ली
145.	महावीर अल्मूनियम लि० नई दिल्ली
146.	महेन्द्रा एन्ड महेन्द्रा लि० नयी दिल्ली
147.	मनोजकुमार नई दिल्ली
148.	माइर्टेग अरिर्गेशन प्रा० नई दिल्ली
149.	मैसूर एन्ड क० जालन्धर
150.	मैक (आई) लि० नई दिल्ली
151.	मेडिया वीडियोज नई दिल्ली
152.	मेक्रिम एग्रो प्रोडक्स प्रा० हैदराबाद
153.	मैंटल वेटस इंडिया बम्बई
154.	माइक्रो विन इलेक्ट्रानिक्स भोपाल
155.	मोबिल पैसेन नई दिल्ली
156.	मुसि एन्ड क० नई दिल्ली
157.	यन के महाजन क० नई दिल्ली
158.	नीट इण्डियाज मार्किम प्रा०लि० नई दिल्ली
159.	नार्थन मिनरल्स नई दिल्ली
160.	ओके इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली
161.	पी० पी० होजनी नई दिल्ली
162.	पवन ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज अलीगढ़
163.	पट्रोकेमिकल डाटा सर्विसज बड़ौदा

1	2
164.	होनेक्स लि० गाजियाबाद
165.	पिनसी लि० नई दिल्ली
166.	पायोनियर इलेक्ट्रीकल्स इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली
167.	पालिकोम इन्टरनेशनल जयपुर
168.	पावर कन्ट्रोलर्स एन्ड अप्लाइज मद्रास
169.	प्रकाश ग्लास इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली
170.	प्रिमियर एन्ड सुमित नई दिल्ली
171.	प्रिमियर बिलायल फ्लोरिंग लि० नई दिल्ली
172.	प्राइमिचेफरस इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली
173.	प्रींस प्लास्टिक बम्बई
174.	पुंमा आयुर्वेदिक लि० बम्बई, नागपुर
175.	पंजाब ट्रेक्टर्स लि० चन्डीगढ़
176.	पेक्टों टेक्सटाइल्स बम्बई
177.	राज ट्रेडर्स बुधवाना
178.	राजस्थान बुनकर सहकारी समिति लि० जयपुर
179.	राजेन्द्र कुमार बिलासपुर
180.	रेलिस इन्डिया बम्बई
181.	रतनचन्द हरसचराव फरीदाबाद
182.	रासिल्क एम्पोरियम नई दिल्ली
183.	रोबांचली फर्नीचर नई दिल्ली
184.	रिलायइवेल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
185.	रेमसन्स एप्लीकेसन्स, नई दिल्ली
186.	राइट इन्स्ट्रूमेंट, नई दिल्ली
187.	रायल एप्लीयान्स क० लि०, नई दिल्ली
188.	एस० के० इन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
189.	साव इन्जीनियर्स, जोधपुर

1	2
190.	साह एजसीज, वाराणसी
191.	साहिल इनटीरियर, नई दिल्ली
192.	सजावट, नई दिल्ली
193.	संस्कृत कम्पट सिस्टमस, अहमदाबाद
194.	सेठी इन्डस्ट्रीज, जालन्धर
195.	भक्ति फैशन्स गारमेंट, नई दिल्ली
196.	शिव इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली
197.	शृंगार, नई दिल्ली
198.	श्रीराम होंडा पावर इक्विप, नई दिल्ली
199.	शाम विनायक्स, मद्रास
200.	स्माल इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली
201.	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपो० नई दिल्ली
202.	सदर्न पावरटैक इक्विपमेंट, मद्रास
203.	स्वकेटर्स नैण्ड, मेरठ
204.	श्रीवास इलैक्ट्रिकल्स सिसटम्स, नई दिल्ली
205.	स्टिरियो स्पेस एण्टरप्राईजिग, नई दिल्ली
206.	सुमीत मशीन्स, नई दिल्ली
207.	सान्ताक्रुज लूब्रीकेन्ट्स, नई दिल्ली
208.	सनफ्लेम इन्डस्ट्रीज, फरीदाबाद
209.	सुपरा एप्लीएनसिस प्रा०लि०, नई दिल्ली
210.	सुप्रीम इन्डस० नई दिल्ली
211.	सूरज बैंक ब्रिक प्रा० लि०, नई दिल्ली
212.	सूर्या रोशनी, नई दिल्ली
213.	सुशील एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
214.	स्विफ्ट आटो प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली

1	2
215.	तेजीस पावर, नई दिल्ली
216.	तेजूमल्स कामिसैस पेपर्स. बम्बई
217.	टेकचन्द केदारनाथ, नई दिल्ली
218.	टेली-डायरेक्ट, (इनफारमेटिक्स) इन्डिया प्रा०लि०, नई दिल्ली
219.	दि क्राफ्टमैन, जयपुर
220.	दि एक्सीक्यूटिव डेस्क, नई दिल्ली
221.	थ्री एन प्रोडेक्ट, नई दिल्ली
222.	तिलकराम छोटेलाल, बिलासपुर
223.	टायइन, सहारनपुर
224.	टेक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट्स लि०, मद्रास
225.	ट्रैन्ड सैट्स एप्लोयेन्सिस एंड कं०, नई दिल्ली
226.	टी०टी० के० फार्मा लि०, बंगलौर
227.	टफ्लोन इंडस० नई दिल्ली
228.	टी०वी० एस० होसूर
229.	टी०वी०एस० त्रिचुल, नई दिल्ली
230.	यूनी-एलवैक्स अलाय प्राउड्स, बम्बई
231.	यूनाइटेड डाटा वेल इंडिया प्रा० लि०, नई दिल्ली
232.	यूनीवर्सल आटो इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
233.	उपलब्धा, नई दिल्ली
234.	वैभव इंडिया इंटरनेशनल, नई दिल्ली
235.	वाजरा रबड़ प्रोडेक्ट्स, त्रिचुर
236.	वीनस एन्टरप्राइजिज, नई दिल्ली
237.	विसाल चेयर्स, बम्बई
238.	वंडर पोलिमरस, नई दिल्ली
239.	वाई सी शर्मा, नई दिल्ली

1	2
240.	एनवास एन्टरप्राइजिज, बंबई
241.	जोडियक एक्सवलसियन, जालन्धर
242.	निराटा, नई दिल्ली
243.	एयर कंट्रोल एंड केमिकल इंजी० कं० लि०, नई दिल्ली
244.	एनका कंट्रोलस, नई दिल्ली
245.	भागवे असायल प्रा० लि०, बंबई
246.	डयूरेक्स इंजी० प्रा० लि०, नई दिल्ली
247.	ग्रिक इंडिया लि०, नई दिल्ली
248.	गुरशांत मोटर्स लि०, फरीदाबाद
249.	मेथेनेटिड एप्लीयेन्सस प्रा० लि०, नई दिल्ली
250.	मित्तल इन्टरनेशनल, नई दिल्ली
251.	मल्टीक्रिग मार्किटिंग कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली
252.	ए०सी० ल्यूमिडीफिकेसन इंजीनियर्स लि०, नई दिल्ली
253.	प्रोडक्ट प्रोमोटर्स, नई दिल्ली
254.	रेणुटोल लि०, नई दिल्ली
255.	श्रीराम रेफरीजरेशन इंडस० लि०, नई दिल्ली
256.	त्रिकुटा कुलिंग प्रा० लि०, नई दिल्ली
257.	यूनी-एयर रेफरीजरेशन प्रा० लि०, नई दिल्ली
258.	बी०आर०एफ० इंजी० प्रा० लि०, अहमदाबाद
259.	एयर फ्लो प्रा० लि०, नयी दिल्ली
260.	कैरियर एयरकोन लि०, नयी दिल्ली
261.	थर्मोकिंग, नयी दिल्ली
262.	सी०ई०आई०, नयी दिल्ली
263.	आन्ध्रा प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिक सिटी बोर्ड, हैदराबाद
264.	आर्कटिक इंडिया सेल्स, नयी दिल्ली
265.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, नयी दिल्ली

1	2
266.	ब्ल्यू स्टोर लि०, बम्बई
267.	सी० ई० एस० सी० लि०, कलकत्ता
268.	क्लोराइड इंडस्ट्रीज लि०, कलकत्ता
269.	सेसोलर साइन्सिस कन्सल्टेन्सी, नई दिल्ली
270.	क्रोम्पटन ग्रीव्स लि०, बंबई
271.	इस्टन इक्विपमेंट एन्ड इंजीनियर्स, कलकत्ता
272.	इनकोन फरनेसस प्रा० लि०, फरीदाबाद
273.	एनर्जी मैनेजमेंट सेन्टर, नयी दिल्ली
274.	इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपो०, बम्बई
275.	इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट बैंक आफ इंडिया, बम्बई
276.	जे०एन० मार्सल लि०, पूणे
277.	लार्सन एन्ड टूर्यो लि०, बम्बई
278.	इनकारपोरेटिड इन्जो० लि०, बड़ोदा
279.	नेशनल थर्मल पावर कारपो० नई दिल्ली
280.	निक्को लि० कलकत्ता
281.	नार्थ इंडिया टेक्नीकल कन्सलटेन्सी आर्थ लि०, चंडीगढ़
282.	उड़ीसा स्टेट इलैक्ट्रिकसिटी बोर्ड, भुवनेश्वर
283.	पेट्रोलियम कन्सरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, नयी दिल्ली
284.	केपार्ट, नयी दिल्ली
285.	वि टाटा आयरन स्टील कं० लि०, कलकत्ता
286.	थर्मेक्स लि० नयी दिल्ली
287.	यू० पी० टिवगा फाइबरगलास लि०, नयी दिल्ली
288.	यूनीवर्सल केबल्स लि०, सतना
289.	वालिया इंजी० एसोसिएसन प्रा० लि०, अहमदाबाद
290	वेसमैन थर्मल इंजी० प्रोसेस, नयी दिल्ली

1	2
291.	इंडियन अल्यूमीनियम क०लि०, नयी दिल्ली
292.	डिपार्टमेंट आफ नान, कनवेन्सनल एनर्जी सोसर्स, नयी दिल्ली
293.	दिल्ली विद्य त प्रदाय संस्थान, नयी दिल्ली
294.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नयी दिल्ली
295.	टाफकोन, नयी दिल्ली
296.	कोटेड स्पेशलटीज, बम्बई
297.	फिक्सो पान इंजी० प्रा० लि०, नयी दिल्ली
298.	गार्डन स्केप्स, नयी दिल्ली
299.	हिन्दुस्तान पब्लिसिटी कारपो०, नयी दिल्ली
300.	कृषि डिजायन्स, नयी दिल्ली
301.	ओरियन्ट मैरीन लाइन्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
302.	पारस मार्केटिंग, नयी दिल्ली
303.	पाविलियनस एंड इंटिरियर्स, नयी दिल्ली
304.	रि रोजर्स इंडिया प्रा० लि०, नयी दिल्ली
305.	रिलाइएबल डोगिटल ऐड, नयी दिल्ली
306.	स्प्रोकल एंड इन्कल इंडिया, नयी दिल्ली
307.	सुप्रीम लैम्प शैड क०, नयी दिल्ली
308.	विस्पर डिजाईन, नयी दिल्ली
309.	आल इंडिया इलेक्ट्रानिक्स वॉच एंड क्लोक मैन्यू० एसासि०, नयी दिल्ली
310.	अजंता ट्रांजिस्टर क्लोक मैन्यू० कं०, घोरपार
311.	साइमैक्स टाइम प्रा० लि०, उदयपुर
312.	जेम इन्टरनेशनल, फरीदाबाद
313.	एच०एम०टी० लि०, नयी दिल्ली
314.	जैना टाइम इंडस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली
315.	रिची रिच प्रोडक्ट्स, नयी दिल्ली
316.	स्टैन्डर्ड टाइम (प्रा०) लि०, नयी दिल्ली

1	2
317.	टाइटन वाचेस लि०, बैंगलूर
318.	वैभव इंटरप्राइज्रिज, बम्बई
319.	हुडको, नयी दिल्ली
320.	अल-कोन इंटरप्राइजेज, नयी दिल्ली
321.	अल्फा पोलिमर्स प्रा० लि०, नयी दिल्ली
322.	अमार प्लास्टिक/पाइप लिकर्सस, नयी दिल्ली
323.	वैस्ट बोर्डस लि०, नयी दिल्ली
324.	कराले एंड रे, नौएडा
325.	गाजियाबाद डवलपमेंट अथौरिटी, गाजियाबाद
326.	गुडलास नरोलैक पाइन्टस लि०, नयी दिल्ली
327.	हरियाणा प्रकाशन लि०, फरीदाबाद
328.	इंडिया वैप्सम लि०, नयी दिल्ली
329.	इंडियन रेअोन एन्ड इंडस्ट्रीज लि०, नयी दिल्ली
330.	जे० के० ह्वाइट सिमेंट वर्क्स लि०, नयी दिल्ली
331.	किटप्लाई इंडस्ट्रीज लि०, नयी दिल्ली
332.	एम०के० इलैक्ट्रिक , नयी दिल्ली
333.	एन०बी०सी०सी०, नयी दिल्ली
334.	एन०सी०एस० इंडस्ट्रीज लि०, नयी दिल्ली
335.	निहोन निर्माण, नयी दिल्ली
336.	नूचम प्लास्टिक लि०, नयी दिल्ली
337.	ओरगैनिक इंडस्टीज, नयी दिल्ली
338.	प्लासोपान इंजीनियर्स (इंडिया) नयी दिल्ली
339.	प्रयाग पोलिमर्स प्रा० लि०, नयी दिल्ली
340.	राजदूत पैन्ट्स लि०, नयी दिल्ली
341.	रामप्रस्था बिल्डर्स प्रा०लि०, नयी दिल्ली

1	2
342.	एस०जी० एस्टेटस एंड प्रापर्टीज लि०, नयी दिल्ली
343.	सिक्यूर इंडस्ट्रीज लि० नयी दिल्ली
344.	सीमा कैमिकल्स, लुधियाना
345.	स्टाइल्स इंडिया लि०, हैदराबाद
346.	विविध स्टोन्स प्रा० लि०, नयी दिल्ली
347.	दि आल इंडिया टामस मैन्यू० एसोसि०, नई दिल्ली
348.	अग्रवाल सेल्स कारपो०, नयी दिल्ली
349.	आहूजा ट्रेडर्स क०, नयी दिल्ली
350.	ऐ०के०जी० एसोसिएटस, नयी दिल्ली
351.	अरिसटोकरेट प्लास्टिक पाउनियर्स, नयी दिल्ली
352.	अशोका टेडर्स कं०, नयी दिल्ली
353.	कोपेटे इलैक्ट्रोनिक्स, नयी दिल्ली
354.	क्रिऐटिव ऐड्यूकेशनल ऐडस प्रा० लि०, नयी दिल्ली
355.	फ्रेंक इड्यूकेशनल ऐडस प्रा० लि०, नयी दिल्ली
356.	फ्रीलेन्स कारपोरेशन, नयी दिल्ली
357.	फन-स्कूल (इंडिया) लि० नयी दिल्ली
358.	गुप्ता टायस कारपो०, नयी दिल्ली
359.	हैंग टामस (इंडिया), नयी दिल्ली
360.	हरिओम इंटरप्राइजेज, बम्बई
361.	हीरो बायस इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली
362.	इंडियास होबी सेन्टर, नई दिल्ली
363.	खजाना, नयी दिल्ली
364.	किड स्टफ (टिंकर टामस), नयी दिल्ली
365.	किलकारी टामस, नयी दिल्ली
366.	लक्षनपाल नेशनल लि०, बड़ौदा
367.	मथुरा कोटस लि०, बेंगलूर

1	2
368.	मंधी, नयी दिल्ली
369.	मीरा एंड क०, नई दिल्ली
370.	मोदी ओवर्ड्स लि०, नई दिल्ली
371.	मीना टामस इन्डस्ट्रीज, नयी दिल्ली
372.	रिची जरच प्रोडक्ट्स, नयी दिल्ली
373.	होल्ड टामस, नयी दिल्ली
374.	सुपर सेल्स इंडिया, नयी दिल्ली
375.	सुरेन्द्रा ट्रेडिंग कं०, नयी दिल्ली
376.	विमल इंटर प्राइजेज, नयी दिल्ली

शिपयार्डों की क्षमता का उपयोग

[अनुवाद]

2667. श्री हरि किशोर सिंह :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिपयार्डों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन शिपयार्डों की क्षमता का अधिक करने उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गोवा शिपयार्ड लि० गोवा और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लि० कलकत्ता की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य शिपयार्डों की क्षमता उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम।	32%
2. कोचीन शिपयार्ड लि० कोचीन।	25%
3. हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लि० कलकत्ता	71%
4. केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता का राजाबागान डॉकयार्ड	37%
5. मझगांव डॉक लि०, बम्बई	60%

क्षमता के कम उपयोग के निम्नलिखित कारण है :—

(I) शिपयार्डों की गंभीर नकदी प्रवाह समस्या ।

(II) शिपयार्डों की कम उत्पादकता ।

(III) शिपयार्डों द्वारा अप्रचलित प्रौद्योगिकी का अनुसरण ।

(IV) स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा उपकरणों की समय पर आपूर्ति न कर पाना ।

(ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई की है/करने का प्रस्ताव है ।

(I) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० तथा कोचीन शिपयार्ड लि० की पूंजीगत पुन: संरचना ।

(II) शिपयार्डों की उत्पादन प्रौद्योगिकी में सुधार जैसे, उन्नत साज सामान, माड्यूलर-निर्माण इत्यादि ।

(III) शिपयार्डों की क्षमता के अधिकतम उपयोग के लिए उत्पादन-सुविधाओं में वृद्धि ।

(IV) अधिक प्रभावी उत्पादन-नियोजन तथा नियंत्रण प्रणाली ।

(V) क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए जहाजों के और आर्डर प्राप्त करने के प्रयास ।

लघु उद्योगों पर अधिक ब्याज दर का प्रभाव

2668. **श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों की ऊंची ब्याज दरों का लघु उद्योग इकाइयों तथा भवन निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उद्योगों को पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाने के विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उधार की दर में वृद्धि जैसे उपाय का उद्देश्य बेहतर वित्तीय अनुशासन लाना, उत्पादकता में सुधार करना और माल-सूची के विस्तार पर नियंत्रण रखना है। अर्थ व्यवस्था में व्यापक आर्थिक असंतुलन, जो बड़े बजट घाटे, अर्थ व्यवस्था में अधिक नकदी निधि और भुगतान संतुलन के चालू खाते में बड़े घाटे के रूप में सामने आया है असंतुलन में सुधार करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना आवश्यक हो गया । उधार की दर को बढ़ाना मुद्रास्फिति-विरोधी एक ऐसा ही उपाय है । चूंकि ब्याज दर में संशोधन अभी हाल ही में 9 अक्तूबर, 1991 को किया गया है । अतः लघु उद्योग एककों और आवास निर्माण उद्योग पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी ।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

उड़ीसा में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नये बिक्री केन्द्र खोलना

2669. श्री के० प्रधानी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में नये बिक्री केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस संबंध में बाजार का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्पाद शुल्क की वसूली

[हिन्दी]

2670. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने उत्पाद शुल्क की वसूली की गयी;

(ख) कितने औद्योगिक इकाईयों ने उत्पाद शुल्क का स्वेच्छा से भुगतान किया है और कितनी इकाईयों ने न्यायालयों के आदेशों पर भुगतान किया है;

(ग) क्या कुछ ऐसी भी औद्योगिक इकाईयां हैं जिन्होंने न्यायालयों के आदेशों के बावजूद उत्पादक शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूल की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
1988-89	1989-90	1990-91
18841	22406	24356 (अनन्तिम)

(ख) स्वतः निकासी प्रक्रिया के अन्तर्गत, निर्धारिती केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की संदेय राशि का स्वयं हिसाब लगाते हैं और अपने बही खाते में इसे डेबिट कर देते हैं। वास्तविक नियंत्रण के अन्तर्गत

कार्य कर रहे यूनिटों के मामले में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों द्वारा निर्धारण करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि माल की निकासी से पूर्व स्वेच्छा से अदा कर दी जाती है। इसप्रकार, सभी मामलों में माल की निकासी के समय शुल्क की अदायगी स्वेच्छा से की जाती है। जहां संदेय शुल्क की सही राशि के बारे में कोई विवाद होता है, शुल्क अनन्तिम तौर पर अदा कर दिया जाता है और शुल्क के अन्तर को, यदि कोई हो, विवाद को अन्तिम तौर पर निपटाये जाने के पश्चात् अदा कर दिया जाता है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में भर्ती केन्द्र

2671. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रक्षा सेवाओं के लिए भर्ती केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय उड़ीसा में निम्नलिखित भर्ती केन्द्र कार्य कर रहे हैं :—

(1) शाखा भर्ती कार्यालय, कटक।

(2) शाखा भर्ती कार्यालय, सम्बलपुर।

(3) शाखा भर्ती कार्यालय, बेहरामपुर।

(4) वायुसैनिक चयन केन्द्र, भुवनेश्वर।

(5) नौसेना भर्ती स्थापना, भारतीय नौसेना पोत, चिल्का

भर्ती किए जाने योग्य पुरुषों की जनसंख्या और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये पांच भर्ती केन्द्र पर्याप्त समझे जाते हैं।

निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा के खाते रखे जाना

[अनुवाद]

2672. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सन्तोषजनक रिकार्ड वाले निर्यातकों को भारतीय स्टेट बैंक

तथा भारत में कार्यरत अन्य विदेशी बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाता रखने की इजाजत देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। योजना के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

1. रिजर्व बैंक ने सन्तोषजनक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों को भारत में बैंकों के पास विदेशी मुद्रा के खाते रखने के लिए चयनात्मकता के आधार पर अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रारम्भ में ऐसे खातों को भारतीय स्टेट बैंक, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और भारत में कार्यशील विदेशी बैंकों की नामित शाखाओं में, जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविज्ञता है, में रखने की अनुमति होगी। अपनी आयात आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए जो निर्यातक विदेशी मुद्रा में ओवरड्राफ्टों/विदेश में बैंकों से ऋण के आवर्ती उपाय करने की स्थिति में हैं, विदेशों में बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में खाते रखने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए भी तैयार होगा। गुणावगुण के आधार पर अपने निर्यातक ग्राहकों के विदेशी मुद्रा खातों को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत निजी क्षेत्र के बैंकों के अनुरोध पर भी रिजर्व बैंक विचार करेगा।

2. भारत या विदेश में, जैसा भी मामला हो, विदेशी मुद्रा खाते रखने की सुविधा सामान्यतः उन निर्यात घरानों, व्यापार घरानों, विशिष्ट व्यापार घरानों और अन्य निर्यातकों को दी जाएगी, जिसकी पूर्ववर्ती वर्ष में निर्यात और विदेशी मुद्रा के देशों से आयात से निवल विदेशी मुद्रा आय 4 करोड़ रुपए से कम न हो। जब किसी निर्यातक को भारत या विदेशों में किसी बैंक के पास विदेशी मुद्रा में खाता डालने की अनुमति दी जाती है, तो उसे विदेशी ग्रुप (एशियन क्लीयरिंग यूनियन के सदस्य देशों के अलावा) के देशों को किए गए सभी निर्यात लदानों की आय के लिए उधार लेने की अनुमति होगी। इन खातों की धनराशियों का उपयोग की अनुमति विदेशी ग्रुप (एशियन क्लीयरिंग यूनियन के सदस्य देशों को छोड़कर) के देशों से किए जाने वाले आयातों के भुगतान के लिए सम्बन्धित निर्यातक द्वारा रिजर्व बैंक की अनुमति से जुटाए गए विदेशी मुद्रा खातों की वापसी अदायगी और इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज की अदायगी और इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए ब्लैंकेट परमिटों के सुविधा-प्राप्त प्रयोजनों के लिए दी जाएगी।

3. विदेशी मुद्रा खाते रखने की सुविधा को, इन खातों में जमा निर्यात की आय में से आयातों के लिए भुगतान के निपटान, विदेशी मुद्रा ऋणों की वापसी अदायगी और रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कुछ प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में एक तन्त्र के रूप में लागू किया जा रहा है। निर्यातकों को निर्यातों/आयातों और विदेशी मुद्रा उधार में, आदि के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा नियंत्रण/व्यापार नियंत्रण संबंधी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

आवश्यक वस्तुओं पर बिक्री कर, चुंगी और रायल्टी को तर्कसंगत बनाना

2673. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह पूछा है कि वे कीमतों पर, निर्बाध

रखे तथा आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले बिक्री कर, चुंगी और रायल्टी जैसे करों की भी समीक्षा करें तथा इन्हें तर्कसंगत बनायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 4-5 अक्तूबर, 199 ! को हुई मुख्य मंत्रियों की बैठक के दौरान, मुद्रास्फीति के प्रबन्ध पर एक पृष्ठभूमि-टिप्पणी परिचालित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे राज्य स्तर पर ही कीमतों को मानीटर (प्रबोधन) करें और बिक्री कर, प्रवेश शुल्क, निकास शुल्क, रायल्टी, चुंगी, उपकर आदि जैसे विभिन्न करों के मूल्यों पर होने वाले प्रभाव की जांच करें तथा विशेषरूप से चीनी, चाय और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के क्षेत्र में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए उन्हें युक्तियुक्त बनाएं। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले जाने पर अनौपचारिक प्रतिबन्ध न थोपें क्योंकि उनसे न केवल मूल्यों में और काले धन में वृद्धि होती है बल्कि एक अभाव की मनोभावना भी उत्पन्न होती है। राज्य सरकारों पर इस बात के लिए भी जोर दिया गया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक सजीव तत्व है और सहमत प्राथमिकताओं के क्षेत्रों में केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा समन्वित कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।

एसी० बैंड सैटेलाइट अपलिंक अर्थ स्टेशन

2674. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड ने एसी० बैंड सैटेलाइट अपलिंक अर्थ स्टेशन का सफलता पूर्वक विकास और निर्माण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अर्थ स्टेशन का उपयोग किस प्रयोजनार्थ किये जाने की सम्भावना है;

(ग) इस अपलिंक अर्थ स्टेशन की लागत कितनी है इसमें पहले आयात किये गये अपलिंक अर्थ स्टेशन से कितनी भिन्नता है; और

(घ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित और विकसित की जा रही अन्य मदों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी हां।

(ख) अपलिंक (सी-बैण्ड) का उपयोग उपग्रह के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों नेटवर्क कार्यक्रमों का दूरदर्शन से प्रसारण करने के लिए किया जाता है।

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स द्वारा निर्मित इस अपलिंक स्टेशन की कीमत 2.39 करोड़ रु० है। आयात की गई इसी प्रकार की प्रणाली-लागत 3 करोड़ रु० होगी।

(घ) भारत इलैक्ट्रानिक्स बहुत सी संचार प्रणालियों, रडारों, प्रसारण उपस्करों और विद्युत संघटकों का निर्माण करती है और इन उपकरणों का वह प्रति वर्ष लगभग 700 करोड़ रु० का कारोबार करती है। इस कम्पनी द्वारा देश में ही विकसित की गई मदों में अपकनवर्टर्स, डाउन कनवर्टर्स, लो

ग्राइज एम्पलिफायर्स, विडियो, मॉडयूलेटर्स, डिमोयूलेटर्स, वीडियो एण्ड आडियो प्रोसेसिंग/कंट्रोल सर्किट्स, स्पेपट्रॅक सिस्टम, आन-लाईन मानिटरिंग सब-सिस्टम आदि जैसी बेसिक अर्थ स्टेशन उप-प्रणालियां शामिल हैं ।

उड़ीसा को पुलों के निर्माण हेतु धन

2675. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क कोष योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में सड़क विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या उड़ीसा का पुलों के निर्माण हेतु आबंटित की गई धनराशि राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो आबंटन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निधियां, राज्य में अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की जा चुकी कुल निधियों, राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकता और बजट प्रावधान की उपलब्धता को ध्यान में रख कर, जारी की जाती है। उड़ीसा में पुलों सहित संस्वीकृत स्कीमों की कुल राशि तक निधियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान कोई निधियां जारी करना तब तक संभव नहीं है जब तक 38.00 लाख रु० की लागत के एक नए अनुमोदित पुल कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी संस्वीकृति जारी नहीं कर दी जाती।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार योजना

2676. **कुमारी दीपिका चिखलिया :**

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा विकलांग सैनिक कार्मिकों के लिए एक नई स्व रोजगार योजना "सेम्फेक्स-तीन" आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991 और 1992 में कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग कमीशन, बम्बई के सहयोग से 15 अक्तूबर, 1991 से सेम्फेक्स-III (भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार) नामक एक नई स्वरोजगार योजना चलाई गई है। इस योजना का उद्देश्य सारे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अन्तर्गत आने वाले खादी ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देकर तथा उनका विकास करके भूतपूर्व सैनिकों, विकलांग सैन्य कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं

को व्यापक आधार पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत सभी भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं और 21 वर्ष से अधिक आयु वाले विकलांग भूतपूर्व सैनिक, उनकी आय पर ध्यान दिए बिना, स्वरोजगार पाने के पात्र हैं। खादी ग्रामोद्योग कमीशन तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की उदारीकृत योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार चलाने के लिए ऋण देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत संस्थाओं/सहकारिता समितियों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा, खादी ग्रामोद्योग कमीशन ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्राप्त करके देश में स्थित अपने सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में लाभ पाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी देता है।

(ग) यह योजना हाल ही में शुरू की गई है इसलिए लाभ पाने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना अभी सम्भव नहीं है।

केरल राज्य सड़क परिवहन को अनुदान

2677. श्री कोडी कुन्नील सुरेश :

क्या जल भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऐसे किसी अनुदान की मांग की है जिससे वह पैट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में वृद्धि के बावजूद राज्य सड़क परिवहन की बसों के किराये की वर्तमान दरों को कायम रखने में सक्षम बनी रहे;

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुजानपुर तीरा, हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल

2678. श्री डी० डी० खनोरिया :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुजानपुर तीरा (हिमाचल प्रदेश) के सैनिक स्कूल को पिछले दो वर्षों के दौरान हुई आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान स्कूल की प्रगति के लिए क्या कदम उठाए गए ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) सैनिक स्कूल, सुजानपुर तीरा की पिछले दो वर्ष की आय तथा उनके व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	आय	व्यय
1989-90	38, 28, 467.10 रुपये	37, 08, 438.40 रुपये
1990-91	36, 22, 271.00 रुपये	36, 64, 022.00 रुपये

(ख) सैनिक स्कूलों के काम की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। सुजानपुर टीरा सैनिक स्कूल में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :—

(I) विद्यार्थियों को दूरदर्शन के उपयोगी कार्यक्रम दिखाने के लिए एक डिस्क एण्टीना लगाया गया है।

(II) ध्वनि प्रतीकों पर कक्षाएं चलाई गई हैं।

सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों और विकलांग सेना कार्मिकों के लिए योजनाएं

2679. श्री आर्थर फर्नान्डीज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, सैनिकों की विधवाओं और विकलांग सेना कार्मिकों के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं से अब-तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिकों और उनकी सहकारी आवास समितियों को भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को प्रोत्साहित करने तथा ऋण देकर उन्हें वित्तीय सहायता देने की अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। यदि भूतपूर्व सैनिकों के पास व्यावहारिक योजनाएं हों तो वे इस सहायता का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार ने भी केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं आरम्भ की हैं जिनका सभी भूतपूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं तथा निशक्त सेना कार्मिक लाभ ले सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं हैं : (1) भूतपूर्व सैनिकों, के लिए स्वरोजगार-1 (सेमफैक्स-1) तथा (2) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वरोजगार-2 (सेमफैक्स-2) योजना। ये योजनाएं औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहयोग से तथा कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यों अथवा कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए, जो सेमफैक्स-1 की परिधि में नहीं आते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आरम्भ की गई।

हाल ही में 15 अक्तूबर, 1991 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सहयोग से भूतपूर्व सैनिकों, निशक्त सेना कार्मिकों, तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को खादी और ग्रामोद्योग लगा-कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वास्ते भूतपूर्व सैनिकों के, लिए स्वरोजगार-3(सेमफैक्स-3) योजना आरम्भ की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शुरू की गई उदारीकृत सहायता योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के सहकारी संघों/संस्थानों/पंजीकृत सोसाइटियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को ऋण दिये जाते हैं, भले ही उनकी आय कुछ भी हो।

(ग) सेमफैक्स-1 और सेमफैक्स-2 से लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार

संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

सेमफैक्स-3 योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है इसलिए इससे प्राप्त लाभ का ब्यौरा देना अभी संभव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सेमफेक्स-I और सेमफेक्स-II योजनाओं के आरम्भ होने से अब तक लाभान्वित होने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	सेमफेक्स-I (सितम्बर, 9 ;तक)	सेमफेक्स-II (जून, 91 तक)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
2.	असम	37	—
3.	आन्ध्र प्रदेश	129	19
4.	बिहार	701	60
5.	दिल्ली	350	22
6.	गोवा	7	7
7.	गुजरात	53	7
8.	हरियाणा	227	58
9.	हिमाचल प्रदेश	143	8
10.	जम्मू और कश्मीर	130	17
11.	कर्नाटक	287	16
12.	केरल	510	53
13.	मध्य प्रदेश	147	24
14.	महाराष्ट्र	109	14
15.	मणिपुर	—	3
16.	मेघालय	—	—

1	2	3	4
17	नागालैण्ड	—	—
18.	उड़ीसा	28	9
19.	पांडिचेरी	3	2
20.	पंजाब	330	258
21.	राजस्थान	401	98
22.	सिक्किम	5	—
23.	त्रिपुरा	77	—
24.	तमिलनाडु	587	154
25.	उत्तर प्रदेश	261	387
26.	पश्चिम बंगाल	204	445
27.	मिजोरम	76	—
	जोड़	4802	1261

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न बैंकों की शाखायें

2680. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिला-वार, में कौन-कौन से राष्ट्रीयकृत, सहकारी और अन्य बैंक कार्यरत हैं तथा उनकी शाखायें किन-किन स्थानों पर कार्यरत हैं; और

(ख) गुजरात में नई शाखायें खोलने के लिए विभिन्न बैंकों के पास कितने लाइसेंस लम्बित हैं और ये शाखायें कहां-कहां खोलने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) गुजरात के ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। गुजरात में ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंक की 2401 शाखाएं कार्य कर रही हैं। शाखाओं और उनके स्थानों की सूची तैयार करने में किया जाने वाला प्रयास उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुसार नहीं होगा।

(ख) गुजरात में नई शाखायें खोलने के वास्ते बैंकों के पास लंबित पड़े लाइसेंसों की संख्या

और स्थान, जहाँ इन शाखाओं का खोला जाना प्रस्तावित है, नीचे दिए गए है :—

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	जिले का नाम	बैंक का नाम
1.	गंधार	भरुच	बैंक आफ बड़ौदा
2.	सागोद	—तदैव—	देना बैंक
3.	भिरंडियरा	कच्छ	—तदैव—
4.	रामपुर	—तदैव—	भारतीय स्टेट बैंक
5.	अम्बाला	बड़ोदरा	देना बैंक
6.	कुकरदा	—तदैव—	—तदैव—
7.	गिडसी	—तदैव—	भारतीय स्टेट बैंक

विवरण

गुजरात के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की जिला-वार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	115
2.	अमरेली	90
3.	बनास कंठा	110
4.	भरुच	110
5.	भावनगर	113
6.	डांग्स	11
7.	गांधीनगर	44
8.	जामनगर	93
9.	जूनागढ़	121
10.	कच्छ	158
11.	खेड़ा	253
12.	महेसाना	191

1	2	3
13.	पंच महल	153
14.	राजकोट	144
15.	साबर कंठा	126
16.	सूरत	136
17.	सुरेंद्रनगर	93
18.	वड़ोदरा	148
19.	वलसाद	192
	जोड़ :	2401

गुजरात में कपड़ा मिलें खोलना

2681. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय कपड़ा विभाग द्वारा प्रबन्धित और अधिक कपड़ा मिलें खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्रबंधित मिलों का राष्ट्रीयकरण

2682. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्धन के अधीन कार्यरत कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के नियन्त्रण अधीन 15 प्रतिबन्धित मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में निर्णय विभिन्न सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद उचित समय पर लिया जाएगा।

केरल में सहकारी बैंक को ब्याज राजसहायता पुन: देना

2688. प्रो० के० वी० थामस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसानों को ऋण देने वाले सहकारी बैंकों को दी जाने वाली ब्याज राजसहायता को पुन: देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) केरल राज्य सरकार सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए अनुमोदन दिए जाने का आग्रह करती रही है। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली बिना रोक-टोक की ऐसी ब्याजदर रियायतों को उचित नहीं समझती।

यातायात को राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-9 से राज्यों की सड़कों की ओर मोड़ना

2684. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-9 पर स्थित कोमारा में पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी यातायात को इब्राहिम पतनाम-तिरूवुरू और नादिगांव-माधिरा राज्यीय राजमार्ग की ओर मोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी वाहन यातायात को इन सड़कों पर डालने से ये सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन दो सड़कों की मरम्मत करने तथा इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए कन्द्राय सड़क निधि में से पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। लेकिन केवल मानसून की अवधि के दौरान।

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि समय-समय पर हो रही क्षति (टूट-फूट) की उनके द्वारा मरम्मत की जा रही है और सड़क को यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(ग) के (ङ) चूंकि राज्य सरकार ने आठवीं योजना अवधि के लिए अपने केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया है, अत: केन्द्रीय सड़क निधि से पर्याप्त निधियां प्रदान किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश

2685. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश बहुत ही कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों में प्रति निवेश बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1988, 1989 और 1990 (अद्यतन उपलब्धि) के अन्त में आन्ध्र प्रदेश राज्य और पूरे देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का प्रति व्यक्ति निवेश नीचे दिया गया है :—

	प्रति व्यक्ति निवेश (रुपये)	
	आंध्र प्रदेश	अखिल भारत
मार्च, 1988	173	187
मार्च, 1989	205	215
मार्च, 1990	231	249

राज्य में वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिम और ऋण जमा अनुपात के तीन वर्षों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(राशि करोड़ रुपये)

	अग्रिम		ऋण : जमा अनुपात	
	आंध्र प्रदेश	अखिल भारत	आंध्र प्रदेश	अखिल भारत
जून, 1989	7015.22	96587.87	86.9	65.5
जून, 1990	8187.52	114643.65	87.9	66.0
जून, 1991	9014.79	130321.21	81·5	65.5

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य में ऋण : जमा अनुपात के आंकड़े अखिल भारत के आंकड़ों की तुलना में अधिक हैं। ऋण : जमा अनुपात ही किसी राज्य/क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास की एकमात्र सूचक नहीं हैं। किसी राज्य/क्षेत्र विशेष में स्थानीय रूप से जुटाई गई जमाराशियों की तुलना में ऋण का स्तर उस राज्य/क्षेत्र की ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो फिर आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने जैसे तथ्यों द्वारा निर्धारित और प्रभावित होता है। फिर भी बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे ऋण देने में राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय

असमानता को दूर करें और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पता लगाए गए व्यवहार्य प्रस्तावों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए।

चाय का उत्पादन

2686. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) इसके उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चाय के उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है :—

वर्ष	उत्पादन (मी० कि० ग्रा०)
1988-89	682.67
1989-90	702.81
1990-91	716.67*

*अनन्तिम

यह अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन लगभग 735 मि०कि० ग्रा० होगा।

(ग) चाय का उत्पादन बढ़ाने के उपायों में ये शामिल हैं :—

(i) अल्पविधि उपाय जैसे—कि विनिर्दिष्टियों और खेती की उन्नत पद्धतियों को अनुकूल बनाने को बढ़ावा देना।

(ii) मध्यमाविधि उपाय जैसे—सिंचाई, जल निकास नवीकरण, छांट-छांट तथा बराई को बढ़ावादेना।

(iii) दीर्घावधि उपाय जैसे—रोपण का विस्तार करना तथा पुनरोपण करना।

बैंकों द्वारा अनिवासी भारतीयों से धनराशि जुटाना

2687. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश विदेशी बैंकों और सहकारी क्षेत्रों के बैंकों ने अनिवासी भारतीयों से धन-राशि जुटाने हेतु अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे विकास योजनाओं में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

छोटी तथा मझोली कम्पनियों के लिए वैकल्पिक पूंजी बाजार की व्यवस्था

2688. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी तथा मझोली कम्पनियों की गतिमानता सुनिश्चित करने तथा पूंजी निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने किसी वैकल्पिक पूंजी बाजार की व्यवस्था की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसे कब तक लागू करने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (ख) लघु/नई (स्टार्ट अप) कम्पनियों या अद्यतन तकनीक वाले (ग्रीन फील्ड) उद्यमों जिनके पास सम्भाव्य अर्थक्षम परियोजनाएं हैं, के शेयरों के लिए बाजार की व्यवस्था करने के मुख्य उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की सहायक कम्पनियों ने ओवर द काउंटर एक्सचेंज आफ इण्डिया (ओ० टी० सी० ई० आई०) का प्रवर्तन किया है।

(ख) ओ० टी० सी० ई० आई० का गठन मुख्य रूप से नीचे लिखी कम्पनियों की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है :—

(1) पहली पीढ़ी (फर्स्ट जनरेशन) के उद्यमियों द्वारा स्थापित कम्पनियां;

(2) उच्च जोखम, उच्च तकनीक परियोजनाओं की कम्पनियां;

(3) थोड़ी पूंजीगत आवश्यकता वाली कम्पनियां ।

ओ० टी० सी० ई० आई० के परिचालन निकट भविष्य में शुरू हो जाने की आशा है ।

स्टाक एक्सचेंज के शासी बोर्डों के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना

2689. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों शासी बोर्डों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के बारे में कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्टाक एक्सचेंजों में इस योजना में किसी परिवर्तन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) निवेश के अनुसार स्टाक एक्सचेंज अपने शासी बोर्ड के कार्य-क्षेत्र को इस ढंग से बढ़ायेंगे कि एक तरफ चुने हुए स्टाक-दलाल निवेशकों तथा दूसरी तरफ सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्तियों और जनता के प्रतिनिधियों का अनुपात बराबर का होगा।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद स्टाक एक्सचेंज इस बात के लिए सहमत हैं कि चुने हुए और गैर-चुने हुए निवेशकों का अनुपात 60 : 40 का होना चाहिए। दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने सुझाव दिया है कि सभी स्टाक एक्सचेंजों के अध्यक्षों की आगामी बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड निवेश के कार्यान्वयन की मानीटरी कर रहा है।

व्यापार विकास प्राधिकरण का भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ विलय

2690. श्री अम्मा जोशी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यापार विकास प्राधिकरण का भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के साथ विलय करके एक नया संगठन बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, हां। दोनों एजेंसियों के एकीकृत कार्य के परिणामस्वरूप और ज्यादा कार्यक्रम समन्वय, संचालन संबंधी निपुणता और कार्यों के परस्पर व्यापन से बचाव द्वारा बेहतर निर्यात संवर्धन होगा।

पुणे के नजदीक देहू रोड छावनी में इनाम भूमि का अधिग्रहण

2691. श्री अम्मा जोशी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूना के नजदीक देहू सड़क छावनी में कुछ "इनाम भूमि" का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण का वर्ष, भू-स्वामियों की संख्या, अधिग्रहित भूमि का कुल क्षेत्रफल और कृषि तथा गैर-कृषि भूमि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भू-स्वामियों को देय मुआवजा अदा कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को जो इस अधिग्रहण के बाद भूमिहीन हो गए हैं, वैकल्पिक भूमि दी है;

(च) क्या सरकार की देय मुआवजे की अदायगी और प्रभावित भू-स्वामियों के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया कराने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) देहू रोड छावनी की स्थापना के लिए भूमि का अर्जन वर्ष 1955 में किया गया था : अर्जित भूमि में से "इनाम भूमि" के ब्यौरे और भू-स्वामियों को हर्जाने की अदायगी से सम्बन्धित ब्यौरे राज्य सरकार के पास हैं।

(च) और (छ) हाल में ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस भूमि का अर्जन 30 वर्ष पूर्व किया गया था, इसलिए इतना समय बीत जाने के बाद उन्हें रोजगार सहायता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा देयता पर श्वेत पत्र

2692. श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर भारतीय रुपये और अमरीकी डालर, पौंड, स्टर्लिंग, येन, मार्क और स्वर्ण मुद्राओं में ऋणों पर ब्याज देयता सहित कुल कितनी विदेशी मुद्रा देयता बाकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऋण पर ब्याज देयता और विदेशी मुद्रा देयता के बारे में श्वेत पत्र जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय कुल मिलाकर विदेशी ऋण की स्थिति नियन्त्रणीय सीमाओं के भीतर ही है। देश की विदेशी ऋण-ग्रस्तता के स्तर और ऋण परिशोधन के सम्भावित भार पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन सम्बन्धी देयता, इन दायित्वों को पूरा करने की हमारी क्षमता के भीतर ही रहे। इस प्रकार विदेशी मुद्रा एवं ऋण परिशोधन संबंधी देयता पर श्वेत पत्र प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं है।

विवरण

31-3-1991 तक की स्थिति के अनुसार मुद्रा-वार बकाया विदेशी ऋण देयता और चालू वर्ष 1991-92 के लिए ऋण परिशोधन देयता का ब्यौरा

क्रम सं०	मुद्रा (सरकारी खाता)	(दाता की मुद्रा मिलियन में/रुपये करोड़ों में) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार आखिरी बकाया ऋण		ऋण परिशोधन सम्बन्धी अदायगियां	
		दाता की मुद्रा	रुपये	दाता की मुद्रा	रुपये
1	2	3	4	5	6
1.	यू० एस० डालर	17902.335	34593.76	1549.512	3792.41
2.	संयुक्त अरब अमीरात दिरहाम	22.668	11.78	5.476	3.61
3.	आस्ट्रियाई शिलिंग	632.841	101.13	48.466	11.60
4.	बेल्जियम फ्रांक	3574.764	202.51	198.578	16.09
5.	कनाडियन डालर	660.201	1101.25	16.701	35.40
6.	डेन० क्रानर	977.693	298.44	13.394	5.84
7.	फ्रैंच फ्रांक	6476.798	2229.91	678.985	340.08
8.	ड्यूस मार्क	5158.270	6040.13	264.068	444.48
9.	जापानी येन	460057.344	6440.80	28886.954	554.60
10.	कुवैत दीनार	55.318	344.92	6.054	51.90
11.	डच गिल्डर	1902.621	975.72	116.129	172.15
12.	साउदी रियाल	300.506	153.02	55.681	35.95
13.	स्विस फ्रांक	184.430	185.93	16.973	38.62
14.	स्वीडिश क्रोनर	360.228	115.86	0.500	0.23
15.	पौंड स्टार्लिंग	138.201	475.90	25.700	124.02
16.	यू० एस० एस० आर० रूबल	941.951	2204.34	80.652	252.55

1	2	3	4	5	6
17.	भारतीय रुपया	523.673	52.37	18.831	1.88
18.	विशेष आहरण अधिकार (एस० डी० आर०)	3582.537	9512.35	72.032	225 29
	जोड़		66043.72		6106.66
	(गैर-सरकारी खाता)				
1.	यू० एस० डालर	931.938	1800.84	138.262	256.59
2.	फ्रेंच फ्रांक	9 .642	31.89	7.588	2.84
3.	ड्यूश मार्क	438 066	512.96	19.133	24.11
	जोड़		2345.69		283.54
	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार एस० डी० आर०	1947.900	4389.00	515.449	1387.00
	विदेशी वाणिज्यिक उधार	उ० न०	26706.00	उ० न०	4159.00

उ० न० : उपलब्ध नहीं

करों की वसूली

2693. श्री अम्मा जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले नौ महीनों के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर और आय कर के रूप में, अलग-अलग, कितनी-कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) इस विशेष अवधि के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ग) क्या लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान वसूली के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन-कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) फरवरी 1991 से अक्तूबर, 1991 तक वसूल की गई रकम निम्न प्रकार है :

(रुपये करोड़ों में)

सीमा शुल्क	उत्पादन शुल्क	आयकर	निगम कर
15112.68	19973.38	4271	4437

(ख) से (घ) राजस्व वसूली के लिए लक्ष्य वित्तीय-वर्ष-वार निर्धारित किए गए हैं। इसलिए उपर्युक्त नौ महीनों की अवधि के लिए किन्हीं लक्ष्यों के निर्धारण का और उनकी उपलब्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) अधिकतम राजस्व वसूली करने के लिए समय-समय पर हर सम्भव उपाय किए जाते हैं।

तोपों की खरीद

2694. श्री गुरुदास कामत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक संख्या में बोफोर्स तथा होवित्जर तोपें खरीदने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सम्भावित क्रय योजनाओं के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा आयातित सामान के भण्डारण के लिए बांड जारी करने को स्थगित करना

2695. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीम-शुल्क विभाग के पास आयातित सामान के भण्डारण के लिए बांड जारी करने की प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोन्स को सक्षम बनाना

2696. श्री अवध कुमार पटेल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रोसेसिंग जोनों को अर्थक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए है अथवा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार ने नई व्यापार नीति के एक भाग के रूप में 100% निर्यात अभिमुख एककों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के एककों के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। इनमें यह बातें शामिल हैं—उक्त दोनों स्कीमों के अन्तर्गत आवेदन करने तथा प्रस्तावों पर प्रक्रिया सम्बन्धी कार्रवाई की संशोधित क्रियाविधि, 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों के एककों के बारे में अनुमोदन बोर्डों/प्रशासनिक मंत्रालयों कुछ निश्चित शक्तियों का जोनों के विकास आयुक्तों को प्रत्यायोजन और कुछ क्रियाविधि सम्बन्धी सरलीकरण।

एशिया विकास बैंक से भारतीय तेल शोधक कारखानों के लिए ऋण

2697. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल शोधक कारखानों के विकास हेतु ऋण सहायता के लिए एशिया विकास बैंक के साथ बातचीत कर रही रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण के लिए बातचीत चल रही है; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी मदें सम्मिलित हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय तेल शोधक कारखानों में ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों में सहायता करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के सम्बन्ध में एशियाई विकास बैंक एक कार्यक्रम ऋण पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रस्तावित ऋण का ब्योरा अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

विदेशियों में लोकप्रिय खाद्य पदार्थों का निर्यात

2698. श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों में लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के निर्यात की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे खाद्यों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) संलग्नित खाद्य

उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जिसकी काफी गुंजाइश है, बाजार विकास व उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता उन्नयन सुधार और पैकेजिंग इत्यादि के द्वारा अनेक विकासात्मक कार्यक्रम करता है। इन क्षेत्रों में उन्नयन और सुधार के लिए एपीडा द्वारा निर्यातकों, विनिर्याताओं और अनुसंधान संस्थाओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता योजनाएं भी प्रस्तुत की जाती हैं। एपीडा के अनुसार, इसके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप लोकप्रिय खाद्य पदार्थों का निर्यात 1981 में 32.3 करोड़ रुपये था जो 1989-90 में 173% बढ़कर 88 करोड़ रुपये हो गया।

समुद्री उत्पादों से विदेशी मुद्रा की आय

2699. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद हमारे लिए विदेशी मुद्रा की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों ने कितनी विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त की;

(ग) समुद्र तटीय राज्यों में इसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए तथा एक निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में प्रयोग के आधार पर इन उद्योगों/एककों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए किन प्राथमिकताओं को तीव्र किया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) अस्तित्व में अथवा प्रस्तावित ऐसे उद्योगों/निर्यात एककों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितने उड़ीसा में हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान समुद्री उत्पादों का निर्यात मूल्य के रूप में देश के कुल निर्यात का 2.95% बैठता है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु० में)
1989-90	635
1990-91	893

समुद्री उत्पादों के सभी निर्यातक गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ग) श्रिंप हमारे निर्यातों का मुख्य हिस्सा है। निर्यात का उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार मछली पालन के माध्यम से श्रिंप के उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है। इस सम्बन्ध में सरकार हैचरी, एक्वाकल्चर फार्म स्थापित करने के लिए राजसहायता प्रदान कर रही है और इसके साथ ही कल्चर्ड श्रिंपों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बीज और चारे के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। मछली पालन के अतिरिक्त सरकार अनप्रयुक्त गहरे समुद्र में संसाधनों का उपयोग करने के लिए विविधीकृत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को भी प्रोत्साहन दे रही है।

(ङ) इस समय उड़ीसा में 20 समुद्री खाद्य निर्यातक हैं। उड़ीसा में समुद्री खाद्य उद्योग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

	संख्या	क्षमता (मी० टन/दिन)
प्रशीतित संयंत्र	14	76.5
शीतागार	18	1475.0

सरकार को उड़ीसा में समुद्री खाद्य उद्योग की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फिल्म अभिनेताओं पर आयकर की बकाया राशि

[हिन्दी]

2700. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन फिल्म अभिनेताओं की ओर एक लाख रुपये से अधिक आयकर की राशि देय है;

(ख) ऐसे प्रत्येक फिल्म-अभिनेता की ओर कितनी-कितनी आयकर की राशि देय है;

(ग) इनमें से प्रत्येक फिल्म अभिनेता की ओर यह राशि कब-कब से देय है; और

(घ) आयकर की उक्त बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) दिनांक 30-6-1991 तक की स्थिति के अनुसार 68 ऐसे फिल्मी सितारे थे, जिनमें से प्रत्येक की तरफ एक लाख रुपये से अधिक आयकर की मांग की राशि बकाया थी। इन फिल्मी सितारों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिसमें दिनांक 30-6-1991 तक की स्थिति के अनुसार प्रत्येक मामले में आयकर की बकाया राशि का तथा जिस वित्त वर्ष (वर्षों) में उक्त मांग जारी की गई है, उसका भी उल्लेख किया गया है।

(घ) इस मांग का एक बड़ा भाग अपीलों आदि में विवादग्रस्त है तथा इन अपीलों के शीघ्र निपटान हेतु उपाय किए गए हैं। कुछ मामलों में करों की वसूली को या तो रोक दिया गया है अथवा उसकी अदायगी यथोचित किस्तों में किये जाने की अनुमति दी गई है। अन्य मामलों में की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं—समुचित मामलों में अदायगी नहीं करने पर दण्ड लगाने के निमित्त नोटिस जारी करना; बैंक-खातों, ऋणों आदि की कुर्की हेतु वानिशी आदेश जारी करना; कर-वसूली अधिकारियों द्वारा वसूली विवरण-पत्र तैयार किया जाना ताकि वे परिसम्पत्तियों आदि की कुर्की/बिक्री के माध्यम से वसूली कर सकें। प्रशासनिक तौर पर, मांगों की वसूली पर निगरानी बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए विविध स्तरों पर आवधिक रूप से की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	आयकर आयुक्त का प्रभार	फिल्मी सितारे का नाम	दिनांक 30-6-91 की स्थिति के अनुसार आयकर की सकल बकाया मांग (लाख रु० में)	जिस वित्त वर्ष (वर्षों) में मांग जारी की गई
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु-II	सुश्री के० जी० रामप्रभा	2.58	90-91
2.		श्री आर० गणेशन	9.25	90-91
3.		सुश्री रेखा	4.40	90-91
4.		श्री एम० प्रभाकर रेड्डी	1.32	82-83 और 84-85
5.		स्व० श्रीमती प्रवीन	2.87	81-82 से 87-88
6.		श्री एस० एस० राजेन्द्रन	2.58	68-69 से 69-70 70-71 71-72
7.		श्री वी० सी० गणेशन	5.23	85-86 से 90-91
8.		सुश्री भानु प्रिया	2.81	90-91
9.		श्री डब्ल्यू० शोभन बाबू	2.01	87-88 और 89-90
10.		श्री के० चिरंजीवी	2.37	89-90 90-91
11.		श्री एम० आर० आर० वसु	1.39	72-73 से 75-76
12.		सुश्री विजय निर्मला	1.78	76-77 77-78, 82-83, 85-86, 86-87 और 87-88

1	2	3	4	5
13.		सुश्री पी० एस० सीता	1.37	90-91
14.		श्री सुमन तलवार	1.13	88-89 90-91
15.		श्री डी० वेंकटेश	1.55	87-88
16.		सुश्री एम० आर० राधिका	3.37	85-86 86-87
17.		श्री एम० आर० विश्वनाथन	3.94	90-91
18.		सुश्री शोभना	1.21	86-87 88-89 89-90
19.		स्व० प्रेम नज़ीर	10.71	80-81 से 86-87 88-89
20.		स्व० श्रीमती जी० सावित्री	21.70	73-74 75-76 से 78-79 80-81 82-83 से 87-88
21.		सुश्री श्रीविद्या	11.04	89-90
22.		सुश्री स्मिता	16.64	87-88 88-89
23.		एस० पी० बालसुब्रह्मण्यम्	4.93	90-91
24.	केन्द्रीय-I, मद्रास	सुश्री आर० जयप्रदा	156.51	84-85 से 90-91
25.		श्री आर० रजनीकांत	5.65	87-88 से 90-91
26.		सुश्री श्रीदेवी	58.46	86-87 से 89-90

1		2	3	4
27.		श्री एस० कमल हासन	14.36	85-86 87-88 89-90 90-91
28.		सुश्री सी० सुहासिनी	20.91	88-89 89-90 90-91
29.	केन्द्रीय-II, मद्रास	जी० एस० आर० कृष्णमूर्ति	20.44	85-86 से 90-91
30.	केन्द्रीय, बंगलौर	कु० एस० राधा	11.21	88-89 89-90 90-91
31.		सुश्री एस० अम्बिका	5.81	89-90 90-91
32.	आन्ध्र प्रदेश-I	श्री एन० टी० रामाराव	5.96	84-85 85-86 88-89 89-90
33.		श्री एन० बालकृष्णन्	4.09	89-90 90-91
34.	पश्चिम बंगाल-II	श्री विश्वजीत चटर्जी	1.38	68-69 से 74-75
35.	बम्बई सिटी-I	श्री गोविन्द आहूजा	1.19	89-90
36.		श्री कमालुद्दीन काज़ी	5.20	68-70 से 77-78 78-79
37.		सुश्री विद्या सिन्हा	7.25	84-85 86-87
38.		श्री दिलीप कुमार	2.09	88-89
39.		सुश्री रति अग्निहोत्री	10.80	85-86 से 89-90

1	2	3	4
40.	श्री अमजद खान	38.68	86-87 से 89-90
41.	श्री विक्रम	1.43	85-86 से 87-88 और 89-90
42	श्री ऋषि राज कपूर	2.34	83-84 और 90-91
43.	श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा	12.26	84-85 और 85-86
44.	सज्जन लाल के० पुरोहित	2.94	90-91
45.	डा० श्रीराम लागू	14.67	89-90 और 90-91
46.	सुश्री सायरा बानू	1.75	90-91
47.	सुश्री रीना रॉय	3.24	90-91
48.	श्री राजेश खन्ना	38.67	85-86 86-87 90-91
49.	श्री विजय आनंद	17.14	85-86 से 90-91
50.	श्री सुयश पाण्डेय	5.46	90-91
51.	सुश्री लवाना आजमी	2.00	82-83 से 89-90
52.	सुश्री पद्मिनी कपिला	7.33	90-91
53.	सुश्री मौसमी चटर्जी	3.61	87-88 से 90-91
54.	स्व० नसीर खान सरवर खान	2.80	68-69 और 71-72
55.	सुश्री अनीता राज	2.47	90-91
56.	दादा कोंडके	1.98	90-91

1	2	3	4	5
57.		सुश्री दीप्ति नवल	2.07	85-86 से 90-91
58.		सुश्री फरहा नाज	1.12	90-91
59.		श्री डेंनी डेंजोंगपा	2.86	89-90
60.		श्री शत्रुघ्न सिन्हा	17.60	88-89 से 90-91
61.		स्व० श्री रणवीर राज कपूर	86.65	90-91
62.		सुश्री हेमा मालिनी	11.63	90-91
63.		स्व० श्री किशोर कुमार गांगुली	18.04	84-85 से 90-91
64.		श्री राज बब्बर	16.46	88.89 90-91
65.		सुश्री रेखा गणेशन	49.45	87-88 से 88-89
66.		सुश्री राखी मजूमदार	2.11	85-86 से 90-91
67.		श्री आशीष के० सेनगुप्ता	2.07	82-83 से 86-87
68.		श्री नसीरुद्दीन शाह	2.07	90-91

बंगलौर में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की शाखा

[अनुवाद]

2701. **श्री जी० माडे गौडा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की एक शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

सड़कों पर रबड़ की परत चढ़ाने संबंधी कार्यक्रम

2702. श्री पाला० के० एम० मैथ्यू :

क्या अल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चरणबद्ध रूप से सड़कों पर रबड़ की परत चढ़ाने संबंधी कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) आर्थिक दृष्टि से सड़कों में रबड़ का उपयोग कैसा रहेगा ?

अल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बसवोज़ टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) सड़क निर्माण-कार्य में, रबड़ को अमर (बिटुमन) में संयोज्य के रूप में प्रयोग के प्रभावों का निर्धारण करने के लिए अध्ययन किया जा रहा है और यह प्रगति पर है । सड़कों के बनाने में रबड़ के प्रयोग की आर्थिक व्यवहार्यता का अनुमान इन अध्ययनों के परिणाम प्राप्त होने पर लगाया जा सकेगा।

खनिज और धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम का कारोबार

2703. डा० पी० वल्लल पेरुमाल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम और खनिज एंव धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1990-91 के दौरान कितने मूल्य का कारोबार किया और 1991-92 में इनका कितने मूल्य का कारोबार होने की संभावना है; और

(ख) उन्होंने अपने निर्यात को, विशेषकर गैर-परम्परागत मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या निर्यात संवर्धन उपाय किए है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) राज्य व्यापार निगम (एस० टी० सी०) और खनिज एंव धातु व्यापार निगम (एम० एम० टी० सी०) का वर्ष 1990-91 के दौरान कारोबार तथा वर्ष 1991-92 के दौरान का पूर्वानुमानित कारोबार निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	एस० टी० सी०	एम० एम० टी० सी०
1990-91	1756.00	5623.00
1991-92	1982.00	7503.66

(ख) एस० टी० सी० और एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्यात, खासकर गैर-परम्परागत

मूल्यवर्धित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिए जो निर्यात संवर्धन उपाय किए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल है :—

—यथापोक्षित आयातित और स्वदेशी कच्चे माल/सहायक सामग्री की व्यवस्था करना।

—निर्यात उत्पादों के अपने सहायक आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता देना

— विदेशी व्यापार/वस्तु मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना

—व्यापार वार्ता/संवर्धन के लिए विदेशों में बिक्री दल/प्रतिनिधिमंडल भेजना

—सम्भावित विदेशी क्रेताओं को नमूने और प्रस्ताव भेजना

—प्रति व्यापार निर्यात सृजन हेतु आयात को संतुलित करना

—सीधे क्रय और विक्रय पर अधिक बल देना

—आपूर्ति के अधिक अच्छे/कारगर स्रोत सृजित करना

—संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के जरिए रत्न और आभूषण का संवर्धन (एम० एम० टी० सी०)

—चुनिन्दा बाजारों को खनन मशीनरी का निर्यात (एम० एम० टी० सी०)

बीड़ी बनाने वाली इकाइयों के विरुद्ध बकाया उत्पाद शुल्क

2704. **डा० वसंत पवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी बनाने वाली इकाइयों के विरुद्ध कुल कितनी राशि उत्पाद शुल्क के रूप में बकाया है; और

(ख) ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उनसे ये बकाया वसूल करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) लगभग 2 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

(ख) ऐसे यूनिटों में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे-छोटे यूनिट भी शामिल हैं जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की राशि बकाया है और इनमें कुछ ऐसे मामले भी है जिनमें बकाया की राशि केवल सैकड़ों में है। अतः, ऐसे यूनिटों की सूची बहुत लम्बी होगी और इस सूचना को संकलित करने और प्रस्तुत करने में लगने वाला समय, प्रयास और व्यय इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। देय राशियों को वसूल करने के लिए यथा-आवश्यक प्रशासनिक, विधिक और अन्य उपाय लगातार किए जाते हैं।

हाल।

पारादीप पत्तन से मछली और झींगा मछली का निर्यात

2705. श्री गोपीनाथ मझपति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्यन बन्दरगाह के बनकर तैयार होने के बाद पारादीप पत्तन से मछली और झींगा मछली के निर्यात का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) मत्स्यन बन्दरगाह के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) मछली और झींगा का इस पत्तन के जरिए पहले से ही निर्यात किया जा रहा है। मत्स्य-उद्योग पत्तन के पूरा हो जाने पर निर्यात की मात्रा बढ़ने की आशा है।

(ग) मत्स्य उद्योग पत्तन का निर्माण पूरी प्रगति पर है। सम्पूर्ण कार्य को, 19.2.1994 तक हर प्रकार से पूरा हो जाने की सम्भावना है।

रुग्ण औद्योगिक ईकाइयों को पुन: चालू करना

2706. श्री पाल के० एम० जैम्यू :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण औद्योगिक ईकाइयों को पुन: चालू करने के लिए निर्धारित शर्तें और मार्ग निर्देशी सिद्धान्त क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : रुग्ण या कमजोर औद्योगिक एककों की पुनरुद्धार सम्बन्धी नीति में प्रोमोटरों, श्रमिकों, राज्य/केन्द्र सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिनका कि इन एककों में स्वार्थ निहित है, समन्वित रुख अपनाए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि संभावित अर्थक्षम एककों के पुनरुद्धार के लिए राहत और रियायत प्रदान की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंकों द्वारा राहत और रियायत प्रदान करने हेतु मोटे तौर पर मानदंड भी तैयार किए गए हैं तथापि, बैंकों को अधिकार है कि वे प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर इन मानदंडों के बाहर राहत या रियायत प्रदान कर सकते हैं। पुनर्वास कार्यक्रमों में बापसी अदायगी के लिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ी हुई अवधि में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की विद्यमान देय राशियों का भुगतान, ब्याज रियायत, नवीन अवधि ऋणों का अनुदान और साथ ही कार्यशील पूंजी सहायता का प्रावधान है।

जहां तक रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत आनेवाले रुग्ण एककों का सम्बन्ध है, एक अर्ध-न्यायिक निकाय अर्थात, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को यह अधिकार है कि वह निवारक, सुधारक, उपचारात्मक और अन्य उपायों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें और उन उपायों का शीघ्रता से प्रवर्तन करें।

जहां तक लघु उद्योग एककों का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रुग्ण लघु उद्योगों और अर्थक्षम एककों की परिभाषा तथा अर्थक्षम रुग्ण लघु उद्योग एककों

के पुनर्वास कार्यक्रम के भाग के रूप में राहत और पुनर्वास सहायता की मात्रा सम्बन्धी विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किया है ।

गुजरात में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

[हिन्दी]

2707. श्री बन्धु भाई देशमुख :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम और केन्द्रीय सड़क कोष योजना के अन्तर्गत गुजरात में सड़कों और पुलों के निर्माण की स्वीकृत की गई परियोजनाओं और उनकी लागत का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिकमहत्व की राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत गुजरात में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए कोई परियोजना संस्वीकृत नहीं की गई थी । तथापि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के तहत गुजरात में 11 सड़क तथा पुल परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया था और उनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम (सड़क/पुल)	के० स० नि० के तहत अनुमानित लागत (लाख रु०)
1	2	3
1.	जामनगर-द्वारका सड़क पर नत-स्थलों (डिप्स) के स्थान पर उच्च स्तर वाले पुल बनाना	
	(i) पड़ानियों नदी पर ऊंचे स्तर वाला पुल	14.71
	(ii) सीहान नदी पर ऊंचे स्तर वाला पुल	14.71
	(iii) नचेडी नदी पर ऊंचे स्तर वाला पुल	15.41
	(iv) मोती फुलजार नदी पर ऊंचे स्तर वाला पुल	23.10
	(v) नानी फुलजार नदी पर ऊंचे स्तर वाला पुल	22.07
2.	अहमदाबाद-मधेमदाबाद नाडियाड मार्ग को चौड़ा करना तथा मजबूत बनाना (चुनिंदा 26 कि० मी०)	50.00
3.	उच्छल-निजार सड़क (35.00 कि० मी० लम्बाई) को चौड़ा करके इंटरमिडिएट लेन बनाना	50.00
4.	अहमदाबाद भावनगर मधु मार्ग (चुनिंदा 30.00 कि० मी०) को चौड़ा करके दो लेन का बनाना	60.00

1	2	5
5.	जूनागढ़ जिले में मफातिओ नदी पर विसादर सासन सड़क पर मिसिंग पुल का निर्माण	10.00
6.	जूनागढ़ जिले में हडानियो नदी पर विसावदादर सासन सड़क पर मिसिंग पुल का निर्माण	12.50
7.	महादेव के निकट वुझानवा-वाघा पर हिमतनवर सालोद-विजाडिवा सड़क पर मिसिंग पुल का निर्माण	19.50
8.	बनकला पर बेडिट-गाइट-बिजारा सड़क पर पुल का निर्माण	22.50
9.	5 स्थानों पर राज्यीय राजमार्ग पर लेनों का निर्माण करना तथा शेष क्षेत्रों को विकसित करना	11.50
10.	गुजरात में अहमदाबाद-मेहसाना सड़क (चुनिंदा 12 कि० मी०) पर कैरिजवे को चौड़ा करके 4 लेन का बनाना	65.00
11.	लिमखेड़ा लिमाडी चाकला सड़क के चुनिंदा 12 कि० मी० को चौड़ा करके दो लेन का बनाना	50.00
	जोड़	441.00

इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें

[अनुवाद]

2708. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव आयोग ने 1.5 लाख इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदी थीं;

(ख) यदि हां, तो पिछले चुनाव में इन मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया;

(ग) सरकार का विचार 75 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किस प्रकार करने का है;

(घ) क्या राज्य सभा और विधान परिषद के चुनावों में इन मशीनों का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) इन मशीनों के उपयोग की व्यवस्था की जाने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में आवश्यक संशोधन, अन्तिम निर्वाचनों के पूर्व नहीं किए जा सके थे, अत: इन निर्वाचनों में इन मशीनों का उपयोग नहीं किया गया।

(ग) इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग शीघ्र ही किया जाना है।

(घ) से (च) जी नहीं। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग प्रथमत: सर्वाधिक मत प्राप्त प्रणाली (फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट) पर आधारित निर्वाचनों में किया जाता है। राज्य सभा और विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों में, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए जाते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है।

राज्य व्यापार निगम के विदेशों में स्थित कार्यालयों का बन्द होना

2709. श्री बी० एस० विजयराघवन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने विदेशों में स्थित अपने कुछ कार्यालय बन्द कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी, हां। अपने विदेश स्थित कार्यालयों की समीक्षा किए जाने के आधार पर एस० टी० सी० ने पैरिस, टोकियो, बर्लिन, जहा, नैरोबी तथा कुवैत स्थित अपने कार्यालयों को बन्द कर दिया है, क्योंकि इन कार्यालयों का कार्यनिष्पादन कार्यचालन की दृष्टि से अलाभकर पाया गया था। तथापि, एस० टी० सी० ने दुबई (यू० ए० ई०) में एक नया कार्यालय खोलने का निश्चय किया है।

दिल्ली में नगर मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाने की नई योजना

2710. श्री जीवन शर्मा :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई योजना के अन्तर्गत दिल्ली में नगर मार्गों पर प्राइवेट बसें चलाने के इच्छुक बस मालिकों को प्रति बस 50,000/-रुपये अग्रिम-राशि जमा करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतनी भारी धन-राशि अग्रिम के रूप में मांगे जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली ने दिल्ली के कुछ नगर रूटों पर दिल्ली परिवहन निगम के किराए से

अधिक किराए वाली बसें चलाने के लिए निजी प्रचालकों को 3000 स्टेज कैरिज परमिट देने की एक स्कीम तैयार की है। यह स्कीम अभी भी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है और इसलिए निजी प्रचालकों से कोई अग्रिम राशि मांगे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों की ऋण और जमा राशि का अनुपात

2711. श्री पी० सी० चाक्को :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों हेतु निर्धारित ऋण तथा जमा राशियों के अनुपात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आज तक किए गए कुल जमा और दिए गए अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए कुल ऋण जमा अनुपात का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। अलबत्ता, बैंकों को अपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के सम्बन्ध में 60% का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। इसमें कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए हैं कि ऋण संवितरण के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाए और कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक एवं पता लगाए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के वास्ते ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं। सेवा क्षेत्र योजना के आरम्भ होने से विभिन्न राज्यों में ऋण जमा अनुपात में और सुधार होने की आशा की जाती है। इस मामले पर क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर नजर रखी जाती है।

(ग) मार्च, 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार ऋण जमा अनुपात सहित राज्यवार कुल जमाराशियां (अन्तर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) और कुल ऋण (बैंकों को दिए गए अग्रिमों को छोड़कर) संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की राज्यवार कुल जमा रकमें, कुल बैंक ऋण और ऋण जमा अनुपात (मार्च 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जमा	ऋण	ऋण: जमा अनुपात
1	2	3	4
हरियाणा	3782.30	2252.10	59.5
हिमाचल प्रदेश	1330.42	502.96	37.8

1	2	3	4
जम्मू व कश्मीर	852.40	284.79	33.4
पंजाब	9757.62	4866.96	44.8
राजस्थान	4745.15	2720.87	57.3
चण्डीगढ़	1415.92	1168.89	82 6
दिल्ली	16668.26	12347.84	74.1
अरुणाचल प्रदेश	143.06	23.21	16.2
असम	2022.32	1018.41	50.4
मणिपुर	105.54	67.98	64.4
मेघालय	353.45	66.12	18.7
मिजोरम	94.34	18.49	19.6
नागालैंड	202.62	80.63	39.8
त्रिपुरा	230.86	103.72	44.9
बिहार	8664 69	3323.42	38.4
उड़ीसा	2565.09	1882.52	73.4
सिक्किम	110.31	20.26	18.4
पश्चिम बंगाल	16877.19	8388.55	49.7
अं० व० नि० द्वीप समूह	57 06	19.55	34.3
मध्य प्रदेश	7305.85	4882.99	66.8
उत्तर प्रदेश	18441.93	8356.44	45.3
गोवा	1428.52	473.81	33.2
गुजरात	11556.65	6898.57	59.7
महाराष्ट्र	28815.43	23484.80	81.5
दा० व ना० हवेली	15 14	7.82	51.7
दमन व दीव	59.35	13.91	23.4
आन्ध्र प्रदेश	10000.07	8353.66	83.5
कर्नाटक	8431.79	7304.12	86.6
केरल	5934.01	3482.69	58.7

1	2		
तमिलनाडु	11818.59	11405.43	96.5
लक्ष द्वीप	8.84	1.50	17.0
पांडीचेरी	290.12	163.43	56.3
अखिल भारतीय	174084.94	113486.48	65.2

खाड़ी के देशों और कोचीन के बीच यात्री नौवहन सेवा के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस देना

2712. श्री पी० सी० चाक्को :

क्या जल-यूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों और कोचीन के बीच यात्री नौवहन सेवा के संचालन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैर सरकारी क्षेत्र को कोई नए लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-यूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र की कोई नया लाइसेंस जारी किए जाने संबंधी कोइ प्रस्ताव इस समय सरकार के पास विचाराधीन नही पड़ा है।

नए स्टाक एक्सचेंज खोलना

2713. श्री पी० सी० चाक्को :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए स्टाक एक्सचेंज खोलने के संबंध में सरकार की क्या नीति है।

(ख) 1992 के दौरान स्टाक एक्सचेंज खोलने के लिए किन नये केन्द्रों का चयन किया जाएगा। और

(ग) कोयम्बटूर स्टाक एक्सचेंज, जो हाल ही में शुरू हुआ है, की वर्तमान स्थिति क्या है और उसमें नए सदस्यों को शामिल करने के लिए क्या निर्देश दिए गए है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इस मंत्रालय में नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए नीति संबंधी सुझाव देने के लिए जून, 1991 में एक अध्ययन दल

गठित किया था। अध्ययन दल ने नए स्टाक एक्सचेंजों के स्थान के अनुमोदन के लिए कतिपय सूक्ष्म तथा वृहत् आर्थिक मानदण्डों का सुझाव दिया है। नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करते समय इन मानदण्डों को ध्यान में रखा जाएगा।

(ख) जैसे ही और जब भी नए एक्सचेंजों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होंगे उनपर विचार किया जाएगा।

(ग) यह मामला न्यायाधीन है।

आयातित टेलीविजन सेटों पर प्रतिकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क

2714. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 इंच से कम और 22 इंच से अधिक के आयातित टेलीविजन सेटों पर प्रतिकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की दर निर्धारित कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से इन टेलीविजन सेटों को लाने वाले व्यक्तियों को इस संबंध में जो कठिनाइयां हो रही हैं उनको दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार ने सभी आयातित टी० वी० सेटों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क की दरें निर्धारित कर दी हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

'म्युचुअल फण्डों' के लिए नियम और विनियम

2715. **श्री भगवान शंकर रावत :**

कुमारी उमा भारती :

श्री राम नाईक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में सभी 'म्युचुअल फण्डों' और 'अन्योन्य म्युचुअल फण्डों' के लिए समान नियम और विनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 'म्युचुअल फण्डों' के सम्बन्ध में कोई अध्ययन दल नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसे कब नियुक्त किया गया;

(ङ) इस अध्ययन दल से अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(च) क्या यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के लिए विशेषकर रियायतों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार ने जून, 1991 में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के अध्यक्ष डा० एस० ए० दवे की अध्यक्षता में सभी 'म्युचुअल फण्डों' जिसमें नीजी एवं संयुक्त क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले म्युचुअल फण्ड भी शामिल हैं, पर नियन्त्रण रखने के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने हेतु एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस नियामक ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ स्थापना, प्रबन्ध, निवेश, उद्देश्य, कीमत निर्धारण, प्रकटन, वितरण नीति और म्युचुअल फण्डों के खातों के विवरण जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इस दल के सदस्यों में भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार म्युचुअल फण्ड के प्रतिनिधि और सम्बद्ध विषय के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मार्ग दर्शी सम्बन्धी रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता

2716. श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले वाहन भत्ते में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे मछुआरों के लिए बीमा-योजना

2717. श्री सुधीर सावंत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरा समुदाय को बीमा-योजना के लिए अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक राशि की किश्त का भुगतान करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बीमा योजना के अन्तर्गत मछुआरों को अतिरिक्त क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। मछुआरों के समूह के लिए प्रीमियम की वही दर रखी गई है जो भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अन्य व्यवसायों के लिए अनुमोदित है। जहां तक व्यक्तिगत बीमा का संबंध है, मछुआरों से कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए, मछुआरों सहित सभी व्यवसायों के लिए एक समान सुविधाएं रखी गई हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना

2718. श्री ताराचन्द खंडेलवाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधी नरसिम्हम समिति ने इस बात पर भी विचार किया है, देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में नये बैंकों की स्थापना की अनुमति किन शर्तों पर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में समिति की सिफारिशें क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्यकरण तथा पद्धतियां से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री एम० नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने सरकार को 20-11-91 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों की भारतीय रिजर्व बैंक तथा इससे संबंधित अन्य अभिकरणों के परामर्श से विस्तृत जांच की जाएगी।

रुपये के अवमूल्यन के पश्चात आयात-निर्यात की स्थिति

2719. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये का अवमूल्यन किए जाने से निर्यात को अधिक प्रोत्साहन मिला है तथा इसने आयात को हतोत्साहित किया है; और

(ख) यदि हां, तो रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, डालर में, आयात और निर्यात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) विनिमय दर के समायोजनों से अल्पावधि में देश के भुगतान संतुलन में और गिरावट को रोकने तथा व्यापार संतुलन में सुधार लाकर मध्यम अवधि में इसमें सुधार लाने की आशा थी। भुगतान दर समायोजनों के कारण निर्यात और आयात पर वास्तविक प्रभाव पड़ने में समयान्तर है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के विदेशी व्यापार के सितम्बर, 1991 तक के अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं। जुलाई, 91, अगस्त, 91, और सितम्बर, 91 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में डालर के रूप में निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है—

(मिलियन अमरीकन डालर)

	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
(i) जुलाई, 90	1442	1713	—271
जुलाई, 91	1301	1326	— 25
(ii) अगस्त, 90	1446	1906	—460
अगस्त, 91	1343	1505	—162
(iii) सितम्बर, 90	1439	2116	—677
सितम्बर, 91	1412	1528	—116

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता।

रक्षा उपकरणों का निर्यात

2720. प्रो० राम कापसे :

श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा उत्पादन की मदों का भारी मात्रा में निर्यात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन सौदों में विशेषकर हथियारों के व्यापार में संलग्न कोई एजेंट या डीलर शामिल है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या सुरक्षित विधि अपनाई गयी है कि ऐसी मदों का निर्यात जिन्हें सरकारी एजेंसियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है, अत्यंत सावधानी से किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की हेरा-फेरी न हो; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी मदों की मांग को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार ने रक्षा समान का निर्यात बढ़ाने का उपाय शुरू कर दिए हैं।

(ख) और (ग) रक्षा समान का निर्यात सीधे ही अथवा एजेंटों के माध्यम से किया जाता है और यह प्रत्येक सौदे में होने वाले लाभ और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित सरकारी एजेंसियां अपने यहां निर्मीत सामान की यथा संभव अधिकतम कीमत प्राप्त करने का प्रयास करती है। एजेंटों को देय कमीशन की अदायगी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है।

(घ) रक्षा सामान का निर्यात बढ़ाने के उपायों में निर्यात नीति तथा कार्यविधि को अधिक उदार बनाना, हमारे मिशनों के माध्यम से तथा उत्पादन एजेंसियों और अन्य निर्यात एजेंसियों के जरिए रक्षा सामान के लिए बाजार ढूंढना और विदेशों में लगी प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान करके बिक्री तथा प्रचार करना शामिल है।

वृक्षारोपण तथा खेतिहर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना

2721. श्री पाला के० एम० मैथ्यू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक से मिलने वाले उदार शर्तों के ऋण से श्रमिकों के उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक सुरक्षा आवरण के अन्तर्गत वृक्षा रोपण तथा खेतिहर श्रमिकों को भी शामिल करने का है;

(ख) क्या वृक्षारोपण तथा खेतिहर श्रमिकों को श्रमिकों के लिए स्थापित की जा रही राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता देने का प्रस्ताव भी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि के विभिन्न पैरामीटर अभी सरकार के विचाराधीन हैं। विश्व बैंक ने औद्योगिक विकास संघ के उदार ऋण को नवीकरण निधि के लिए परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

हरियाणा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में घाटा

[हिन्दी]

2722. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान हरियाणा की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कितना घाटा हुआ; और

(ख) इस प्रकार के घाटे से बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार हरियाणा में कार्य कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय वर्ष 1990-91 के कार्य-परिणाम ये हैं—

बैंक का नाम	(लाख रुपए) लाभ (+) घाटा (—)
हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	—37.63
गुड़गांव ग्रामीण बैंक	+79.40
अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक	—17.14
हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	—17.75*

[*ये आंकड़े वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं क्यों 1990-91 के कार्य-परिणाम उपलब्ध नहीं हैं।]

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने तथा उनकी वित्तीय कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

'राकेट एयर क्राफ्ट' मिसाइल का परीक्षण

[अनुवाद]

2723. प्रो० राम कापसे :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ से लगभग पांच वर्ष पहले खरीदी गई 'राकेट एयरक्राफ्ट' मिसाइल का 4 जुलाई, 1991 को परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस परीक्षण के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस मिसाइस का पांच वर्षों बाद परीक्षण करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय सशस्त्र, सेनाओं की उपकरण सूची में कोई 'राकेट एयर क्राफ्ट' प्रक्षेपास्त्र नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पर्यटकों को एक अग्नेयास्त्र लाने की अनुमति

2724. श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटकों को सीमाशुल्क की अदायगी करने पर एक अग्नियास्त्र लाने की पहले अनुमति दी जाती थी;

(ख) क्या वर्ष 1986 में संशोधित सामान के नियमों में भारतीय पर्यटकों द्वारा अग्नेयास्त्र लाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मार्च, 1990 से 'निवास अन्तरण नियमों' के अन्तर्गत विदेश में कार्यरत व्यक्ति को इस शर्त पर एक अग्नेयास्त्र लाने की अनुमति दी जाती है कि इसे जीवन भर के लिए नहीं बेचा जा सकता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटकों को ऐसी ही सुविधा प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) आयात व्यापार नियंत्रण सार्वजनिक सूचना को जारी करके अग्नेयास्त्रों के असबाब के रूप में आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(ग) देश में उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अग्नेयास्त्रों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

(घ) निवास अन्तरण नियमावली, 1978 के अन्तर्गत एक अग्नेयास्त्र के आयात की अनुमति देने से संबंधित रियायत जनवरी, 1988 में दी गई थी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस समय देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए वर्तमान नीति में किसी तरह की रियायत देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

फरीदपुर (बरेली) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-24 पर उपमार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

2725. श्री राजवीर सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदपुर (बरेली) से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं-24 पर उप मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सोवियत संघ को निर्यात

[अनुवाद]

2727. श्री पी० सी० चाक्को :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 के दौरान सोवियत संघ को कुल कितना निर्यात हुआ और चालू वर्ष के दौरान निर्यात में कितनी गिरावट आई;

(ख) 1990-91 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान पूर्वी यूरोप के देशों को निर्यात में कितने प्रतिशत की कमी आई है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान भारत से सोवियत संघ को कुल 5260 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात किया गया। अप्रैल-अगस्त 1991-92 के दौरान 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में सोवियत संघ को किए गए निर्यात में 998 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

(ख) अप्रैल-अगस्त, 1991-92 के दौरान वर्ष 1990-91 की इसी अवधि की तुलना में पूर्वी यूरोप के देशों को किए गए निर्यात में लगभग 37% की कमी हुई है।

(ग) पूर्वी यूरोप के देशों की निर्यात में कमी मुख्यत: सोवियत संघ को हुए निर्यात में कमी के कारण हुई। चूंकि भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार संतुलित भुगतान के आधार पर होता है; इसलिए उस देश से आयात बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भारतीय निर्यात भी बढ़ सके।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर नशीले औषधों की तस्करी के मामले

2728. **श्री रमेश चेन्निथला :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बत तीन वर्षों के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर नशीले औषधों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए; और

(ख) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डें पर तस्करी विरोधी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए स्वापक औषध-द्रव्यों की तस्करी के मामलों की संख्या नशीले औषधों का नाम और उसकी मात्रा के ब्यौरे नीचे सारणी में दिए गए हैं—

वर्ष	मामलों की संख्या	नशीले औषध का नाम	मात्रा
1989	1	ब्राउन शूगर	16.6 कि०ग्रा०
1990	3	ब्राउन शूगर	8.96 कि०ग्रा०
1991 (30 नवम्बर तक)	शून्य	—	—

(ख) सीमा शुल्क प्राधिकारी स्वापक औषध-द्रव्यों सहित तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहते हैं। संदिग्ध मामलों में, असबाब की जांच और व्यक्ति की तलाशी ली जाती है।

ग्रामीण ऋण नीति

2729. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के छोटे किसान ग्रामीण ऋण नीति से प्रभावित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) ग्रामीण ऋण नीति की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इसे किसानों के लिए लाभप्रद बनाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कृषि 'प्राथमिकता क्षेत्र' का एक प्रमुख हिस्सा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के अनुपात को अपने कुल अग्रिमों के 40% तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। कृषि (संबद्ध गतिविधियों सहित) को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष वित्त उनके कुल ऋणों के 18% तक पहुंच जाना चाहिए। और कमजोर वर्गों को दिया जाने वाला अग्रिम, जिसमें लघु एवं सीमांतिक किसान, भूमिहीन कृषक एवं कारीगर शामिल हैं, उनके कुल ऋणों के 10% तक अथवा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के 25% तक पहुंच जाना चाहिए।

उपर्युक्त लक्ष्यों के मुकाबले जून, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समग्र रूप से प्राथमिकता क्षेत्र को अपने कुल अग्रिमों का 40.9% प्रदान किया है। जहां तक कृषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त का संबंध है जून, 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार इन बैंकों ने अपने कुल अग्रिमों का 15.3% प्रदान किया है। जहां तक कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का संबंध है, जून, 1991 के अन्त तक इन बैंकों ने कमजोर वर्गों को अपने कुल अग्रिमों का 9.6 प्रतिशत और अपने कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 23.6 प्रतिशत प्रदान किया है।

ग्रामीण ऋण नीति की छोटे किसानों को ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निष्पादित किया है। पूरे देश में किसानों को उनके द्वारा स्वयं अथवा इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई किसी योजना के माध्यम से शुरू किए जाने वाले कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए जाते हैं। ऋणदाता संस्थाओं द्वारा ऐसी गतिविधियों का वित्तपोषण निरंतर आधार पर उनके सामान्य ऋण परिचालनों का एक हिस्सा है।

किसानों, विशेष रूप से लघु एवं सीमांतिक किसानों के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के प्रयोजन से कई कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं—

1. 7500/- रुपये तक के फसल ऋणों का ब्याज कम रखा जाता है जो 11.5 प्रतिशत वार्षिक है।

2. 2 लाख रुपये तक के सावधि ऋण रियायती दर पर प्रदान किए जाते हैं।

3. लघु एवं सीमांतिक किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों के मामलों में, नामे डाला जाना वाला ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा।

4. फसल खराब होने के मामले में, देय रकमें 3 से 5 वर्षों की अवधि में पुनर्निर्धारित की जानी चाहिए और किसानों को नये ऋण दिए जाने चाहिये।

5. 10,000 रुपये तक के ऋणों के लिए तीसरी पार्टी की गारंटी अथवा संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए।

6. कृषि क्षेत्र की वर्तमान देय राशियों के ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए।

7. अल्पावधि, मध्यम/दीर्घावधि—ऋण दोनो के लिए 10,000 रुपये तक के प्रत्येक कृषि ऋण हेतु कोई मार्जिन अपेक्षित नहीं है।

8. बैंकों को कहा गया है कि अल्पावधिक और सावधिक दोनों ऋणों के लिए पुनर्अदायगी का निर्धारण समय के अनुरूप होना चाहिए जब कृषक अपना उत्पादन बेच चुका हो और उसके पास धन हो।

9. ग्रामीण शाखा प्रबंधकों की समुचित मंजूरी की शक्तियां प्रत्यायोजित करना ताकि अधिकांश ऋण शाखा स्तर पर ही मंजूर कर दिए जाएं।

कृषि सहित प्राथमिकता क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन से संबंधित समग्र स्थिति की भी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। समीक्षाओं के दौरान जब कभी कोई कमियां ध्यान में आती हैं तो आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनकी जांच की जाती है। कार्यनिष्पादन की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों की बैठकों में भी आवधिक आधार

पर समीक्षा की जाती है। पूर्वोल्लिखित से यह देखा जा सकता है कि नीति के अन्तर्गत छोटे किसानों के हितों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है।

दल-बदल विरोधी अधिनियम में संशोधन

2720. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दल-बदल विरोधी अधिनियम में संशोधन करने के लिए कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) इस समय दल-परिवर्तन विरोधी विधि को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि विशेषकर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय को ध्यान में रखते हुए दल-परिवर्तन विरोधी विधि में किसी संशोधन के संबंध में कार्रवाई, निर्णय को विस्तारपूर्वक समीक्षा करने के बाद की जाएगी।

दुग्ध उत्पादों का निर्यात

2731. श्री नवल किशोर राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 'अमूल' ब्राण्ड नाम से कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में दुग्ध उत्पादों का निर्यात किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान किसी दुग्ध उत्पाद का निर्यात नहीं किया वर्ष 1990-91 और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा इन मदों के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

उत्पाद	1990-91		1991-92 1-4-91 से 31-10-91	
	मात्रा (एम०टी०)	मूल्य	मात्रा (एम०टी०)	मूल्य
1. शुद्ध दुग्ध घी	48	रु० 3204000/-	48	डालर 192000
	72	डालर 272160/-	—	—
2. एस०एम०पी०	1451.125	डालर 1932586.25	874.400	डालर 1103420
3. एफ सी एम पी	811.733	डालर 149267.84	192.747	डालर 38946.76
4. शिशु दुग्ध आहार	—	—	30.720	डालर 59532.00
5. मक्खन	750	डालर 18750.00	10.05	डालर 25125.00

12.02 अ० प०

अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य उग्रवादियों द्वारा प्रति दिन निर्दोष लोगों की हत्या से आहत हैं। ऐसी दो घटनाएं जो कल हुई हैं, हमारी जानकारी में आई है। इनमें से एक घटना हरियाणा में हुई जहां उग्रवादियों ने एक बाजार में बड़े पैमाने पर हमला करके 26 लोगों की हत्या कर दी है तथा दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हुई, जहां पन्द्रह लोग मारे गये हैं।

ये घटनाएं रोज ही घट रही हैं। कभी हम इन पर ध्यान देते हैं और कभी नहीं देते हैं। यह सामान्य जीवन का एक हिस्सा-सा बन गया है। हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। लेकिन हम अपने देश में इस प्रकार की घटनाओं को जारी रहने की अनुमति नहीं दे सकते। इस सदन में हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम सरकार से इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमें यह जानने का अधिकार है कि सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। वे किस प्रकार की राजनैतिक कार्यवाही पंजाब में करने जा रहे हैं जिसका देश के सभी हिस्सों में आतंकवाद को फैलाने में प्रमुख हाथ है। वे उन हिस्सों में भी फैलाते जा रहे हैं, जहां शांति विद्यमान है। वे बिहार में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वे हरियाणा में फैल ही चुके हैं और इसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को चपेट में लेने की कोशिश में हैं। इसके पीछे पूरी योजना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के नैराश्यपूर्ण कार्य करके वे चाहते हैं कि एक ऐसा जोरदार झटका दे दें जिससे उनका खालिस्तान बनाने का पूरा सपना हो जाये। अब, यदि हमें उनके इस मंसूबे को बेकार करना है, तो उनके इस खेल को समाप्त करने के लिए लोगों को बाहर गलियों में निकलने हेतु उत्साहित करना होगा और आतंकवादियों को अलग-थलग करना होगा। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा तथा सरकार को आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान करना होगा।

मैं आशा करता हूं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की बढ़ाई हुई अवधि के दौरान चुनाव आयोजित किये जाएंगे। इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने पर यह चुनाव न हो सकें। इस स्थिति का हम किस प्रकार सामना करने जा रहे हैं ? इसलिए, मेरी मांग है कि सरकार इस सदन को, इस सदन के सदस्यों को यह बताये कि वह पंजाब के लोगों में विश्वास पैदा करने, पंजाब की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा अन्य राज्यों के साथ गुप्तचर गतिविधियों, पुलिस गतिविधियों, अर्द्ध-सैनिक बलों की गतिविधियों के मामले में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। जिससे कि आतंकवादियों के मन्सूबों को वास्तव में नष्ट किया जा सके ताकि निर्दोष लोगों की इस प्रकार की जा रही हत्याओं को रोका जा सके।

श्री अन्वारासु इरा (मद्रास मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मद्रास में बी० एण्ड सी० मिल एक बहुत मंझदूर मिल है यह देश की सर्वाधिक पुरानी मिलों में से एक है। हाल ही में, प्रबन्धकों ने इसमें तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। जिसके परिणामस्वरूप 8000 कर्मचारी रोजगार-विहीन हो गए हैं। यह सब प्रबन्धकों द्वारा श्रम-विरोधी नीति अपनाने के कारण हुआ है। विधान सभा के स्थानीय सदस्य, श्री पू० बालारमण तथा 8000 कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वे इस मामले को उच्च न्यायालय में ले गए हैं तथा उच्च न्यायालय ने इस मिल को पुन: खोलने के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किया है। किन्तु, प्रबन्धकों ने अति कठोर रवैया अपना रखा है तथा वे मिल को पुन: खोल नहीं रहे हैं। अत: महोदय, आपके माध्यम से मेरा वस्त्र मन्त्री से अनुरोध है कि वे इस

मिल को पुन: खोलने के निर्देश दें ताकि 8000 कर्मचारियों और उनके कुटुम्ब के जीवन को बचाया जा सके। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मैं साउथ अफ्रीका में रहने वाले भारतीय मूल के बन्धुओं के एक विशेष आमंत्रण पर, जिसमें उन्होंने एक धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया था, यात्रा पर गई थी। जिसके लिए मुझे अपनी पार्टी के नेताओं की विशेष अनुमति के साथ-साथ विदेश मन्त्रालय की भी विशेष अनुमति मिली थी। इसके पहले 1978 में भी मैं साउथ अफ्रीका के प्रवास पर गई थी। किन्तु 1978 से 1991 के बीच साउथ अफ्रीका में जो अन्तर आया है उस अन्तर की मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी बनी। इस समय साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के 10 लाख बन्धु रहते हैं और उस देश में रहने वाले बन्धु अमरीका जैसे देश में रहने वाले भारतीय बन्धुओं की तरह अत्यधिक समृद्ध और शिक्षित है। यद्यपि अधिकतर जो संख्या वहां पर लोगों की है वह बिहार और उत्तर प्रदेश से गये लोगों की है। जो मजदूर के रूप में वहां गए थे।

आज साउथ अफ्रीका में जो सड़कें, बगीचे और सुन्दर भवन दिखाई देते हैं उसमें हमारे भारतीय मूल के बन्धुओं का पसीना लगा हुआ है। भारतीय मूल के बन्धुओं ने उस देश की प्रगति, समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है और उस देश ने भी भारतीय मूल के बन्धुओं को सुविधा सम्पन्न जीवन दिया है। किन्तु आज तब साउथ अफ्रीका में सत्ता का हस्तांतरण अत्यधिक नजदीक है, ऐसा लग रहा है और आशा भी हो रही है कि साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर मुड़ेगा, ऐसे समय पर भारतीय मूल के बसे बन्धुओं की सुरक्षा पर मैं भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। क्योंकि हमारे सामने फिजी और युगांडा के उदाहरण हैं और उसका अनुभव अभी ताजा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत दक्षिण अफ्रीका की बगल में देश है जिम्बाबे, उसका सुखद उदाहरण भी हमारे सामने है। वहां सत्ता का जब हस्तांतरण हुआ, 10-11 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी हमारे भारतीय बन्धु वहां सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, यद्यपि मैं यह निवेदन विदेश मन्त्री की उपस्थिति में करना चाहती हूं, बहुत दिनों से मैं प्रतीक्षा में थी, वे यहां बहुत कम उपस्थित होते हैं, इसलिए जो भी सरकार के प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, मैं कुछ सुझाव, जो मैंने वहां दौरा करने के बाद अनुभव किया, उसको मैंने सात रूप में बांटा है, वह मैं यहां संक्षेप में उपस्थित कर रही हूं।

मेरा पहला निवेदन है कि साउथ अफ्रीका में बदलते हुए राजनीतिक संदर्भों की ताजा जानकारी के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों का आदान-प्रदान किया जाए, जिसके लिए एक संसदीय दल की स्थापना की जाए जिसमें सभी दलों के सदस्य हों। दूसरा मेरा आग्रह यह है कि दोतरफा व्यापारिक सम्मेलनों की शुरूआत के लिए पहल की जाए। तीसरा, भारतीय मूल के वहां के बन्धुओं को दोहरी नागरिकता देने के प्रावधान के बारे में सोचा जाए, इससे पूंजी निवेश की नीति को बल मिलेगा। चौथा, आर्थिक पाबन्दी की जो स्थिति है उसमें भारतीय मूल के बन्धुओं के संदर्भ में पुनर्विचार किया जाए। पांचवां, सभी राजनीतिक ताकतों के साथ औपचारिक सम्बन्ध बढ़ाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, आज विडम्बना यह है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेलशन मंडेला जिसके नेता हैं, मुझे लग रहा है कि अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतागण भारत के राजनीतिक दलों की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं। उनका ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। इसलिए मैंने देखा है कि वे इस मामले में भेदभाव की नीति को अपनाते हैं। छठा, मानवाधिकार सुरक्षा के पहलू में ढिलाई न लाई जाए।

अन्तिम निवेदन यह है कि विश्व के तेजी से बदल रहे शक्ति समीकरणों के दौर में हमारे देश के लिए रूढ़िवादिता को छोड़कर व्यावहारिक गतिशील विदेश नीति बनानी होगी जिससे हमारा राष्ट्रहित हो। दक्षिण अफ्रीका और अपने सम्बन्धों में इस तरीके से सोचना होगा और वहां बसे हुए भारतीय मूल बन्धुओं को प्रमुखता देनी होगी।···(व्यवधान)

12.10 म०प०

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा

सदन के नेता के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस सदन में श्री अर्जुन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि विदेश से वापस आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री इस सदन के नेता का पदभार ग्रहण कर लेंगे। अब इससे एक बात बिलकुल स्पष्ट हो गयी है कि माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी हैं। किन्तु कुछ कोनों से संदेह व्यक्त किया गया था और मैं समझता हूं कि कुछ समाचार पत्रों में भी इसी प्रकार का संदेह भी छापा गया था। मुझे माननीय मंत्री संसदीय कार्य ने औपचारिक रूप से सूचित करते हुए पत्र लिखा है कि···

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : नेता से इस सदन का परिचय कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक औपचारिक पत्र मिला है और मुझे सूचित किया गया है कि श्री पी० वी० नरसिंह राव जो इस सदन के नेता के रूप में कार्य करेंगे। मैं समझता हूं कि मेरा यह वक्तव्य लोगों के किसी भी प्रकार के सन्देह को दूर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था परन्तु फिर भी चूंकि कुछ सन्देह व्यक्त किया गया है और मुझे पत्र मिल गया है, इसलिए मैं औपचारिक रूप से इस सदन में यह घोषणा करता हूं कि श्री पी० वी० नरसिंह राव इस सदन के नेता के रूप में कार्य करेंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इस सदन के अनुपस्थित नेता के रूप में।

———

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही वेदना और दुख के साथ इस प्रश्न को उठा रहा हूं। आए दिन चाहे पीलीभीत हो या हरियाणा या दूसरी जगह पर लोग मारे जा रहे हैं, खाड़कू मारते हों, या पुलिस मारती हो। यह आज सदन के लिए काफी गंभीर मसला हो गया है। आज तराई के इलाके में किसी के लिए भी जाना मुश्किल हो रहा है। जो लोग तराई के इलाके में छुट्टियों में जाना चाहते थे उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसकी शुरूआत 1980 से और 1984 की दुखद घटना से हुई थी। जिसको मैं ब्लैक ब्लंडर कहता हूं। 1984 के दिसम्बर महीने में दिल्ली की जो घटना हुई थी वह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक घटना है जो कि आज तक नहीं हुई। यह सरकार की विफलता होगी। यह किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि वह

कानून अपने हाथ में ले। यह सरकार की जिम्मेदारी है। तराई इलाके में जो घटना हो रही है, उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन वह उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण से बाहर चली गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी कोई कार्यवाही नहीं की है। ऐसा स्थिति आ गई है कि भारत सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके को आतंकवादियों से मुक्त कराया जा सके ताकि ऐसी घटनाएं न हों।

12.14 म० प०

(राव रामसिंह पाठासीन हुए)

श्री रतिलाल वर्मा (घन्धुका) : सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सारे गुजरात के अन्दर सूखा पड़ा है। लेकिन भावनगर जिला और अहमदाबाद जिला में पानी की कमी है। लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय, गुजरात सरकार की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के गधड़ा के कार्यकर्ता वहां पर आन्दोलन छेड़े हुए हैं और उपवास पर बैठे हैं। लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। इसलिए गुजरात सरकार को आदेश दिया जाए कि भावनगर, गधड़ा, उमराड़ा, वलवीपुर, बुटार, सिहोद, पालीथाना और घोघा को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर जमीन के अन्दर जो खराब आई हुई है उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जबकि मैंने बार-बार इसके लिए कहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जबकि भारत को आजादी मिले हुए 44 वर्ष हो चुके है वहां की जनता को, वलवीपुर शहर की जनता को, मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। उनको वहां गंदा पानी ही पीना पड़ता है। इससे वहां कोई सरकारी कर्मचारी जाने को तैयार नहीं होता और वहां के अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है। वहां के सर्किट हाउस में जब मंत्री जी जाते हैं तो अपने साथ बाहर से ही मीठा पानी लेकर आते हैं। इसके साथ ही वहां के रास्ते भी खराब हैं, उनकी मरम्मत के लिए गुजरात सरकार ध्यान नहीं दे रही है अत: मेरा निवेदन है कि वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाए (व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आतंकवाद के बारे में मैंने भी नोटिस दिया है, तस्लीम के बारे में मैंने भी लिखकर दिया है।

सभापति महोदय : खुराना जी बारी-बारी से सब बोलेंगे।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, हमारे देश में मिर्च उत्पादक गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम विदेशों को मिर्च का निर्यात करके काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। मिर्च उत्पादकों की सरकार ने सदा ही उपेक्षा की है। ढाई लाख मिर्च उत्पादक साढ़े चार लाख एकड़ भूमि में मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन वे संगठित नहीं हैं। साठ प्रतिशत मिर्च की खेती विशेष बीमारी से नष्ट हो जाती है ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : मित्रों, जो भार माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे सौंपा है, मैं उससे बाध्य हुआ हूं।

[हिन्दी]

जिन सदस्यों ने अपने विषय दिए थे उनके नाम यहां पर हैं।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना : उन्होंने वादा किया था। हमने भी इसके साथ तराई के ऊपर लिख दिया है।

सभापति महोदय : यह बात उनसे करें।

[अनुवाद]

कृपया मुझपर मत चिल्लाएं। इसकी चर्चा आप उनसे कीजिए। मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा मुझे सौंपे गए कार्यभार से बाध्य हुआ हूं। मैं उसी के अनुसार नाम पुकारूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और जो सदस्य की बात सुनिए। श्री चेन्नितला बोल रहे थे।

श्री रमेश चेन्नितला : नवम्बर, 1986 में एक किलो मिर्च का मूल्य 61.75 रुपये था। डेढ़ प्रतिशत उपकर की सिफारिश की गई थी और साढ़े तीन प्रतिशत उपकर आधा प्रतिशत कृषि उपकर तथा पांच प्रतिशत शुल्क लागू किया गया। कॉफी पर 500 करोड़ रुपये का उपकर एवं शुल्क वापस ले लिया गया। लेकिन मिर्च पर मात्र 18 करोड़ रुपये का उपकर एवं शुल्क वापस नहीं लिया गया। इसके बजाय कृषि उत्पाद पर एक प्रतिशत बिक्री कर एवं खरीद कर लगा दिया गया और कच्ची मिर्च पर 4 प्रतिशत उपकर के अतिरिक्त निर्यात विकास उपकर भी लगा दिया गया।

1987 में मिर्च पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें मिर्च का निर्यात मूल्य 48 रुपये रखने की सिफारिश की गई। लेकिन इस पर सहमति नहीं हुई। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मसाला बोर्ड में कृषकों को भी शामिल किया जाए।

मिर्च का मामला सीधे सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। सभी प्रकार के उपकर एवं शुल्कों को वापस लिया जाना चाहिए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे देश में मिर्च उत्पादकों की शिकायतों को दूर करने के लिए वह तत्काल कुछ उपाय करें।

सभापति महोदय : श्रीमती वसुन्धरा राजे, कृपया अपना भाषण संक्षिप्त में दें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़ा) : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपके माध्यम से विनीत ओबराय की कहानी प्रकाश में लाना चाहती हूं जैसा कि दो दिन पहले इन्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी कई लोगों को पता है। विनीत और उसका भाई रोहित 'एड्स' के रोगी हैं। वे जन्म से 'एड्स' के रोगी नहीं हैं। बल्कि वे रक्त संचरण से इस रोग के सम्पर्क में आए। वे जन्म से ही 'हेमोफिलिया' के रोगी थे। (व्यवधान) यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाषण में व्यवधान डाला जाए। यह एक मार्मिक कहानी है सबको इसे सुनना चाहिए। इन बच्चों के पिता 1979 में पोलियो से अपंग हो गए थे। वृद्ध मां उनकी देख-रेख कर रही है। वह अध्यात्मिक है और 2500 रुपये प्रतिमाह अर्जित करती है।

पिता को 1400 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। उनके जीवित रहने के लिए केवल पैसा ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि 'एड्स' बहुत खर्चीली बिमारी है। इसकी दवाई की माहवार खुराक 475 डालर की बैठती है और यह दवाई नि.शुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। लेकिन सामान्यतया यह सरकारी औषधालयों में उपलब्ध रहती ही नहीं है। सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन 'एड्स' पर काम करने

वाले सामाजिक संगठनों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं लेकिन 'एड्स' से पीड़ित रोगियों को कुछ नहीं दे रहे हैं।

हर व्यक्ति जानता है कि हेमोफिलिया रोगियों को रक्त चढ़ाया जाता है और कभी उक्त रक्त संचरण के दौरान ये दोनों भाई 'एड्स' रोग के सम्पर्क में आ गए। क्योंकि बचपन में ही वे इस बीमारी के सम्पर्क में आ गए इसलिए वे प्राइमरी स्तर से आगे नहीं पढ़ सके। उन्हें उनकी मां ने घर पर ही पढ़ाया।

महोदय, इस समय वे बड़ी विकट स्थिति में हैं, क्योंकि वे कहीं भी टैक्सी के अलावा अन्य किसी वाहन से नहीं जा सकते। क्योंकि हेमोफिलियों के रोगियों के लिए किसी प्रकार का झटका हानिकारक होता है। इनके घर के पास स्थित टैक्सी स्टैन्ड के लोग इनकी बीमारी के बारे में जानते हैं और इसके फलस्वरूप वे इन्हें अपनी टैक्सी में नहीं ले जाते। हेमोफिलिया के कारण यदि कभी आपात स्थिति पैदा हो जाती है तो इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है लेकिन इन्हें टैक्सी नहीं मिल पाती।

मैं बताना चाहता हूं कि भारत में हम लोग सामान्य रूप से अपना कार्य किये जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यदि समस्याओं के प्रति हम अपनी आंख मूंद लेंगे तो 'एड्स' की भयानक समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यह बीमारी तो प्रचण्ड दानव का रूप ले रही है जो हमारे देश को तबाह कर देगी। समूचे विश्व के लोगों की तरह आज हमें भी इस महाविपत्ति को पहचानना चाहिए और दृढ़ संकल्प एवं सहानुभूति से इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। यहां हम उभयभावी प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं। सच्चाई यह है कि 'एड्स' इस देश में फैलता जा रहा है। ऑबजर्वर में एक लेख में यह प्रकाशित हुआ है कि :

> "विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार इस शताब्दी के अन्त तक भारत में 'एड्स' के रोगियों की संख्या शेष विश्व में 'एड्स' के कुल रोगियों की संख्या से अधिक हो जाएगी और एक दशक से भी कम समय में 'एड्स' के रोगियों की वर्तमान संख्या दस लाख से बढ़कर सौ लाख हो जाएगी।"

इसमें यह भी कहा गया है :

> "2001 ई० तक एक करोड़ लोग मुख्यत: 'एड्स' बीमारी का मुकाबला करने सम्बन्धी उपायों के अभाव के कारण मर जाएंगे।"

इसमें आगे कहा गया है :

> "अन्तिम चरण आने से पहले सरकार को इसके लिए सक्रिय हो जाना चाहिए।"

महोदय, संक्षेप में मैं कहना चाहूंगी कि यह अत्यावश्यक है कि रोगियों का भलीभांति उपचार कर उन्हें प्यार से पुनर्स्थापित किया जाय ताकि अपनी मौत का उन्हें गम न हो। 'एड्स' उपचार औषध सरकारी औषधालयों में उपलब्ध कराई जाए तथा रोगियों को वित्तीय सहायता दी जाए। रक्त दान शिविरों में रक्त की जांच की जाए और इनमें का 'एड्स' रक्त नैदानिक परीक्षण किये जाएं। लोगों को इस बीमारी के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें बताया जाए कि यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। यह ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कि व्यक्ति का अपमान होता है। कैंसर और अन्य बीमारियों की तरह इस बीमारी की भी सहानुभूतिपूर्वक उपचार किए जाने की आवश्यकता है।

आपके माध्यम से इस सभा से मैं अनुरोध करती हूं कि यहां इस मामले पर तत्काल बहस कराई

जाए। दूसरी बहस जनसंख्या नियंत्रण पर होनी चाहिए क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश की आर्थिक एवं अन्य सभी उपलब्धियां निरर्थक हो जाती हैं। इसलिए जब तक इन विषयों को प्राथमिकता नहीं दी जाती, हमारे लिए दीर्घकाल में प्रगति एकदम असम्भव हो जाएगी।

मैं आपसे, सरकार को यह निदेश देने का अनुरोध करता हूं कि सदन में इस वाद-विवाद को शीघ्र कराया जाना चाहिए। मुझे कई लोगों ने कहा है कि मुझे जनसंख्या और एड्स के विषय नहीं उठाने चाहिए, वे कहते हैं कि "आप जैसी भद्र महिला को ये विषय नहीं उठाने चाहिए।" ऐसा राज्य सभा में भी हुआ है।

मैं इस सदन में सभी को बताना चाहती हूं कि अगर यह मामला जल्दी ही नहीं उठाया जाता है तो इस देश को भारी मुसीबत सहनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : आदरणीय सभापति जी, हमारे क्षेत्र पीलीभीत और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र नैनीताल और खीरी क्षेत्र पर जो नेपाल का बार्डर है, उस सीमा से पाकिस्तान के प्रशिक्षित लोग आते-जाते रहते हैं। वे हिन्दू और सिखों के बीच दरार पैदा करने के उद्देश्य से कहीं हिन्दू को, कहीं सिख को और कहीं पुलिस वालों को मारते हैं। यह सारा जाल पाकिस्तान का है। अगर यह सरकार भारतवर्ष की रक्षा करना चाहती है, देश को बचाना चाहती है तो नेपाल और भारत की सीमा को सील करना होगा। सुरक्षा बल को इतना सतर्क करना होगा कि जो पाकिस्तानियों को घुसने न दे। पुलिस को भी आधुनिक हथियार और वाहन दिए जाएं। कहीं सरकार वोटों की राजनीति में उत्तर प्रदेश में बी० जे० पी० की सरकार को फेल करने के चक्कर में भारत को उस प्रकार का गुलाम न रख दे जिस तरह जयचंद ने भारतवर्ष को मुहम्मद गोरी के हाथों गिरवी रख दिया था। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत-नेपाल सीमा को पूरे बल के साथ सील करना चाहिए, तभी तराई क्षेत्र की और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा हो सकती है।

जैसा कि आपने देखा है कि पहले तो आठ मारे गए थे, आज फिर आठ मारे गए। इस प्रकार आज बराबर हमारे हिन्दुस्तान वाले मारे जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा करने के लिए हमको वहां काम करना होगा। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर सकती है, वह कर रही है। इसके लिए भारत सरकार को भी सहायता देनी पड़ेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री के० टी० वान्डायार।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : अगर आप पहले सभा के पटल पर पत्र रखें तो तब कम से कम हम में से एक अपनी जगह जाकर काम कर सकता है। हम यहां केवल सात मन्त्री हैं (व्यवधान) मैं केवल सभापति जी से अनुरोध नहीं कर रहा हूं ? क्या मैं सभापति जी से अनुरोध नहीं कर सकता ! (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : वे सभापति जी से अनुमति मांग रहे हैं कि पहले सभा के पटल पर पत्र रखे जाएं ताकि वे अपनी-अपनी जगह जा सकें। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। आपको कम से कम यहां पर माननीय सदस्यों की बात सुननी चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेना, किसी भी माननीय सदस्य को सभापति से कोई भी बात कहने

का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि आप किसी के द्वारा कोई बात कहने पर आपत्ति कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मदन लाल खुराना, जब यह मामला श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा पहले ही उठाया जा चुका है, अस्तु इसे फिर से उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य माननीय सदस्य भी कुछ बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री ओकांत जेना : सरकार को इसका जवाब अवश्य देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर मामला है। आप इस बात का ध्यान रखें कि सरकार इसका जवाब अवश्य दें। हरियाणा में 30 व्यक्ति मारे गए थे। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलामनबी आजाद) : हम पहले ही सोमवार को अथवा मंगलवार को बहस करने का निर्णय कर चुके है। इसलिए उसमें इस बारे में बहस की जाएगी। (व्यवधान)

श्री ओकांत जेना : हरियाणा में हुई हत्याओं के बारे में सरकार को अवश्य सफाई देनी चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार से कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे। श्री टी० के० रांगायार।

श्री के० तुलसैया वांडायार (तंजावुर) : यह बताया गया है कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं जिससे खाद्यान्नों की भारी कमी हो गई है। इससे गरीब आदमी और आम आदमी के लिए परेशानी पैदा हो गई है। यह बताया गया है कि इस व्यवस्था की उचित निगरानी किए जाने की आवश्यकता है और सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सामान्य सप्लाई शीघ्र बहाल करनी चाहिए ताकि आम आदमी को महीने के पहले सप्ताह में ही उसकी आवश्यकतानुसार सामान मिल जाए।

[हिन्दी]

श्री ताराचंद खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, इसी विषय पर कल से मेरा भी शून्य-काल के लिये प्रश्न लम्बित पड़ा हुआ है (व्यवधान)।

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही छोटे मुद्दे पर यहां बोलने आ रही हूं, जिसका सम्बन्ध बड़े लोगों से तो नहीं है, परन्तु हम महिलाओं को इस कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह सुबह जब हम उठकर दिल्ली दुग्ध योजना के मिल्क-बूथ पर जाते हैं तो हमें वहां से बिना दूध दिये लौटा दिया जाता है। इसलिए हमें अपने परिचारकों को इधर उधर से दूध लाने के लिए भेजना पड़ता है और यह सिलसिला सात-आठ बजे तक चलता रहता है। कभी कभी इससे भी ज्यादा देर हो जाती है। कभी मिल्क बूथ का दरवाजा बन्द रहता है और कभी आधा घंटे खड़े रहने के बाद कह दिया जाता है कि दूध समाप्त हो गया। अखबारों में भी इस सम्बन्ध में बार-बार आ रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह बात भले ही छोटी लगे लेकिन हर परिवार में दूध एक आवश्यक वस्तु होती है, और हर परिवार को दूध की जरूरत कम या अधिक मात्रा में

अवश्य होती है। दिल्ली में इसकी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। दूसरों की बात कौन कहे, मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूं, साउथ एवेन्यू में दूध की परेशानी की काफी चर्चा है, मैं समझती हूं कि अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही दशा होगी।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : आपके यहां ही नहीं, हमारे नौर्थ एवेन्यू में भी यही हालत है। दूध मिलता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती गिरिजा देवी : एक महिला सांसद होने के नाते, मैं अपनी तकलीफ सदन में उठाना चाहती हूं क्योंकि इस विषय को लेकर रोजाना ही हमें काफी मुश्किल पड़ती है। जब हमारे यहां ऐसी स्थिति है तो दिल्ली के अन्य इलाकों में, आम नागरिकों की क्या स्थिति होगी। जब हमारे सामने दूध के वितरण में इतनी गड़बड़ी होती है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम नागरिकों को दिल्ली में थोड़ा सा दूध पाने के लिए कितनी परेशानी या मुश्किल होती होगी।

अत: मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहती हूं कि दूध के वितरण की व्यवस्था में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम अविलम्ब उठाये जायें, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : कल सभापति जी ने मुझे देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के स्वामित्व वाली ग्वालियर स्थित फैक्ट्री में हुई मौतों का उल्लेख करने की अनुमति दी थी। आज कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12 से 14 हो गई है और अन्य 22 गम्भीर रूप से घायल हैं। वे अस्पताल में अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं।

आज के समाचार पत्रों में शीर्षक है कि "पुअर सेफ्टी बिहाइंड ग्रोसिम ब्लास्ट" विस्फोट का कारण कमजोर सुरक्षा और एक अन्य शीर्षक है "ग्रेसिम वर्कर्स सीथिंग विद रेज" इससे देश के सामाजिक-आर्थिक शक्ति के ढांचे को स्पष्ट करता है और उसका द्योतक है कि देश में "इकानामिक टाइम्स" के अलावा किसी और अखबार ने यह समाचार नहीं छापा है ताकि उस बड़े औद्योगिक घराने का नाम बदनाम न हो। न केवल समाचार पत्र बल्कि कल के 'संसद समाचार' टी० वी० प्रसारण में दस बजे रात को शून्य काल में उठाए गए सभी मुद्दों का उल्लेख किया गया लेकिन देश के सबसे बड़े घराने के स्वामित्व वाली ग्वालियर स्थित ग्रेसिम फैक्ट्री में हुए विस्फोट का उल्लेख करना छोड़ गए।

श्री हरिन बरन तोपदार (बैरकपोर) : क्योंकि यह उनके विरुद्ध है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे भय यह है कि श्रमिकों में पैदा हुए रोज के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद कि मालिक लापरवाही के दोषी है जिसके कारण ये मौतें हुई, इस बड़े औद्योगिक घराने को सजा नहीं मिल पाएगी, अगर केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है। उनकी पहुंच बहुत है, आर्थिक ताकत बहुत है और विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर प्रभाव है।

इसलिए, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी टी० वी० माध्यम जो कि सरकारी माध्यम है वह भी इस हद तक प्रभावित है। यहां तक कि हमारे अखबार भी इस हद तक प्रभावित हैं कि उन्होंने इस समाचार को छापा तक नहीं क्योंकि यह बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित है, भारत सरकार को इसमें अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए और एक पूरी जांच करानी ···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वे किसके पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं चाहता हूं कि उन्हें देश के लोगों के पक्ष में कार्य करना चाहिए न कि बड़े औद्योगिक घरानों के पक्ष में,

महोदय, सदन की यह इच्छा है कि न केवल प्रबंधक बल्कि मालिकों को भी 14 लोगों की मृत्यु के लिए सजा दी जानी चाहिए मैं भारत सरकार से यही चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : टोहाना (हरियाणा) में 26 और पीलीभीत, लखीमपुर आदि के तराई क्षेत्र में चौदह बेगुनाहों को कल जिस तरह से आतंकवादियों के हाथों मौत के घाट उतारा गया है उससे सारे देशवासियों में चिन्ता और बेचैनी होना स्वाभाविक है। मैं दो पाइंट कहूंगा कि तराई क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कल आडवाणी जी के नेतृत्व में एम० पीज० का एक डैलीगेशन होम मिनिस्टर से मिला था और उनसे आतंकवाद से निपटने के लिए सभी प्रकार की सहायता की प्रार्थना की थी।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नोटिस तो हरियाणा के बारे में है और आप तराई की बात कर रहे हैं।

श्री मदन लाल खुराना : हरियाणा और तराई क्षेत्र दोनों हैं । मेरा कहना है उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार किस हिम्मत से इस समस्या को मोट करना चाहती हैं उसके लिए केन्द्र की सरकार उनको सहायता दे। आतंकवादियों ने अब पंजाब, कश्मीर के अलावा बाहर भी अपने पैर-फैलाने शुरू कर दिए हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में मेरा निवेदन है कि सरकार इस समस्या का मुकाबला करने के लिए कोई कोआरडिनेटिव ऐफर्ट करे और मिनिस्टर, गवर्नर को बुलाकर कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि आतंकवाद पर काबू पाया जा सके।

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पुलिस और पी० ए० सी० की भर्तियों में पिछड़ी, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति के उम्मीदवारों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और उसकेद्वारा तैनात अधिकारी इन भर्तियों में पिछड़ी, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटे को तो भर देते हैं पर इन पिछड़ी, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में शामिल कर मैरिट लिस्ट नहीं बनाई जाती है बल्कि सामान्य वर्ग के कोटे को सवर्ण जाति के उम्मीदवारों से ही भरा जा रहा है । इससे सामान्य वर्ग की मैरिट में आने वाले पिछड़ी आदि जाति के उम्मीदवारो का, जो पूरी तरह भर्ती के योग्य होते हैं, हक छीना जा रहा है। साथ ही आरक्षण की भावनाओं के विपरीत है ।

हमारी सरकार से मांग है कि पिछड़ी, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति के उम्मीदवारों के साथ की जा रही इस तरह की हकतलफी की जांच कराए और उनके साथ न्याय करे । साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि आरक्षण से बची रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य वर्ग में पिछड़ी, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक जाति के योग्य उम्मीदवारों को शामिल कर मैरिट के आधार पर चयन करे।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लद्दाख की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह संवेनदशील क्षेत्र है और वहां के लोग काफी अरसे से आन्दोलित

हो रहे हैं और उनका आन्दोलन चल रहा है। लद्दाख को पिछले शासकों ने धर्म के आधार पर बांटने का षड्यंत्र रचा, और धर्म के आधार पर कारगिल और लेह नाम के जिले बना दिये गये। कारगिल जिले में बौद्धों की आबादी दो प्रतिशत है। आज वहां पर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। उनका जीना दूभर हो रहा है। साम्प्रदायिक आग को भड़काने के लिये उन्हें वहां नौकरियों में नहीं रखा जाता है। उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। मैं दो आंकड़े आपको देना चाहता हूं। राज्य सरकार के दो लाख कर्मचारियों में से 2900 बौद्ध हैं। 9 कारपोरेट सेक्टरों में एक भी बौद्ध नहीं है। राज्य सचिवालय में 1469 कर्मचारियों में से केवल एक लद्दाखी है। 1987-88 में 3236 लोगों को भर्ती किया गया और उसमें से एक भी बौद्ध को भर्ती नहीं किया गया। इस तरह से धर्म के नाम पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिये आज वे आन्दोलित हैं। आज कारगिल में यह स्थिति है कि अगर किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को जलाने नहीं दिया जाता है। उनको 40 मील दूर तक अपने शव को ले जाना पड़ता है। जहां बौद्धों की आबादी है, वहीं वे उसे जला सकते हैं। जो अहिंसा के पुजारी रहे हैं, सच्चे मायने में अहिंसा के अनुयायी हैं, उनके साथ धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले राज्य में इतना अन्याय किया जा रहा है। वहां की लड़कियों के साथ भी जानबूझकर एक और षड्यंत्र किया जा रहा है। वहां के मुसलमान बौद्ध लड़कियों के साथ शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। प्रति वर्ष इस तरह से 300 लड़कियों के धर्म परिवर्तन करवाये जा रहे हैं। वे इसलिए वहां आन्दोलन कर रहे हैं कि कारगिल और लेह को केन्द्र शासित प्रदेश बनाया जाये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी शिकायतों की जांच की जाये और एक स्वायत्त जिला बना कर उनकी शिकायतों का निराकरण किया जाये। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, आप क्या कर रहे हैं? जो आपकी तरफ दौड़ रहे हैं, आप उन्हीं को बोलने के लिए एलान कर रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा, कृपया अध्यक्ष पीठ पर मत चिल्लाइए। मैं यथा सम्भव संतुलितढंग से चलने की कोशिश कर रहा हूं। परन्तु बात यह है कि आप अध्यक्षपीठ पर मत चिल्लायें। अन्यथा मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया सभा में अनुशासन बनाए रखें। मैं अधिकतम अवसर देकर निष्पक्ष चलने की कोशिश कर रहा हूं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : आप जब खड़े थे तो मैं बैठ गया। कभी हमने वहां जाकर आपको तंग नहीं किया है। आप वहां जाने के लिए रोक लगाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अध्यक्षपीठ पर न चिल्लाएं और सभा में अनुशासन बनाये रखें। अन्यथा, मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया मुझे बाध्य न करें। मैं निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सभा में विपक्षी सदस्यों को अधिकतम अवसर दे रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों को भी अवसर दे रहा हूं। अध्यक्ष ने मुझे 60 सदस्यों की सूची दी

है। उलब्ध समय में सभी को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता। यदि आपके पास कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो कृपया अध्यक्ष से अपने दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के लिए कहें। अन्यथा मैं जो उचित तथा निष्पक्ष समझता हूं उसी के अनुसार चलूंगा। परन्तु मैं इतनी अनुशासनहीनता की अनुमति नहीं दूंगा कि कोई सदस्य अध्यक्षपीठ पर ही चिल्लाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरा साथ दें।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो भोगेन्द्र झा जी कह रहे हैं, वे न लिखा जाये।

((व्यवधान))*

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में लगातार नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण सारे बालाघाट जिले में एक दहसत और भय का वातावरण निर्मित हो गया है। पिछले अक्तूबर माह में वन विभाग के अधिकारियों की जीप जलाने का प्रकरण और उसके बाद बाजारों में नक्सलवादियों द्वारा लूटपाट की घटनाएं, जॉनपुर बाजार का लूटा जाना तथा फिर धमकियों के कारण सारे बाजार बन्द पड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। आज भी बालाघाट की एक तहसील में जन-जीवन पूरी तरह से भयभीत है और आतंक के साए में लोग जी रहे हैं। लगातार पिछले डेढ़ महीने से उस क्षेत्र में बाजारों के न खुलने से जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुयें भी लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। स्कूलों के टीचर्स शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से बन्द होने के कारण स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। वहां के अधिकारी और नागरिक पूरी तरह से भय और आतंक से ग्रसित हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इतनी गम्भीर घटनाओं के बावजूद भी कोई कार्यवाही न किये जाने की उदासीनता पूरी नजर आती है। मेरी मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार को भंग किया जाए और केन्द्र हस्तक्षेप करके तत्कालीन समस्या का निवारण करे।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने नेपाल की तराई में तीन उच्चस्तरीय बांध बनाने के बारे में दो-तीन बार नेपाल सरकार से बात की है, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। नेपाल के प्रधान मन्त्री, श्री कोइराला साहब, भारत आए हुए हैं और उनसे इनके मधुर सम्बन्ध भी हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनसे इन तीन उच्चस्तरीय बांध बनाने के बारे में बातचीत की जाए, क्योंकि इनके न बनने से वहां अरबों-अरबों रुपयों की क्षति और जान व माल का भी नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का कुछ भाग और बिहार का पूर्वी भाग इससे प्रभावित होता है। मैं पुन: भारत सरकार से मांग करता हूं कि कोइराला साहब से बात करके शीघ्र उन तीन उच्चस्तरीय बांध बनाने के बारे में कार्यवाही करें।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा।

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति महोदय, मैं बोला हूं, इसलिए मुझे समय दिया तो बता दीजिए।... (व्यवधान)

सभापति महोदय : भोगेन्द्र झा जी, जितना मुझे थोड़ा-बहुत अनुभव है, चीरो.आबर में ऐसे मैटर्स रेज होते हैं, जहां पर आग लग गई हो, तूफान आ गया हो या लोग आतंकवाद से पीड़ित हों।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आपकी छः ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं, इसके लिए आप रेल मंत्री से मिल सकते हैं। यहां पर इसकी चर्चा करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता है। आप इतने बड़े उतावले हो रहे हैं, तो आप खुशी से बोलिए।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : सभापति जी, मैं अपने बोलने के लिए उतावला नहीं हूं। मैं कायदे के लिए कहता हूं। मैं पांचवी बार लोक सभा में आया हूं और मैं कभी बोलने के लिए अध्यक्ष पद की ओर दौड़ कर नहीं गया हूं। यह रिवाज आप बन्द कर दीजिए। यही बात मैं कह रहा था।

आपने कहा है कि बहुत गम्भीर मामला नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारा सदन इस बात को समझे। उत्तर बिहार में खासकर मिथिलांचल का इलाका ही एक ऐसा इलाका है, जहां रेल की सुविधाएं लगातार घटी हैं। और जगह चाहे सुविधाएं बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं, लेकिन वहां घटी हैं। मेरा खासतौर पर कहना है, वहां के लोगों को शिकायत है, कि वहां छः जोड़ा ट्रेनें बन्द कर दी गई हैं—समस्तीपुर से निर्मली एक जोड़ा, समस्तीपुर से लोखाबाजार एक जोड़ा, दरभंगा से नरकटिया बाजार दो जोड़ा और दरभंगा से जयनगर दो जोड़ा। इस प्रकार छः जोड़ा ट्रेनें बन्दकर दी गई हैं और इसलिए वहां हा-हाकार मचा है। लोगों को यह शिकायत है कि चूंकि वहां कांग्रेस पूरी तरह से हार गई है, एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली है, इसलिए यह बदला लिया जा रहा है। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, यह खबर मिली है कि निजी बसों के मालिक रेल अधिकारियों को प्रभावित करते हैं, जिसके चलते रेलगाड़ी बन्द करके निजी बसों को मुनाफे में चलाया जा सके। इससे देश को आर्थिक हानि हो रही है। इतनी घनी आबादी में छः जोड़ा गाड़ियों का बन्द किया जाना, एक अचानक झटका है। पहले यह कहा गया था कि आरक्षण के उपद्रव के खतरे को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। पर कोई खतरा न वहां हुआ और न ही अभी है, अब उसको लगभग स्थायी रूप से बन्द किया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके जरिए से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से, इस अभियोग के साथ आग्रह है कि अगर उस इलाके मे चुनाव में कोई हार जाए और इस तरह से वहां गाड़ियां बन्द कर दी जाएं, तो यह ठीक नहीं है, इससे वहां पर लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि निजी बस मालिकों से सांठ-गांठ करके रेलवे को, जो राष्ट्र की सम्पत्ति है उसको नुकसान में रखा जाए, यह भी ठीक नहीं है। सभापति जी, पिछले साल चार करोड़ नौ लाख रुपया बजट में इस काम के लिए रखा गया था, जब हमारे मित्र जार्ज फर्नान्डीज जी रेल मंत्री थे और इस साल उस रुपये में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है, समस्तीपुर से दरभंगा के लिए, इसकी क्या वजह है ? अगर सरकार देश के प्रति, सदन के प्रति कुछ दायित्व रखती है तो कम से कम उन बातों को स्पष्ट करे। मैं समझता हूं कि जो रुपया पिछले साल दिया गया था उसको सरकार खर्च करे और आगे के लिए जो आवश्यक हो, उसके लिए सदन से मांग करे ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं उसमें कमी आ सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मुझे महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक महत्व का मामला उठाने के लिए अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

उड़ीसा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र तथा राज्य व्यापार के निजीकरण के क्षेत्र में देश में सबसे आगे निकल गई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री पहले ही एक सार्वजनिक क्षेत्र के एकक को बेच चुके हैं—चार्च

क्रोम फैक्ट्री—और चक्कर में डालने वाली बात यह है कि ऐसा किसी के साथ परामर्श किए बिना तथा इस पर विधान सभा में चर्चा किए बिना किया गया। ऐसा श्रमिक संघों श्रमिकों या राजनैतिक दलों से विचार विमर्श किए बिना किया गया था। यहां तक कि विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श नहीं किया गया। कोई निविदा नहीं मांगी गई। उन्होंने ऐसा मनमर्जी से किया। यहां केन्द्र सरकार में रुग्ण एककों की बी० आई० एफ०आर० को पुनः चालू करने हेतु भेजे जाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का उड़ीसा सरकार ने अनुसरण नहीं किया जिससे सन्देह पैदा होता है।

सभापति महोदय : क्या यह राज्य सरकार का एकक है अथवा केन्द्र सरकार का एकक है ?

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह राज्य क्षेत्र का एकक है। मैं इस पर आ रहा हूं। चकरा देने वाली बात यह है कि लाभोन्मुख तथा 100% निर्यातोन्मुख एकक को बहुत ही कम कीमत पर मनमाने ढंग से टाटा उद्योग समूह को बेच दिया गया। मैं समझता हूं कि इस परियोजना की लागत 150 करोड़ रुपये है। समझौता ज्ञापन में इसकी कीमत 94 करोड़ रुपये रखी गई। परन्तु विशेष रूप से, जब मंत्री मंडल में इस पर चर्चा की गई तो इसकी कीमत घटाकर 84 करोड़ रुपये कर दी गई। इस फैक्ट्री के साथ दो बहुत अच्छी क्रोमाइल खानों जो व्यवसाय की दृष्टि से सोने की खानों की भांति है, को भी टाटा उद्योग समूह को बेच दिया गया। नयागढ़ तथा बारम्बा में दो सहकारी चीनी मिलों को भी सहकारी एककों के निदेशकों से विचार विमर्श किए बिना बेच दिया गया। ये सब बातें बहुत हास्यास्पद हैं। उड़ीसा तथा यहां के लोगों के हितों को कुर्बान कर दिया गया है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त महुआ फूल व्यापार—जिसका कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीयकरण किया गया था—वे बिना देखे भाले फिर निजीकरण कर दिया गया। ऐसा शराब की लाबी के दबाव में आकर किया गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इन संदिग्ध सौदों की जांच कराएं। जब एक स्पष्ट औद्योगिक नीति है तो ऐसे गुपचुप सौदे कैसे हो सकते हैं ? मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उड़ीसा के लोगों विशेषतौर पर श्रमिक वर्ग में इन सब बातों पर भारी दुःख तथा असंतोष व्याप्त है। इन एककों की बिक्री के पीछे आशय बहुत स्पष्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक वर्ग तथा राज्य के हितों की कुर्बानी के लिए घूस दी गई है।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इन संदिग्ध सौदों की तत्काल जांच कराए ताकि लोगों तथा श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके और सौदों का खुलासा हो सके।

सभापति महोदय : श्री पी० सी० थामस। आप केवल एक मिनट ही बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह बघेला (गोधरा) : महोदय, मुझे खेद है। आप कौन सी व्यवस्था अपना रहे है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उस सूची के अनुसार चल रहे हैं जिसका अध्यक्ष ने निर्णय किया है अथवा आप अपनी पसंद के अनुसार चल रहे हैं क्योंकि यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि 1.00 म० प० तक आप उन लोगों को अनुमति दे रहे हैं जो जोर-जोर से बोल रहे हैं। महोदय, मैं व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूं। अतः आप कौन सी व्यवस्था अपना रहे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न मत करिए।

श्री शंकर सिंह बघेला : महोदय, मैं व्यवस्था के बारे में जानना चाहता हूं। (व्यवधान) मुझे

खेद है। तीन दिन से मैं एक बजे तक इंतजार करता रहा हूं जब मेरा नम्बर 16,14 और 15वां था और अब मेरे विचार से मेरा नम्बर 60 से भी आगे है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए आप सभा का समय बरबाद कर रहे हैं। अब श्री पी० सी० थामस बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह बघेला : महोदय, मुझे खेद है। मैं अपना नम्बर जानना चाहता हूं। क्या मेरा नम्बर है ? यदि मेरा नम्बर है तो आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष के पास जाकर पूछिए कि आपका नम्बर कहां है।

श्री शंकर सिंह बघेला : मेरा नम्बर है। आप उन सदस्यों को बुला रहे हैं जिनका नम्बर मेरे बाद में आता है। महोदय, मुझे खेद है। आप अन्य सदस्यों को बुला रहे हैं। महोदय, मुझे इसका बहुत खेद है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप केवल सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, अब तक दो या तीन सदस्य बोल सकते थे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह जो भी कह रहे हैं उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब श्री थामस बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, भारत में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है, शिक्षित नर्सें रोजगार ढूंढ़ रही हैं, अभी कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। परन्तु अन्य देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब में रोजगार उपलब्ध हैं, दुर्भाग्यवश हमारी सरकार ने सऊदी अरब द्वारा रोजगार देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध शीघ्र ही हटा दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार ने इसका कारण यह बताया है कि हमें जिन कर्मियों की यहां जरूरत है उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। परन्तु स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और वे रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों को जाने वाली नर्सों की भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया जाए और कुछ सीमा तक बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाए।

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी,

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सज्जनों, यहां सूची में 60 सदस्यों के नाम हैं, समय सीमित है, सूची में अंकित प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दाऊ दयाल जोशी, क्या आप बोलने के लिए तैयार हो अथवा नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं उपलब्ध समय विभिन्न वर्गों में बांटने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप खड़े न हों, श्री लोढ़ा, कृपया बैठ जाइए, जब सभापति बोल रहे हैं, आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बुधाराम मल लोढ़ा (पाली) : ...जब कोई जोर से बोलना है तो आप अनुमति दे देते हैं, जब कोई कुछ नहीं कहता है तो आप अनुमति नहीं देंगे। परन्तु क्या आप एक सदस्य को अनुमति देंगे ...?

सभापति महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो क्या आप बैठेंगे ? आप एक वरिष्ठ सदस्य हो। कृपया बैठ जाइए। मैं सदन में विभिन्न दलों की स्थिति के अनुसार समय बांटने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें विपक्ष को अधिक महत्व दिया जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं...।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : मेरा 14वां नम्बर है।

सभापति महोदय : आपका 14वां नम्बर हो सकता है परन्तु आपके दल के 10 सदस्य बोलने वाले हैं। आप कृपया सूची देखें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, मुझे खेद है, मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं, ठीक है, श्री कुप्पुस्वामी बोलिये।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो श्री कुप्पुस्वामी कहेंगे वही कार्यवाही में शामिल होगा।

(व्यवधान)*

1.00 ब० प०

**श्री सी०के०कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान मेसर्स तपो-वर्धन फाउन्डिंग फाइनेंस लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, के बन्द पड़े कार्यालय के अमाकर्तांओं और कर्मचारियों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहूंगा। यह

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पता चला है कि इस कम्पनी को राष्ट्रीय आवास बैंक ने मान्यता दी है। इस कम्पनी की सारे देश में 27 शाखाएं हैं। तिरुपुर स्थित शाखा कार्यालय को अचानक ही बन्द कर दिया गया। यहां के लगभग 20 लाख जमाकर्ताओं ने बड़ी मात्रा में लगभग 47 करोड़ रुपये जमा कराए थे। यह कहा गया है कि 25 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दे दिए गए हैं तथा प्रोमोटर शेष 22 करोड़ रुपये की राशि लेकर भाग गए हैं। यह एक गम्भीर समस्या है कि लोग इस तरह से विश्वास में आने वाली चाल के शिकार होते जा रहे हैं। यह भी पता चला है कि राष्ट्रीय आवास बैंक, जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और लोग असमंजस की स्थिति में है तथा स्थानीय लोगों, जो पहले कम्पनी के कर्मचारी रह चुके हैं, को जनता परेशान कर रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कम्पनी के कुप्रबंध और संदिग्ध कार्यों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही शुरू की जाये।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, मैं जिस प्रश्न को उठा रहा हूं वह राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से सम्बन्धित हैं। मुम्बई स्थित लक्ष्मी चन्द भगाजी बैंक ने 80 करोड़ रुपये की 35 लाख लोगों के साथ धोखा-धड़ी की है। माननीय सभापति जी, इस बैंक की 200 शाखाएं हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह बैंक चूंकि अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देता था, इस बैंक में पेंशनर्स, विधवा महिलाओं और अल्प आय भोगी व्यक्तियों ने राशि जमा की थी। 13 मार्च, 1988 को इन उपभोक्ताओं को इस बैंक ने धनराशि देने से मना कर दिया। ये सारे उपभोक्ता लगातार पूरा प्रयत्न करने के बावजूद किसी प्रकार की मदद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय अर्जुन सिंह जी से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बहुत से जमाकर्ता लोग अनेक बार मिले, लेकिन माननीय अर्जुन सिंह जी का कहना है कि वित्त मंत्रालय इस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा। आज से 10 दिन पहले वित्त मन्त्री जी को अर्जुन सिंह जी ने कहा है कि यह राशि तुरन्त उपभोक्ताओं को दिलायी जाए। मुझे खेद है कि इस बैंक को जो एच० के० शाह चलाते हैं उनके परिवार के तीन सदस्य संचालक मण्डल के सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि इस बैंक के पास 80 करोड़ की जो अचल सम्पत्ति है उस अचल सम्पत्ति को तुरन्त जब्त किया जाए। साथ-ही-साथ मेरा निवेदन है कि 80 करोड़ की रकम जो दो सालों में 90 करोड़ हो जाती है, उन सारे जमाकर्ताओं का, जो गरीब हैं, जिनके जीवन की पूंजी इस बैंक में जमा थी, इस राशि को तुरन्त दिलाने की अनुकम्पा करें। वित्त मन्त्री महोदय इस पर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री शरद पवार।

1.02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

नौसैनिक औपचारिकता, सेवा शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1991

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत

[श्री शरद पवार]

नौसैनिक औपचारिकता, सेवा शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1991, जो 28 नवम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 194 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—814/91]

पूंजी निर्गमन (सहमति के लिए आवेदन) संशोधन नियम, 1991

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं श्री मनमोहन सिंह की ओर से पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूंजी निर्गमन (सहमति के लिए आवेदन) संशोधन नियम, 1991, जो 21 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 540 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—815/91

विदेशों में संयुक्त उद्यम के बारे में 22 नवम्बर 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं विदेशों में संयुक्त उद्यम के बारे में सर्वश्री छोटू भाई गामीत और दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 304 के 22 नवम्बर, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाले एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—816/91]

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद्, मुम्बई के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखें संख्या एल० टी०—817/91]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं श्री जगदीश टाईटलर की ओर से

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 608 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास डॉक उप-विधि में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 610 (अ), जो 1 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास डॉक विनियम, 1967 के विनियम 83 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—818/91]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयानों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 1991, जो 17 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 469 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 1991, जो 31 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 491 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा० का०नि०542, जो 21 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 अक्तूबर, 1988 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 865 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—819/91]

(3) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 122 की उपधारा (3) के अन्तर्गत महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) (संशोधन) नियम, 1991, जो 15 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 635 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—820/91]

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम 1990, पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर का 31 मार्च, 1991 आदि को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अन्तर्गत

[श्री बलबीर सिंह]

भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन विनियम, 1990, जो 6 अप्रैल, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डी० ई० एल/स्था०/6612/पेंशन/90-91 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—821/91]

(2) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक नैल्लोर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—822/91]

(दो) बोलनगिर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलनगिर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—823/91]

(तीन) नागार्जुन ग्रामीण बैंक, रायगढ़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—824/91]

(चार) रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—825/91]

(पांच) कृष्ण ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग का 31 मर्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—826/91]

(छह) छिंदवाड़ा सियोनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छिंदवाड़ा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—827/91]

(सात) श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, श्री गंगानगर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—828/91]

(आठ) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मण्डी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—829/91]

(नौ) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—830/91]

(दस) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोपालगंज का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०—831/91]

(ग्यारह) बाराबंकी ग्रामीण बैंक, बाराबंकी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—832/91]

(बारह) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांडया का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिदेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—833/91]

(तेरह) पालामाऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—834/91]

(चौदह) बनासकांठा मेहसाना ग्रामीण बैंक, पटना का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षका प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—835/91]

(पन्द्रह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक गुड़गांव का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखारीक्षिक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—836/91]

(सोलह) कोरापुर पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपोर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—837/91]

(सत्रह) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—838/91]

(अठारह) मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चूरू का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—839/91]

[श्री [illegible]]

(उन्नीस) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—840/91]

(बीस) रीवा सिद्धी ग्रामीण बैंक रीवा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—841/91]

(इक्कीस) शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहडोल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—842/91]

(बाईस) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक का, मिर्जापुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—843/91]

(तेईस) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—844/91]

(चौबीस) चम्पारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीहारी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—845/91]

(पच्चीस) दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दामोह का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०- 846/91]

(छब्बीस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छपरा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—847/91]

(सत्ताईस) उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—848/91]

(अट्ठाईस) हिंडन ग्रामीण बैंक, गाजियाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 849/91]

(उनतीस) कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पूर्णिया का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—850/91]

(तीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—851/91]

(इकतीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—852/91]

(बत्तीस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—853/91]

(तैंतीस) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—854/91]

(चौंतीस) झबुआधर क्षेत्रीय ग्रामण बैंक, झबुआ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए : देखिए संख्या एल० टी०—855/91]

(पैंतीस) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला का 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—856/91]

(छत्तीस) काकाथिया ग्रामीण बैंक, वारांगल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—857/91]

(सैंतीस) रत्नागिरि विन्ध्यदुर्ग ग्रामीण बैंक, रत्नागिरि का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—858/91]

(अड़तीस) भंडारा ग्रामीण बैंक, भंडारा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 859/91]

[श्री बलवीर सिंह]

(उनतालीस) सारदा ग्रामीण बैंक, सतना का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—860/91]

(चालीस) दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक, मालाप्पुरम का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—861/91]

(इकतालीस) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—862/91]

(बयालीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—863/91]

(तैंतालीस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—864/91]

(चवालीस) मयूरक्षी ग्रामीण बैंक, सूरी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०—865/91]

(पैंतालीस) अवध ग्रामीण बैंक, लखनऊ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—866/91]

(छियालीस) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—867/91]

(सैंतालीस) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—868/91]

(अड़तालीस) नालन्दा ग्रामीण बैंक, बिहारशरीफ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—869/91]

(उनचास) कच्छ ग्रामीण बैंक, भुज का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—870/91]

(पचास) देवास शाहजाहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—871/91]

(इक्यावन) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा का 31 का 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—872/91]

(बावन) गोमती ग्रामीण बैंक, जौनपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—873/91]

(तिरपन) शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शिवपुरी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—874/91]

(चौवन) ढेनकनाल ग्राम्य बैंक, ढेनकनाल का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—875/91]

(पचपन) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक, बांकूरा का 31 मार्च, 199! को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—876/91]

(छप्पन) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पोड़ी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—877/91]

(सत्तावन) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—878/91]

(अठावन) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बैलारी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—879/91]

[श्री दलबीर सिंह]

(उनसठ) का बैंक नोंगक्यंडोंग री खासी जैन्तिया शिलौंग का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—880/91]

(साठ) बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—881/91]

(इकसठ) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—882/91]

(बासठ) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लहरियासाड़ी, का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—883/91]

(तिरसठ) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—884/91]

(चौंसठ) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—885/91]

(पैंसठ) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—886/91]

(छियासठ) लाखिमी गांवलिया बैंक, गोलाघाट का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—887/91]

(सड़सठ) गंगा यमुना ग्रामीण बैंक, देहरादून का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—888/91]

(अड़सठ) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—889/91]

(उनहत्तर) संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आजमगढ़ का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—890/91]

(सत्तर) गौड़ ग्रामीण बैंक, मालदा का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०—891/91]

(इकहत्तर) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर का 31 मार्च 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—892/91]

(बहत्तर) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी का 31 मार्च 1991 का समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—893/91]

(तिहत्तर) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—894/91]

(चौहत्तर) निमार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खरगांव का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—895/91]

(पचहत्तर) वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—896/91]

(3) 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के 21वें मूल्यांकन परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—897/91]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1990 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1991 की संख्या 14)—संघ सरकार (अन्य स्वायत्त निकाय—कॉफी बोर्ड—की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—898/91]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखना चाहता हूं —

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 539 (अ) जो 21 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 100/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 540 (अ) जो 21 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 109/91-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 554 (अ) जो 30 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जून, 1991 की अधिसूचना संख्या 103/90-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि नेपाली मूल के उन चार और उत्पादों को मूल तथा अनुषंगी सीमा शुल्क से छूट दी जा सके जो भारत में अधिमान्य प्रविष्टि के पात्र हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सीमा शुल्क उपयोजन (प्रपत्र) विनियम, 1991 जो 20 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 599 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—900/91]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 536 (अ) जो 19 अगस्त, 1991 के भारतके राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जुलाई, 1991 की अधिसूचना संख्या 53/91-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1991 जो 20 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 598 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का० आ० 610 (अ) जो 19 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 सितम्बर, 1991 से केन्द्रीय उत्पाद

शुल्क तथा सीमा शुल्क विधि (संशोधन) अधिनियम, 1991 को लागू किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—899/91]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1991 जो 27 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 652 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए सं० एल० टी०—901/91]

1.00 म० प०

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहता हूं—

(1) काली मिर्च निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1991 जो 11 मई, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1311 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका शुद्धि-पत्र जो 5 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या का का० आ० 2489 में प्रकाशित हुआ था।

(2) निर्यात निरीक्षण परिषद (निदेशक) भर्ती नियम, 1991 जो 14 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2324 में प्रकाशित हुए थे।

(3) हल्दी निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1991 जो 28 सितम्बर 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2394 में प्रकाशित हुए थे।

(4) अदरक निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1991 जो 28 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2395 में प्रकाशित हुए थे।

(5) हिमशीतित मत्स्य और मत्स्य उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1991 जो 28 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2396 में प्रकाशित हुए थे।

(6) डिब्बा बन्द मत्स्य और मत्स्य उत्पाद (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1991 जो 28 सितम्बर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2397 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०—902/91]

1.05 म० प०

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 9 दिसम्बर, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में

[श्री कुलदीप नैयर (गाजियाबाद)]

निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना।

(क) भारतीय पत्तन (संशोधन) विधेयक, 1991

(ख) दिल्ली उच्च न्यायलय (संशोधन) विधेयक, 1991

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा इस अध्यादेश के प्रतिस्थापन में विधेयक पर विचार तथा पारित करना।

(4) संघ लोक सेवा आयोग के 25वें से 39वें तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा।

(5) हाल ही में आतंकवाद, अलगावाद और अपहरण की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी के सन्दर्भ में देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट के सम्बन्ध में सोमवार, 9 दिसम्बर, 1991 के अपराह्न 3.00 बजे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा।

(6) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूकम्प के कारण हुए विनास के सम्बन्ध में मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1991 को अपराह्न 3.00 बजे नियम, 193 के अन्तर्गत चर्चा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए।

राजस्थान के गैर सरकारी कालेजों में सबसे बड़े संस्थान "दयानन्द कालेज अजमेर" में कृषि संकाय की अधिवृद्धि हेतु "कृषि विज्ञान केन्द्र" की अविलम्ब स्थापना की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए।

1. राजस्थान में जयपुर की तरह अन्य प्रान्तों में भी मान्यता प्राप्त फ्लाइंग क्लब मय प्रशिक्षण खोला जाए।

2. जयपुर राजस्थान में जयगढ़, नाहरगढ़ व विश्व प्रसिद्ध गलता तीर्थ पर जाने के लिए रोप-वे सिस्टम चालू करने के लिए केन्द्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करे।

श्री काशी राम राणा (सूरत) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए।—

देश के हजारों हैण्डलूम और जरी एककों को बचाने के लिए सिल्क के आयात करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये :—

(1) पश्चिम बंगाल सरकार को बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

(2) पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रोरसायन फैक्ट्री की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री सुजान मल लोढा (पाली) : सभापति महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए :—

1. मेघालय राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने से पहले उस राज्य के विषय में चर्चा की आवश्यकता।

2. गोहत्या रोकने के सम्बन्ध में संविधान संशोधन बिल लाने की आवश्यकता।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये :—

बरेली में 10,000 लाइन वाला इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया जाये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाये :—

कोटा, राजस्थान में टेलीफोन अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय (राव राम सिंह) : संचार मंत्री आपके राज्य के हैं एक दिन मिलकर उनसे बात कर लें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शोबालम पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित मद अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किये जायें :—

(1) प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदाओं के रूप में घोषणा के सम्बन्ध में अकाल संहिता तथा अन्य सम्बद्ध कानूनों में संशोधन की आवश्यकता।

(2) 'सिकल-सेल-एनेमिया' बीमारी और उड़ीसा के विभिन्न भागों में इस भयावह बीमारी से ग्रस्त रोगियों के उपचार के उचित अनुसंधान की आवश्यकता।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल करने का आग्रह करता हूं :—

(1) कर्नाटक के कोडगू जिले में एक सैनिक स्कूल की स्थापना करने की आवश्यकता :

[श्री वी० धनंजय कुमार]

(2) मंगलौर पेट्रो-रसायन परियोजना में एक नैफ्था केकर एकक की स्थापना करने को स्वीकृति देने की आवश्यकता। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किये जाने का आग्रह करता हूं :—

(1) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के 600 श्रमिकों की छटनी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने एवं पश्चिम बंगाल में तेल की खोज करने पर रोक लगाने और देश में अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के आगमन को अनुमति दिये जाने को रोकने की आवश्यकता।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल की कुछ परियोजनाओं को स्वीकृति न देना।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं इसे कार्य मंत्रणा समिति की जानकारी में लाऊंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : समवेत होने के लिए दोपहर के सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 15 मिनट पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधान सम्बन्धी कार्य पर चर्चा करेगा, श्री के० विजय भास्कर रेड्डी।

2.26 म० प०

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि विवाह और पारिवारिक मामलों तथा उससे संबंधित मामलों से जुड़े विवादों के शीघ्र निपटान तथा समाधान को बढ़ावा देने हेतु कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) में विशेष अदालतों की स्थापना करने का प्रावधान है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश की

राज्य सरकारों तथा पांडिचेरी संघ-राज्य क्षेत्र 25 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित कर चुके हैं। असम, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में इनकी स्थापना हेतु कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम को इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई हैं।

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के बनने के पश्चात दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय नौ (जिसमें धारा 125 शामिल है) के अन्तर्गत पत्नी, बच्चों तथा माता-पिता से संबंधित कार्यवाही भी कुटुम्ब न्यायालयों की परिधि में आती है। ऐसे राज्यों जिनमें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम लागू नहीं किया गया है, के संबंध में एक असंगत स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि इनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत दण्डाधिकारी द्वारा पारित संपोषण आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती और केवल संशोधित याचिका दायर करने सम्बन्धी दण्ड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधान ही लागू होंगे जबकि ऐसे राज्यों जिनमें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया है, के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित संपोषण आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत की गई एक अपील पर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ विचार कर सकती है।

दिसम्बर, 1989 में आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उक्त असंगति पर विचार किया गया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने के सम्बन्ध में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में विद्यमान प्रावधान को हटाने और इसके स्थान पर उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किये जाने की सिफारिश की गई।

संपोषण के मामलों सम्बन्धी प्रक्रिया में समानता लाने के उद्देश्य से कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार समाप्त किया जा रहा है। साथ ही साथ अधिनियम में संशोधन से सम्बन्धित एक नया खण्ड जोड़ने की बात की गई है ताकि उच्च न्यायालय अपने निजी विचार से अथवा अन्यथा किसी भी प्रक्रिया जिसमें कुटुम्ब न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय नौ (जिसमें धारा 125 शामिल है) के अन्तर्गत आदेश पारित किया है का वृतांत मंगाने और उसकी जांच करने के काबिल हो सके जिससे वह आदेश के औचित्य, वैधता और इसकी उपयुक्तता के बारे में संतोष कर सके। तथापि, इससे लंबित अपीलों और संशोधन अधिनियम आरम्भ होने से पूर्व पारित आदेश की अपील करने के अधिकार कम हो सकेंगे।

मैं आशा करता हूं कि विधेयक को सदन के समस्त सदस्यों का पूरा-पूरा समर्थन मिलेगा।

मैं विधेयक सभा के विचारार्थ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिए ढाई घंटे का समय नियत किया गया है। अब मैं श्रीमती शीला गौतम को भाषण देने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कुछ कहने के लिए समय दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । देश में प्रारम्भ की गई परिवार अदालतों का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं तथा इस बिल का भी समर्थन करती हूं ।

परिवार अदालतों को प्रारम्भ किये जाने का मैं इसलिए समर्थन करती हूं कि इससे देश की महिलाओं को न्याय मिलेगा । उनके साथ होने वाले अन्याय की ठीक प्रकार से सुनवाई हो सकेगी ।

देश में आज जो महिलाओं की स्थिति है, उसको देखते हुए ऐसे न्यायालयों की बहुत आवश्यकता हो जाती है ।

दूसरे देशों में ऐसी अदालतें बहुत पहले से ही कार्य कर रही हैं । पारिवारिक अदालतों का सबसे पहले प्रारम्भ 1899 में अमरीका में हुआ था । इन अदालतों का कार्य 1910 से छोड़ी गई पत्नियों के लिए निर्वाह तथा उनके भरण-पोषण के भत्ते निर्धारित करना था । जापान और आस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार के सफल प्रयोग हुए । 1949 में जापान में पारिवारिक न्यायालयों को स्वतन्त्र न्यायालय का दर्जा दिया गया । कई अन्य देशों में भी इस तरह के न्यायालय कार्य कर रहे हैं ।

हमारे देश में भी ऐसे न्यायालयों की अत्यन्त आवश्यकता हो गई है क्योंकि हमारे समाज की स्थिति अब काफी बदलती जा रही है । पहले परिवारों का स्वरूप सम्मिलित होता था किन्तु अब यह सम्मिलित स्वरूप विघटित होता जा रहा है । ऐसी बदलती हुई परिस्थितियों में महिलाओं के ऊपर आई विपत्ति को दूर करने में किसी की व्यक्तिगत रुचि नहीं रहती है । सबको अपना सोच हो गया है । अत: आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं के उत्पीड़न को ऐसे पारिवारिक न्यायालयों द्वारा समाप्त कर राहत दिलाई जाए तथा इन न्यायालयों के द्वारा मुकदमे का शीघ्र निपटारा किया जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह बिल लाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है । मेरा शासन से अनुरोध है कि ऐसे न्यायालयों की संख्या देश में बढ़ाई जानी चाहिए । महिलाओं के ऊपर अपराधों की संख्या बढ़ती देख वर्तमान परिवार न्यायालयों की संख्या बहुत कम है । मेरा शासन को सुझाव है कि ऐसे परिवार न्यायालय देश के हर जिले में स्थापित किये जाने चाहिएं ताकि अधिक से अधिक पीड़ित महिलाओं को शीघ्रातिशीघ्र न्याय मिल सके ।

मेरा यह भी सुझाव है कि ऐसे न्यायालयों को अधिक सक्रिय बनाने हेतु महिला न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए ।

एक बार फिर मैं इस बिल का समर्थन करती हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रमेश चेन्नितला ।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैं बेरोजगारी विधेयक पर बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर नहीं ?

श्री रमेश चेन्नितला : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब, श्री शरद दिघे । उसके बाद, श्री पाला के० एम० मैथ्यू । (व्यवधान) उनकी रुचि नहीं है । श्री पांजिहो···

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1990 का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में पारित किया गया था। अब, विधि मन्त्री महोदय एक संशोधन लेकर सदन के समक्ष आये हैं जिसे दूसरे सदन ने पहले ही पारित कर दिया है।

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना करने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह अदालत विभिन्न प्रकार के मामलों से सम्बद्ध है जैसे विवाह सम्बन्धी मामले, पारिवारिक मसले आदि। और विवादों की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें उस अदालत के अन्य मामलों के साथ सामान्य तरीके से नहीं बल्कि अलग तरीके से निपटाने की आवश्यकता है। इसलिए जैसी आवश्यकता थी वैसा विधेयक हमारे सामने है। परंतु इस अधिनियम को लागू करने के सम्बन्ध में, मुझे यह देखकर दुःख हुआ है कि वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उसके क्रियान्वयन की गति धीमी रही है और अनेक राज्यों में— बिहार तथा आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों तथा कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी— राज्य सरकारों ने अपने यहां अभी तक इस अधिनियम की अधिसूचना जारी नहीं की है। कुछ राज्यों में अभी तक केवल 25 कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए है और कुछ राज्यों ने केवल हाल ही में इन अदालतों की अधिसूचना जारी करने के लिए कदम उठाए है। उन्होंने अभी कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना नहीं की है। इस तरीके से, इस सम्बन्ध में अनेक राज्यों का कार्य निष्पादन असंतोषजनक है। अतः, इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मंत्री महोदय को इस कार्य में रुचि लेकर राज्य सरकारों पर इस विधेयक के क्रियान्वयन की अविलम्बनीयता तथा आवश्यकता जताने हेतु रुचि लेनी चाहिए।

महोदय, यह संशोधन का स्वरूप केवल प्रक्रियात्मक है। इसका उद्देश्य अपील बनाम पुनर्विचार के सम्बन्ध में एकरूपता लाने का है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम में ऐसे कुछ उपबन्ध जरूर हैं जो दण्ड प्रक्रिया संहिता में पहले ही से विद्यमान हैं तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में, गुजारा आदि भत्ता के संबंध में न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध पुनर्विचार के सम्बन्ध में एक प्रावधान है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम में ऐसे कुछ प्रावधान जरूर है जिनमें पुनर्विचार के स्थान पर अपील का प्रावधान है। इसलिए एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है जो न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों, अर्थात्, न्यायाधीशों तथा प्रधान न्यायाधीशों ने पकड़ ली है। उन्होंने अपने सम्मेलन में यह सिफारिश की है कि इस विसंगतिपूर्ण स्थिति को संशोधन द्वारा दूर किया जाना चाहिए और इसलिए, यह संशोधन प्रस्तुत हुआ है। यह अपील के स्थान पर 'पुनर्विचार' होना चाहिए। अतः इस सिफारिश का अनुकरण करने तथा प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु, यह विधेयक हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

यह विधेयक उच्च न्यायालयों को भी हस्तक्षेप करने तथा निचली अदालतों और कुटुम्ब न्यायालयों आदि से रिकार्ड मंगाने का अधिकार भी देता है। मेरी अभिलाषा है कि उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसा हस्तक्षेप बेहतरी के लिए होगा न कि खराबी के लिए ताकि विधेयक में अन्तर्निहित उद्देश्य को अधिक सार्थक तरीके से पूरा किया जा सके। यह विधेयक हमारी महिलाओं, जो दुर्बल वर्ग में आती हैं, को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए है। महिलाएं दुर्बल वर्ग में ही आती हैं तथा उनका हित की रक्षा सही परिप्रेक्ष्य में ही करनी पड़ेगी तथा करनी चाहिए। महिलाओं का बहुत अधिक उत्पीड़न होता है तथा दहेज आदि के कारण होने वाली मौतों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, महिलाओं को शारीरिक यातना भी दी जाती है और उसकी संख्या भी बढ़ रही है। अतः, मेरा यह अनुरोध तथा सुझाव है कि कुटुम्ब न्यायालयों को और अधिक शक्तियां दी जाए। एक तरह से, दहेज के कारण होने वाली मौतें तथा महिलाओं को उनके ससुराल वालों और पतियों द्वारा शारीरिक यातना देना प्रकृत्या आपराधिक है। यदि अन्य प्रकार के आपराधिक मामलों से तुलना करें तो वह केवल आपराधिक ही

[श्री ओबल्लम पाणिग्रही]

नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर है। इसलिए इन मामलों को भी कुटुम्ब न्यायालयों की परिधि में लाने के लिए कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। इन विशेष अदालतों का वातावरण तथा काम का तरीका अलग तरह का होना चाहिए। विवाह सम्बन्धी विवादों तथा पारिवारिक मामलों से सम्बन्धित इन मामलों पर भिन्न प्रकार के माहौल में सुनवाई होनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि तेजी से न्याय प्रदान किया जाए। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, (न्याय में विलम्ब, न्याय से इन्कार है)। इसलिए जहां तक इन मामलों का सम्बन्ध है, न्याय शीघ्र और सस्ता-सुलभ होना चाहिए।

इससे पहले, हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अदालती कार्यवाहियां खुली अदालतों में हुआ करती थीं तथा उससे महिलाओं को अत्यधिक परेशानी होती थी। इसीलिए महिलाएं कितनी ही सताये जाने पर भी अदालतों में जाने से कतराती थीं। निस्संदेह, अब स्थिति बदल गई है तथा अदालती कार्यवाही बन्द कमरे में करके पति अथवा पत्नी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

मैं एक या दो सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। इन 25 के लगभग विशेष अदालतों में इस समय करीब 10,000 मामले लम्बित पड़े हैं। एक प्रतिबन्ध, बल्कि संशोधन यह है कि कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना केवल उन जिलों में ही की जा सकती है जिनमें जनसंख्या दस लाख से अधिक हो। कई छोटे जिले दस लाख से कम जनसंख्या वाले हैं। इसलिए, ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो न्यूनतम कार्य किया जा सकता है वह यह है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक कुटुम्ब न्यायालय होना चाहिए।

मैं पुन: यह जोर देकर कहूंगा कि इन कुटुम्ब न्यायालयों के प्रति एक अलग तरह की एप्रोच होनी चाहिए। यदि कुटुम्ब न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है जो दीवानी अदालतों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के पैनल में भी हैं तो मुझे डर है कि कहीं उद्देश्य के सम्पूर्णतया पूरा होने में कमी रह जाये। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके लिए एक भिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और एक भिन्न प्रकार के रवैये की आवश्कता है। इसलिए दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि कुटुम्ब न्यायालयों को चलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की जानी चाहिए। महिला न्यायाधीशों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, उतना ही कहीं अच्छा होगा। आपके विचारार्थ मेरा यह सुझाव है। आज, विभिन्न न्यायालयों में वकालत कर रही महिला बैरिस्टरों तथा अधिवक्ताओं की संख्या बहुत है। हमें महिलाएं हर क्षेत्र में दिखाई देती हैं तथा वे किसी भी विधा में पीछे नहीं है। इसलिए, जहां तक इन कुटुम्ब न्यायालयों का संबंध है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए।

मेरा एक और सुझाव है। जब कोई तलाक होता है अथवा किसी महिला का परित्याग किया जाता है तथा वह अपने पति से दूर रहती है, तो सम्भव है उसकी अपनी कोई आय न हो। ऐसी स्थिति में, यदि वह कुटुम्ब न्यायालयों में जाने का निर्णय कर भी ले, तो भी मुकदमेबाजी के लिए धन कहां से लायेगी? इस उद्देश्य के लिए, कानूनी सहायता का प्रावधान होना चाहिए और वह भी सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि महिलाओं को असहाय स्थिति में दर-दर न भटकना पड़े। प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि मुकदमे को प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए वह सम्बन्धित प्राधिकारी तक पहुंच सके। अत:, और अधिक शक्तियां भी दी जानी चाहिए।

मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। यह बहुत ही साधारण और बहुत ही अनपकारी विधेयक है।

अधिनियम में कुछ खामियां थीं जो इस विधेयक द्वारा दूर की गई हैं।

महोदय, मुझे यह देखकर अत्यन्त दुःख हुआ है कि जब कोई कानून पारित कर दिया जाता है, तो कार्यान्वयन तंत्र अथवा राज्य, जिन्हें कानून के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा जाता है, इसकी त्वरित आवश्यकता, स्थिति की गम्भीरता और विधान के महत्व को ही महसूस नहीं करते हैं और वे अत्यन्त धीमी गति से इसका कार्यान्वयन करते हैं। यह ठीक नहीं है। इससे उनके कार्यनिष्पादन के सम्बन्ध में कोई अच्छी छवि प्राप्त नहीं होती है। उन्हें इसे कार्यान्वित करना चाहिए और विधान के प्रयोजन को सफल बनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए जो प्राथमिकता दी है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं क्योंकि मुझे किसी बैठक में भाग लेना है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं इसका पूरी तरह समर्थन करती हूं। इसका विरोध करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मेरे माननीय सहयोगी, श्री पाणिग्रही ने अभी अनेक मुद्दे रखे हैं। मैं उनके द्वारा और साथ ही श्रीमती शीला गौतम द्वारा महिला न्यायाधीश आदि के बारे में रखे गये मुद्दों का पूरा समर्थन करती हूं। श्री पाणिग्रही ने जो आंकड़े दिये हैं, मैं उनका पूर्णतः अनुमोदन करती हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक के लिए ढाई घंटे का समय दिया है और यह समय पहले दिये गये समय में संशोधन करके दिया है जो कि इससे बहुत कम था। विचार यह था कि, चूंकि महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा नहीं कराई जा सकी इसलिए हम इस अवसर का उपयोग इस विषय पर कुछ मुद्दे रखने के लिए करेंगे। यही समझकर इस समय में वृद्धि की गई थी। लेकिन महोदय, सभा में चारों ओर नजर डालने के पश्चात मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह वास्तव में एक अत्याचार है। दुर्भाग्य से, सभा में अब बहुत ही थोड़ी सी महिलाएं अथवा पुरुष उपस्थित हैं। मैं उन माननीय पुरुष सहयोगियों का धन्यवाद करती हूं जो उपस्थित हैं क्योंकि हमें अपने से अधिक उनकी उपस्थिति की आवश्यकता अधिक है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं इस प्रश्न का समाधान करना चाहूंगी।

बहुत थोड़े से कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किए गए हैं, हालांकि वे भी बन्द कमरे में कार्य करते हैं, आदि, आदि। लेकिन, यदि सच पूछिये तो, आज कितनी महिलाएं वहां जाने में असमर्थ हैं? प्रत्येक परिवार में कष्टमय स्थिति को देखते हुए, कुछ ही महिलाएं वहां जाने में समर्थ हैं। मैं आपको कई अच्छे कानूनों की स्थिति के बारे में दो या तीन उदाहरण दूंगी।

मैं 1980 से इस सभा की सदस्य हूं। महिला आंदोलन की एक नई लहर उत्पन्न हुई थी और इस लहर से, विधानमण्डलों के बाहर, विधान सभाओं ने कई अच्छे अधिनियम पारित करने के प्रयास किए।

अब आइए हम देखते हैं कि इन विधानों का हो क्या रहा है? कुटुम्ब न्यायालय कोई अपवाद नहीं होंगे। इसलिए मैं कह रही हूं कि यह हमारे लिए प्रासंगिक है। दंड प्रक्रिया संहिता में हिरासत में बलात्कार संबंधित कानून जो कि इसी नाम से विख्यात है। पारित करने के लिए प्रबर समिति को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। जब मैं यहां पहली बार आई थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया था और उसमें 'बलात्कार' शब्द की भी पूरी परिभाषा बदल दी गई थी। किसी व्यक्ति पर यह बात सिद्ध करने की जिम्मेदारी आने से ही वह व्यक्ति अपराधी हो

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

जाता था कि उसने बलात्कार नहीं किया है। यह कानून है।

अब हमें देखना है कि आज क्या हो रहा है? यदि पिछले छः महीनों के समाचार पत्र देखें, तो आप पाएंगे कि हिरासत में बलात्कार किए जाने के अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। माननीय विधि और कम्पनी कार्य मंत्री महोदय ने अवश्य ही समाचार पत्र पढ़े होंगे और मुझे उन्हें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि अब हिरासत में बलात्कार किए जाने के मामलों की संख्या में और अधिक वृद्धि होती जा रही है।

दूसरे, अब हम दहेज के कारण होने वाली मौतों के प्रश्न को लेते हैं। इसके बारे में एक विधेयक पारित किया गया था। उक्त विधेयक में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि किसी महिला की उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु संदेहास्पद स्थिति में होती है, तो इस संदेह के लिए उसके पति और उसके परिवार के कुछ सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी होती है। और उसके पिता के परिवार को शव परीक्षा करवाने से पहले सूचित करना होगा। अब क्या हो रहा है?

हाल ही में मैंने पश्चिम बंगाल के अपने महानिदेशक पुलिस को एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया था कि लड़की की मौत के बारे में किसीने सूचित नहीं किया था। आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि उन्हें एक अन्य मामला दिया गया जो एक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी का था। लड़की को मारने के लिए बाध्य किया जा रहा था। यह तो स्थिति है। वह केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी विभिन्न राज्यों में भागदौड़ कर रहा है। अतः किसी भी दिन उस लड़की की मृत्यु हो सकती है। ऐसी घटनाएं सभी राज्यों में हो रही हैं। फिर भी मैं और अधिक उदाहरण नहीं देना चाहती हूं। इस विधायिका द्वारा एक मत से अनेक कानून पारित किए जाते हैं लेकिन वे पूर्णतया निष्फल हो रहे हैं। यही स्थिति है जो वास्तव में पीड़ादायक है।

अब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करती हूं। मैं इस बात को पुनः उठा रही हूं। मैं आशा करती हूं कि इस प्रश्न पर प्रधानमन्त्री के साथ चर्चा होगी। उस दिन भी 'शून्यकाल' के दौरान, मैंने इस विषय को उठाया था। पूरे एक दशक तक संघर्ष करने के बाद, एक मत से राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने संबंधी विधेयक पारित किया गया था। इसके बाद हमें पता लगा कि अब दो आयोगों की स्थापना की जाएगी। उस दिन मैंने कहा था कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम होगी।

आपने एक आयोग तो गठित नहीं किया है और अब आप दो आयोगों का गठन करने पर विचार कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि श्री मनमोहन सिंह खर्च कहां से देंगे। मैं समझती हूं कि आज के भारत में आप एक अवांछनीय स्थिति में हैं। मुझे विश्वास है कि आप नोट कर रहे हैं लेकिन सब बातों को ध्यान में रखकर मैं जानना चाहती हूं कि दो आयोगों की घोषणा करने का क्या अर्थ है? क्या उनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में किया गया था, यद्यपि इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं की जा सकी थी?

यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। अतः मुझे ऐसा लगता है कि हम वास्तव में एक असहाय स्थिति में चल रहे हैं और एक जाल में फंसते जा रहे हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे हमें निकलना है।

राष्ट्रीय आयोग जैसी कार्यान्वयन तंत्र की स्थापना शीघ्र की जानी चाहिए। परन्तु साथ ही मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हैं कि मात्र एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने से हमारी

मुक्ति हो जाएगी। यह इससे बिलकुल पृथक है। जब तक हम समाज में और महिलाओं के प्रति समग्र दृष्टिकोण में वास्तविक परिवर्तन नहीं लाते तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अत: इस विधेयक पर बोलते हुए मेरी पहली और अन्तिम अपील यह है कि हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना है चाहे वे राजनीतिक, सामाजिक या ये जो भी हों उनसे उठकर इस प्रश्न पर बुनियादी स्तर पर विचार करना चाहिए। इसे बुनियादी स्तर पर हल करना चाहिए; हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिसमें महिलायें यह कह सकें कि संविधान में उन्हें दिए गये अधिकारों के अनुसार वे समान नागरिक है और उनका संपूर्ण परिवार एवं बस्ती उनका सम्मान करती है। केवल तभी इस विधेयक का कोई प्रभाव होगा। अत: हम सभी को शपथ लेनी चाहिए—जो यहां उपस्थित हैं और जो यहां उपस्थित नहीं हैं—यदि महिलाएं गुलाम रहेंगी तो कोई समाज चाहे वह कोई समाज हो, प्रगति नहीं कर सकता; यदि ऐसा हो सके, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमें ऐसा करना होगा।

संयोगवश, गत सत्र में जब नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा शुरू हुई थी तो जब मैं बोल रहा था तो कुछ माननीय पुरुष सदस्यों ने मुझसे पूछा था कि "दीदी आपने हमारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा; हमें भी कभी-कभी तंग किया जाता है।" हां, मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी-कभी आपको भी तंग किया जाता है, आपको तंग नहो किया जाना चाहिए; महिलाओं को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किन्तु पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा कम परेशान किया जाता है। फिर भी मैं आपकी बात का समर्थन करती हूं कि हमें आदर्शवादी होना चाहिए; हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए लेकिन मुख्य जिम्मेदारी अभी भी पुरुष वर्ग पर है। एक और बात जो हमें याद रखनी चाहिए, सभी महिलाएं सभी महिलाओं की मित्र नहीं होती हैं। जब तक सास, जब वह पुत्र की मां होती है तो दहेज की मांग करने की आदत को नहीं छोड़ेगी और जब वह पुत्री की मां होती है तो रोना नहीं छोड़ेगी। ऐसे में तो हम अधिक कुछ नहीं कर सकेंगे। अत: महिलाओं को भी दोहरा मापदंड त्यागकर एक मानदंड अपनाना होगा।

इन सभी पूर्वाग्रहों के कारण जिन्हें पूरा करना बहुत कठिन है, वास्तव में इन सामाजिक कानूनों को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता।

यद्यपि प्रचार माध्यमों से जुड़े व्यक्ति यहां मौजूद नहीं हैं फिर भी यहां बैठे सभी सदस्यों से तथा उनसे भी जो यहां बैठे नहीं हैं, मेरा अनुरोध है कि इस मामले में मदद करें। प्रचार माध्यमों की इसमें भूमिका निहित है। इसलिए समाज में सब आपस में मिलकर शांतिपूर्वक जिएं, उनमें सुख और समानता आए तथा वे देश को इसके पथ पर अग्रसर होने में अपना योगदान दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि पारिवारिक अदालतों का होना बहुत जरूरी है। इसमें प्रावधान किया गया है कि धारा 3 के अनुसार राज्य सरकारें 10 लाख या इससे अधिक के नगरों, महानगरों में सीधे पारिवारिक न्यायालय स्थापित करेंगी, कम में भी कर सकती हैं और न्यायालयों की स्थापना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से परामर्श भी आवश्यक रखा है।

यहां पर कुछ लोगों ने, कई महिला संगठनों ने और जागरूक महिला संगठनों ने तथा दिल्ली के वकीलों ने इसका जरूर विरोध किया था। लेकिन वह विरोध एक हैरानी का कारण था और उसके पीछे ईमानदारी से यह था, महिला संगठनों का यह भी कहना था कि पारिवारिक अदालतें बन जाएंगी।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

3.00 म० प०

तो इस सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा और वह इसलिए होगा कि जो महिलायें अदालत में जाते हुए घबराती हैं कि वहां जायेंगी, परेशानी होंगी, वकील पैरवी करेगा या नहीं करेगा और न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए इन अदालतों की स्थापना की गयी कि उनको सामाजिक न्याय मिल सके जिसमें वकील नहीं जायेगा । इसमें संस्थायें जायेंगी या कोई सलाहकार जायेगा या स्वयं पक्षधर जायेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वकील समुदाय के जाने पर जो रोक लगा दी गयी और उन्होंने इसे धारा 30 के विरुद्ध बताया कि वकील किसी अदालत में पेश हो सकता है, यह वकीलों का तर्क था लेकिन इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत वकीलों को इन अदालतों में बहस करने का अधिकार नहीं है । इसलिए वकील बन्धुओं ने इसका विरोध किया। इस बात के लिए महिला संगठन और संस्थायें जायेंगी जो मदद कर सकती हैं। यह आज से नहीं पिछले 15 साल से जो महिला संगठन बने हुए हैं, उन्होंने परिवार अदालत की मांग की थी । इतना ही नहीं महिला वर्ष के दौरान विदेशों में जो सामाजिक और पारिवारिक महिलाओं के लिए संगठन बने हुए थे, उन्होंने भी यह मांग की थी कि स्त्रियों के लिए सम्पत्ति के अधिकार में कौन निर्णय करेगा ? सन्तान के संरक्षण का हक होगा या नहीं और तलाक कैसे होगा। इन सब के संबंध में किस प्रकार से सुविधायें पानी होंगी, इसके लिए महिला संगठनों ने मांग की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकतर महिलायें अदालतें मंहगी होने के कारण, खर्चा नहीं उठाने के कारण और कचहरी में उनकी जाने की हिम्मत न होने के कारण ही इन सारी बातों की मांग की थी कि परिवार अदालत का किसी न किसी रूप में गठन होना चाहिये और वह हो गया। अब बात आती है कि परिवार अदालत में जजों की नियुक्ति किस प्रकार हो ? एक तो यह था कि इसका दर्जा जिलाधीश से ऊपर होगा लेकिन हाई कोर्ट के जज से नीचे होगा । दूसरा यह कि जो लोग रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बना लिया जाये और तीसरे प्रकार के वे अधिकारी नियुक्त किये जायें जिनको परिवार के ऐसे झगड़े निपटाये जाने का प्रशिक्षण पहले से प्राप्त हो । मेरा कहना यह है कि पूर्व वित्त मंत्री श्री मधु दण्डवते जी की पत्नी श्रीमती प्रेमिला दण्डवते ने इन तमाम समस्याओं को निपटाये जाने के लिए अग्रसर होकर सारा काम किया और जो भी उन्होंने इस संबंध में कार्य किये, हम लोगों को उनकी सराहना करनी चाहिये जिसमें किसी कानून की मदद लेने की आवश्यकता कहीं नहीं है। इस संबंध में एक उदाहरण दूंगा । एक महिला पंजाब से आयी और दिल्ली में बराबर न्याय के लिए आती थी । अच्छी फीस देने के बावजूद वकील उनको पूरा समय नहीं देते थे, परिणाम-स्वरूप वह अपने बूढ़े बाप को पंजाब से दिल्ली से आयी लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिला । ऐसी हालत में महिलाओं को उनका हक नहीं मिलने पर मजबूर होकर आपस में समझौता करना पड़ता है। इस प्रकार उसके साथ अन्याय हुआ । अतः मेरा मतलब यह है कि इन परिवार अदालत की रचना से उनको फायदा मिल सकेगा । यदि विधेयक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हिन्दुस्तान भर के वकील से निवेदन कर दें कि वे महिला संगठनों के साथ बैठें और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनको दूर करें, यदि परिवार अदालतों से वकील बंधुओं को कोई दिक्कत हो, उनको जाग्रत करें, यदि कोई कठिनाई होती है तो मेरा ख्याल है कि इन परिवार अदालतों को परिवार कल्याण या कंसोलेशन बोर्ड का नाम दे दिया जाये तो मैं समझता हूं कि यह अदालत का चित्र मिट जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा मैं तो इतनी बात कह सकता हूं कि वास्तव में यह बिल

बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था। इसकी धारा 4 के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्त किस प्रकार हो, इसका प्रावधान करें, धारा 5 में कल्याणकारी संस्थाओं, महिला संगठनों, पेशेवर सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इस कानून के तहत मदद करने की बात कही गयी है। और महिलाओं को उससे न्याय मिलेगा, इसलिए अन्त में मंत्री महोदय जो भी बिल लाए हैं और बहुत देरी से लाए हैं, इसके लिए उनको खेद व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वास्तव में इन परिवार अदालतों के कारण हमारा भारतवर्ष, जो महिला प्रधान देश है जहां सीता-राम और इस प्रकार पहले महिलाओं की पूजा होती है, उन महिलाओं की दशा ठीक हो सकेगी। क्योंकि यदि हम देवी के लिए पूजा करेंगे, घरवाली के लिए पूजा करेंगे और महिलाओं को घर में ठीक स्थान देंगे तो उनका हित होगा। महिलाएं तो जननी हैं, वे बच्चों को पालती हैं, उनको संस्कार देती हैं, यदि उन महिलाओं की जिनकी पूजा होनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं होगी और उन पर कष्ट बढ़ेंगे तो संतान अच्छी नहीं होगी, बालक अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा। इसलिए आप महिलाओं के बारे में जो बिल लाए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके प्रावधानों में जो कुछ भी महिलाओं को कठिनाइयां हैं, वह कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर आप ठीक करेंगे और जो हमारे वकील बंधु हैं, वे इन प्रावधानों को ठीक करेंगे, यही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस देश में महिलाओं को अपना नियमित जीवन जीने में सामाजिक दृष्टि से असुरक्षा महसूस हो रही है। तथापि, जैसाकि मेरे मित्र ने कहा है, इतिहास में महिलाओं को पूजनीय माना जाता था तथा इसी प्रकार की अनेक बातें कही हैं। किन्तु, वास्तव में व्यावहारिक जीवन में ऐसा नहीं है। महिलाओं को अनेक प्रकार के तनावों विशेष रूप से तलाक, के मामलों, बच्चों की देखभाल तथा अन्य बातों में का सामना करना पड़ता है। जब समाज में तनाव व्याप्त होगा, तो परिवार में उन्नति की आशा नहीं की जा सकती और जबतक सामाजिक तनाव बना रहेगा देश भी प्रगति नहीं कर सकता।

समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाया जाना जरूरी है। प्रभावी विधि-निर्माण प्रगतिशील कानूनों के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह विधेयक विधि मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित प्रगतिशील विधेयकों में से एक है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, इस देश में महिलाओं को न केवल संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए बल्कि उन्हें प्रगति के पथ पर चलने का निर्देश भी दिया जाना चाहिए। हम अधिक-से-अधिक कितना कर सकते हैं ? न्यायालय बने हुए हैं। मैं भी एक अधिवक्ता हूं। ऐसे अनेक मामले हैं जो पिछले 40 वर्ष से भी अधिक समय से निर्णयाधीन हैं। न्याय में विलम्ब होने से न्याय की उपेक्षा हो जाती है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के महत्व तथा प्रक्रियागत विलम्ब के बारे में पता है। इन मामलों, जब कोई स्त्री तलाक के लिए आवेदन करती है या कोई पति तलाक के लिए आवेदन करता हैं, तो उसे वर्षों तक इसके लिए इन्तजार करना पड़ता है। कोई कबतक इन्तजार कर सकता है ? यदि समय पर निर्णय नहीं दिया जाता, तो सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए यह विधेयक आवश्यक है। यहा एक स्वागत योग्य कदम है। सभी निर्णयाधीन मामलों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।

महोदय, इस देश की महिलाएं सामान्यतः बहुत पिछड़ी हैं। अनेक लोगों को यही पता नहीं होता कि न्यायालय में किस प्रकार जाना है। यद्यपि कुछ शिक्षित लोग न्यायालय में पहुंच जाते हैं,

[श्री एस० बी० सिवनास्त]

तो न्यायालयों में जाकर वे अशिक्षित जैसे ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इसमें कितना समय लगता है। मेरे मित्र, जो एक अधिवक्ता हैं, मामले में विलम्ब के लिए अकेले जिम्मेवार नहीं है। यह विलम्ब तो प्रक्रिया के कारण होता है। जो व्यवस्था इस समय विद्यमान है, उसमें विलम्ब तो होना ही है। जब कोई एक व्यक्ति याचिका दायर करता है, तो दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होता अथवा उसे परेशान करने के वह दूसरे पक्ष से निर्देश पाकर कुछ और करने लगता है। इसलिए, जब व्यवस्था ही ठीक नहीं है, तो हम किसी न्यायिक अधिकारी या वकील को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें एक विधेयक लाना होगा। यदि इन विधेयकों के माध्यम से इस व्यवस्था में सुधार लाना है, तो हमें इसके लिए प्रगतिशील कानून बनाने होंगे। यदि किसी देश की महिलाएं प्रगतिशील नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो उस देश की उन्नति का क्रम रुक जायेगा। एक कवयित्री ने महिलाओं के बारे में लिखा है :

> "स्त्री का जन्म पुरुष के सिर से नहीं हुआ कि वह पुरुष के सिर पर बैठ जाये, उसका जन्म पुरुष के पैर से नहीं हुआ कि उसे ठुकराई जाये; उसका जन्म पुरुष के सहयोग से हुआ है ताकि वह उसके बराबर हो सके, उसकी भुजाओं के नीचे संरक्षण प्राप्त कर सके।"

लेकिन हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जैसाकि श्रीमती गीता मुखर्जी ने अत्यंत व्यथित होकर इस प्रकार की अनेक अपराधपूर्ण घटनाओं एवं मामलों की कहानी कही है जहां महिलाओं के साथ बलात्कार और इसी प्रकार के दुर्व्यवहार की बातें हुई हैं। वास्तव में, हम कभी-कभी इन बातों को समाचार पत्रों में पढ़कर तथा सुनकर इतने लज्जित महसूस करते हैं कि कह नहीं सकते। शहरों में होने वाली अधिकांश घटनाओं का पता चल जाता है, लेकिन गांव की घटनाओं का कभी भी पता नहीं चलता। महोदय, आप इसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून बना हुआ है, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सकता। जब कानून को लागू नहीं किया जा सकता, तो इतने सारे कानून बनाने का क्या प्रयोजन है? इसलिए, जब कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे सही ढंग से तथा प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालयों तक पहुंच आसान होनी चाहिए, मामलों को शीघ्र निपटाया जाना चाहिए और ऐसा प्रतीत हो कि जनता के साथ न्याय किया गया है ताकि भविष्य में अत्याचार के शिकार व्यक्ति आसानी से न्यायालय में पहुंच सकें, अन्यथा लोगों को न्याय पाने के लिए लम्बे समय तक वकीलों और न्यायालयों के दरवाजे पर भारी इन्तजार करते हुए मानसिक यन्त्रणा सहन करनी पड़ेगी। हमारे देश के पिछड़ेपन का यह भी एक कारण हो सकता है।

पाश्चात्य देशों में महिलाएं बिल्कुल स्वतन्त्र हैं लेकिन हमारे देश में महिलायें सामाजिक बन्धन में हैं। यदि कोई महिला अथवा स्वामी नहीं चाहती है और वह कुछ कहना चाहती है तो उसके लिए समाज में कोई मंच नहीं है अथवा कोई वास्तविक कारगर सम्प्रेषण व्यवस्था नहीं है।

दूसरे शब्दों में इन सब बातों का उसके पास कोई निदान नहीं है। यह एक अत्यन्त कठिन पहलू है। इसलिए यदि हम मानसिक रूप से स्वतन्त्र नहीं हैं तो सही अथवा सार्थक काम नहीं कर सकते। यदि पुरुष और महिलाएं सामाजिक तनाव से मुक्त हैं। देश सामाजिक तनाव से मुक्त है तो तभी आप कुछ प्रगति की आशा कर सकते हैं। इसलिए इन सब अड़चनों को दूर करने के लिए देश की न्यायिक प्रणाली बदलनी होगी क्योंकि न्याय व्यवस्था में विलम्ब की स्थिति भयावह है।

हम कई अन्य बातों का सुझाव दे सकते है। जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं, आपराधिक मामलों को दीवानी मामलों से पहले निपटाया जाता है। तथापि दीवानी मुकदमों में इतना विलम्ब हो जाता है। कि कई बार शताब्दियां बीत जाती हैं और वारिस के लिए अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है क्योंकि मुकदमेबाजी के दौरान पिता की मृत्यु हो गई होती है, अथवा दादा की मृत्यु हो गई होती है। यदि ऐसी स्थिति है तो मैं नहीं जानता हूं कि कैसे न्याय दिया जा सकता है।

दूसरा आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस देश में अधिसंख्य लोगों के पास कोई सम्पत्ति नहीं है। वे नहीं जानते हैं कि न्यायालय क्या है। एक ऐसा व्यक्ति, जिसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, वह नहीं जानता कि न्यायालय काम कैसे करता है। सामाजिक वर्जनाओं के कारण कई व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो व्यक्ति न्यायालय तक जाते भी हैं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो इन न्यायालयों की सार्थकता क्या है। इसलिए, इस मामले पर हमें देश और समाज के हित में गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

जब आप एक सुव्यवस्थित समाज बनाना चाहते हैं तो आपको महिलाओं को विकास का अवसर देना होगा। इसलिए, मेरे विचार में परिवार अदालतों की स्थापना एक प्रगतिशील कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका समर्थन करता हूं। यह महिलाओं के बेहतर हित में है। मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा व्यक्त भावनाओं का समर्थन करता हूं और मेरा भी निश्चित रूप से यही दृष्टिकोण है कि महिलाओं को कानूनी संरक्षण दिया जाना चाहिए।

डा० रूप चन्द्र डोम (बीरभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रारम्भ में ही मैंने इस उद्धरण से शुरू करता हूं।

[हिन्दी]

"जननि जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि"

[अनुवाद]

हम भारतीय लोग इसका शब्दश: आदर करते हैं न कि भावना से। ऐसा क्यों? हमें इसके मूल कारण का पता लगाना होगा क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वह सामन्ती प्रकृति का समाज है। पूंजीवादी ढांचा, हमारी संस्कृति, प्रवृत्ति, मानसिकता तथा सबकुछ सामन्ती प्रकृति का है। यही मुख्य कारण है। इसलिए हम सामाजिक न्याय, समानता और अन्य बातों का आह्वान करते हैं। हमारे देश में कई कानून हैं। सांविधि पुस्तक में कई अधिनियम हैं,। इस देश में इसकी किसी को परवाह नहीं है और यहां बहुत कम अधिनियम ही लागू किए जाते हैं। यही वास्तविकता है।

उत्पीड़न, अत्याचार, भेदभाव, शोषण इस अर्ध सामन्तवादी समाज के स्वाभाविक चरित्र के

[डा० राम चन्द्र डोम]

प्रमुख अंग हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति अत्याचार, शोषण, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। महिलाएं कमजोर वर्ग के लोगों का प्रमुख संघटक हैं तथा इनके प्रति भी भेदभाव बरता जा रहा है इनका भी शोषण किया जाता है। इसलिए इन्हें सामाजिक न्याय अथवा समानता का अधिकार देने के लिए हम इसका मुख्य कारण ढूंढना होगा। यदि हम मुख्य कारण ढूंढ लेते हैं तो हमें समाधान मिल जाएगा। जब तक यह प्रथा चलती रहेगी, केवल कानून से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

यह विधेयक कुटुम्ब न्यायालयों के सम्बन्ध में है। यह विधेयक पहली बार वर्ष 1984 में कानून बना। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करना है जिससे विवाह और पारिवारिक मामलों से सम्बन्धित विवादों को शीघ्रता से निपटाया जाय और इनमें सामंजस्य स्थापित किया जाए। लेकिन यह काफी आश्चर्यजनक स्थिति है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के सात वर्ष बाद भी बहुत कम राज्यों ने इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का साहस किया है। यदि आप रिकार्ड देखें तो आप देखेंगे कि बहुत कम राज्य इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, बिहार और कुछ पूर्वोत्तर राज्य भी इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के इच्छुक नहीं है। इससे भी अधिक, आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि हमारे राजधानी शहर दिल्ली में खुले कुटुम्ब न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अलावा पारिवारिक मामलों संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। महिलाओं पर एक या दूसरे प्रकार से अत्याचार किये जा रहे हैं। इनमें दिन-ब-दिन वृद्धि हो रही है। हम आधुनिक सभ्यता पर गर्व करते हैं लेकिन आधुनिक सभ्यता ने हमें क्या दिया है ? सभ्यता ने हमें सच्चे अर्थों में सभ्य नहीं बनाया है। अगर हम सच्चे मायनों में सभ्य हैं तब कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं पर अत्याचार नहीं होने चाहिए।

मेरे पूर्व वक्ताओं विशेषकर मेरे साथी श्री पाणिग्रही ने कई बातें कही हैं। उन्होंने इस विधेयक के बारे में विस्तार से कहा है। मुझे केवल दो सुझाव देने हैं। एक, कुटुम्ब न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। हमें उनकी सेवाओं की बेहतरी के बारे में पुनर्विचार करना है। सामान्यतया न्यायाधीशों को सिविल अनुभव वाली सिविल अदालतों से किया जाता है लेकिन मेरा सुझाव यह है कि वैवाहिक मामलों का निपटारा करने के अनुभव तथा महिलाओं विशेषकर कमजोर वर्गों के प्रति नरम और प्रगतिशील प्रवृत्ति रखने वाले न्यायाधीशों का चयन करने पर जोर दिया जाना चाहिए। वैवाहिक और पारिवारिक मामलों में अनुभव रखने वाले न्यायाधीशों को वरीयता दी जानी चाहिए। विशेषरूप से अगर महिला न्यायाधीश उपलब्ध हों तो उन्हें वरीयता दी जानी चाहिए।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना है लेकिन हमें इसे मानना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से भी यह सत्य है कि भारतीय महिलाएं स्वभाव से रूढ़िवादी होती हैं। उनमें से अधिसंख्यक निरक्षर होती है। आर्थिक रूप से भी वे कमजोर होती हैं। इसलिए अधिकांश बार वे अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों के कारण बोल नहीं पाती हैं। इस विधेयक में उन्हें कानूनी सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार को उनके मामलों के लिए एडवोकेटों और न्याय-मित्र जैसे प्रतिनिधियों का प्रबन्ध करना चाहिए।

इसका दूसरा पहलू यह है कि इस प्रकार के न्यायालय सामान्यतया विवादों को निपटाने के लिए समझौताकारी निकाय के रूप में कार्य करते हैं। कई बार इससे समस्या कतई नहीं सुलझती है

इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हमें विवादों को निपटाने पर जोर देना चाहिए।

महिलाओं के प्रति कई प्रकार से आपराधिक कार्य किए जा रहे हैं। चूंकि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, वे आपराधिक न्यायालयों में नहीं जा सकती हैं। महिलाओं के प्रति किये गये इस प्रकार के सभी आपराधिक मामले कुटुम्ब न्यायालयों के अन्तर्गत आने चाहिए। मेरा यह सुझाव है, अगर हम इस प्रकार के कानून बना सकें तो यह अत्यन्त प्रभावी तथा उपयोगी होगा।

कुटुम्ब न्यायालयों के गठन के बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न महिला संगठनों में से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, उन्हें वरीयता दी जाती है।

डा० रामचन्द्र डोम : दूसरी बात ली जाने वाली गवाही के बारे में है। केवल मौखिक गवाही ली जाती है। इसको विस्तार से रिकार्ड नहीं किया जाता है। कई बार अर्थ के अनर्थ होने की सम्भावना होती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि भविष्य की कार्यवाही के लिए मौखिक और लिखित बयान विस्तार से लिए जाएं।

अन्त में मेरा एक और सुझाव है। कई राज्य इस बारे में आगे नहीं आए हैं। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है—क्या वे इस अधिनियम के विरुद्ध हैं अथवा वे किसी उपबन्ध को बदलना चाहते हैं अथवा कम करना चाहते हैं—मैं नहीं जानता हूं। मैं समझता कि आज के परिप्रेक्ष्य में कई राज्यों पर मूलभूत भय तथा सेवा संबंधी सुविधाओं आदि के कारण आर्थिक दबाव हैं। इसलिए इस बारे में आर्थिक सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में कई कानून बने हैं लेकिन बहुत कम लागू हुए हैं। इस बार मैं आशा करता हूं कि वर्तमान विधेयक को पूरी ईमानदारी से तथा वास्तव में लागू किया जाएगा।

श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या (एलुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, 1968 में कुटुम्ब न्यायालय इस आशा के साथ शुरू किए गए थे कि वे प्रमुख न्यायालयों के बाहर ही मामलों को निपटा देंगी और कानूनी पेचीदगियों को दूर करेंगी। परन्तु 1982 में कुछ संशोधन किये गये थे और समीक्षा भी की गई थी। इसका मुख्य आशय वैवाहिक झगड़े, तलाक, संरक्षकताओं इत्यादि का निपटारा करना है और इस संबंध में मुआवजा देना तय करना है।

जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है इनका प्रयोग देश में व्यापक स्तर पर नहीं होता है। जब तक वे ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य को पूरा नहीं करतीं, विशेषतौर पर कई स्थानों पर जैसा कि मेरे मित्रों ने अभी कहा है, इनके गठन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अत्याचार हो रहे हैं। परन्तु, दुर्भाग्यवश, प्रभावित लोगों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती है अथवा उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है। इस मामले को लिया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन किया जाना चाहिए कि वे न्याय के लिए कहां जाएं।

हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पारिवारिक समस्याओं के कारण होने वाली आत्महत्याओं की संख्या देखते हैं। यदि इस संबंध में व्यापक रूप से लोग कानून से परिचित हों और देश के प्रत्येक गांव में सुगम पहुंच हो तो शायद इन घटनाओं को कम किया जा सकता है। जैसा कि श्रीमती गीता मुखर्जी

[श्री बोल्लापल्ली रामय्या]

ने कहा है, दहेज सम्बन्धी मामलों में केवल पुरुष ही नहीं परन्तु सास भी बहुत बड़ी समस्यायें हैं। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए और पीड़ितों की सहायता के लिए न्यायालयों को आगे आना चाहिए। कानूनी मामलों में काफी समय लगता है और अनपढ़ों के सम्बन्ध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सरकार को उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान करनी चाहिए—कानूनी सहायता अथवा वित्तीय सहायता— ताकि उन्हें परिवार अदालतों में उचित न्याय मिले। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि परिवार अदालतों का मुख्य उद्देश्य शीघ्र न्याय प्रदान करना है तथा सभी तरह के परिवारों की इन तक सुगम पहुंच होनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार विशेष रुचि लेगी और यह देखेगी कि राज्य सरकारें इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करें तथा आम आदमी इन परिवार अदालतों के बारे में शिक्षित हो तथा इन अदालतों तक उसकी पहुंच सुगम हो।

उपाध्यक्ष महोदय : रामय्याजी आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

श्री बोल्लापल्ली रामय्या : महोदय, मैं अपना भाषण अभी समाप्त कर रहा हूं।

इसके साथ ही, मैं विधि मन्त्री द्वारा लाये गये कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मुझे बोलने हेतु अवसर देने के लिए उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी। विधेयकों का पुर:स्थापन।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल।

5.31 प० प०

लोकहित—अभियोग विधेयक*

डा० पी० वल्लल पेरुमाल (धिंडक्कल्म) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकहित अभियोगों को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोकहित-अभियोगों को मान्यता देने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

— —

*दिनांक 6-12-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

3.3½ म० प०

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (कल्याण संघों को मान्यता) विधेयक*

डा० पी० वल्लल पेरुमाल (चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी कल्याण संघों को मान्यता तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नए अनुच्छेद 16 क का अन्त:स्थापन)

श्री सुधीर गिरि (कंटई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.32½ म० प०

नियोजन विधेयक*

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी वयस्क नागरिकों

*दिनांक 6-12-1991 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

[श्री अनादि चरण दास]

को राष्ट्र निर्माण क्रियाकलापों में लगाकर उनके नियोजन और उनके कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण क्रियाकलापों में लगाकर उनके नियोजन और उनके कल्याण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.33 म० प०

मजदूरी की अधिकतम सीमा विधेयक*

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मजदूरी की अधिकतम सीमा और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजदूरी की अधिकतम सीमा और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० सिदनाल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.33½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 244, आदि में संशोधन)

श्री पीयूष तरिको (अलीपुर द्वारस) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 6-12-1691 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चीमूष तीरकी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.34 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 44, आदि का लोप करना)

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोरेश्वर सावे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.34½ म० प०

उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) निरसन विधेयक*

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपासना स्थल (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1991 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोरेश्वर सावे : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 6-12-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.35 म० प०

नागरिक (बहुउद्देशीय कार्ड का जारी किया जाना) विधेयक*

विधेयक

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देशीय कार्ड जारी करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय कार्ड जारी करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोरेश्वर सावे : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.35½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 29 क, आदि का अन्त:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

*दिनांक 6-12-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3 36 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 51 (ख) का अन्त:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

3.36½ म० प०

संविधान संशोधन विधेयक*

(दसवीं अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 6 दिसम्बर 1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

3.37 म० प०

संविधान संशोधन विधेयक*

(अनुच्छेद 200 और 201 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.37½ म० प०

कृषि कर्मकार विधेयक*

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा सेवा की शर्तों को नियमित करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों के कल्याण और उनके नियोजन तथा सेवा की शर्तों को नियमित करने तथा उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.38 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(नये अनुच्छेद 281क और 281ख का अन्तःस्थापन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने

*दिनांक 6-12-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

———

3.38½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 26 में संशोधन)

श्री आर्य कर्नाण्डीज (मुजफ्फर पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर्य कर्नाण्डीज : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

———

3.39 म० प०

रोजगार गारन्टी विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री योगेन्द्र झा द्वारा पेश किए गए रोजगार गारन्टी विधेयक पर आगे विचार करेगी। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हमने पहले भी इस विधेयक पर 2 घन्टे 24 मिनट ले लिए हैं और इस प्रकार इस विधेयक के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है। अब सभा को इस विधेयक के लिए और समय आवंटित करना होगा।

क्या सभा यह चाहती है कि इस विधेयक के लिए आवंटित समय को फिलहाल एक घन्टा और बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : दो घन्टे।

* दिनांक 6-12-91 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-2 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः हम इस विधेयक के लिए आवंटित समय को दो घन्टे और बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद मुकुल (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से समाज का प्रत्येक वर्ग चिन्तित है। बेरोजगारी देश के लिए अभिशाप बनती जा रही है। आज देश में जो हिंसा, लूटपाट है उसमें नौजवानों का जो इन्वाल्वमेंट है उसके पीछे जो कारण हैं उस कारण में बेरोजगारी मूल कारण है। आज सरकार के आंकड़े कहते हैं उनके अनुसार 3 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी 50 लाख से अधिक है। इसमें इंजीनियर और डॉक्टर भी हैं।

मान्यवर, 40 वर्षों के शासन काल में सरकार को जो करना चाहिए था इस देश में रोजगार देने के लिए वह सरकार कर नहीं पायी। पूरी तरह नियोजन का अभाव दिखाई देता है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि आजादी मिलने के बाद इस देश को बड़े-बड़े उद्योगों का केन्द्र मानकर नीतियां बनाई गई। नीतियां बनाने वालों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि कोई भी बड़ा उद्योग बिना कच्चे माल के नहीं चल सकता और वह कच्चा माल पैदा होता है खेतों में। इसलिए इस देश की नीतियां खेत को केन्द्र मानकर बननी चाहिए थी। खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए, किसान को खाद, बिजली और दवाइयां सस्ते दामों पर सुलभ करानी चाहिए थी। किसान को पैदावार का लाभकारी मूल्य देना चाहिए था। लेकिन बरसों से खेती करता हुआ किसान लोगों के लिए रोटी पैदा करता है और वह अपने लिए भूख और कर्जे को पालता है। आज इस देश की स्थिति यह है कि एक तरफ जहां लोग खेती से उदासीन हो गए हैं, खेत में काम नहीं करना चाहते, आज वे गांवों से भागकर शहरों की ओर आ रहे हैं। शहरों में पढ़ी-लिखी प्रतिभाएं इस देश में रोजगार न पाने के कारण देश से पलायन करती जा रही है और विदेशों में जाकर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर रही हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा।

मान्यवर, सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने जो किया वह करते समय जो रोजगार के उत्पादन की क्षमता होनी चाहिए थी, बेरोजगारी के अनुपात में वह कम रही। ये सरकार के आंकड़े कहते हैं कि जो रोजगार पैदा करने का हमारा प्रतिशत रहा वह दो प्रतिशत रहा और बेरोजगारी पैदा होने का जो अनुपात रहा वह ढाई प्रतिशत रहा। बेकारी दूर करने के लिए सरकार ने जो कुछ किया निश्चित रूप से राज्यों की प्रगति का जो ब्योरा होना चाहिए था उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए था, जिसको सरकार ने ध्यान में नहीं रखा। इसलिए हिन्दुस्तान के सारे प्रान्तों में प्रगति का जो अन्तर है वह सबके सामने दीखता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार अंत दशक के दौरान रोजगार के अवसरों में दो प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई थी और बेरोजगारी में ढाई प्रतिशत। लेकिन भारत का संविधान इस देश की सरकार को कहता है, अपनी धारा 41 के अनुसार कि काम के अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी प्रावधान हम बनाएं। धारा में कहा गया है कि आर्थिक क्षमता का अधिकार, इसकी सीमाओं के अन्तर्गत राष्ट्र अपने नागरिकों को काम का अधिकार उपलब्ध कराएगा।

इस प्रकार राष्ट्र के ऊपर यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि वह अपने सभी लोगों के लिए काम उपलब्ध कराए जिससे अज्ञान और बेरोजगारी न बढ़े। धारा 39 में राष्ट्र के लिए यह आदेश दिया गया है कि वह अपने नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए। संवि-

धान की धारा 43 के अनुसार राष्ट्र का यह दायित्व है कि वह सभी श्रमिकों, खेतिहर तथा अन्य श्रमिकों को रोजगार के लिए वेतन उपलब्ध करवाए। काम को उचित दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक तथा विश्राम की पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

मान्यवर, एक ओर जहां भारत का संविधान हमारी सरकार को यह निर्देशित करता है कि वह सबको रोजगार का समान अवसर प्रदान करे लेकिन शायद नीति निर्देश के होते हुए भी हमारी सरकार उदासीन रहती है। इसलिए भारत के संविधान के आदेश के बाद भी सरकार ने जो कदम नहीं उठाया उससे लगता है कि सरकार को किसी न किसी अंकुश में बांधना पड़ेगा जिससे लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने के लिए वह अपने कदम बढ़ाए।

महोदय, आज यहां काम के अधिकार को गारंटी देने की बात पर बहस चलायी जा रही है। यह पहली बार नहीं है। सन 1948 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने फिलाडेलफिया की एक घोषणा को मंजूर किया था जिसमें पूर्ण रोजगार तथा बेहतर जीवन स्तर का आह्वान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा द्वारा 1948 में पारित विश्व-व्यापी मानवाधिकार घोषणा में कहा गया था: "प्रत्येक व्यक्ति को काम का रोजगार के मुक्त चयन का, काम के अनुकूल एवं न्याय संगत दशाओं का और बेरोजगारी के विरुद्ध का संरक्षण का अधिकार है।" यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कल्याण कारी राज्य की घोषणा करते हैं और हमने अपने संविधान में स्वीकार किया है।

लेकिन हमने अपने संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का जो संकल्प लिया है, जिन राज्यों से लिया है, जिन देशों से हमने लिया है, उन राज्यों और देशों में काम की गारंटी को प्रदान किया गया है। समानता की बात करना, आजीविका के लिए वेतन के अधिकार अथवा उत्तर स्तर का जीवन प्राप्त करना आदि सारी बातें उस समय खोखली हो जाती हैं यदि हर व्यक्ति को उपयुक्त रोजगार द्वारा अर्जित करने के लिए व्यक्ति को अवसर न प्रदान किया जाए। हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को काम के जरिए पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। और वह तभी हो सकता है जब जिस राष्ट्र का यह नागरिक है वहां उसे पर्याप्त काम और रोजगार उपलब्ध हों।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी की आधुनिक दुनिया में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्र होगा जहां काम के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक न हो। कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व बन जाता है कि वह हर व्यक्ति को आवश्यक मात्रा में काम उपलब्ध कराए और उत्पादन व्यापार तथा व्यवसाय का सम्वर्धन सुनिश्चित करे।

समाजवादी देशों में नागरिकों को काम का अधिकार उपलब्ध है। अर्थात काम की मात्रा तथा किस्म के अनुसार उन्हें उसका मूल्य प्राप्त करने का अधिकार भी है। सोवियत संघ, चीन, पोलैण्ड, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, मंगोलिया, बुलगारिया और चैकोस्लवाकिया आदि देशों के संविधान में बेरोजगारी के खिलाफ नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गयी है। सिद्धांत रूप से इन देशों के नागरिकों को बेरोजगारी के डर से मुक्त समान जीवन स्तर का आश्वासन दिया गया है और उन्हें उचित वेतन की भी गारंटी दी गयी है।

मान्यवर, आज पंजाब हो या कश्मीर हो, वहां के नौजवान उग्रवाद के चक्कर में अपने अमूल्य कार्यों में लिप्त पाये जाते हैं, यह देश के लिए गहन चिन्ता का विषय है, हमारी सरकार को चाहिए कि इस देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए कठोर कानून एवं नियम बनाए।

आज जो कुण्ठा, जो निराशा नौजवानों में देखने में आ रही है, आने वाले दिनों में यह कुण्ठा

[श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा]

और निराशा यदि आक्रोश के रूप में फूटी तो निश्चित रूप से इस देश का इतिहास कुछ और हो जाएगा। कुछ चंद लोग, जो कुछ चंद बड़े घराने हैं या कुछ लोगों के हाथ में पूंजी इकट्ठी हो रही है, अगर कहीं नौजवानों ने रोजगार न पाने के कारण हथियार उठाना शुरु कर दिया तो इस देश का बड़ा ही दुर्भाग्य होगा।

इसलिए मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस काम के अधिकार को, काम की गारण्टी के विधेयक को स्वीकार करे और इसे पास करे।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदय, मैं इस विधेयक में निहित भावना का समर्थन कर रहा हूं। इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

यह बैर सरकारी सदस्य का विधेयक है। मैं इस विधेयक के प्रत्येक खंड में नहीं जाना चाहता। किन्तु खंड 4 में इस बात का उल्लेख हैं।

"प्रत्येक नागरिक जिसने रोजगार प्राप्त कर लिया हो, वह अपने रोजगार के अलावा स्वयं और कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कि उसे वित्तीय अथवा अन्य लाभ प्राप्त होता हो।"

उसके बाद खंड 8 में इस बात का उल्लेख है :—

"खण्ड 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि तक की कैद अथवा दस हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिये जायेंगे।"

हम खंड 4 (2) को स्वीकार नहीं कर सकते। किन्तु इस विधेयक की भावना को स्वीकार करते हैं। हमारी पीढ़ी अत्यधिक बेरोजगारी की गंभीर समस्या का सामना कर रही है। बेरोजगारी की समस्या ने खतरनाक रूप धारण कर लिया है और आगामी वर्षों में इसके और अधिक बढ़ने तथा और गंभीर होने का खतरा है। मैं श्रम और रोजगार विभाग के वर्ष 1973 के बेरोजगारी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से उद्धृत करता हूं : इसमें कहा गया है :

"मानव के कष्टों के कारण तथा जिससे हताशा और तनाव का जन्म होता है, इसी बेरोजगारी से कानून और व्यवस्था का खतरा और सामाजिक और राजनैतिक अशान्ति तथा अन्य सहगामी समस्याएं पैदा होती हैं।"

मेरे पूर्व वक्ता ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि देश के कुछ भागों में आतंकवाद में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है। उदाहरणार्थ पंजाब, जम्मू और कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अशान्ति का यह एक प्रमुख कारण है। रोजगार के इच्छुक युवकों को जब रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते तो वे हथियार उठा लेते हैं और कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब यह एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। यदि हम जम्मू व कश्मीर, पंजाब, असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो पायेंगे कि इस सबका मुख्य कारण बेरोजगारी है।

हमें इस समस्या को हल करना है। और ऐसा करने के लिए किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। ग्रामीण श्रम-बल बहुत गंभीर बेरोजगारी की समस्या तथा असह्य दरिद्रता से दो-चार है। वे सामयिक काम मिलने के कारण विपदा से ग्रस्त हैं। फिर, जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसे

नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं है। इस तरह भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का पहला देश बन सकता है। यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि रोजगार पाने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

आंकड़ों से पता चलता है कि प्रथम योजना में 0.75 मिलियन लोग दूसरी योजना में 1.56 मिलियन, तीसरी योजना में 2.47 मिलियन, चौथी योजना में 8.15 मिलियन, पांचवी योजना में 13.41 मिलियन, छठी योजना में 23.91 मिलियन और सातवीं योजना में 32.77 मिलियन लोग बेरोजगार थे। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि रोजगार केन्द्रों में अपने नाम दर्ज करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसमें वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। वर्ष 1981 के आंकड़ों के अनुसार 430 लाख लोगों ने रोजगार केन्द्रों में अपना पंजीकरण किया है, यह एक गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

महोदय, रोजगार सुनिश्चित करने के बहुत से कार्यक्रम हैं किन्तु वास्तव में ये कार्यक्रम देश के गरीब तथा बेरोजगार युवकों के सहायक नहीं है, इस समय हमारे सामने पढ़े-लिखे बेरोजगार तथा अनपढ़ बेरोजगार की समस्या हैं। और तीसरे विश्व में भूमिहीन श्रमिकों को काम देना एक कठिन समस्या है। इसके अनेक कारण हैं। भूमिहीन श्रमिकों की संख्या बहुत है और वे अनपढ़ तथा अदक्ष हैं। उन्हें रोजगार देना हमारे देश में कठिन कार्य है। उद्योगों तथा कृषि में रोजगार के अवसर कम होना भी ग्रामीण जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। लोगों को ग्राम छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने से रोकने के लिए छोटे तथा कुटीर उद्योगों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आजकल ग्राम छोड़कर बहुत अधिक संख्या में लोग शहरों की ओर जाते हैं। वे रोजगार की तलाश में आते हैं, ग्रामीण, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर जुटाकर ही हम इस पलायन पर नियंत्रण पा सकते हैं, इस संदर्भ में हमें रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण पर भी विचार करना पड़ेगा।

मुझे खेद है कि रोजगार केन्द्रों का कार्यकरण ठीक नहीं है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा, जिसका 851 रोजगार केन्द्रों का जाल बिछा हुआ है, द्वारा प्रस्तुत तस्वीर निराशाजनक है। यह ध्यान देने वाली बात है कि रोजगार केन्द्र अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक अपने संस्थानों में उत्पन्न रिक्तियां अधिसूचित करने को बाध्य है। किन्तु नियोजक रिक्तियों का विवरण नहीं देते। ऐसा न करने पर उनपर मुकदमा चलाया जा सकता है। किन्तु हमने कभी ऐसा मुदकमा चलने की बात नहीं सुनी। रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से पता चलता है कि यह नितान्त निराशाजनक है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इसपर गंभीरता पूर्वक विचार करे और रोजगार केन्द्रों के कार्यकरण को प्रभावी बनाने के लिए शीघ्र उपाय करे। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवक तो रोजगार केन्द्रों में अपना नाम तक पंजीकृत नहीं करा सकते। एक बार नाम पंजीकृत करने के पश्चात उन्हें पुनः पंजीकरण करना पड़ता है किन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। हम देखते हैं कि केन्द्रीय राज्य सरकारों तथा अर्धशासकीय सेवाओं में बहुत रिक्तियां हैं। केन्द्रीय

4.00 म० प०

और सरकारी-कल्प सेवाओं के लिए भी काफी शिक्षित बेरोजगार युवक रोजगार की तलाश में हैं। लेकिन इस प्रतिबन्ध को नहीं हटाया जा रहा है। यह निष्ठुरता हैं क्योंकि रोजगार पर प्रतिबंध बहुत ही उलझन में डालने वाला है और साथ ही यह दुःखद भी है। अतः मेरा सरकार से रोजगार पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध है ताकि रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जा सके।

[श्री रमेश चेन्निथला]

सेवा निवृत होने की आय को घटाकर 50 वर्ष कर देना चाहिए । उन्हें सरकारी रोजगार दिलाने हेतु सेवा निवृत्त होने की आयु को घटाकर 50 वर्ष कर देना चाहिए रेलवे जैसे सरकारी क्षेत्रों में भी काफी रिक्तियां हैं । लेकिन रेलवे और डाक विभाग में कम्प्यूटरीकरण किये जाने से रिक्तियों में कमी आती जा रही है । मैं कम्प्यूटरीकरण के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूं । कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में नहीं है केवल उन क्षेत्रों में है जहां पर इसकी बहुत ही जरूरत है । रेलवे और डाक विभागों में रोजगार देने की काफी क्षमता है । हमारे यहां जनशक्ति भी बहुत अधिक है । यदि हम रोजगार के इन क्षमतावान क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण करना आरम्भ कर देंगे तो युवक कहां जायेंगे और उन्हें रोजगार कैसे मिलेंगे ? अत: मेरा सुझाव है कि कम्प्यूटरीकरण चुनिंदा क्षेत्रों में होना चाहिए ताकि इस देश के युवकों को रेलवे और डाक विभाग जैसे सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकें ।

हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में यह उल्लेख किया गया है कि रोजगार का अधिकार सभी को दिया जाये । केरल और पश्चिम बंगाल में, यद्यपि राज्य सरकारें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती हैं वे 50 रुपये बेरोजगारी भत्ता देती है; अब यह राशि 60 रुपये हैं । यह बहुत ही कम राशि है लेकिन बेरोजगार युवकों के लिए यह बहुत ही सहायक है । वे इस धनराशि से रोजगार ढूंढ सकते हैं । यह उनको राहत है । अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बेरोजगारी भत्ते को सभी बेरोजगारों को दिया जाये ।

बहुत से स्वरोजगार कार्यक्रम हैं । उदाहरण के तौर पर जवाहर रोजगार योजना एक बड़ा कार्यक्रम है जो समूचे देश में चलाया जा रहा है । इस कार्यक्रम का साथ-साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि ये कार्यक्रम गरीब लोग तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं । जवाहर रोजगार योजना के पीछे उद्देश्य अच्छा है । इसका सभी लोगों ने स्वागत किया है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है । लेकिन दुर्भाग्यवश इस प्रयोजन हेतु जो राशि निर्धारित की गई है वह वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि बिचौलिये इसका फायदा उठा रहे हैं । अत: जवाहर रोजगार योजना को समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से 25000 रुपये ऋण के रूप में दिए जाते हैं । लेकिन दुर्भाग्यवश इस कार्यक्रम को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है । प्रथमत: बैंक इन ऋणों को देने में झिझकते हैं । दूसरे जब कभी भी शिक्षित बेरोजगार युवक कोई योजना बनाते हैं तो वे उस परियोजना की जानकारी की कमी होने के कारण उसकी ठीक से योजना नहीं बना पाते तथा उसका ठीक प्रकार से कार्यान्वयन नहीं कर पाते । साथ ही बैंक उनके उद्यम में बिल्कुल सहयोग नहीं करते । आजकल अनेक स्वरोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनमें त्रुटियों और कमियों का पता लगाकर उन्हें यथाशीघ्र ठीक किया जाना चाहिए ।

अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे है उन्हें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता मिल रही है । लेकिन इस कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है; तथा मूल्यांकन करना भी आवश्यक है । जब हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर लाने की बात करते हैं तो हमें इस कार्यक्रम पर सावधानी से निगरानी रखनी होगी । आंकड़े सही हैं । लेकिन यदि आप

सच्चाई का पता लगायें तो पायेंगे कि इस कार्यक्रम का ठीक से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। अत: साथ साथ मूल्यांकन होना चाहिए; हमें इस कार्यक्रम की त्रुटियों का भी पता लगाना पड़ेगा ताकि गरीबों, दलितों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सहायता मिल सके।

दूसरी बात मैं पोस्टल आर्डरों के बारे में कहना चाहता हूं। समाचार पत्रों में रोजगार देने संबंधी विज्ञापन दिए जाते हैं और उनमें कहा जाता है कि इतने रुपये के पोस्टल आर्डर आवेदन पत्र के साथ भेजें। मेरा नम्र निवेदन यह है कि आवेदन पत्रों के साथ पोस्टल आर्डर भेजने की प्रथा को समाप्त किया जाना आवश्यक है।

रुग्ण उद्योगों के बारे में मैं कहूंगा कि जब हम बेरोजगारी की समस्या की बात करते हैं तो हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनकी उद्योगों की रुग्णता के कारण छंटनी की जाती है। रुग्ण उद्योगों से छंटनी किए गए कर्मचारियों के पुनर्वास की समस्या भी बहुत गंभीर है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े एवम् अविकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों की भी आवश्यकता है। औद्योगिक विकास हेतु बुनियादी ढांचा कैसे जुटाये तथा नये उद्योगों की स्थापना कैसे की जा सकती है आदि जैसी जानकारी इन औद्योगिक विकास केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

अन्त में मैं सरकार से रोजगार कार्यक्रमों के लिए आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध करूंगा। रोजगार कार्यक्रमों हेतु आवंटन में वृद्धि किये जाने से देश में रोजगार के अधिक अवसर जुटाये जाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा जी द्वारा जो रोजगार गारंटी बिल लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज तक इस देश में बेरोजगारों की कतार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है गलत नीतियां।

1917 में रूस आजाद हुआ था और 1930 आते-आते रूस से बेरोजगारी समाप्त हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि उसने कैसे इतनी जल्दी इस समस्या पर काबू पा लिया। हमारे यहां लोग चांद पर जाने की बात करते हैं और बहुत से देश चांद पर चले गए हैं। आज भी हमारे देश में 40—50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है।

आज से 44-45 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भी इस देश में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त थी। तब से यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही गई। इस देश में औद्योगिकीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन वह ऊपर से शुरू हुआ। हमें गांधी जी की नीतियों पर चल कर छोटे और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती थी। इतने बड़े विशाल देश में जब तक कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा तब तक बेरोजगारी इस देश से समाप्त नहीं हो सकती है।

इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज देश के अन्दर उग्रवाद बढ़ रहा है। हमने बजट में देखा कि आपने 70-80 करोड़ रुपये के करीब जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए रखे लेकिन वहां

[श्री छेदी पासवान]

कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही विकास हो पाया। वहां आपने किसी तरह की इंडस्ट्री स्थापित नहीं की। यही वजह है कि आज कश्मीर की वादियों में उग्रवादियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। सरकार चाहती है कि विकास हो, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ रही होती तो देश में बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी होती। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि देश में लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे, तभी इस देश से बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। इस देश में खास वर्ग के लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग, नौकरियों में ऊंचे-ऊंचे ओहदे प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बिहार के मिथिलांचल में नौकरियों के पदों पर बहाली होती है, तो उच्च पदों पर कुछ खास लोगों की ही बहाली होती है। इसमें भी एक स्थिति यह है कि वेतन तो वे लेते हैं, लेकिन उनकी जगहों पर काम दूसरे करते है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार की नीयत भी साफ होनी चाहिए।

सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, कुछ बातों की ओर मैं निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में अगर सरकार चाहती है कि बेरोजगारी समाप्त हो तो निश्चित रूप से कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों को सरकार को प्रोत्साहित करना पड़ेगा और और सरकार को अपनी नीयत को साफ करके काम करना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग रोजगार पा सकें।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी की समस्या पूरे देश की समस्या बन चुकी है। मेरे दिमाग में भी नहीं आता और सरकार के दिमाग में भी नहीं आता कि इस समस्या का निदान किस प्रकार किया जाए। इस विषय पर सरकार की आलोचना तो बहुत तरह से की जा सकती है, किन्तु इस समस्या के समाधान की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर, पार्टी-लाइन से ऊपर उठ कर, इस समस्या का समाधान करने लिए एक जुट हो जाना चाहिए।

हमारा देश जिले से लेकर ब्लाक लेवल तक विभाजित हुआ है। सरकार को मालूम है, सारे हिन्दुस्तान में जितने भी ब्लाक हैं, वहां किन-किन क्षेत्रों में क्या-क्या उत्पादन होता है। सरकार को यह भी मालूम है कि किन-किन क्षेत्रों में डेफिसियेंसी है, चाहे वह खाने-पीने की हो पहनने की हो या दूसरी अन्य चीजों को हो। वे लोग किसी भी चीज में सेल्फ-सफिशियेंट नहीं हो सकते हैं यदि सरकार की नीयत अच्छी है, तो वह पता लगाए कि हर ब्लाक में फुडग्रेन्स की क्या स्थिति है, दूसरी चीजों की क्या स्थिति है, कितने-शिक्षित और अशिक्षित लड़के-लड़कियां हैं और उनको किन-किन कामों पर लगाया जा सकता है, यदि सरकार इन सब चीजों का ब्यौरा लेती, तो मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान करने में ज्यादा देरी नहीं होती। यदि सरकार ने यह ब्यौरा लिया होता कि उनको किस काम पर लगाया जा सकता है, उनकी क्या-क्या दिक्कतें हैं, वहां पर स्कूल हैं या नहीं है, कालेज हैं या नहीं हैं, वहां की जमीन पर अन्न पैदा होता है या नहीं होता है, वहां मछली उत्पादन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उनको काम पर लगाया जा सकता था। इस तरह का ब्यौरा यदि सरकार लाए तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक ब्लाक में उनको किसी-न-किसी काम पर लगाया जा सकता है। हमारे देश के आदमी काम करना चाहते हैं, भीक्षा नहीं मांगना चाहते हैं। दूसरी ओर हमारे देश में एक समस्या और पैदा हो रही है या हो गई है। सरकारी कर्मचारियों में भी करप्शन

बढ़ रहा है। हम लोग बोलते हैं कि पुलिस में करप्शन है, नीचे स्तर से ऊपर तक करप्शन है। इसका एक कारण है और वह कारण यह है कि बड़े आफिसर कुछ दिनों के बाद रिटायर होने वाले हैं, उनके बाल-बच्चे नौकरी पायेंगे या नहीं पायेंगे, घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए वे अपनी अवधि के अन्दर अपनी शक्ति द्वारा जितनी चोरी कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अपने लिए पैसा जमा करते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों के शादी-ब्याह करने हैं। मैं यह बात सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह स्थिति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। यदि इस काम को एक करता है, तो दूसरा कर्मचारी भी करने की कोशिश करता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको रोकने के लिए कदम उठाए।

इसके अलावा मैं एक और बात की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। देश में वेश्या-वृत्ति दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ भी प्राप्ति नहीं होती तो वे अपने शरीर की बिक्री करके जीने के लिए तैयार हो चुकी हैं। हम लोग रोज नारी के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उस दशा को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं। आप दिल्ली में ही देख लीजिए, ये काम कहां-कहां पर होते हैं। जो रुपये-पैसे वाले लोग हैं, जो करप्टेड हैं, जो लोग इसके शौकीन है, वे वहां जाकर आनन्द लेते है और गरीबी के कारण पेट के लिए यह सब धन्धा उनको करना पड़ता है। मैं पूछता हूं, सरकार को इस बारे में मालूम है या नहीं? ये हमारी बहनें हमारे देश की इज्जत हैं, इसको बन्द किया जाना चाहिए। ये इस लायक हैं कि हमारे देश के लिए कुछ काम कर सकती हैं। हमारी मां-बहनों की कितनी बेइज्जती हो रही है। जो लोग भूख से मर रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में, दिल्ली में ही आप कहीं भी चले जाएं, ज्यादातर लोग यहां पर झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं और वही लोग इन बड़े घरों में काम करते हैं। ये लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहां पर जानवर भी नहीं जी सकते हैं, वहां पर इनको जीने के लिए बाध्य किया जा रहा हैं इसलिए इनके बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिए। ये लोग मैले-कुचैले जगह पर रहते हैं और जूठन खा करके, बड़े होटलों के द्वारा फेंका हुआ अन्न खा करके ये लोग जी रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इससे महामारी पैदा होगी और आप खुद मरेंगे, इसलिए कि आपको रेसिसटेंस पावर नहीं है जो पावर इनके पास है। इसलिए जो बड़ी-बड़ी स्कीम आपके पास हैं इससे काम तो बढ़ेगा, बिजली घर इतना बड़ा बनेगा, यह सब तो ठीक है, लेकिन असली कारखाना जो है वह किसके लिए बन रहा है। हमारे हिन्दुस्तान का हर बच्चा, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, वह हर बच्चा हिन्दुस्तान हमारा है, यह बोलकर नाना गाता है परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग उनको आज तक अन्न नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हम झोपड़ी तक नहीं बना सकते हैं।

इसलिए मेरा कहना यह है कि हर ब्लाक में घर बनाने का काम हो सकता है। सरकार जब इतना प्लानिंग दिल्ली डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करती है तो गांव-गांव के लिए प्लानिंग क्यों नहीं की जाती है? इनके लिए भी सुन्दर मकान बनाए जाएं, जिसमें हर सुविधा हो, उसमें बिजली, पानी देने के लिए गांव के आदमी को क्यों नहीं लगाया जाता है और इसमें हर स्कीम जो है वह गांव लेवल में हो या कस्बे लेवल में हो, जिसमें भी हो वहां के आदमियों को लेकर के ही यह लोग समझें कि यह मेरी ही स्कीम है और मुझको इसको करना है। अभी बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि छोटा-सा काम जो पहले गांव के लोग खुद मिलकर करते थे, लेकिन अब ये इसके लिए चिट्ठी लिखते हैं और फिर वह ब्लाक आफिसर के पास जाती है कि यहां पर नाला बनाने के लिए कुछ खर्चा है, अब यह वहां से पास होगा तब आएगा।

सेल्फ एम्पलायमेंट स्कीम के अन्तर्गत भी ये क्या करते है, इसमें भी जो रुपया दिया जाता है

[श्री पीयूष तीरकी]

उसमें भी बिचौलिया होता है और यह बीच के लोग ही ज्यादातर उस रुपये को खा जाते हैं, इस पर भी निगरानी करनी चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि रुपया किस काम के लिए लिया जा रहा है और वह रुपया वहां इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं। जिस काम पर वह उस रुपये को लगा रहा है उस काम का वह जानता भी है या नहीं। या सिर्फ सरकार का रुपया-पैसा लेकर भागना चाहता है, इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए।

दिन-प्रति-दिन अनएम्प्लायमेंट बढ़ती जा रही है इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा में इनको अलग से कोई ट्रेनिंग भी देनी चाहिए जिससे कि आगे जाकर इनको रोजगार मिल सके। इसलिए सरकार से और इस सदन से भी मेरा अनुरोध है कि पार्टी से ऊपर उठकर हम लोग इस बारे में सोचें कि इस समस्या का किस तरह से सामना किया जाए और किस तरह से इनके लिए कौन से उपाय किए जाएं, इस बारे में गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए। आज दिन-प्रति-दिन लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं रिकार्ड देखने पर बहुतायत में मिल जाएंगी और यदि सर्वे किया जाएगा तब भी बहुत घटनाएं इस तरह की मिल जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हालात बहुत खराब हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आलोचना न करके सबको इस समस्या के समाधान के बारे में सोचना चाहिए और सरकार को इसके लिए सतर्क करते रहना चाहिए। इसके लिए हर स्तर पर, पंचायत, ब्लाक, जिला, विधायक, सांसद, हर स्तर पर इसका प्रयत्न करना चाहिए और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाकर इस समस्या के समाधान करने की दिशा में कदम उठाएं।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन सभी कर रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने मेनीफेस्टो में इसको लिखा हुआ है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि सरकार की इसके बारे में नीयत क्या है, क्योंकि 42 वर्षों से हम इस चीज को देख रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था और आजादी के पहले लोगों को विश्वास दिलाया गया था कि आजादी के बाद नौजवानों को रोजगार देने का अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकारों में जोड़ा जाएगा। जब तक इस अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकारों में नहीं जोड़ेंगे, तब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, तब तक इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मेरा कहना यह है कि सरकार संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को मूलभूत अधिकारों में जोड़ने का काम करे। सरकार को यहां यह घोषणा करनी चाहिए और कहे कि यह सारी चीज होगी। हम 42 वर्षों से एक नारा सुनते आए हैं गरीबी हटाने का, बेरोजगारों को काम देने का, लेकिन 42 सालों में देश की क्या हालत हुई है। हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, नाइंथ-टैंथ में पढ़ते हैं—"हिन्दुस्तान अमीर देश है, पर इसमें रहने वाले गरीब हैं।" मतलब यह कि प्राकृतिक तौर पर यह देश समृद्ध है, यहां खाना है, पीना है, 6 मौसम हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, लेकिन इन सब चीजों का ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों को काम नहीं दे पाते।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा पहला निवेदन यह है कि अगर सरकार ईमानदार है तो सरकार को यहां घोषणा करनी चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि सरकार कोई आश्वासन दे देगी और यह विधेयक वापिस ले लिया जाएगा और टाक-आउट हो जाएगा। यह चीज टाक-आउट न हो, हम लोग

किसी कन्क्लूजन पर पहुंचें, इसके लिए सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह संविधान में संशोधन करके रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में जोड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा कहना यह है कि इसके लिए पंचवर्षीय योजनाएं इसी आधार पर बननी चाहिएं अब तक जो पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, वे बड़े उद्योगों और मशीनों द्वारा मास-प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए बनीं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार जब तक प्रत्येक गांव को हम आत्मनिर्भर नहीं करेंगे, तब तक पूरी अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण नहीं करेंगे जब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है कि हम सारी अर्थव्यवस्था का विकेन्द्रीय-करण करें, मास-प्रोडक्शन बाई मासेस हो। हम अमरीका का रास्ता नहीं अपना सकते, जहां बड़े पैमाने पर बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन होता है। अमरीका में यह हो सकता है, लेकिन हमारे यहां नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहां बेरोजगारी है, जनसंख्या की समस्या है। इसलिए हमें मास प्रोडक्शन बाई मासेस की नीति अपनानी होगी, जिसके तहत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो, लेकिन मशीनों द्वारा नहीं बल्कि लघु उद्योगों द्वारा, गृह-उद्योगों द्वारा, ग्रामीण उद्योगों द्वारा हाथों से हो। जब हम इस तरह से करेंगे तो गांव आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ विधेयक पेश करने से काम नहीं होगा, अगर गोल अचीव करना चाहते हैं तो गृह और लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर इकानामी का डीसेंट्रलाइजेशन करना होगा। अपनी नीतियों को इस तरह से बनाना होगा, पंचवर्षीय योजनएं इस तरह से बनानी होंगी, जिनसे रोजगार उत्पन्न हों। आज हम रोजगार की बात करते हैं लेकिन नौजवानों को नौकरियां नहीं दे पाते। इसलिए हमको काम के अवसर बढ़ाने के लिए छोटे-छोटे काम खोलने होंगे और इसके लिए उनको बैंकों से लोन की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए बाकी सुविधाएं कैसे मिलें, यह सारा देखना पड़ेगा। मेरा यह कहना है कि समस्या बहुत बड़ी है। मैं जानता हूं कि व्यावहारिक दृष्टि से इस सारी समस्या को एक साथ, एकमुश्त में हल नहीं किया जा सकता। इसको किस्तों में करना पड़ेगा। इसको कई हिस्सों के अन्दर, खण्डों के अन्दर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको टाप प्रायोरिटी देनी होगी अन्त्योदय योजना को, जो योजना जय प्रकाश नारायण जी की थी। गांव के अन्दर हमको इंगित करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा गरीब गांव के अन्दर कौन है। उसके लिए रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को, शेड्यूल्ड कास्ट्स को शेड्यूल ट्राइब्स को रोजगार कैसे मिले या जो सदियों से पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से, उनको रोजगार कैसे मिले। क्योंकि इस देश के अन्दर आप देखें 40 वर्षों में हिन्दुस्तान दो भागों में बंट गया है—एक इंडिया और दूसरा भारत। जिसका बेटा पढ़कर आई० ए० एस० बनता है, फौज में कमाण्डर बनता है, वह इंडियन है। जिसका बेटा सिपाही बनता है, क्लर्क बनता है, चपरासी बनता है, वह भारत का सपूत है।

इसलिए हमको पहले ध्यान उसकी तरफ देना होगा जो पिछड़ा है, शेड्यूल्ड कास्टस का है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, गरीबी की रेखा से नीचे है। मेरा निवेदन है कि नॉन आफिशियल डे, में यह प्रस्ताव आकर टाक्ड आउट न हो जाए और वापिस ले लिया जाए। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से, मौका आया है इस प्रस्ताव के द्वारा, कोई ठोस घोषणा होनी चाहिए कि सरकार की क्या योजना है, रोजगार की गारंटी देने की क्या योजना है, तभी इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा (क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उड़िया में बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुंडा, क्या आपने आवश्यक व्यवस्था कर ली है ? क्या आपने सूचित कर दिया है कि आप उड़िया में बोलना चाहते हैं ?

*श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : जी हां, महोदय। भाषांतरण की व्यवस्था कर ली गई है। भाषांतरकार बूथ में बैठा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार गारंटी विधेयक माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अनेक माननीय, सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। भारत एक विशाल देश है। इस समय इसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक है। चर्चा में भाग लेकर अनेक माननीय सदस्यों ने इस गंभीर समस्या को हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जब यह विधेयक इस सदन में पेश किया गया तो मैं यह फैसला नहीं कर सका कि मुझे इस विधेयक पर बोलना चाहिए या नहीं। मैं इस रूप में इसलिए सोच रहा था कि क्योंकि कोई भी इस विकट समस्या को हल नहीं कर पाया है। हमारी कथनी और करनी में भारी अन्तर है। हम अपने लोगों से हमेशा वायदा करते हैं कि बेरोजगारी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। लेकिन वास्तव में हुआ यह है कि समस्या दिनों-दिन विकराल होती जा रही है। यही कारण हैं कि मैं इस विधेयक पर बोलना नहीं चाहता था। फिर मैंने विचार किया कि यदि मैंने इस महत्वपूर्ण मसले पर अपना दृष्टिकोण प्रकट नहीं किया तो मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल हो जाऊंगा।

महोदय, मैं उड़ीसा के एक आदिवासी क्षेत्र से आया हूं ! मैं एक आदिवासी सांसद हूं। महोदय, आप जानते ही हैं कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कितनी विकट हो गयी है। आप उड़ीसा में लोगों की स्थिति के बारे में भी जानते हैं। जब यह समस्या भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है, तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि यह मेरे अति अविकसित जिले क्योंझर के लोगों के लिए कितनी भयंकर हो सकती है। आप वहां निवास कर रहे आदिवासी लोगों की दयनीय स्थिति का भी अन्दाजा लगा सकते हैं। वे काम की खोज में इधर से उधर मारे-मारे फिर रहे हैं। इसलिए, मैं श्री झा को यह विधेयक प्रस्तुत करने एवं इस विधेयक के माध्यम से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदय, इस विधेयक में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए रोजगार की गारंटी देने की बात कही गई है। मैं श्री झा के नेक इरादे को समझता हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि विधेयक के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। देश की वर्तमान वित्तीय स्थिति इस महान उद्देश्य को पूरा करने के अनुकूल नहीं है। वास्तव में कोई भी सरकार रोजगार की गारंटी देने मे समर्थ नहीं है। यह विधेयक तो "थोथा चना बाजे घना" वाली कहावत कोई ही चरितार्थ करता है। इसका कारण यह है कि भारत में योजना की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। यदि आप भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु संबंधी स्थिति में अन्तर है। इस देश में विभिन्न संस्कृति वाले, विभिन्न भाषाओं वाले भिन्न-भिन्न प्रकार के लोग निवास करते है। प्रत्येक राज्य का प्रत्येक क्षेत्र भी एक समान नहीं है। यदि किसी विशेष क्षेत्र में जमीन उपजाऊ है तो उसी राज्य के किसी दूसरे हिस्से में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसकी सारी जमीन उपजाऊ है। यही कारण है कि प्रत्येक राज्य में किसानों की प्रति एकड़ धानों की उपज एक जैसी नहीं है। यदि किसी विशेष राज्य में किसान सम्पन्न हैं, तो अन्य अनेक राज्यों में उनके भाई गरीब हैं और वे दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। महीनों उन्हें अपना समय बिना किसी रोजगार के गुजारना पड़ता है क्योंकि वे साल में केवल एक ही फसल उपजाते हैं। यही कारण है कि इन राज्यों में बेरोजगार लोगों की संख्या

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बढ़ती जा रही हैं। इन परिस्थितियों में राज्य सरकारें इन लोगों को रोजगार देने में समर्थ नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कदम उठाए गए। लोगों के लिए रोजगार जुटाने हेतु प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किए गए, लेकिन प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर बेरोजगारों की संख्या में भारी वृद्धि होती चली गई। यही हमारी बदकिस्मती है। कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी नहीं दे सकती। सरकारी सेवाओं का ही उदाहरण लें। यदि कोई लड़का रोजगार पाने के लिए निकलता है, तो नियोक्ता या उसे रोजगार दिलाने में सहायता देने वाले व्यक्ति उससे 30-40 हजार रुपये की मांग करते हैं। किसानों के बच्चे इतने निर्धन हैं कि वे इस रोजगार को पाने के लिए इतनी बड़ी राशि रिश्वत के रूप में नहीं दे सकते। किसान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं। जब रोजगार की बात आती है तो उन्हें रोजगार मिल नहीं पाता क्योंकि वे रिश्वत देने की स्थिति में नहीं होते। हर जगह भ्रष्टाचार छाया हुआ है। इसलिए रोजगार की गारंटी देना भारत में संभव नहीं है। यह उड़ीसा जैसे राज्यों में समस्या ही बना रहेगा।

महोदय, बेरोजगारी की समस्या न केवल भारत में ही बढ़ रही है, बल्कि यह चीन जैसे देश में भी विद्यमान है। हो सकता है कि यह उन देशों में उतनी विकट नहीं हो जितनी भारत में है। चीन तथा अन्य अनेक देशों ने विकास द्वारा इसको हल करने का प्रयास किया है तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति करके बेरोजगारी की दर को कम किया है। भारत में प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी रही है। इससे रोजगार के अवसर उस तेजी से पैदा नहीं हो सके, जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के प्रयास के अभाव में उड़ीसा जैसे राज्यों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती चली गयी है।

जैसा कि मैंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा है मैं एक आदिवासी जिला क्योंझर से आया हूं। वहां हमारे लोगों को हर क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बेरोजगारी उनकी प्रमुख समस्या है। वे आदिवासी और पिछड़े लोग हैं। उन्हें कौन रोजगार प्रदान करेगा? हमारे यहां लौह अयस्क मैंगनीज तथा अन्य अनेक खाने हैं। वहां की जमीन पर बड़ी संख्या में उद्योग स्थापित किए गए हैं, परन्तु उन्हें रोजगार नहीं मिला है। अब हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण का नारा दिया जा रहा है। खानों में खनन के आधुनिक तरीकों का उपयोग तथा मशीनीकरण आरम्भ किया जा रहा है। इन प्रणालियों से बेरोजगारी पैदा हो रही है। मेरे लोग आधुनिक मशीनों के संबंध में अच्छी तरह प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए, खानों में उन्हें काम नहीं मिल सकता। यह एक दुःखद स्थिति है। अनेक मझोली और बड़ी परियोजनाएं मेरे जिले में स्थापित की गई है लेकिन स्थानीय लोग उच्च श्रेणी के कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास ऊंची तकनीकी योजना उपलब्ध नहीं होती। इसलिए, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये संस्थान उन क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाने चाहिए ताकि इन संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को उन्हीं स्थानों पर रोजगार प्राप्त हो सके। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और इसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

मैंने अपने पिछले चुनाव-दौरे के दौरान तथा समय-समय पर अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान भी यह देखा है कि प्रत्येक गांव में रोजगार विहीन युवक बेकार बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ तो आलसी भी हैं। वे सरकारी नौकरी के अतिरिक्त कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहते और यह संभव नहीं है। अनेक शिक्षित युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। वे दूसरों से ईर्ष्या करने लग गये हैं। कुछ

[श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा]

लोग दूसरों की टांग खीचने में लगे हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्नति कर जाता है, तो दूसरे उसे सहन नहीं कर पाते हैं। इन सभी बातों का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि बेरोजगारी बढ़ती है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

महोदय, मैं अपना भाषण लिखकर लाया हूं और यदि आप अनुमति देंगे तो मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुका हूं, इसलिए इस भाषण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी हर बात दिल की जुबान से निकली है। मैं कोई गलत बात नहीं कहता, मैं एक आदिवासी व्यक्ति हूं और भोला-भाला हूं। मैं सदा सच बोलता हूं। मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन मेरी इस भावना को समझेगा और यदि मैंने गांवों में वर्तमान वास्तविक स्थिति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया है, तो मुझे क्षमा प्रदान करेगा। मैं वस्तुतः अति प्रसन्न हूं कि मैं अपने लोगों की कठिनाइयों की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट कर सका। अन्त में इस विधेयक-सम्बन्धी चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे जो अवसर दिया गया, मैं उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत रोजगार गारन्टी विधेयक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस विधेयक में तीन-चार विशेषताएं हैं। एक तो इसके अन्दर शासन को भागीदार बना दिया गया है। शासन का कर्तव्य है कि वह अपने यहां काम करने के लिए जितने भी सक्षम लोग हैं, उनको आवश्यक काम दिलवाएं या अवश्य रोजगार प्रदान करें, यह उनकी जिम्मेदारी है। अगर किसी को रोजगार मिल जाता है और वह उस काम के अलावा दूसरे कामों में भी लग जाता है और दूसरे के अधिकारों को छीनता है तो बिल में यह भी प्रावधान किया है कि रोजगार के केन्द्रीयकरण से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं कि वह भ्रष्टाचारी से, बेईमानी से या अन्य उपायों से लाखों रुपये तो नहीं जोड़ रहा है। साधनों की सीमितता के ऊपर प्रावधान किया गया है। पदोन्नति का भी इसमें प्रावधान किया गया है कि वह समय-समय पर होती रहे। और आज यह बात देखी जाती है कि श्रम नियोजन कार्यालयों के अन्दर बहुत से लोगों के नाम तो दर्ज हैं लेकिन वे काम कहीं और कर रहे हैं और अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए श्रम नियोजन कार्यालयों में सूचना नहीं करते हैं। न उन्होंने अपने नाम ही कटवाये हैं और दूसरे के अधिकार को छीनने के लिए अपना नाम पंजीकृत रखते हैं। यह प्रावधान हो कि जिसने रोजगार प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति नाम उस रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं रहेगा।

चौथा यह प्रावधान किया गया है कि स्व-रोजगार के लिए सुविधा के साधन जुटाना राज्य का दायित्व है। अगर किसी को रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, नौकरी प्राप्त नहीं हुई और वह अपना सेल्फ-एम्प्लायमेंट करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा या स्रोत जुटाना राज्य का दायित्व है और इसमें दण्ड का प्रावधान किया गया है कि जो आदमी एक से ज्यादा नौकरी करता है अथवा ज्यादा लाभ जुटाने के लिए काम करता है तो उसके लिए दण्ड का प्रावधान है। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि श्री भोगेन्द्र झा द्वारा लाए गए बिल यह सांगोपांग है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को अवश्य स्वीकार कर लिया जाए। आज बेरोजगारी एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। बेरोजगारी और बेकारी एक भयानक समस्या है। पेट की आग इनसान को हैवान बना देती है, इसलिए कहा गया है कि खाली दिमाग

संतान का कारखाना होता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के बाद जिन लोगों ने इस देश की सत्ता संभाली, उसमें चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लुभावने नारे देकर कहीं गरीबी हटाने का नारा, कहीं बेरोजगारी को दूर करने का नारा और कभी हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की बात कह कर आते गए और चले गए लेकिन यह समस्या सुरसा की भांति बढ़ती गई।

सान्यवर, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब सुरसा हनुमान की परीक्षा के लिए पहुंची तो तुलसीदास जी कहते हैं— जब-जब सुरसा बदन बढ़ावा, तांहि-तांहि अपना रूप दिखावा। तो जहां-जहां सुरसा ने मुंह फिराया, वहां हनुमान ने अपना आकार दूना कर लिया और वह नहीं खा सकी। अतः जैसे-जैसे बेकारी को दूर करने के लिए प्रयास किए गए, यह दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। बेकारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण औद्योगीकरण, मशीनरीकरण, कम्प्यूटरीकरण, सिंचाई के साधनों का अभाव, आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है।

मान्यवर, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी का हमारी शिक्षा नीति है जब हमारे रोजगार के साधन एक-दो-तीन-चार बढ़ते हैं तो हमारी जनसंख्या और बढ़ती जा रही है क्योंकि यह 2-4-8-16-32 हो जाती है। इससे यह होता है कि हमारे रोजगार के साधन बढ़ते नहीं और नई सुविधा मिलती नहीं है। आबादी बढ़ने से काम करने वाले हाथ और बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं दो मिनट में अपनी पूरी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राचीनकाल में हमारे गांव स्वावलम्बी थे और हर व्यक्ति बेकार नहीं बैठता था। हर व्यक्ति अपना श्रम हाथ करता था। मैं चाहता हूं कि वैसी ही योजना गांवों में वापिस लाने की बनाई जाए। आज गांव का व्यक्ति गांव के अन्दर ही काम करे, गांव का आदमी शहर की तरफ न भागे जिससे गांव के व्यक्ति को रोजगार के लिए शहरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस बात का प्रयास होना चाहिए।

मान्यवर, जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वह किताबी ज्ञान है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि स्व-रोजगार बढ़े और उसके साथ-साथ श्रम के प्रति रुचि हो। अपना हाथ जगन्नाथ हो कि अपने हाथ से कुंआ खोदकर पानी पीये। इस प्रकार की भावना हमारे नौजवानों के अन्दर हो ताकि हर नौजवान नौकरी की तरफ न भागे। इसलिए शिक्षा के अन्दर परिवर्तन होना चाहिए। पुस्तकी शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा, रोजगार आधारित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष रुचि हो ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बैंकों से जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं चाहे वह लोन के माध्यम से या अन्य साधन के माध्यम से। वह जिस व्यक्ति को भी दी जा रही है पहले उसको परख कर लेनी चाहिए कि वह गांव में जाकर शराब तो नहीं पी लेगा, किसी और उपाय में तो नहीं लगाएगा। उसका सही सदुपयोग हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। मान्यवर, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए। आज गांवों के अन्दर जमीन बहुत पड़ी है लेकिन बंजर पड़ी है। वहां मीलों तक सिंचाई के साधन नहीं हैं। अगर वहां सिंचाई के साधन होंगे और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी तो गांवों की स्थिति बेहतर होगी। गांव के मजदूर शहर की ओर नहीं भागेंगे। इसलिए मान्यवर, कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाए। किसानों के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए और स्व-रोजगार हेतु भावना पैदा की जाए। अन्त्योदय योजना को भी प्राथमिकता देनी चाहिए।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री के० एच० मुनियप्पा (कोलार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमश्री मोयेन्द्र झा द्वारा पुरःस्थापित इस अति महत्वपूर्ण विधेयक पर बहस कर रहे हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसके बाद कुछ शब्द कहना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने मुझसे पहले इस विधेयक में निहित उद्देश्यों की प्रशंसा की लेकिन हमें देखना है कि ये उद्देश्य कहां तक व्यावहारिक हैं। हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से पिछले बकाया पदों को भरने के लिए कहा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पिछले बकाया पदों को आज तक नहीं भरा गया है। यहां तक कि 25 प्रतिशत पिछले बकाया पद भी नहीं भरे गए हैं। इन बकाया पदों को न भरने की जिम्मेदारी प्रशासक नौकरशाहों पर है। उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह बकाया पदों को भरने के लिए अविलम्ब ठोस कदम उठाए।

देश में बेरोजगार लोगों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। वे भोजन व कपड़े नहीं जुटा पाते। उनका भविष्य अन्धकारमय है। इसलिए सरकार को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके युवाओं की इस ज्वलन्त समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ निकालना चाहिए।

करोड़ों युवकों ने मैट्रिक कर ली है। लाखों डिग्रीधारक हैं। यहां तक आजकल पी० एच०डी० की डिग्री वालों को भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इन शिक्षित युवकों की प्रतिभा को उपयोग में लाने के लिए समुचित उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। ये उद्योग मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने चाहिए। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी को ग्रामीण जीवन का व्यापक अनुभव है। वे इस देश के गरीब किसानों की कठिनाइयों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे इन किसानों की मुशीबतों को दूर करने के बारे में कुछ कदम अवश्य उठाएंगे।

इस विधेयक पर बोलते समय मुझे उस अन्याय की बात याद आ रही है जो संघ लोक सेवा आयोग मे चल रहा है। हमारे समाज का ढाचा संघीय है और इस ढांचे में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में ऐसा नहीं हो रहा है। यह भी बेरोजगारी की समस्या बढ़ने का एक कारण है। गत वर्ष विभिन्न पदों के लिए 900 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इसमें से 600 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। देश के शेष भाग से केवल 300 उम्मीदवार थे। विशेषकर दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। क्या दक्षिणी राज्यों में कोई प्रतिभाशाली एवं योग्य उम्मीदवार नहीं है? यदि आप सही ढंग से परीक्षाएं लें तभी आपको इस सबके बारे में पता चल पाएगा। दक्षिणी राज्यों में भी योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन नहीं किया जा रहा है। उसकी परीक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं कीतकनीक में तर्कसंगति, विश्वसनीयता एवं सामंजस्य का अभाव है। इसमें सुधार करने एवं सभी राज्यों के प्रति न्यायपूर्ण रवैया अख्तियार करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। चाहे यह भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात हो अथवा भारतीय पुलिस सेवा की, सभी राज्यों को बिना किसी पक्षपात के समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

*मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

4.46 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

प्रशासक और नौकरशाह पदों की मांग करते हैं और आरक्षण के विवरण की घोषणा करते हैं। लेकिन यह केवल कागज तक ही सीमित रहता है। आरक्षित पदों को पूरी तरह नहीं भरा जाता। कभी-कभी ये पद कई वर्ष तक खाली पड़े रहते हैं। केन्द्र को देखना चाहिए कि इन पदों को बिना किसी विलम्ब के भरा जाए।

जनसंख्या विस्फोट भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे बेरोजगार व्यक्तियों की समस्या और अधिक बढ़ जाती है। यदि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं किया जाता तो हमारी योजनाएं और कार्यक्रम निरर्थक हो जाएंगे।

तीन दशक पहले चीन भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। अब उसने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हासिल कर ली है। यह सफलता मुख्यत: परिवार नियोजन कार्यक्रमों को ही कार्यान्वित करने के कारण हासिल हुई है।

देश में लगभग 75% युवक बेरोजगार हैं। यदि इन युवकों को रोजगार देने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती तो देश में क्रान्ति आ जाएगी। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने वाली है। इस योजना में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। इस योजना में कितने लाख युवकों को रोजगार मिल पाएगा। हमें पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने होंगे। यह प्रतिभाशाली युवकों को काम में लगाने के लिए ही अनिवार्य नहीं है बल्कि देश की प्रगति के लिए भी आवश्यक है।

अपने माननीय प्रधान मन्त्री जी से मेरा पुन: अनुरोध है कि बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके उनकी रक्षा की जाए। मेरा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी राज्यों को बिना किसी पक्षपात के समान प्रतिनिधित्व दिया जाए।

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बेरोजगारी समस्या पर अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर दिया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (बांका) : सभापति महोदय, श्री भागेन्द्र झा द्वारा पुर:स्थापित इस विधेयक के महत्व के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा में प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, इस विधेयक का समर्थन करेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अपने राष्ट्र के इतिहास के इस मोड़ पर हम बेरोजगारी तथा इसके साथ अल्प-रोजगार की समस्या से दबते जा रहे हैं और यह समस्या हर कदम पर हमारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती हुई जनसंख्या से और भी विकट होती जा रही है। हम इस समस्या को केवल एक सिरे से हल नहीं कर सकते अथवा केवल रोजगार या स्व-रोजगार के अवसर जुटाने के बारे में सोचकर इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हमारा मुख्य लक्ष्य तो यह ढूंढ़ निकालना है कि उन युवकों को कैसे रोजगार उपलब्ध कराये जायें जो दिग्भ्रमित हो गए हैं ताकि वे एक निश्चित धनराशि से नियमित रूप से अपने परिवार का जीवनयापन कर सकें। इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि उद्योगों और हमारी योजनाओं में इस तरह के काम को बढ़ावा दिया जाए जिससे अधिकाधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिल सके। हमें अशिक्षित एवं वास्तव में किसी क्षेत्र विशेष में दक्षता न रखने वाले लोगों

[श्री प्रताप सिंह]

के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपनी आयोजना और विकास के मामले पर विचार करना चाहिए क्योंकि ये ही लोग अत्यधिक निस्सहाय है। जिन्हें कि रोजगार की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि हमें उन क्षेत्रों में अन्धा-धुन्ध कम्प्यूटरीकरण नहीं अपनाना चाहिए जहां इसकी नितान्त आवश्कता नहीं है। मैं कतिपय क्षेत्रों में इसका महत्व समझ सकता हूं जैसे हमारे रक्षा सम्बन्धी आकलनों, आवश्यकता में कम्प्यूटरीकरण आवश्यक है। कई अन्य क्षेत्रों में भी इसका होना अनिवार्य हो गया है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कम्प्यूटरीकरण का युग है और हमें बिना सोच-विचार के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र अथवा प्रत्येक कार्यक्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण एवं स्वचालन की मांग करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें ऐसे आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि हमें अपनी पारिवहन प्रणाली, अपने विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति एवं सिंचाई व्यवस्था मे तेजी से विकास करने पर बल देने की आवश्यकता है।

सभा के प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक दल और बाहर लोगों ने यह समझ लिया है कि कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती। परन्तु यह एक ऐसा माहोल पैदा करने हेतु सच्चा प्रयास कर सकती है जिसमें उनके लिए रोजगार प्राप्त करने तथा अपने स्वयं की पहल और इच्छाशक्ति के माध्यम से काम पाने की आशा की जा सकती है। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि वे इस तरह के कार्य पर चाहे जितना ही जोर क्यों न दें, वह व्यर्थ जाएगा और शायद विचारणीय बात होगी। मेरे अधिकांश साथियों ने इस विषय से सम्बन्धित अधिकांश मुद्दों के बारे में पर्याप्त कहा है। मुझसे पहले कही जा चुकी बातों की पुनरावृत्ति करके मैं सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

इसलिए मैं एक बार फिर श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पुरःस्थापित इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार यह देखने के लिए भरसक प्रयास करेगी कि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

*श्री श्रीवल्लभ पात्रिप्रहो (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री भोगेन्द्र झा द्वारा सभा में प्रस्तुत रोजगार गारन्टी विधेयक पर कुछ शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं? क्या यह उड़िया है?

श्री श्रीवल्लभ पात्रिप्रहो : मुझे अपनी मातृभाषा के साथ न्याय करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आपको हमारे साथ भी न्याय करना होगा।

श्री श्रीवल्लभ पात्रिप्रहो : महोदय, उड़िया एक विकसित भाषा है। तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और उसके बाद उड़िया है। यह एक प्राचीन भाषा है और साथ ही यह एक विकसित भाषा है। मैं अपना भाषण इसी भाषा में देना चाहता हूं जो कि मेरी मातृ भाषा है।

महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा के विधेयक जिसपर सभा में चर्चा हो रही है को अपना नैतिक

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समर्थन देता हूं। पिछले सत्र में इससे मिलता-जुलता एक संकल्प सभा में रखा गया था और हमने उस पर पूरी बहस की थी। बहरहाल बढ़ती हुई बेरोजगारी आज एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। केवल हमारा देश ही नहीं है जिसमें यह समस्या है यह समस्या विश्व के अन्य विकसित तथा अविकसित देशों में भी समान रूप से गम्भीर समस्या है। बेशक भारत एक विकासशील देश है और यही कारण है हम देश में बेरोजगारी की समस्या को बहुत भारी समस्या महसूस करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि अमरीका तथा स्वीडन, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से कहीं अधिक है, में बेरोजगारी की समस्या बिलकुल भी नहीं है। फिर भी प्रत्येक सभ्य, विकसित, विकासशील अथवा समाजवादी देश का अपने प्रत्येक नागरिक को प्रतिष्ठापूर्वक रहने के लिए किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराना प्रथम कर्तव्य है। परन्तु हमें यह निर्णय करना होगा कि क्या श्री झा के विधेयक को उसी रूप में स्वीकृत किया जा सकता है जिस रूप में माननीय सदस्य ने इसे सभा में रखा है ? क्या इसे हमारे देश के वर्तमान ढांचे में कार्यान्वित किया जा सकता है ? कोई भी यह नहीं कह सकता कि इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। जनता दल के "काम के अधिकार" के वायदे का क्या हुआ ? क्या वे इसे कार्यान्वित कर सकते थे ? जनता दल ने लोगों से संविधान में संशोधन करने तथा उसमें "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में रखने का वायदा किया था। उन्होंने इसे चुनाव घोषणापत्र में शामिल किया था और इस वायदे के साथ वे सत्ता में आए। नारे देना एक बात है और इसे कार्यान्वित करना अलग बात है। किसी को ऐसे असम्भव और झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। परन्तु किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं बेरोजगारी की समस्या को कम आंक रहा हूं। मैं विधेयक के महत्व को कम कर रहा हूं। बेरोजगारी एक गम्भीर समस्या है। हमारे पास राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त है जो हमारे संविधान की नींव है जिन्हें संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। मौलिक अधिकार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान के अन्य अध्याय में हैं जहां देश का प्रशासन चलाते समय अनुकरणीय दिशानिर्देश का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। महोदय, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से हम सभी चिन्तित हैं। इस गम्भीर समस्या से सरकार बहुत चिन्तित है। इस समस्या के समाधान हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। नए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। 900 मिलियन अतिरिक्त कार्य दिवस पैदा किए जा रहे हैं। लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना इत्यादि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2100 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। परन्तु दूसरी ओर कुछ स्वयं विरोधाभासी बातें हो रही हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, सरकार बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या से परिचित है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही सरकार नये रोजगार पर रोक लगाने के लिए अधिसूचनायें जारी कर रही है। अतिरिक्त रोजगार पैदा करने पर रोक लगाई गई है। यहां तक कि रिक्त पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। ऐसा इसलिए है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही अनिश्चित है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को उपयुक्त रोजगार प्रदान करने में असफल रहने पर हम अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। महोदय स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि एम० ए० डिग्री धारक कोयला खानों में भार लादने वालों का कार्य करने को तैयार है। फिर भी उन पदों पर उनका चयन नहीं होता। विगत में ऐसी उच्च शिक्षा प्राप्त युवक इस पद के योग्य नहीं समझे जाते थे क्योंकि वे कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। वे भूमिगत कोयला खानों में कार्य नहीं कर सकते। क्या आपको उन पदों के लिए आधारभूत योग्यताओं की जानकारी है ? वे अंगूठा छाप होने चाहिए। विगत में केवल कमजोर वर्गों के लोगों को ही चुना जाता था। अब स्थिति भिन्न है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। एम० ए० डिग्री धारक प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी के न्यायालय में जाकर यह लिखित पत्र दे रहे हैं कि वे शिक्षित नहीं हैं। अंगूठा छाप लोगों वाली नौकरियां चाहते हैं क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि एक बार उन्हें अंगूठा छाप के रूप

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

में नौकरी मिल गई तो भविष्य में उनपर लिपिकीय पदों के लिए विचार किया जा सकता है। अत: एम०ए० डिग्री धारक युवाओं का यह हाल है।

महोदय, ऐसे बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ने इस महान राष्ट्र के भविष्य की कल्पना की थी। अत: उन्होंने अपना दर्शन बनाया था, आर्थिक नीति आज बेरोजगारी की समस्या इतनी विकट नहीं होती। यदि गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी आर्थिक उपायों को स्वतन्त्रता पश्चात अपना लिया गया होता। गांधीवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण नहीं किया गया और इसलिए हम आज ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं। मैंने मेरे कुछ विद्वानों, मित्रों के भाषणों को यहां ध्यानपूर्वक सुना। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि स्वतन्त्रता पश्चात गांधीवादी उपायों का पूर्णरूप से पालन किया जाता तो आज हमें ऐसी गहन समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। गांधीवादी आर्थिक नीति स्वकार्य कुशलता कुटिर उद्योग जैसे चरखा इत्यादि के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए पर आधारित थी। उनकी नीति पर आधारित स्वतन्त्रता आंदोलन ने विश्व के स्वतन्त्रता आंदोलन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। उन्होंने बर्किघम अथवा लन्दन से आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने का आहवान किया। उन्होंने सभी से आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने तथा भारतीय खादी की पोशाक पहनने को कहा। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरूआत की। वह शक्ति-शाली ब्रिटिश साम्राज्य ऐसा साम्राज्य जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन ने इस महान साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया।

5.00 प० प०

महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हम शारीरिक परिश्रम करने का कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। हम खेतों में कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं। बेशक हम समय के साथ-साथ अपने खेतों में वैज्ञानिक तरीके तथा नई औद्योगिकी अपनानी चाहिए। हमें वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ चलना चाहिए। साथ ही हमें शारीरिक परिश्रम करना चाहिए तथा हमें शारीरिक श्रम करने तथा नई वैज्ञानिक प्राद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता में उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए। अन्यथा हम कई राष्ट्रों से पीछे रह जाएंगे। अपनी नयी प्रौद्योगिकी अपनाते समय हमें भारी बेरोजगारी शक्ति के उपयोग के बारे में सोचना चाहिए। हमें उनसे अधिकांश को विभिन्न क्षेत्रों में लेने के लिए कुछ तरीके खोजने होंगे। मैं इसपर केवल इसलिए ही जोर दे रहा हूं क्यों कि उपयुक्त तथा विकसित नियोजन न होने के कारण हर ही जगह बेरोजगारी की विकट समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि देश में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें अपनी ही नीति को अपनाना चाहिए।

हमें अपने वित्तीय संकट को ध्यान में रखकर एक दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए जिससे यह गम्भीर समस्या काफी हद तक हल हो सके। तदनुसार हमें इन बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार की गारंटी का प्रावधान संभव नहीं है। मैं उनसे सहमत तो हूं, परन्तु हमें निराशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा के काले बादलों के बीच आशा की किरण होती है। हमें कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति तथा योजना आयोग के भूतपूर्व सलाहकार डा० वी०

रामास्वामी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने भारतीय कृषि के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा अन्ततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि हम प्रभावी योजना बनाएं तो बड़ी संख्या में बेरोजगार लोगों को कृषि क्षेत्र में खपाने की काफी गुन्जाइश है। यदि कृषि का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाए तो इस देश के समस्त ग्रामीण बेरोजगार लोगों को वर्ष 2000 ई० तक कृषि के अन्तर्गत खपाया जा सकता है। हम वर्तमान शताब्दी के शेष 8 वर्षों में 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि कृषि के विकास हेतु उचित योजना बनाने से गरीबी हट सकेगी, उससे ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या समाप्त हो जाएगी। भूतपूर्व केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम, जो कार्य करने में बहुत दक्ष तथा योग्य कृषि मन्त्री थे तथा वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने आयोग द्वारा की विभिन्न संस्तुतियों का स्वागत किया है। मैं इसे यहां समिति के शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा, मैं उद्धृत करता हूं।

"यदि वाणिज्यिक कृषि, कृषि पर आधारित उद्योग तथा कृषि आधारित निर्यातों को अपनाया जाए तो भारत 10 वर्षों में कृषि में कम से कम 4% वृद्धि कर पाने, 10 करोड़ नये रोजगार के अवसर पैदा करने तथा कृषि आधारित निर्यात को कम से कम 40,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की क्षमता रखता है।"

मैं इसे आशा की किरण इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि इससे अंधकार में प्रकाश के दर्शन होंगे। यदि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, तो हम उन्हें रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारे देश में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हमारे देश के नव-शिक्षित युवक सरकारी नौकरी के प्रति अपना रवैया बदलें, और वे अपने मन में क्रांतिकारी परिवर्तन लायें। यह हमारी युवा-शक्ति की प्रथम आवश्यकता है। उनके मन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यदि हमारे युवजन कहते हैं कि अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे सरकारी दफ्तरों में कार्य करेंगे, तो उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी भारत में रोजगार नहीं दिला सकेगा। यह चीन में संभव नहीं हो पाया है। यह सोवियत संघ में संभव नहीं हुआ। महोदय, आप सोवियत संघ की वर्तमान स्थिति से परिचित होंगे। सोवियत संघ विघटन के कगार पर है। मैं यहां अमेरिका के संबंध में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

महोदय, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा को नौकरी के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नौकरियों को शिक्षा से असम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा कर देते हैं, तो नव-शिक्षित युवक, जो राष्ट्र का भविष्य हैं, स्वतः ही सरकारी नौकरी के प्रति अपना रवैया बदल देंगे।

इसके बाद, महोदय, परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें कुछ करना होगा और कई अड़चनों के बावजूद भारत ने पिछले 4 दशकों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारी प्रगति की है। विकसित देश भारत के प्रति ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि उसने उन अड़चनों के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी गरिमापूर्ण स्थान बनाया है। किन्तु यदि जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका गया, तो हम और अधिक प्रगति नहीं कर सकते। विभाजन के समय देश की कुल जनसंख्या 35 करोड़ थी और अब वह 85 करोड़ हो गई है और अनुमान है कि 2000 ईस्वी तक जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक हो जायेगी। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या वास्तव में हम सभी के लिए बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। हमें परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से

[श्री ओबलेश पाणिग्रही]

क्रियान्वित करके जनसंख्या पर नियंत्रण रखना है। यह तभी सम्भव है जब परिवार नियोजन सम्बन्धी मानदण्डों को प्रत्येक जाति और धर्म के सक्षम दम्पत्ति द्वारा अपना लिया जाए। इसके लिए सभी लोगों द्वारा आम सहमति पर पहुंचना जरूरी है। धार्मिक और राजनैतिक नेताओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने के लिए एक साथ बैठकर हमें निर्णय लेना चाहिए। यदि हम अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकें, तो हम अपने पास उपलब्ध धन का अपने नवयुवकों को किसी न किसी प्रकार का रोजगार मुहैया करने में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए धार्मिक नेताओं को अपने बहुमूल्य समय का योगदान कर मानवता के कल्याण हेतु मतैक्य स्थापित करना चाहिए। किसी को उससे राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में मुझे स्वर्गीय श्री संजय गांधी द्वारा अदा की गई भूमिका याद आती है। हमने ऐसी राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वर्गीय श्री संजय गांधी द्वारा दिये गये दिशानिर्देश तथा बनाये गये कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को समझ लिया है। उन्हें लोगों को परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने की सलाह देने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बहुत से लोगों ने, अनेक नेताओं तथा राजनैतिक दलों ने उसे राजनैतिक रंग दे दिया और उससे राजनैतिक लाभ उठाया। उन्होंने मतदाताओं को गुमराह किया। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने के कारण श्री संजय गांधी तथा श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत हानि उठानी पड़ी थी। वृक्षारोपण कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं करता है। हम सभी जानते हैं तथा इस पर सहमत हैं कि पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें वृक्षारोपण तथा वानिकी (कार्यक्रमों) में तेजी लानी होगी। हमें सिकुड़ते वनों को बचाना है। हमें वृक्षों का कटान रोकना है तथा वृक्षारोपण के कार्य में तेजी लाकर हमें अपनी वातावरण की रक्षा करनी है। हमें साक्षरता अभियान को भी तेज करना है। इसलिए स्वर्गीय संजय गांधी के पांच-सूत्रीय कार्यक्रम आज के सन्दर्भ में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। हम, राजनैतिक दलों से अपनी सम्बद्धता से निरपेक्ष होकर इस तथ्य को खुले रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए यदि हमें अपनी राष्ट्रीय समस्याओं से जूझना है तो वे पांच-सूत्री हमारे लिए ईसोपदेश, बाईबल की शिक्षाओं की भांति होने चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, चूंकि चाहे आप कोई भी उपाय करें, कितने ही विधान बना लें, कितनी ही धनराशि का आवंटन कर दें, हम गरीबी हटाने में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर को नहीं रोका जाता और इसके लिए सर्वसम्मत निर्णय बहुत आवश्यक है। यदि राजनैतिक दल मेरे सुझावों को राजनैतिक रंग देते हैं, तो इस देश में भी कोई कल्याण कार्य अथवा उत्थान नहीं होगा। जब हमें कुछ कार्यक्रमों को लागू करना होता है तो कुछ स्थानों पर कुछ ज्यादतियां भी हो सकती हैं, आवश्यकता पड़ने पर कठोर उपाय भी करने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन राष्ट्रीय समस्याओं, जिनका राष्ट्र को सामना करना पड़ रहा है, से जूझने के लिए हमें कार्यक्रम को सफल बनाना है। इसलिए सभी राजनैतिक और धार्मिक नेताओं को आम सहमति बनानी है।

महोदय, इस सदन में ग्रामीण लोगों के शहरी क्षेत्रों में पलायन का कई बार उल्लेख किया गया है यदि हम लोगों के बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रशासनिक ढांचे को बदलना होगा, हमें ब्लाक तथा तहसील मुख्यालयों पर प्रशासनिक कार्यालयों को खोलना होगा। हमें ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। हमें हर गांव को सड़कों से जोड़ना होगा और हमें ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बनाने होंगे। जब तक हम यह नहीं करते, लोग अपने जीवकोपार्जन तथा आराम पाने के लिए शहरी क्षेत्रों, कस्बों तथा नगरों में आते रहेंगे, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा आराम पाना सम्भव नहीं है और उन सबके लिए अपने जीवकोपार्जन के साधन को प्राप्त करना

सरल नहीं है। इसलिए वे तो केवल गन्दी बस्तियों की वृद्धि में ही योगदान करेंगे। इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है तथा ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, ताकि उनका बड़े पैमाने पर निष्क्रमण तथा शहरी आबादी में वृद्धि को रोका जा सके। मैं अपने भाषण को और अधिक लम्बा नहीं करना चाहता. किन्तु मैं माननीय मंत्री श्री संगमा द्वारा दिए गए उत्तर का हवाला देना चाहूंगा। उस दिन इस समस्या से सम्बन्धित चर्चा का उत्तर देते हुए श्री संगमा ने कहा था कि आठवीं योजना को रोजगारोन्मुख बनाया जा रहा है। आठवीं योजना में अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने को प्राथमिकता दी जानी है। नये रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। उस योजनावधि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अत: हमें अपने अतिरिक्त श्रमिक बल की समस्याओं की जांच करनी होगी, उन्हें लाभकारी रोजगार प्रदान करना होगा। हमें योजना तदनुसार ही बनानी है।

महोदय, अन्त में मैं इस विधेयक को अपना नैतिक समर्थन देता हूं। इस विधेयक के माध्यम से हमें देश की अति विकट राष्ट्रीय समस्या पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। किन्तु हमें पता है कि इस विधेयक का क्या होगा। इस विधेयक के लक्ष्य को लागू करना व्यावहारिक रूप में सम्भव नहीं है। विधेयक के पुर स्थापक, श्री भोगेन्द्र झा एक अनुभवी सदस्य हैं। वह यह भी भलीभांति जानते हैं कि रोजगार गारंटी को राष्ट्र की वर्तमान स्थिति में मौलिक अधिकार नहीं बनाया जा सकता, चाहे सदस्य महोदय की पार्टी ही सत्ता में क्यों न आ जाए। जनता दल ने कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से सरकार बनाई थी। जनता दल ने 'चुनाव वंतरणी' इस नारे की सहायता से पार की थी, जिसे उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। किन्तु जनता दल बिल्कुल असफल रहा। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम चुप बैठे रहेंगे और उस दिशा में पग नहीं उठायेंगे। हमें बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हैं। महोदय, जैसा आप जानते हैं, पिछले चुनाव के समय मैंने अपने शिक्षित बेरोजगार युवकों की दुर्दशा देखी है। योग्य, चतुर, दक्ष तथा बलवान युवक गांवों में बेरोजगार घूम रहे हैं। यह हमारी राष्ट्रीय क्षति है। हमें उनकी प्रतिभा का उपयोग करना है तथा हमें उनको किसी न किसी प्रकार का रोजगार देना है।

भूमि सुधार के मामले को ही लें। हमें भूमि सुधार के उपायों को तेजी से लागू करना है। केवल तभी अधिक संख्या में ग्रामीण लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। इसी तरह हमें पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करनी हैं। उड़िया में एक कहावत है जिसका अर्थ है—"अरे किसान भाइयों सिंचाई के बिना कृषि समृद्ध नहीं हो सकती।" अत: आप बेहतर फसल पाने के लिए अपनी भूमि की सिंचाई करें। हमें सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करनी होगी। हमारे देश में कुछ स्थानों पर आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है जिससे भयंकर बाढ़ें आती है और जिनसे फसलों आदि की बड़े पैमाने पर क्षति होती है। दूसरी ओर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें कम वर्षा होती है जिसके कारण भयंकर सूखा पड़ता है। इसलिए देश में असिंचित भूमि पर पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके तथा उन स्थानों, जहां इसके कारण प्रति वर्ष लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर बाढ़ रोककर देश में कृषि का संतुलित विकास करने की आवश्यकता है।

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने संविधान से कुछ उपबन्धों को उद्धृत किया है और यह विचार प्रकट किया है कि इस विधेयक के लक्ष्यों को कार्यान्वित करना व्यवहार्यत: सम्भव नहीं है। इस विधेयक का प्रस्तावक इस बात से पूरी तरह अवगत हैं। हमने इस सदन में अनेक विधेयकों को पारित किया है। विधेयकों को पारित करने में हम पीछे नहीं हैं, परन्तु क्या विधेयकों को अधिनियम बनाने के पश्चात इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। महोदय, कुटुम्ब न्यायालय संशोधन विधेयक पर

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

आज डेढ़ घंटा पहले सदन में चर्चा हो रही थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुझे यह पता चला कि मूल विधेयक पारित कर दिया गया था और 1984 में इसे अधिनियम बना दिया गया था, परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक बिहार सरकार जो इस विधेयक के प्रस्तावक के दल के समर्थन से जनता दल द्वारा गठित की गई है, ने इस अधिनियम को अधिसूचित नहीं किया है। फिर भी इस विधेयक में संशोधन करके इसे आज पारित कर दिया गया है। इसलिए हमें ऐसा विधेयक पारित नहीं करना चाहिए जिसे लागू नहीं किया जा सके। इस विधेयक को हाथ में उठाकर पारित करना उचित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं विधेयक के उद्देश्य को कम महत्व दे रहा हूं। इसलिए हमें इस विषय पर आमने-सामने बैठ चर्चा करनी चाहिए। हम एक के बाद एक करके विभिन्न उपायों की सूची बनायेंगे और एक सहमति पर पहुंचकर यह देखेंगे कि इस समस्या से किस तरह निपटा जा सकता है। यदि हम प्रचार करते हैं तो अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम उस उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं जिसके लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि यह किस सीमा तक व्यवहार्य है। मैं श्री झा को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह देश की वर्तमान स्थिति को समझेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देना सम्भव नहीं है तथा वह अपना विधेयक वापस ले लेंगे।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। यह जो बिल पेश किया गया रोजगार गारंटी के बारे में, मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसका समर्थन न करता हो। सत्ता में बैठे हुए लोग भी यह जरूर सोचते होंगे कि हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि अधिकांश लोगों को रोजी-रोटी मिल सके।

मान्यवर, राजनीतिक ढंग से इसके लिए बहुत से दलों के लोगों ने, नेताओं ने अपने-अपने तरीके से पैंतरे बदले। इसी रोजगार को लेकर देश में आंदोलन चला। आरक्षण की नीति आई कि आरक्षण के द्वारा कुछ वर्गविशेष के लोगों को रोजगार दिया जाए। इसका परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों नौजवान, जो पढ़े-लिखे थे, ने आत्मदाह किया। संज्ञा दी गई सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय तो नहीं हुआ, यह जरूर हुआ कि उससे समाज का विघटन हुआ, समाज में विद्रोह पैदा हुआ। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि सारी चीजों का निवारण, इन्होंने जो बिल पेश किया है, अगर सरकार उसको कानून बना दे तो हो सकता है। इससे न तो समाज में विद्वेष पैदा होगा, न आरक्षण की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कि समूचे देश में 3/4 ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, शायद 1/4 वर्ग ही ऐसा होगा जो सम्पन्न होगा। गरीब कौन है ? अधिकांश गरीब जाति के लोग ही गरीब हैं।

आज आरक्षण के नाम पर समाज में जो विद्वेष हो जाता है उसका निवारण हो जाता है। जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वे कहते हैं कि क्यों न संविधान में यह सम्मिलित कर दिया जाए कि देश के जो नागरिक हैं तो शासन की जिम्मेदारी उनको रोजी-रोटी देने की है। अगर यह हो जाता तो समाज की तमाम बुराईयां दूर हो जाती और बहुत लोगों को रोजगार मिल जाता।

अगर किसी अमीर का बच्चा जमीन पर गिरता है तो लाखों रुपए की संपत्ति उसके नाम लिख दी जाती है। गरीब के घर में ऐसा होता है तो उसके रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं लिखी जाती। यह चीज भगवान से नहीं बनी है। क्या यह सच नहीं है कि गरीब के बच्चे को भी और अमीर के बच्चे को भी बराबर सुविधा दी जाए। पढ़ने में जो आगे निकलता है उसको रोजगार दिया जाए। गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने नहीं जाते क्योंकि उनके घर वालों को खाना नहीं मिलता। जब बच्चा सात-आठ साल का होता है तो उससे मजदूरी कराते हैं ताकि उनको रोजी-रोटी मिलती रहे। अगर अमीर का बच्चा तीन साल तक फेल होता है तो उसके लिए टीचर रखे जाते हैं। क्या यह बिडम्बना नहीं है। शासन को एक नीति बनानी चाहिए कि हाई स्कूल या बी० ए० की सुविधा पढ़ने के लिए दी जाए। अगर किसी गरीब के बच्चे को किताब-कापियां नहीं मिलती हैं तो शासन की तरफ से मिलनी चाहिए। कुछ काम होता है लेकिन जिस रूप में होना चाहिए, वह नहीं होता है। साथ ही शिक्षा में भी ऐसा होना चाहिए कि रोजी-रोटी दे सकें। गरीब घरों के मां-बाप अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बने। पढ़-लिखने के बाद भी वह खाने के लिए मोहताज हो जाता है तो मां-बाप को कौन सहारा दे। जैसे किसान गाय को खूब पालता है और इस आशा में रहता है कि बच्चा देकर खूब दूध देगी। लेकिन कभी-कभी वह बांझ हो जाती है और दूध नहीं मिलता है। बड़े घरों के बच्चे सिफारिश के बाद बड़े पदों पर जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप देश के सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाए। एक परिवार के दो लोग नौकरी करते हैं तो उनको दूसरी नौकरी में वरीयता न दी जाए। जिन घरों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है और उस घर में नौकरी करने वाले न हों तो उनको वरीयता दी जाए, जिससे समस्या का कुछ निदान हो सकता है। बैंकों का हिसाब भी आप देख लीजिए। कितने गरीब लोग हैं जो बैंकों से रुपया पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह भी कानूनी गारंटी दे दी जानी चाहिए कि साधारण जो किसान है, गरीब जाति का है, अगर रोजगार करना चाहता है तो 10-20-25 हजार रुपये बैंक अपनी गारंटी पर उसे ऋण दे कि उस पैसे से रोजगार चला सके। केवल कागज पर न रहे। वास्तविकता की जांच करें क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको ऋण मिला हो और वे अपना रोजगार चला रहे हों। उसकी पूरी देख-रेख होनी चाहिए। मैं इस संबंध में एक मिसाल दे रहा हूं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे क्षेत्र में डोम जाति के लोग थे। उनमें से एक आदमी को 12 हजार रुपया दिया गया ताकि वह जेनरेटर खरीद सके। कुछ लोग जो चालाक थे, उसको बरगला कर ले गये कि 6 हजार रुपये की छूट मिल जायेगी और केवल 5-6 हजार रुपया देना होगा। वह जेनरेटर 4-5 हजार रुपये में सेठ को बेच दिया और वह सेठ उससे सैकड़ों रुपया कमा रहा है। और वह समझता है कि रुपया नहीं देना पड़ेगा।

सभापति जी, इसलिए निवेदन करूंगा कि जो समाज में चतुर लोग हैं, वे गरीब का शोषण करते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही शिक्षा नीति में परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि सभी नौजवान एम० ए०, बी० ए० कर रहे हैं चाहे वह थर्ड डिवीजन में हो लेकिन इस प्रकार बेकारों की लाईन लग रही है। इस संबंध में एक निवेदन यह है कि शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाये और उसे अक्षर का ज्ञान हो। दूसरे उन लोगों को, जिन्होंने प्रथम श्रेणी में किया है और वे इस लायक हैं कि वैज्ञानिक बन सकें, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसा नहीं कि मां-बाप एम० ए०, बी० ए० करा रहे हैं कि बेटा अब खेत का काम करेगा, लेकिन वह शर्म महसूस करता है और खेत में काम नहीं करता। यह कोई किताब की बात नहीं है। गांव में जो नित्य देखा है, वह कह रहा हूं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दे सके। कम से कम साईकल के पुर्जे, टायर ट्यूब वाला तो रुपया कमा लेता है। टेक्नीकल लोगों को टेक्नीकल शिक्षा दी जानी चाहिए।

[श्री राम नगीना मिश्र]

मान्यवर, आज देश में दो-तीन तरह के लोग हैं। कुछ तो नौकरी वाले हैं कुछ बिजनैस वाले हैं और कई लोग खेती पर निर्भर हैं। मैं यह कहूंगा कि कांग्रेस के शासन में परिवर्तन जरूर हुआ है कि सीलिंग लागू की गयी परन्तु अफसोस है कि वह ठीक से लागू नहीं हुई। बड़े-बड़े लोगों के पास सैकड़ों खेत हैं जो कुत्ते, बिल्लियों के नाम से दर्ज हैं। क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? जितने भी बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकेदार हैं, सारी जमीन उनके कब्जे में है और कागजात में दूसरे के नाम हैं। बिहार में बहुत से झगड़े इसी बात पर हो रहे हैं और हमारे क्षेत्र में भी यही स्थिति है। मेरा निवेदन है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जाये ताकि वे खेती कर सकें लेकिन इस मामले में होगे कि एक कानूनी दिक्कत है। बड़े लोग कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं और 10-15-20 साल तक मुकदमा लड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत से चतुर लोग हैं जो जमीन को सीलिंग से निकाल कर लाखों रुपया बैंकों से लेकर खेती कराते हैं। मैं चाहूंगा कि सीलिंग के बारे में कानून मे संशोधन करें कि जो सीलिंग की जमीन है, वह निकालकर गरीबों को बांटी जाये और ऐसा कानून बनायें कि वह कोर्ट में जाकर स्टे न ले सके।

एक निवेदन और है कि मैं सरकारी नौकरी की बात तो नहीं करता हूं परन्तु प्राईवेट सैक्टर के भी है कि गांव में रोजगार के साधन दिये जायें ताकि गांव का आदमी शहर की ओर न आ सके क्योंकि गांव में कोई मजदूरी नहीं मिलती और शहर में कम से कम उसको 35-40 रुपया दिल्ली जैसे शहर में मिल रहा है। यह कहा जा रहा है कि गांव के लोग आकर शहर को गंदा कर रहे हैं। आखिर गांव वाले क्या करें!

"बुभुक्षितं किं न करोति पापं, क्षीणाजनानि निष्करुणा भवन्ति।" भूख से व्याकुल इन्सान संसार का हर अपराध कर सकता है। एक तो वह गांव को छोड़कर शहर जाता है, इतना ही नहीं, ये जो चोरियां, डकैतियां हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हैं। किसी ने बी० ए०, एम० ए० पास कर ली, शादी हो गई और मां-बाप गरीब हैं। पैसे तो नहीं रहे हैं और समाज में उसको शर्म आती है तो वह जाकर ऐसे लोगों से मिलता है और चोरी-डकैती करता है। आज समाज मे बहुत कुछ कुरीतियां पैदा हुई हैं, बेरोजगारी की वजह से हुई हैं। मैं अभी यह भी सुन रहा था जैसा हमारे मित्र ने कहा कि झा साहब ने बहुत अच्छा बिल पेश किया है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई, इस बिल को तुम वापस ले लो, इसके लिए वोटिंग मत कराना। मैं समझता हूं कि शासन में बैठे हुए लोग भी और विरोधी दल के लोग भी और सारे लोग अगर इस बात पर कनविन्स्ड हैं कि देश में जितने नवयुवक बेरोजगार हैं, उनको काम दिया जाए तो इसे वापस लेने की क्या जरूरत है? संयोग की बात है कि देश की सबसे सुप्रीम अदालत में देश के होनहार नवयुवकों के फैसले पर बात हो रही है। आज नवयुवकों की नजरें यहां पर लगी होंगी। मैं चाहूंगा कि इसमें एक से एक विद्वान लोग यहां बैठे हैं और शासन को चाहिए, मंत्री जी को चाहिए कि आप यहां आश्वासन दें। अगर आप इसे इस शर्त के साथ वापस लें कि सरकार नवयुवकों को रोजगार की गारण्टी देने के लिए चाहे संविधान में संशोधन करने का बिल लाएगी या अलग से बिल लाएगी तो मैं झा साहब से कहूंगा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए, इसे वापस नहीं लेना चाहिए। यह कोई रस्म अदायगी की बात है कि प्राइवेट मेम्बर बिल पर बहस हो गई, हम सबने लेक्चर दे दिया और कहा कि अमुक साहब ने बहुत अच्छा बोला और बाद में बिल वापस ले लिया गया। इस पर तो स्टैण्ड करना चाहिए और मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं कि समाज में, जो कुरीतियां हैं, अगर उनको दूर करना है, समाज की विषमता को मिटाना है, समाज में जो पिछड़ापन है उसको मिटाना है, तो इस बिल के माध्यम से अलग से कानून बनाकर लाया

जाए जिससे देश के जितने बेरोजगार नवयुवक हैं, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए रोजी-रोटी की व्यवस्था करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं झा साहब को धन्यवाद देता हूं और मैं समझता हूं कि मंत्री जी हंस रहे हैं शायद इनके मन भी कोई बात है ··। क्योंकि बंगाल का मामला है, बंगाल से कुछ नसीहत मिली होगी, लेकिन हम लोगों की हालत उससे भी खराब है। आप फैसला कीजिए कि आज जो नौजवान सड़कों पर मारे-मारे फिर रहे हैं, उनको भी कम से कम रहने की जगह मिल जाए, रोजी-रोटी की व्यवस्था हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय अलॉट था। अब दो घंटे का समय खत्म होने वाला है और मेरे सामने सात और सदस्यों के नाम हैं। मेरे ख्याल में आधे घंटे से काम नहीं चलेगा। तो एक घंटा इस बिल के लिए और बढ़ा दें ?

[अनुवाद]

इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय रखा गया है और वह समय बीतता जा रहा है, क्या सदन की यह इच्छा है कि इस विधेयक के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

सभापति महोदय : सदन इस विधेयक का समय एक घंटा और बढ़ाता है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है कि आप सदन में हाजिरी देखें कैसी है। 6 बजे के बाद भी चलेगा तो ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसे अगले शुक्रवार को ही पास कराया जाए।

सभापति महोदय : मिश्र जी, इसमें व्यवस्था का प्रश्न कुछ नहीं है क्योंकि आप ने कहा अगली सिटिंग में ले जाने के लिए। वह तो एक घंटा बढ़ाने से जरूर हो जाएगा।

[अनुवाद]

सदन ने इस विधेयक के लिए समय एक घंटा और बढ़ा दिया है और इसका अर्थ यह नहीं है कि सदन 6 बजे के बाद बैठेगा।

श्री के० तलिसऐया वान्डायार (तंजावुर) : सभापति महोदय, हमारे देश में लाखों लोग अमानवीय पीड़ाओं के शिकार है। इसका कारण बेरोजगारी है जो अब सामान्य प्रक्रिया बन गई है। यह बात देश के सभी शिक्षित युवकों की नसों में बैठ गई है, शिक्षित युवक झगड़े के मूड में है, क्योंकि वे असमंजस की स्थिति में हैं।

इस दुविधा से बचने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह उन लोगों को रोजगार प्रदान करे जिन्हें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, हमारे यहां ऐसे कालेज हैं जहां से आवश्यकता से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर आते हैं तथा बाद में बेरोजगार हो जाते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली को ऐसी अनियमितताएं संतुलित करके इन्हें दूर करने के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

शिक्षित लोगों के अलावा ऐसे भी लोग हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अशिक्षित लोग

[श्री के० तुलसिऐया वान्डायार]

समाज के लिए एक जोखिम है, जब शिक्षित और अशिक्षित साथ-साथ चलते हैं तो सामाजिक असंतुलन पैदा हो जाता है, यह समस्या और अधिक जटिल हो गई है। उससे सामाजिक अन्याय, आतंकवाद और सामाजिक मनमुटाव जैसी अन्य कई समस्यायें पैदा हो गई हैं।

कृषि में काफी लागत आती है और यह लगभग एक जुआ का खेल बन गई है। लाखों किसान नगरों और शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। नगरों में यही श्रमिक अमानवीय स्थिति में रहते हैं। वही दुर्भाग्यवान लोग गंदी बस्तियां बसाकर गंदगी पैदा करते हैं। यद्यपि विश्व में अनेक मानवाधिकार हैं अभी भी हम आदमी और आदमी के बीच की असामनता देखते हैं। रूस, चीन जैसे समाजवादी देशों तथा अन्य यूरोपीय देशों में श्रमिकों को सम्मान मिलता है। परन्तु यहां बॉस कम हैं तथा इनके नीचे लाखों लोग कार्य कर रहे हैं।

अत्यधिक अधीनीकरण से हिंसा और आतंकवाद पनपता है। इसी कारण हमारा सामन्ती दृष्टिकोण है और गांवों में बंधुआ श्रमिक हैं।

सरकारी कार्यालयों में अनेक रिक्तियां हैं परन्तु उन्होंने इन रिक्तियों को नहीं भरा है। यदि हम उनसे पूछते हैं कि इन रिक्तियों को क्यों नहीं भरा गया है तो वे कहते हैं कि इसका कारण वार्षिक और वित्तीय अभाव है। सरकार को नये रोजगार के अवसर बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए तथा उन्हें बेरोजगारों की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। शिक्षित युवक की प्रवृत्ति लिपिकीय कार्य करने की होती है। स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और बैंकों से जो धन उन्हें मिलता है उसका सदुपयोग अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे देश में अत्यधिक कर लगाया जाता है और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग दुर्दशा के शिकार हैं। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। हम करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं जिसका बिना किसी उद्देश्य दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सभी को इस विषय पर सोचना चाहिए ताकि हम स्वरोजगार और विकेन्द्रीकरण के गांधीवादी तरीके से इस गरीबी को दूर कर सकें।

इस तरह श्री झा द्वारा पुरः स्थापित किये गये विधेयक को सत्ता पक्ष में बैठे सदस्यों का भी नैतिक समर्थन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री येल्लैया नंदी (सिद्दीपेट) : सभापति महोदय, रोजगार गारंटी के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। रोजगार गारंटी का मसला बहुत गंभीर मसला है। शायद हर मैम्बर को यह जानकारी होगी कि सुबह जब हम टी० वी० ऑन करते हैं तो भारत की जनसंख्या किस तरह से बढ़ रही होती है। टी० वी० में यह क्लीयर दिखाया जाता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी कोई पार्टी हो, सब नेताओं के लिए रोजगार गारंटी का मसला गंभीर है।

जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से मुकतलिफ किस्म के कार्य करने के बावजूद भी बेरोजगारी का मसला गंभीर बना हुआ है। आज कंडीशन रहती है कि शहर से चालीस किलोमीटर दूर इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। जहां पर सबसिडी हैं वहां पर लोग इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करते हैं।

मैं निवेदन करना हूं कि आज हमारे गांवों में देश की अस्सी प्रतिशत जनता रहती है, उनके

रोजगार के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वे रोजगार की तलाश में ग्रामीण प्रान्तों से राजधानी में आते हैं।

उनको काफी दिक्कतें आती हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से काफी सबसिडी इंडस्ट्रीज को दी जाती है मेरा आपसे निवेदन है कि जहां पर ग्रामीण लोग रहते हैं और जहां बेरोजगारों की बहुत अधिक संख्या है वे जो बैकवर्ड इलाके हैं, आप वहीं इन्डस्ट्री लगाने की इजाजत दें। इससे बेरोजगारी का मसला हल होने की सम्भावना है।

मैं किसी स्पैसिफिक स्टेट का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि हर जगह पढ़े-लिखे नौजवान बेकार बैठे हुए हैं। उनके माता-पिता बहुत मेहनत के करने के बाद उन्हें पढ़ाते हैं लेकिन ग्रेजुएट होने बाद भी जब उन्हें सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है।

आज अधिकांश जगहों में उग्रवाद पनप रहा है। जब पढ़े-लिखे नौजवानों को नौकरी मिल नहीं पाती है तो वे उग्रवाद की तरफ बढ़ते हैं। इससे भी हमें निपटना होगा।

हमारे माननीय सदस्य ने यह जो रोजगार गारंटी का बिल पेश किया है, यह अच्छा तो है लेकिन बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी देने का, यहां बैठकर हमको फैसला करना पड़ेगा और इस पर करोड़ों रुपये का खर्च भी आएगा। हमारे वित्त राज्य मन्त्री श्री दलबीर सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। बैंकों से लोन लेने के लिए नौजवानों को बहुत परेशान किया जाता है और उन्हें कर्जा आसानी से नहीं मिल पाता है। जनता दल की सरकार के बहुत बड़े नेता श्री देवीदलाल जी ने बड़े जोर-जोर से कर्जों की माफी का ऐलान किया था। केवल वोट प्राप्त करने के लिए ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। आज बैंक वाले हर आदमी को लोन देने के लिए घबराते हैं। इन तमाम चीजों के लिए हमारी सरकार की जो नीति और सोचने का तरीका रहा है, वह बहुत अच्छा रहा है लेकिन उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है।

आज हर क्षेत्र में, हर प्रान्त में और हर जगह भारत के अन्दर बेरोजगारी का मसला गम्भीर रूप धारण किए हुए है। विरोधी दल के माननीय सदस्य ने आज यहां जो बिल पेश किया है, वह बिल तो पेश कर सकते हैं, लेकिन सदन में भाषण देने से और अपने विचारों को प्रकट करने से इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। हमें जनसंख्या पर भी काबू पाना होगा। गांव के लोगों को फैसिलिटीज देने की आवश्यकता है। हमारे समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, वे पढ़े-लिखे होने के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे गांवों के अन्दर यूं ही पड़े हुए हैं। इससे बहुत मुश्किल हो रही है।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं, तब उन्होंने बीस सूत्री आर्थिक प्रोग्राम के तहत इस देश में हजारों एकड़ जमीन तकसीम की थी, लेकिन हजारों एकड़ जमीन तकसीम करने के बावजूद आज भी समाज के अन्दर बहुत सारे लोगों के पास अधिक जमीन है, लेकिन जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, परिवार हैं, उनके पास आज 4 एकड़ भी जमीन नहीं है और वे अपना गुजारा दैनिक मजदूरी के द्वारा करते हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज दूसरी जातियों के मुकाबले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में अधिक बेरोजगारी की समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या पर गम्भीरता से सोचना चाहिए। किस तरह से समाज में सुधार करके इस

[श्री येल्लैया नन्दी]

समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं सभापति महोदय आपका शुक्रिया अदा करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सभापति महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश के बेरोजगारों और गरीबों के लिए इस समस्या की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

मान्यवर, यह देश की इतनी बड़ी समस्या है, जिसको आप भी जानते हैं और हम भी, जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, राज्य में जाते हैं और देश में कहीं भी जाते हैं तो लोगों की यही मुख्य समस्या है और लोग कहते हैं कि हमें काम दो।

सभापति महोदय, पवार साहब यहां बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब कांग्रेस एस० में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, मैं भी वहां पर उपस्थित था, तब इन्होंने मराठी भाषा में कहा था कि इस देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना मेरा पहला काम है। उस भाषण को मैंने अपने कानों से सुना था। आज सौभाग्य है कि पवार साहब इसी हाउस में हैं और सक्षम भी हैं।

सभापति महोदय, अभी हम रोजगार गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्ग साथी श्री रामनगीना मिश्र जी बोल रहे थे। पता नहीं सामाजिक न्याय से लोग घबराते क्यों हैं। इतनी घबराहट किस बात के लिए है, यह मेरी समझ से बाहर की बात है। मिश्रा जी ने अभी कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर आरक्षण लागू कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 42—45 वर्षों के बाद भी, संवैधानिक अधिकार रहने के बाद भी आरक्षण पूरा नहीं किया गया, यह समाज और इस देश के साथ कितना बड़ा न्याय है, इसका स्वयं दर्पण में देख सकते हैं। आप आकड़े देख लीजिए कि जो लोग इस देश में 52 फीसदी और 22 फीसदी हैं, उनमें से कितने 5—7 परसेंट ही भारत सरकार की नौकरियों में हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में सारी जातियों के लोग हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग निल हैं या शायद एक है, कृषि मंत्रालय में 2, यह है पिछड़े और दलित लोगों की स्थिति और सारे के सारे दूसरे लोग वहां पर हैं। क्या यही सामाजिक न्याय है, मैं मिश्रा जी से जानना चाहता हूं और अभी हमारे एक बुद्धिमान साथी बोल रहे थे कि देवीलाल जी ने कर्जा माफ किया तो बैंकों में क्रेडिट खत्म हो गया।

क्रेडिट खत्म हो जाने से लोगों को ऋण नहीं मिलता। मैं उन बन्धुओं से जानना चाहता हूं, जिस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, उस वक्त जो बैंकिंग पालिसी एडोप्ट की थी, क्या वित्त मंत्री हमको बताएंगे क्या उस अवधि को आपने प्राप्ति की है। वह नहीं हो पाई। हुआ क्या है, गांव में जहां बैंकिंग की व्यवस्था की गई, जिला मुख्यालय, हेड-क्वार्टर, जहां गांव के लोग रहते हैं, वह इलाका भौगोलिक दृष्टि से नदियों से घिरा है, वहां बैंक कहता है कि जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर कहता है ईंट का मकान नहीं, वहां बैंकिंग की व्यवस्था नहीं कर सकता हूं। मेरा कहना है वित्त मंत्री जी को यह बात समझनी चाहिए कि हर सूबे में, गांव में बैंकिंग की व्यवस्था आप न कर पाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी का जो लक्ष्य था उसके साथ आप मजाक कर रहे हों, खिलवाड़ कर रहे हों। गांव का ढोल पीटने से कोई लाभ नहीं है। हम लोगों की सरकार ने किसानों को कुछ लाभ नहीं दिया। हम किसान के बच्चे हैं, हम लोग गांव से आते हैं। किसनों की स्थिति क्या है? उन्होंने ऋण लिया और और बाढ़ के कारण किसान की फसल बरबाद हो गई, ओले पड़ने के कारण फसल बरबाद हो गई और वह ऋण नहीं चुका

पाया। 15—20 साल पहले जो ऋण किसान ने, मजदूर ने लिया, उसे वह चुका नहीं पाया। ऋण के लिए लोक सभा के माध्यम से हम लोगों ने गरीबों को, किसानों को अरबों रुपये दिए थे। बैंक की क्रेडिट का क्या सवाल है। जानकारी के अभाव में कुछ बोल देना शोभा नहीं देता। हमने बैंक को पैसा दिया, हमारी सरकार ने बैंक को फाईनेन्स किया, फाईनेन्स करने के बाद हमने कहा कर्ज माफ कीजिए। इसलिए जो भी हम बहस करते हैं व वह सोच-समझकर करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, बेरोजगार लोगों, जो शिक्षित नहीं है वे लोग, शहरों की ओर चले आए। दिल्ली में देखें, दिल्ली की आबादी 85 लाख या 90 लाख है। उसमें से 50 लाख लोग दिल्ली के बाहर के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। जो स्टेशन पर, रोड पर, झोंपड़ी में, रेल की पटरी पर सो कर जिन्दगी बिताते हैं। वे कौन हैं? वे मैट्रिक पास, बी० ए० पास लोग है। जब उनको रोजगार प्राप्त नहीं हुआ तो यहां आ कर पान की दुकान या ठेला लगाकर उन्होंने अपना जीवनयापन करना शुरू कर दिया। उसकी क्या दुर्दशा है। दिल्ली की पुलिस निकलती है और उसके घर को तोड़ना शुरू कर देती है, ठेले पर से सामान उठा कर अपनी पाकेट में, अपने थैले में डाल लेती है और उसके बाद डण्डे बरसाने का काम करती है। यह विडम्बना है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि हमारे झा साहब जो बिल लाए हैं, वे इसको वापिस न लें। इस बिल पर आप मतदान करायें। देश के रोजगारशुदा और बेरोजगार, सारे लोग इस बात को समझेंगे कि कौन हमारा हित करता है, कौन अहित करता है। सारे लोगों का पर्दाफाश हो, इसलिए आप बिल वापस न लें, यह मेरी आपसे विनती है।

मान्यवर, खेती को जब तक उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक आप बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। किसान के पास अगर 20—25 एकड़ जमीन होती है, उसके चार संतानें होती हैं, चार संतानें होने के बाद उसके पास केवल 5 या 4 एकड़ जमीन होती है, किसी के पास तो एक या दो एकड़ ही होती है। इस तरह से जमीन को औद्योगिक रूप से डिवेलेप कराएंगे तो निश्चित रूप से पढ़े-लिखे नौजवान यहां रोजगार करने नहीं आएंगे। खेती की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। कोई व्यक्ति खेती करना नहीं चाहता। एक पिता की चार या पांच संतानें हैं तो उनको पिता कहता है जाओ कहीं से मजदूरी करके लाओ, अपना जीवनयापन करो। यह स्थिति है। इसलिए सबसे पहला काम हम लोगों को खेती को उद्योग का दर्जा देने का करना होगा।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगली बार श्री यादव अपना भाषण जारी रखें। पांच या छः वक्ता और बोलने वाले हैं। उन्हें भी गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निश्चित अगले कार्य दिवस को अपना अवसर मिल जाएगा।

अब सदन सोमवार 11 बजे म० पू० तक दुबारा समवेत होने के लिए स्थगित किया जाता है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 9 दिसम्बर, 1991/18 अग्रहायण, 1913 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिन्ग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053